दशम माला

9 May, 1994

1915 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

नवां सत्र

(दसवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

9 मई, 1994 के लोक सभा के वाद-विवाद

के हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
10	नीचे से 5	"प्रश्न प्रश्न"	"प्रश्न"
52	2	"(श्री तरुण गागोई)"	"(श्री तरुण गगोई)"
241	नीचे से 9		
62	12		
111	1	"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई)"	"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री तरुण गगोई)"
164	17	"श्री कबोन्द्र पुस्कायस्थ"	"श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ"
207	नीचे से 6	"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गागोई)"	"खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री तरुण गगोई)"
211	21		
228	1	"री एच॰डी॰देवगौड़ा"	"श्री एच॰डी॰देवगौड़ा"
282	नीचे से 6	"वित्त मंत्री (श्री मनगमोहन सिंह)"	"वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)"

विषय-सूची

दशम माला, खंड 31, नौवां सत्र, 1994/1915-1916 (शक)

अंक 34, सोमवार, 9 मई, 1994/19 वैशाख, 1916 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**1-26**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 601, 602, 604 और 605	1–6 और 12–24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**24-27**
तारांकित प्रश्न संख्या : 603, 606–620	27-73
अतारांकित प्रश्न संख्या : 6647-6672, 6674-6711, 6713-6842, 6844-6877 और 6877-क	73-100 और 100-267
सभा पटल पर रखे गए पत्र	**277-278**
नियम 377 के अधीन मामले	**278-280**
(एक) तमिलनाडु के कन्याकुमारी में कुझीथुराई में थाम्परवर्णी नदी पर पुराने पुल की जगह नए पुल के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता	
श्री एन. डेनिस	278
(दो) होसपेट–हासन–मंगलौर रेलवे लाइन को बड़ी रेलवे लाइन में बदलने की आवश्यकता	
श्री के.जी. शिवप्पा	279

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उसी ही सदस्य ने पूछा था।

(तीन) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले के स्याना और जहांगीराबाद में एक–एक गैस एजेन्सी खोलने की आवश्यकता

डा. छत्रपाल सिंह 279

(चार) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का एक उपमार्ग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री चेतन पी. एस. चौहान 279

(पांच) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय 280

विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान पत्र जारी करना) विधेयक के बारे में **280-282**

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक **282-366**

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मनमोहन सिंह 282

श्री चेतन पी.एस. चव्हाण 284

डा. मुमताज अंसारी 287

श्री पी.सी. चाक्को 291

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 297

श्री भगवान शंकर रावत 306

श्री रमेश चेन्नितला 309

श्री सैयद शहाबुद्दीन 312

श्री भोगेन्द्र झा 318

श्री राजगोपाल नायडू रामासामी 324

श्री मोहन सिंह (देवरिया)	326
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	329
श्री सुशान्त चक्रवर्ती	331
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	334
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	335
खंड 2 से 17 और 1	**345-66**
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री वसुदेव आचार्य	353
श्री जार्ज फर्नान्डीज	356
श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति	359
आधे घंटे की चर्चा	**366-76**
परियोजनाओं की लागत में वृद्धि	
श्री संतोष कुमार गंगवार	366
कुमारी ममता बनर्जी	369
प्रो. रासा सिंह रावत	370
श्री गिरिधर गोमांगो	371

लोक सभा

सोमवार, 9 मई, 1994/19 वैशाख, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अमरीकी कंपनियों द्वारा पूंजी निवेश

*601. **श्री उद्धव वर्मन :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका की प्रमुख विद्युत कंपनियां देश में तीन विद्युत संयंत्रों की स्थापना में पूंजीनिवेश करने के लिए राजी हो गई हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया है;

(ग) ये विद्युत संयंत्र किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेगे;

(घ) इन विद्युत संयंत्रों से कुल कितना विद्युत उत्पादन होगा; और

(ङ) इन विद्युत परियोजनाओं की संयंत्र-वार कुल अनुमानित लागत है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) अभी तक अमरीकी निजी कंपनियों से लगभग 38122 करोड़ रुपये की लागत से 11589 मे.वा. की क्षमता जोड़े जाने के लिए 22 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन 22 प्रस्तावों को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

(ग) से (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

अमरीकी निजी कंपनियों की विद्युत परियोजनाओं, जिनको विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, के प्रस्तावों के बारे में ब्यौरा

क्र.सं.	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/ भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अंनतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जेगुरूपाडू जीबीपीपी/ (गोदावरी) आंध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जीवीके इन्डस्ट्रीज, यूएसए
2.	काकीनाडा जीबीपीपी/ (गोदावरी) आंध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पावर जनरेशन लि॰ यूएसए
3.	मंगलौर टीपीएस/ कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कोजेन्ट्रिक्स इन्क॰ यूएसए
4.	दभोल सीसीजीटी (एलएनजी) चरण-1	विदेशी	695.00 (डिस्टीलेट आयल)	2912.00	एनरॉन पावर डवलपमेंट कारपोरेशन एंड जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन, बैक्टेल, यूएसए
	चरण-2 महाराष्ट्र		1320.00 (एलएनजी)	6139.27	

5.	इब घाटी टीपीएस/ उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	2025.60	एईएस कारपोरेशन, यूएसए
6.	जीरो यूनिट (एनएलसी)/ तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1×210) (लिग्नाइट)	750.00	एसटी पावर सिस्टम्स इन्क॰ यूएसए

श्री उद्धव बर्मन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य में यह कहा गया है कि 22 प्रस्तावो में से छः को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि एक परियोजना में निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को अनुमति देने हेतु हुए समझौते की शर्तें क्या हैं ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या 16 प्रतिशत आय और अन्य रियायतें प्रदान करने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा अथवा इस कदम के फलस्वरूप अधिक लाभ लेने के उद्देश्य से परियोजना की लागत बढ़ जाएगी। क्या इनका मुकाबला करने के लिए सरकारी निविदाएं भी होंगी ? मैं जानना चहाता हूं कि क्या 16 प्रतिशत की यह आय कुछ अलाभकारी क्षेत्रों में वितरण जैसे मामलों में भी प्रदान करने की अनुमति दी गई है जैसा कि विमान कंपनियों के मामले में होता है।

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : माननीय सदस्य के प्रश्न के दो पहलू हैं–एक तो परियोजना लागत में वृद्धि और किराये पर इसका प्रभाव और दूसरा पहलू बोली देने से संबंधित है। मैं यह कहना चाहूंगा कि 16 प्रतिशत आय इक्विटी पर आधारित है यह पूरी परियोजना से प्राप्त आय नहीं है। जहां तक परियोजना की लागत में वृद्धि का संबंध है, 16 प्रतिशत आय प्रारंभिक नहीं रहेगी क्योंकि उन्हें इक्विटी तो लानी ही पड़ेगी। अगर कोई वृद्धि हुई तो वह संयंत्र और मंशीनरी के आयात में ही हो सकती है।

जहां तक निविदा का संबंध है, हम राज्यों को पहले ही यह सलाह दे चुके हैं कि वे विश्व स्तर पर निविदा मांगें। महोदय, लेकिन भारत में निजी क्षेत्र में विद्युत के विकास का कार्य अविकसित रहा है। राज्यों को काफी कार्य करना होता है। उन्हें व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें काफी लागत वहन करनी पड़ती है। उन्हें 15 संवैधानिक स्वीकृति लेनी पड़ती हैं इसलिए राज्यों के लिए परियोजनाओं को तैयार करना इतना आसन कार्य नहीं है कि उन्हें तुरन्त निविदा आमंत्रित करने के लिए प्रस्तुत किया जा सके। शुरू-शुरू में तो भारत में निवेश के लिए निजी क्षेत्र में कोई भी इच्छुक नहीं था। इसलिए हमने बातचीत का मार्ग अपनाया। लेकिन अब दोनों उपाय अर्थात बातचीत और विश्वस्तर पर निविदा आमंत्रित करना संभव हो गया है।

श्री उद्धव बर्मन : महोदय, यह कहा गया है कि सरकार संसाधनों और आवश्यकता के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश ला रही है। लेकिन समाचारपत्रों में यह भी छपा है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को बाध्य किया गया है कि एनरॉन कंपनी को ऋण आवश्यकता का लगभग 75 प्रतिशत भाग उपलब्ध कराने के लिए वह इस कंपनी को 1500 करोड़ रुपये दे। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह स्प्ष्ट करें कि क्या हमारे केंद्रीय कोष से औद्योगिक विकास बैंक द्वारा यह निवेश उपलब्ध कराना देश में अन्य विकास कार्यों को प्रभावित नहीं करेगा।

श्री एन.के.पी. साल्वे : महोदय, मैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा एनरॉन कंपनी को धनराशि देने से मना करने के बारे में नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि एनरॉन कंपनी की इक्विटी विदेशी मुद्रा के रूप में होगी और कुल राशि का लगभग 60 से 65 प्रतिशत विदेशी मुद्रा के रूप में होगी।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र में निजी निवेश आवश्यक है क्योंकि संसाधनों की बहुत कमी है जो कि हमारे विद्युत क्षेत्र को निष्क्रिय कर सकती है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि विद्युत कोई आम वस्तु नहीं है। यह हर क्षेत्र के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण आदान है।

महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि प्रति मैगावाट लागत 3.50 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये के बीच होगी। माननीय सदस्य के प्रश्न को अगर आगे बढ़ाते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस तथ्य को देखते हुए कि घरेलू उत्पादन और द्विपक्षीय उत्पादन में प्रति मैगावाट लागत 1.14 करोड़ रुपये से 2.50 करोड़ रुपये के बीच है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि समाज के कमजोर वर्ग को कम लागत पर बिजली मिलती रहे। जैसा कि मैंने कहा है कि यह सभी क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आदान है। हम जानते हैं कि हरित क्रान्ति भी केवल कम लागत पर विद्युत उपलब्ध होने के कारण संभव हुई।

श्री एन.के.पी. साल्वे : महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन एकदम ठीक है कि अन्ततः उत्पादन लागत तो समाज को ही वहन करनी होगी। लेकिन माननीय सदस्य की यह धारणा सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में संयंत्र लागत कम है और निजी क्षेत्र में यह लागत अधिक है। अवमूल्यन के बाद, विशेषकर अब यह अन्तर बहुत ही कम है। भारत में विद्युत उत्पादन लागत विश्व में सबसे कम है हमें विश्व बैंक से आंकड़े मिले हैं जिनके अनुसार भारत में यह लागत तमिलनाडु विद्युत बोर्ड की 2.86 सैन्ट तथा पंजाब में 3.05 सैन्ट दर्शाई गई है। यह विश्व में सबसे कम लागत है। महोदय, आज विश्व मे औसत लागत लगभग 7 से 8 सैन्ट है। हम लगातार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहें हैं कि 1997 अथवा 1998 में जो विद्युत प्राप्त करें उसकी लागत इससे अधिक न हो। यह सुनिश्चित करना हमारा सतत् प्रयास है कि सर्वाधिक सस्ती विद्युत उत्पादन करने वाले देश के रूप में भारत का स्थान कायम रहे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें तुलनाएं देते हुए उत्तर देना चाहिए। प्रश्न में प्रति मैगावाट लागत पूछी गई है प्रति किलोवाट लागत नहीं। अत : यह बताना है कि क्या यह लागत संरचना पहली सरंचना की तुलना में अत्यध्यिक है। दूसरे प्रश्न में परेशानी में डालने वाली बात यह है कि 16 प्रतिशत ब्याज दर की गारंटी देने का तरीका क्या है ? हम यह कैसे करेंगे ? क्या यह तरीका कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कंपनी की तरह उनहें वितरण का अधिकार देना है ताकि अधिक आय हो सके अथवा कोई अन्य तरीका है ? आप यह गारंटी किस प्रकार देना चाहते हैं ? अथवा, क्या आप राजसहायता देना चाहते हैं ?

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैंने निजी और सरकारी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न के एक भाग का उत्तर दिया है। जहां तक दूसरे भाग का संबंध है। 16 प्रतिशत आय की गारंटी इस प्रकार दी गई है कि इसे निर्धारित लागत का एक भाग बना दिया गया है। हमने दो भाग वाला किराया सूत्र तैयार किया है–निर्धारित लागत और परिवर्तनीय लागत। इक्विटी पर सोलह प्रतिशत आय को निर्धारित लागत के भाग के रूप में शामिल किया जाना है। इस प्रकार हम यह गारंटी दे रहे हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप यह गारंटी कैसे दे रहे हैं कि 16 प्रतिशत उपलब्ध है।

यदि आवश्यक हुआ तो क्या आप राज सहायता देंगे अथवा क्या आप यह गारंटी दे रहे हैं कि बाजार में उनकी स्थिति ऐसी है कि वे स्वतः ही इसका अनुसरण करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : वह इसे स्पष्ट कर चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : दोहरी मूल्य नीति।

श्री एन.के.पी. साल्वे : मुश्किल यह है कि वह सब कुछ जानते हैं।

[हिन्दी]

श्री बशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, 22 प्रस्तावों में से 6 प्रस्तावों को भारत सरकार ने स्वीकृति दी है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो बची हुई 18 परियोजनाएं हैं, क्या उनमें से कोई परियोजना बिहार के लिए भी है ? यदि है तो उसकी अद्यतन स्थिति क्या है ?

श्री एन.के.पी. साल्वे : मेरे पास जो विवरण हैं, इन 22 में से बिहार के मुताल्लिक कोई परियोजना नहीं है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : समाचार पत्रों में यह छपा है कि एक अमरीकी विद्युत कंपनी कायनकुलम सुपर विद्युत परियोजना को कार्यान्वित करेगी। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्री एन.के.पी. साल्वे : मैंने इसका उत्तर दे दिया है।

प्रत्यायोजित निरीक्षण योजना

*602. **श्री एम.एम. लालजान बाशा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "प्रत्यायोजित निरीक्षण योजना" शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या यह योजना कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी कंपनियों को सौंपी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ङ) ग्रामीण क्षेत्रों में उपकरण और केबलों के संबंध में दूर संचार क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण का कड़ाई से पालन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या दूरसंचार क्षेत्र में उपकरणों की गुणवत्ता पर नियंत्रण की निगरानी दूर संचार विभाग द्वारा की जाएगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) (1) विनिर्माता उच्चस्तरीय प्रबंध प्रतिनिधि इस आशय का बचन देगा कि उत्पाद की उपलब्धता और विनिर्देशनों से समनुरूपता संबंधी गलत दावे प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे।

(2) उसके द्वारा दिये गए ऐसे बचन की जानकारी उसके संगठन के सभी स्कन्धों को होगी।

(3) दूरसंचार विभाग विनिर्माण प्रक्रिया में ठोस गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना पर ही ध्यान देगा और आम निरीक्षण के सिलसिले में कारखाने का दौरा नहीं करेगा। तथापि, कभी-कभी निगरानी जांच से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ग) जी, हां।

(घ) यह योजना स्व–विनियमन और विश्वास द्वारा बाहय निगरानी का स्थान लेने के लिए बनायी गयी है। इससे, विनिर्माता पर, दूरसंचार विभाग के निरीक्षण पर निर्भर रहने के बजाय अपने उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आ जाती है। निबंधन और शर्तें इस प्रकार हैं :–

1. विनिर्माता निरीक्षण प्रणाली स्थापित करेगा और उसे लागू करेगा तथा उसमें निरीक्षण केंद्रों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
2. विनिर्माता, दूरसंचार विभाग के साथ परस्पर संपर्क साधने के लिए एक उच्च स्तरीय जिम्मेवारी वाला प्रबंध प्रतिनिधि नामित करेगा।
3. विनिर्माता का प्रतिनिधि, उत्पादों की जांच के परिणाम प्रस्तुत करेगा जिनमें मात्रा/बैच के पूर्ण ब्यौरे दिये जायेंगे।
4. नमूना जांच (यदि की गई हो) संगत बी.आई.एस. विनिर्देशनों अथवा आई.टी.डी. विनिर्देशनों के अनुसार होगी।
5. निरीक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भंडारण, जहाज में चढ़ाने-उतारने और वितरण के दौरान उपस्कर/सामग्री की अपनी गुणवत्ता संबंधी विशेषताएं सुरक्षित रहेंगी।
6. विनिर्माता, फीडबैंक शिकायत स्थिति के आधार पर, दूरसंचार विभाग को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ङ) दूरसंचार विभाग को उपस्कर और केबल की सभी आपूर्तियां संपूर्ण देश में अपनाई जा रही मानक पद्धति के अनुसार गुणवत्ता आश्वासन जांच की शर्त के अध्यधीन हैं।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस.एम. लालजान बाशा : स्पीकर साहब, मेरा सवाल यह था कि जो डैलीकेटिड इन्सपैक्शन स्कीम बनाई गई है, इससे देश में यह काम प्राइवेट लोगों को देने का जो काम हुआ है, इसे बहुत-सा नुकसान सरकार को हो रहा है। रूरल एरियाज में, पार्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशंस का जो काम है, उसमें प्राइवेट लोग बहुत गलत तरीके से पेश आकर टेलीफोन डिपार्टमेंट का घाटा पहुंचा रहे हैं। यह मिनिस्टर साहब की नजर में है क्या ? यदि है, तो उसके ऊपर यह क्या स्टेप्स लेने वाले हैं।

जो केबिल्स यह मंगाते हैं, इन केबिल्स की वजह से पूरे देश में टेलीफोन खराब होने शुरू हो गये हैं। यह केबिल अच्छी कंपनी का नहीं खरीदकर, सस्ते दाम में जो गलत केबिल मिलता है, उसको लाकर लगा देते हैं। जिससे पूरे देश में टेलीफोन खराब हो जाते हैं। केबिल की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। इसमें गवर्नमेंट क्या कदम उठा रही है।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, डी आई एस के तहत जो हमारी मैन्युफैक्टरिंग आइटम्स मैन्युफैक्चर होती हैं, वह महज स्माल और मीडियम इण्डस्ट्री को कवर करती हैं और उसमें भी वह आइटम्स हैं जो लो टैक्नोलोजी आइटम्स हैं।

इसमें हाई टैक्नोलाजी आइटम इनक्लुड नहीं है। एक आमविश्वास इंटरप्रिन्योर्स को दिलाने के लए यह स्कीम जारी की गई है जिसके तहत उनको इंसपेक्शन की फैसिलिटी होनी चाहिए। उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर है वह डेक्लेरेशन करता है कि जो डीओटी का माल सप्लाई करना है वह एवेलेबल है और उसी का है जोकि डीओटी की स्पेसिफिकेशन है जो टेस्ट रिपोर्ट है, हमारा जो क्वालिटी एश्योरेंस सर्कल हैं, हमारा आफिस उनका टेस्ट करता है जब कोई आइटम डीओटी खरीदेगा तो वह बिना इस्पेक्शन, बिना टैस्ट के और उसमें जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं उसके बगैर नहीं खरीद सकते मगर अगर माननीय सदस्य को कोई एतराज हो कि ऐसे यंत्र खराब हुए हों तो वे माननीय सदस्य मेरे नोटिस में लाएं उसमें हम मुनासिब कार्यवाही करेंगे।

श्री एस.एम. लालजान बाशा : महोदय, मेरा कहना यह है कि माननीय मंत्री जी बहुत सीनियर हैं। देश में टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जो अभी सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन करता हे लेकिन जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन करने का ही टारगेट फिक्स करके रखा है। मेरा कहना यह है रूरल ऐरिया में टेलीफोन के लिए कोई भी कार्यवाही सरकार की तरफ से या टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से नहीं होती है। कल इकनोमिक टाइम्स में छपा है कि हमारे मंत्री जी ने ऐसी कंट्रोवर्सी में, जो डिपार्टमेंट को और मिनिस्टर साहब के कंट्रोवर्सी केस में जो विदेश संचार निगम का एक अच्छा स्कीम था...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से इसका कोई संबंध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री एस.एम. लालजान बाशा : यह इतने सीनियर मिनिस्टर हैं और इन्होंने जो भी इम्प्रुवमेंट स्कीम बनाई थी। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप स्वयं को मुख्य प्रश्न तक ही सीमित रखिये।

(व्यवधान)

श्री एस.एम. लालजान बाशा : इसको जब हम लोग पेपर में देखते हैं तो हमें अफसोस होता है क्योंकि यह इतने सीनियर मिनिस्टर हैं...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसे ही बोलते जाएंगे तो मैं डिसएलाऊ कर दूंगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह सब कुछ कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा हो। आप सिर्फ संबंधी अंश का ही उत्तर देंगे।

श्री एस.एम. लालजान बाशा : महोदय, हमारे यहां घपला होता है और मिनिस्ट्री को मालूम होते हुए भी उस पर कुछ कार्यवाही नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसको अच्छी तरह से आगे ले जाइये।

श्री सुख राम : महोदय, कुछ दोस्तों के भी इसी में एतराज है कि घपला होने नहीं दिया। यह जो माननीय सदस्य की धारणा है कि डीओटी जो मंत्रालय है वह महज रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है बाकी उसका दूसरा काम नहीं है, माननीय सदस्य को शायद मालूम होगा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया है कि गांवों में 2 लाख 34 हजार ग्राम पंचायतें हैं उनमें यह सुविधा देनी है और अभी करीबन एक लाख ऐसी पंचायतें रह गई हैं जिनको इस वर्ष तक हम सुविधा पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मगर मैंने एक और बात पर निर्णय लिया है, क्योंकि गांवों में बहुत जगह पर यह शिकायत रहती है कि हम जो सुविधा देते हैं वह काम नहीं करतीं, उसमें कुछ खराबियां थीं जिसके लिए हमने सारे महकमे को हिदायत दी है कि जो भी हमारे आधुनिक ट्रांसमिशन सिस्टम हैं वे गांवों में लगाने हैं और गांवों में 1 लाख 20 हजार से 25 हजार तक एक लाइन पर हमारा खर्च है जब कि शहरों में 20 और 22 हजार रुपया एक लाइन में खर्चा है।

शहरों से रेवेन्यू ले कर हम गांवों में इनवेस्ट करते हैं। प्रधान मंत्री जी की तो यह इच्छा है कि 5,74000 गांव देश में हैं, इनमें से जो दो ढाई लाख गांव बचे हैं, उनको इसी पंचवर्षीय योजना के अंत तक टेलीफोन सुविधा प्रदान कर दी जाए। इस तरह से इस तरह की धारणा गलत है। बजटरी सपोर्ट भी हमको नहीं मिलता है, शहरों से रेवेन्यु जेनरेट करके गांवों में हम इनवेस्ट करते हैं और गांवों को सबसीडाइज करते हैं। कुछ कर्जा भी लेते हैं और पिछली बार 1 मिलियन लाइनों के लक्ष्य के अगेंस्ट साढ़े 12 लाख लाईनें दी गईं और इस बार भी यदि रुपए का इंतजाम हो गया जिसके लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तो 14 लाख लाईनों के अगेंस्ट 30 लाख लाईनें देने की हमारी कोशिश है।

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि गांवों के टेलीफोनों के बारे में कंप्लेंट करने पर भी 10-15 दिन तक खराब रहते हैं और इस बारे में जो पत्र लिखे जाते हैं, उनका उत्तर भी नहीं दिया जाता है। शहरों में भी टेलीफोन देने के बारे में बहुत भ्रष्टाचार होता है, पैसा मांगा

*कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया गया।

जाता है और वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि शहरों से, जहां से आपको रेवेन्यू मिलती है, वहां जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, उनको कब तक आप टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराने वाले हैं ?

श्री सुख राम : अध्यक्ष महोदय, गांवों के बारे में, मैं मानता हूं कि कहीं-कहीं खराबियां हैं।...**(व्यवधान)**...

मैंने स्वयं इस बात को माना है कि गांवों में कहीं-कहीं खराबियां हैं, आप कहते हैं कि सब जगह खराब हैं, तो यह बात मैं नहीं मान सकता। गांवों में आधुनिकतम उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है और रिगरस वेरीफिकेशन होता है इक्विपमेंट के बारे में फीड-बैक हमको चीफ जनरल मैनेजर से मिलता है और जिस कंपनी के इक्विपमेंट ठीक से काम नहीं करते, भविष्य में उस कंपनी से इक्विपमेंट नहीं खरीदे जाते।

शहरों का जहां तक सवाल है तो माननीय सदस्य तो मुंबई से ताल्लुक रखते हैं, जहां पर पिछली बार 3 लाख नए कनेक्शन दिए गए और इस वर्ष वहां पर प्रतीक्षा सूची समाप्त करने की पूरी कोशिश है। इतना काम किसी मेट्रोपोलिटन सिटी में नहीं हुआ है। इसलिए माननीय सदस्य को तो ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। गांवों के बारे में सुधार करने की हमारी पूरी कोशिश है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तो....

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

डा. जी.एल. कनोजिया : अध्यक्ष महोदय मेरे क्षेत्र के लखीमपुर, खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर आदि जो पांच जिलें हैं, उन पांचों जिलों में मंत्री महोदय आज ही जांच करवा कर देख लें, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं, वहां पर एक गांव में भी टेलीफोन ठीक काम नहीं कर रहा है। इस तरह से मंत्री जी की गणना सही नहीं है, मंत्री जी को सही जानकारी नहीं दी गई है और मंत्री जी सदन को मिस-गाइड कर रहे हैं। मंत्री जी मेरे क्षेत्र के पांचों जिलों की कल ही जांच करवा लें, मैं साथ चलने के लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसे विवाद का विषय मत बनाइये। आप स्थिति को सुधारने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं।

श्री सुख राम : जो शिकायत आपने की है और अन्य माननीय सदस्यों की जो शिकायतें हैं। उनके बारे में मैं अवश्य मालूम करवाऊंगा।

श्री अन्ना जोशी : प्रश्न प्रश्न बहुत स्पष्ट है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस प्रयास लिए गये हैं कि दिल्ली और बम्बई जैसे शहरों में आगामी मानसून के मौसम के दौरान टेलीफोन प्रणाली में कोई खराबी न आने पाये ?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा प्रश्न है बाकी की जरूरत नहीं है। रेनी-सीजन में टेलीफोन खराब हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे ?

श्री अन्ना जोशी : गांव और शहरों में।

श्री सुख राम : अध्यक्ष जी, हर शहर के लिए हमारे ये आदेश हैं कि बरसात हो या कोई भी मौसम हो तो टेलीफोन ठीक करना चाहिए चूंकि टेलीफोन इसीलिए हैं कि वे चलें। दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में पुरानी टैक्नालोजी का केबल है। वह पेपर इन्सोलेटेड है क्योंकि उस मौके पर वही एवेलेबल था इसीलिए उसको वहां पर बिछाया गया था ...**(व्यवधान)** जो पूछ रहे हैं तो मैं उसी का जबाव दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका जबाव बिल्कुल सही है।

श्री सुख राम : शहरों में पी डब्ल्यू डी या कारपोरेशन वगैरह हैं जहां पर विकास का दूसरा काम होता रहता है यानि जहां पर वह केबल बिछाया गया था। कोआर्डिनेशन कमेटी हर जगह बनी हुई है। मैंने इस बारे में बार-बार मुख्य मंत्रियों को और कारपोरेशन के मेयर को लिखा है कि जब भी आपको रोड की डिसमैंटलिंग करनी है तो डी ओ टी को कांफिडेंस में लेकर करें ताकि सिस्टम खराब न हो। वह केबल पेपर इन्सोलेटेड हैं, उसमें परकुलेट होकर पानी जाता है तो उनमें खराबी आती है। जैसे कलकत्ता का मैंने अंदाजा लगाया था कि वहां पर सारे सिस्टम को रिप्लेस करना हो तो उसमें चार या छह करोड़ रुपया खर्च होता है। दिल्ली, बबंई और कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में ऐसी समस्या है। आपके पास इतना रुपया होना चाहिए कि एक वर्ष के अंदर हम सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दें या हमें परेशानी न हो।...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : कोआर्डिनेशन मीटिंग बुलाने के लिए आप बोलेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छी तरह से यह महकमा काम कर रहा है। चार दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था और आपने भी पढ़ा होगा कि बंबई शहर में और अन्य शहरों में मैंने पैरेलल एक्सचेंज चलाए जा रहे हैं। इसमें इस विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं तो ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है और नहीं लिया है तो क्यों नहीं ? इस तरह की विपदा से बचने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

श्री नीतीश कुमार : हिमाचल के विधायकों का गुस्सा हम पर क्यों उतारते हैं ? आपको फोन करते हैं तो रिटर्न कॉल नहीं मिलती...**(व्यवधान)**...

श्री सुख राम : पार्टी को सत्त में लाने के लिए जो काम हाथ में लिया था, वह मैंने पूरा किया है। इस बात की चिंता मत करें क्योंकि जो सफाई मुझे करनी थी वह मैंने कर दी है। उनके प्रश्न के मुताबिक मैं मानता हूं कि इसमें मिस-यूज है। इसके लिए मैंने कहा था कि चार महानगरों के हम आई बी सैल अलग से बना रहे हैं। दिल्ली और बंबई में रेड्स किए गए और बहुत से लोग पकड़े गए। इसमें जो एम्पलाईज इन्वाल्व थे और इस बारे में हमने जो अमेंडमेंट की थी उसको दोबारा इस माननीय सदन में ला रहा हूं ताकि उनको सख्त सजा हो और जुर्माना इस माननीय सदन में ला रहा हूं ताकि उनको सख्त सजा हो और जुर्माना ही न हो बल्कि दो साल की कैद हो, इस बात का इंतजाम किया जा रहा है।

और मैं इस बात को जानता हूं कि हमने एक नीति पर फैसला लिया है कि जितने

इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजेस हैं और उनमें *ओवर बिलिंग की प्राब्लम* हैं, इसके *लिए* डायनमिक लाकिंग सिस्टम अवेलेबल है। इसके अलावा जो भी प्राब्लम होगी तो जो 9 इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज हैं, उनको बदल देंगे क्योंकि इसका उत्तर भी टैक्नालाजी है आप कितनी भी कोशिश कर लें जहां-जहां रेवेन्यू लीकेज की गुंजायश होगी उसमें हयूमन इनजैन्यूटी इतनी हैं कि कानून कितने बनाये जायें, उसको तोड़ने के लिए लोग रहते हैं।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

*604. [†]**श्री नीतीश कुमार :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के संबंध में राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नवीनतम आंकलनों के अनुसार आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन में भारी कमी हो जाएगी और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे;

(घ) यदि हां, तो कितनी कमी होने का अनुमान है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या उपाय किये जायेंगे ?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(क) से (ख) योजना आयोग ने 30537.7 मेगावाट की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की है। वास्तविक विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य का निर्धारण वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया जाता है। वर्ष 1994-95 के लिए ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग) और (घ) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) का यह अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 30537.7 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उपलब्धि इससे कम हो सकती है और लगभग 20000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने की आशा है। परिणामस्वरूप योजना के अंतिम वर्ष में लगभग 14 प्रतिशत ऊर्जा की कमी और लगभग 28 प्रतिशत व्यस्ततमकालीन कमी हो सकती है। इस कमी के कारण अपर्याप्त संसाधन, भूमि अधिग्रहण में विलंब, कानून और व्यवस्था की समस्याएं और पर्यावरणीय परिस्थितियों की अनुपालन किया जाना आदि से संबंधित हैं।

(ङ) देश में विद्युत की उपलब्धता किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल है, (1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना (2) अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना (3) विद्यमान विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना (4) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करना (5) बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना (6) अधिशेष ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था और (7) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देना।

अनुबंध

1994-95 के लिए ऊर्जा उत्पादन के राज्यवार/संघ राज्यवार/प्रणालीवार लक्ष्य

राज्य/संघराज्य/प्रणाली का नाम	उर्जा उत्पादन के लक्ष्य (आकंड़े मि.यू.मैं.)
1	2
बी.बी.एम.बी.	9505
दिल्ली	
डेसू	3000
बदरपुर	4200
जोड़ दिल्ली	7200
जे. एंड के.	
विद्युत विभाग	900
सलाल (एनएचपीसी)	2400
जोड़ जे. एंड के.	3400
हिमाचल प्रदेश	
एचपीएसईबी	1225
बेरास्यूल	750
चमेरा	1500
हिमाचल प्रदेश जोड़	3475
हरियाणा	3820

1	2
राजस्थान	5655
आरएसईबी	5655
एनटीपीसी अन्ता	2200
आरएपीएस	950
जोड़ राजस्थान	8805
पंजाब	12800
उत्तर प्रदेश	
यूपीएसईबी	28970
एनटीपीसी सिंगरौली	13500
एनटीपीसी रिहन्द	6500
दादरी	2500
एनटीपीसी ऊंचाहार	2400
दादरी जीटी	2100
एनएचपीसी टनकपुर	460
नरोरा एपीएस	2150
यूपी जोड़	53990
गुजरात	
जीईबी	22370
एई का. प्रा.*	2065
जीआईपीसीएल*	1000
केएपीएस न्यूक्लीय	1540
एनटीपीसी जीटी	2400

1	2
गुजरात जोड़	30175
महाराष्ट्र	
एमएसईबी	36786
तारापुर न्यूक्लीय	1650
टाटा पावर कं*	7520
बीएसईबी कं.*	200
महाराष्ट्र जोड़	46876
मध्य प्रदेश	
एमपीईबी	15765
एनटीपीसी कोरबा	13500
एनटीपीसी विंध्याचल	7000
मध्य प्रदेश जोड़	36265
आंध्र प्रदेश	
एपीएसईबी	20525
एपी गैस	500
एनटीपीसी रामागुंडम	13800
आंध्र प्रदेश जोड़	34825
कर्नाटक	13870
केरल	5980
तमिलनाडु	
टीएनईबी	17120
नैवेली थर्मल	10300
कलपक्कम	2000

1	2
तमिलनाडु जोड़	29420
बिहार	
बीएएसईबी	3590
तेनुगट	500
कडलगांव एनटीपीसी	1000
बिहार जोड़	5898
उड़ीसा	
ओएसईबी	4730
इब घाटी	400
तलचेर एसटीपीएस	500
उड़ीसा जोड़	5630
पं. बंगाल	3827
डब्ल्यू बी एस ई बी	3827
डब्ल्यू.बी.पी. डवलपमेंट	6500
डीपीएल	1000
सीईएससी प्रा.*	3315
एनटीपीसी परक्का	5000
पं. बंगाल जोड़	19642
डीबीसी	7375
सिक्किम	50
असम	1250
मेघालय	

1	2
स्टेट हाइडल	438
नीपको	805
जोड़	1293
त्रिपुरा	174
मणिपुर	450
अरुणाचल प्रदेश	12
अखिल भारत	340300
क्षेत्र-वार ब्यौरा	
राज्य(पब्लिक) क्षेत्र	325300
*निजी क्षेत्र में	15008

*निजी क्षेत्र के केंद्रों को दर्शाता है।

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो आज ही "हिन्दुस्तान टाईम्स" में एक छपी खबर कि जो विदेशी सहायता बिजली के क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते हैं, विदेशी पूंजी निवेश भी चाहते हैं और जिसका उत्तर भी दिया है कि कमी को पूरा करने के लिए हम प्राइवेट सैक्टर को प्रोमोट करना चाहते हैं, उस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं :

"हालाकि भारत बहुत कठोर शर्तों पर विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने का जी तोड़ प्रभाव कर रहा है, परन्तु देश के पास वित्तीय वर्ष 1993-94 के अन्त तक 31481 रुपये से अधिक की विदेशी सहायता की राशि पड़ी थी जिसका उपयोग नहीं किया गया। तो उस पूंजी का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और कमिटमेंट चार्जेज देना पड़ रहा है। मंत्री जी की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न यह भी है कि पावर सैक्टर में "नेशनल वर्किंग ग्रुप आन पावर" गठित किया गया है। इस पर ट़ैक्नोरक्रेट, ब्यूरोक्रेट और एक्नामिस्ट्स ने अपनी 20 पेज की एक रिपोर्ट दी है और इसका सरकार द्वारा प्रचारित एक बुकलैट प्राइवेट सैक्टर में पावर इन्वैस्टमेंट को लेकर "मिस्ट एंड रियल्टी" को ध्यान में रखकर यह आरेप लगाया है कि बिजली का बनावटी संकट का हव्वा खड़ा किया जा रहा है। क्योंकि जो सर्वे हुआ था उसमें 8 प्रतिशत इंडस्ट्रियल ग्रोथ में पावर रिक्वायरमेंट असैस किया गया था जबकि पावर इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1 प्रतिशत हो गया है। वैसी स्थिति में बिजली की ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ फारेन इन्वैस्टमेंट को प्रोमोट करने के लिए बिजली के संकट का हव्वा खड़ा किया जा रहा है ...

अध्यक्ष महोदय : ऐसे बहुत लम्बा प्रश्न हो जायेगा और जवाब अच्छा नहीं आयेगा।

श्री नीतीश कुमार : ऐसी स्थिति में जब आप विदेशों से इन्वैस्टमेंट करा रहे हैं, 16 प्रतिशत रेट आप रिटर्न आन इक्विटी की बात प्रश्न के उत्तर में कही गयी है। तो फिक्स्ड असैट्स को मिलाकर उसके टैरिफ का फिक्सेशन होगा तो वह जरूर मंहगा होगा। इस प्रकार ढाई रुपये प्रति यूनिट कास्ट बढ़ने वाला है और एक मेगावाट बिजली पर ढेढ़ करोड़ रुपया खर्च पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो हव्वा खड़ा किया जा रहा है, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया पहला प्रश्न अप्रयुक्त विदेशी सहायता के बारे में है। साफ-साफ कहा जाये तो यह प्रश्न वित्त मंत्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है। इसमें विद्युत क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता का अंश भी हो सकता है, इसमें कुछ मांग विश्व बैंक ऋण का है। और इसका एन.टी.पी.सी. अथवा राज्य की इकाइयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मैं यह नहीं बता सकता कि यह सारी की सारी राशि अप्रयुत्य क्यों पड़ी रही।

अध्यक्ष महोदय : यह विद्युत उत्पादन के संबंधित है। आपको यह पता होना चाहिए कि कितनी राशि उपलब्ध है आपके पास और कितनी राशि खर्च की गई है।

श्री नीतीश कुमार : आपको इस का उत्तर देने के लिए तैयार होकर आना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप हम सूचना को एकत्रित करके माननीय सदस्य को भिजवायेंगे।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए।

श्री पी.बी. रंगय्या नायडू : प्रश्न का दूसरा मार्ग कुछ समूहों के बारे में है।

श्री श्रीकांत जैना : मैं जानता हूं कि ये निजी निवेश के विरुद्ध हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब उनका कहना है कि आपको इतनी विद्युत की आपवश्यकता नहीं है और आप कृत्रिम मांग पैदा कर रहे हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : यह सही नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों से बिजली की कमी के बारे में शिकायतें बन रही हैं और यहां तक कि संसद सदस्य भी इस बारे में शिकायतें कर रहे हैं। कृषि को पूरी बिजली नहीं मिल पा रही है।

अध्यक्ष महोदय : न केवल उद्योग ही बल्कि कृषि और परिवहन को भी बिजली नहीं मिल रही है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय जब माननीय सदस्य स्वयं अपनी आंखों से यह देख सकते हैं कि बिजली की कमी है, तो मैं नहीं समझता कि वह उन कुछ रिपोर्टों पर विश्वास क्यों कर रहे हैं जो केवल सैद्धांतिक कर हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट हमें दिलवाइए। यह तो हमारे प्रश्न का जवाब ठीक से नहीं आया है। इन्होंने जो जवाब दिया है, इस साल के लिए जो ऐनर्जी जनरेशन

का टार्गेट इन्होंने रखा है इसका हिसाब से आप भी देखेंगे कि जो उत्तर दिया है इसमें इन्होंने कहा है कि हम जो सरप्लस एरिया है उसे ट्रांसफर करेंगे ऐनर्जी डैफिसिट ऐरिया में, यानी कहीं न कहीं असंतुलन है। इन्होंने जो उत्तर दिया उसके हिसाब से जो टार्गेट है। 1994-95 का, यूपी का 53,990 मि.यू.मै. है और गुजरात का 30175 मिलियन यूनिट, महाराष्ट्र का 46075 मध्य प्रदेश का 36265 मिलियन, आंध्र प्रदेश का 34825 मिलियन यूनिट मेगावाट है जबकि बिहार का टार्गेट 5098 मिलियन यूनिट मेगावाट का है। पूरे देश का दस प्रतिशत हिस्सा वहां रहता है और उसका टार्गेट कितना कम है ? 1991 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के बाद जो स्थिति थी प्रति व्यक्ति इंस्टोल्ड केपेसिटी पूरे देश में 65.15 वोट थी जबकि बिहार में 19.56 वोट ली। पीक डिमांड 1526 मेगावाट की थी और सप्लाई आपकी बेस्ट ओपरेटिव कंडीशन्स में 640 मेगावाट थी। जो देश का इन्वेस्टमेंट पॉवर सैक्टर में है उसका 2.93 प्रतिशत इनवेस्टमेंट बिहार में है और बाकी 97.07 प्रतिशत इनवेस्टमेंट बाकी हिन्दुस्तान में है। ऐसी स्थिति को देखते हुए और आपके जनरेशन के टार्गेट को देखते हुए बिहार जैसे राज्य की जो उपेक्षा की जा रही है, उससे जो क्षेत्रीय असंतुलन बिजली के क्षेत्र में पैदा हो रहा है उसको दूर करने के लिए आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं ?

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश, बिहार में प्लान्ट लोड फैक्टर' देश में सबसे कम है। यह केवल 24.4 प्रतिशत है। इसलिए इसमें केवल मामूली सुधार हो सकता है। मैं एक ही दिन में बिहार की स्थिति में सुधार नहीं कर सकता। लक्ष्य पूर्व वर्ष के कार्य निष्पादन के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। मैं एक ही दिन में बिहार को गुजरात या महाराष्ट्र के स्तर पर नहीं ला सकता।

जहां तक निवेश का संबंध है, विद्युत उत्पादन राज्य का विषय है। यह ठीक है कि एन.टी.पी.सी. की एक परियोजना बिहार में स्थापित है। उन्होंने दो इकाइयां स्थापित कर ली हैं और इनमें बहुत शीघ्र वाणिज्यिक रूप में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा। उनके पास तेनुघार नामक एक परियोजना भी है। वास्तव में वह परियोजना इस वर्ष चालू होनी थी परन्तु धनराशि की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। मैंने बिहार सरकार से कहा था कि वह इस परियोजना को हमें दे दे। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में बातचीत की थी। वह इच्छुक तो हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बिहार सरकार से इस परियोजना को खरीदने के लिए तैयार हूं और तेनुघार परियोजना से सृजित बिजली का 60 प्रतिशत तक देने के लिए भी तैयार हूं। यदि वह इस बात पर सहमत हों तो हम तेनुघार परियोजना की कीमत के एवज में बिहार सरकार की और सारी की सारी बकाया राशि का समायोजित भी कर सकते हैं। यदि वह मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लें तो मुझे विश्वास है कि बिहार की स्थिति में सुधार हो जायेगा। दरअसल मैं माननीय सदस्य को भी जब हम दोनों साथ-साथ हाल ही में पटना से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे, इस बारे में व्यक्तिगत रूप से बता दिया था। वह भी सहमत हैं मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस तेनुघार परियोजना के बारे में मुख्य मंत्री जी को समझायें।

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे पहलू का उल्लेख करता हूं जिसको पर्याप्त रूप से स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। सरकार ने कुछ परियोजनाओं के मामले में निवेशित पूंजी पर सोलह प्रतिशत का लाभ देने की गारंटी दी थी, इसके साथ-साथ विनिमय दर की साम्यता

के बारे में आश्वासन भी दिया गया था। क्या यह सही नहीं है कि जब इस सोलह प्रतिशत को 'प्लान्ट लोड फैक्टर' के निर्धारित लक्ष्य से अधिक होने पर दिये जाने वाले बोनस से जोड़ा जाता है, तो कुछ मामलों में यह सोलह प्रतिशत का लाभ, बढ़कर बीस प्रतिशत से भी अधिक और यहां तक कि चौबीस प्रतिशत तक हो जाता है। जब निर्देशक को इतना लाभ उपलब्ध होता है तो निर्देशक को उपलब्ध इस तरह के लाभ की कीमत वास्तविक रूप से कौन अदा करेगा ? क्या यह अन्ततः उपभोक्ता को ही नहीं देनी पड़ेगी, चाहे वह ग्रामीण हो अथवा शहरी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : महोदय, यह सच है कि 68.5 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर से अधिक विद्युत उत्पादन के लिए कुछ प्रोत्साहन निर्धारित किये गये हैं परन्तु विदेशी विनिमय के उतार-चढ़ाव के लिये व्याप्त (कवर) केवल 16 प्रतिशत तक ही सीमित है। यह उत्तर का प्रथम भाग है। प्रोत्साहन इसलिए दिया जाता है क्योंकि कुल मिलाकर निर्धारित 68.5 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर को ही व्याप्त (कवर) दी गई है। यदि आप 68.5 प्रतिशत से अधिक उत्पादन करते हैं तो विद्युत सस्ती हो जायेगी क्योंकि उस समय लागत में केवल वही उत्तर होगा जो ईंधन की लागत होती है। और यही कारण है किस प्रोत्साहन की उपबंध किया गया है और ताजा अधिसूचना के अनुसार अधिकतम दिया जाने वाला प्रोत्साहन प्लांट लोड फैक्टर की प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि पर 0.7 प्रतिशत है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उड़ीसा में 1994-95 में ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 5630 मैगावाट है। उत्तर से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में यह लक्ष्य 53990 मैगावाट है और इसी तरह से महाराष्ट्र में 46,076 मैगावाट है उड़ीसा और बिहार के मुकाबले ये आंकड़े 10 गुना से भी अधिक हैं। मैं माननीय मंत्री जी से एकदम स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि राज्यों में ऊर्जा उत्पादन का सन्तुलन बनाये रखने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने बिहार से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते समय इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है। वह कहते हैं कि इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए पी.एल.एफ. जिम्मेदार है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मुझे क्षमा करें। जहां पर राज्य सरकारों ने कदम नहीं उठाये हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा. पात्र कृपया अपना प्रश्न शीघ्र पूछिए। आप तो प्रश्न को दोहरा रहे हैं।

डा. कार्तिकेश्वर : महोदय, जहां पर राज्य सरकारें ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही हैं, वहां पर केंद्र सरकार क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए तो हमें संविधान देखना पड़ेगा।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, बिहार और उड़ीसा पूर्वी क्षेत्र के भाग हैं जिसके तहत बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। बिहार की भांति उड़ीसा को भी एन.टी.पी. सी, डी.बी.सी.

जैसी केंद्रीय परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त होती है। इसमें कमी है। लक्ष्य केवल उड़ीसा में स्थित परियोजनाओं के लिए दिया गया है। उड़ीसा को पश्चिम बंगाल तथा बिहार में केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त होती है। इसी वजह से हम यथा संभव उनके आन्तरिक उत्पादन में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष का लक्ष्य केवल 30,537 मेगावाट है और वह कहते हैं कि आठवीं योजना की समाप्ति तक इसे कम करके 20,000 मेगावाट किया जा सकता है। इसके साथ मंत्री महोदय ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में वास्तविक जरूरत अधिकतम उपभोग के समय कमी दूर करना है जिसे इस प्रकार के उत्पादन से पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार अधिकतम खपत के समय कमी की स्थिति का सामना कैसे करेगी ? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। वास्तव में अधिकतम खपत के समय विद्युत की कमी क्या है और आठवीं योजना में यह कमी कितनी रहेगी और आप इसे कैसे पूरा करेंगे ? इसे निजी क्षेत्र को देने से मदद नहीं मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा प्रश्न किया है। आप इसे क्यों दोहरा रहे हैं ? प्रश्न यह है कि आप अधिकतम खपत के समय विद्युत की आवश्यकता कैसे पूरा करते हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, 30,537 मैगावाट के लक्ष्य को संशोधित करके लगभग 20,000 मैगावाट करने के बाद हमने अधिकतम खपत के समय कमी का पता लगाया है और हमने पाया है कि यह कमी लगभग 28.2 प्रतिशत होगी और लगभग 14.5 प्रतिशत ऊर्जा की कमी होगी। जैसा कि आपने कहा है, मैं इस अधिकतम खपत के समय होने वाली मांग को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा उठाने वाले कदमी अथवा पूर्ण की स्थिति के बारे में अपने उत्तर में पहले ही कह चुका हूं।

श्री श्रीकान्त जेना : आपने यह नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दोहरा सकते हैं।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, एक नई उत्पादन क्षमता संयत्र शुरू करने के कार्य में तेजी लाना (दो) कम अवधि में पूरे होने वाली परियोजनाएं कार्यान्वित करना (तीन) मौजूदा विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाना (चार) संचारण तथा वितरण में होने वाले विद्युत नुकसान में कमी लाना ...

श्री श्रीकान्त जेना : यह तो सामान्य विद्युत उत्पादन से संबंधित है। अधिकतम खपत के समय कमी के बारे में क्या करना है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अधिकतम खपत के समय से संबंधित नहीं है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : महोदय, जब हम विद्युत उत्पादन में वृद्धि करते हैं तब इससे अधिकतम खपत के समय मांग को भी पूरा कर सकते हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : ऐसा कैसे हो सकता है ? यह संभव नही है, मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करें। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जब तक हाइडल पॉवर, जनरेशन औगमेंट नहीं होगी तब तक यह पीक ऑवर डिमांड कैसे पूरी होगी ?

श्री एन.के.वी. साल्वे : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक मिनट लूंगा सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में आवश्यकता में कमी 7.8 प्रतिशत तथा अधिकतम खपत के समय कमी 18.8 प्रतिशत थी। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा योजना आयोग की यह परिकल्पना थी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस कमी को पूरा करने के लिए हमें 48,00 मैगावाट अतिरिक्त उत्पादन करना होगा। अब हमारे समक्ष जो संसाधनों की कमी है तब योजना आयोग ने 30,537 मैंगावाट का लक्ष्य तय किया। महोदय अगर यही लक्ष्य रहता तो यह कमी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में भी उतनी ही रहती जितनी इस योजना के प्रारम्भ में थी। इसका यह मतलब है कि अधिकतम खपत के समय कमी 18.8 प्रतिशत ही रहती। लेकिन संसाधनों की वास्तविक तंगी के कारण अतिरिक्त उत्पादन 20,000 मैगावाट से अधिक नहीं होगा और इसलिए संभावित कमी आवश्यकता का 14 प्रतिशत और अधिकतम खपत के समय यह कमी 28 प्रतिशत रहेगी। हम यह 20,000 मैगावाट क्षमता स्थापित करने जा रहे हैं। हम अधिक से अधकि यही कर सकते हैं। इसलिए कमी तो अवश्य भावी है।

श्री श्रीकान्त जेना : आप अधिकतम खपत के समय कमी को कैसे पूरा करेंगे ?

श्री नीतीश कुमार : मंत्री महोदय, कमी दो प्रकार की हैं। एक तो सम्पूर्ण ऊर्जा कमी है और दूसरी अधिकतम खपत के समय होने वाली कमी हैं।

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, यह तरीका सही नहीं है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : नीतीश कुमार जी जो कुछ कह रहे हैं मैं उससे अवगत हूं। विद्युत आवश्यकता की कमी है और अधिकतम खपत के समय होने वाली कमी है 20,000 मैगावाट विद्युत अतिरिक्त होने से अधिकतम खपत के समय कमी 28 प्रतिशत रहेगी। इस प्रकार पूर्ति और मांग में अंतर रहेगा। हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप तेल से चलने वाले जैनरेटरों के माध्यम से इसे पूरा कर सकते हैं और कुछ अन्य तरीके अपनाकर भी आप इसे पूरा कर सकते हैं।

श्री एन.के.पी. : यह उत्तर तो पहले ही दिया जा चुका है। हम निम्न उपाय कर रहे हैं। नई उत्पादन क्षमता उत्पन्न करने, कम अवधि की परियेाजनाएं कार्यान्वित करने में तेजी ला रहे हैं, मौजूदा विद्युत केंद्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार ला रहे हैं, संचारण तथा वितरण में होने वाले नुकसान को कम कर रहे हैं, बेहतर प्रबंधन तथा ऊर्जा संरक्षण उपाय कार्यान्वित कर रहे हैं, जिन् क्षेत्रों में विद्युत अतिरिक्त रहती है वहां से उसे कमी वाले क्षेत्रों में अंतरित कर रहे हैं। तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र द्वारा निवेश को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सभी प्रयास किए जा रहे है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं क्योंकि मैं सभा के अंदर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप आपूर्ति को विनियमित करके तथा अन्य सभी उपाय करके भी मांग पूरा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आठवें प्लान में हाइडल और थर्मल पॉवर जनरेशन का रेश्यो क्या होगा, यह मैं जानना चाहता हूं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी के प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री एन.के.पी. साल्वे : महोदय, हमारे पूर्ण प्रयासों के बावजूद आपूर्ति और मांग में अन्तर रहेगा और मौजूदा वृद्धि के बावजूद अधिकतम खपत के समय कमी रहेगी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यख महोदय, जब तक यह हाइडल पावर से सीट नहीं किया जाता है, तब तक यह पूरा नहीं होगा, लेकिन मंत्री महोदय हमें हाइडल पावर का नहीं बता रहे हैं। मंत्री महोदय, तो फोरने इंवेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं ?

[अनुवाद]

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पहले ही यह कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था के इस मुख्य विद्युत क्षेत्र में इस निजी विदेशी निवेश पर मौजूदा विनियम की दर के अनुसार 16 प्रतिशत लाभ की गारंटी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे विदेशी मुद्रा के संसाधन निरन्तर बाहर जाते रहेंगे। इसके अलावा सरकार ने यह प्रस्ताव भी किया है कि इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक भीं निजी विदेशी निवेश होगा। महोदय, अब मैं यह बात कहना चहाता हूं कि इस विद्युत के क्रेता राज्य बिजली बोर्ड हैं और हम सब जानते हैं कि राज्य बिजली बोर्डों की दशा खराब है। इसी कारण, समझौते में इस प्रावधान पर विदेशी कंपनियां संतुष्ट नहीं थीं। वे संपार्श्विक आश्वासन और गारंटी चाहती थीं अर्थात अगर बोर्ड अदायगी में विफल रहें तो भारत सरकार अदायगी करेगी। क्या इन सभी निवेशों के लिए विदेशी मुद्रा में यह निरन्तर संपार्श्विक गांरटी देने के लिए वित्त मंत्रालय सहमत हो गया है ?

श्री एन.के.पी. साल्वे : महोदय, जहां तक प्रथम भाग का संबधं है, 16 प्रतिशत का संबधं केवल इक्विटी से हैं इक्विटी कुल परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत रहेगी।

दूसरे, राशि अदायगी के बारे में भारत सरकार की प्रति गारंटी का संबधं है, दूसरे तहत विद्युत बोर्ड द्वारा उत्पादन कर रही कंपनी को दी जाने वाली राशि शामिल है। यह राशि अदा करने का उनका प्राथमिक दायित्व **'एस्क्रो'** खाते के तहत है। अगर **'एस्क्रो'** खाता विफल रहता है तब राज्य सरकार की गारंटी है भारत सरकार की प्रति गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटी से संबंधित है यह सहमति हुई है।

अध्यक्ष महोदय : अगर वित मंत्रालय सहमत है तो यह समझना चाहिए कि वित्त मंत्रालय भी सहमत है। यह सरकार का निर्णय है।

श्री एन.के.पी. साल्वे : यह मंत्रिमंडलीय समिति का निर्णय है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि 38,122 करोड़ रुपए की अमरीकी निजी कम्पनियों का 11,509 मैगावाट बिजली पैदा करने के लिए प्रस्ताव इनको प्राप्त हुआ है जिसमें से इन्होंने छः प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है ये छः प्रस्ताव कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हैं। मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में बिजली का भारी अभाव है और कई वर्षों से वहां प्रमुख फसलें और उद्योग बंद हो गए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चहाता हूं कि क्या अमरीकी पूंजी निवेश की ओर से वहां के लिए कोई प्रस्ताव है ? यदि है तो क्या आठवीं पंचवर्षीय येाजना में उत्तर प्रदेश में अधिकाधिक बिजली पैदा करने के लिए आपकी कोई योजना है ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर संक्षेप में दिया जा सकता है।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : हम बिहार के बारे में पहले ही कह चुके हैं। बिहार अथवा उत्तर प्रदेश में अमरीकियों द्वारा प्रायोजित कोई परियेाजना नहीं है।

कुमारी ममता बनर्जी : पूर्वी क्षेत्र, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से विद्युत की कमी बहुत अधिक है पश्चिम बंगाल में आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य 19,642 है। यद्यपि मूल भूत सुविधाएं और अन्य चीजों की उपलब्धि को देखते हुए सब कुछ राज्य सरकार पर निर्भर करता है फिर भी मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि पश्चिम बंगाल में बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना की क्या स्थिति है। यह काफी समय से लम्बित पड़ी है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या भारत सरकार को इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पष्ट प्रश्न है। अगर आपके पास यह जानकारी है तो दे दीजिए अथवा इसे लिखित में भेज दें।

श्री पी.वी. रंगय्या नायडू : मैं इसे लिखित में भेज दूंगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए

*605. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निर्धारित स्तर के अनुरूप है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस राजमार्ग की स्थिति सुधारने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए सामान्यत : राष्ट्रीय राजमार्ग मानकों को पूरा करता है। रा.रा. 31-ए सहित राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार कार्य एक सतत प्रक्रिया है और यह कार्य निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगी कि उत्तर सही नहीं है। सामान्य स्तर क्या है। जब एक राजमार्ग पर दो गाड़ियां आसानी से न गुजर सकें तो क्या ऐसा मार्ग को आप राष्ट्रीय राजमार्ग के मानकों के अनुरूप मानते हैं ?

राष्ट्रीय राजमार्ग 31 ए न सिर्फ इस कारण महत्वपूर्ण है कि यह सिक्किम के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपर्क है क्योंकि सिक्किम रेल का वायु मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। बल्कि यह राजमार्ग चीन से लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा तक जाता है। इससे रक्षा संबंधी जरूरतें भी पूरी होती हैं इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ स्थानों पर निरंतर भू-स्खलन होता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सड़क के कुछ भाग बहुत तंग हैं जो कि बहुत ही खतरनाक हैं तथा सिक्किम को आवश्यक वस्तुएं भेजना अन्य राज्यों पर निर्भर है इन वस्तुओं को सिक्किम भेजना पड़ता है। गाड़ियों के आवागमन में वाधा पड़ती है और इसके फलस्वरूप समय और माल का नुकसान होता है।

तीस्ता पुल इसी राजमार्ग पर है। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो तीस्ता पुल का निर्माण 1985 अथवा 1986 में शुरू हुआ था। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, यह पुल न सिर्फ सिक्किम बल्कि देश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह पुल अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि उस समय और तीस्ता पुल की अनुमानित लागत क्या थी और अब क्या है और पूरे देश के लाभ हेतु इस पुल को चालू करने के लिए निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

श्री जगदीश टाईटलर : वास्तव में यह प्रश्न रक्षा मंत्रालय को प्रेषित किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह सीमा सड़क संगठन के तहत आता है। निःसंदेह माननीय सदस्य का यह कथन सही है कि मार्ग कठिन मार्ग है और अनेक भूवैज्ञानिक समस्याएं भी हैं। इस पर भू: स्खलन होते हैं। लेकिन, जैसा कि हम जानते हैं रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए यह एक उपयोगी मार्ग है जैसा कि उन्होंने बताया है, इस मार्ग पर दस स्थान ऐसे हैं जिनके लिए मरम्मत कार्य की निरंतर जरूरत पड़ती है और इसमें से बात की शिनाख्त कर ली गई है और हम इस पर कार्य कर रहे हैं।

जहां तक तीस्ता पुल का संबंध है, इसके निर्माण कार्य को पूरा करने की अपेक्षित समय सीमा मार्च, 1995 है। लागत के अनुसार यह पुल अपने निर्धारित समय अर्थात 1995 में पूरा हो जाएगा मेरे पास इससे संबंधित आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं रक्षा मंत्रालय से इन्हें प्राप्त करके माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं।

श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : इस राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा सिक्किम की राजधानी, गंगटोक से होकर गुजरता है और गंगटोक एक छोटा-सा स्थान है। सड़क बहुत ही तंग है तथा इस राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ बनी पटरियां बहुत पहले से टूटी हुई हैं गंगटोक के लोगों तथा स्कूल जाने वाले अधिकांश छात्रों के लिए यह बहुत ही खतरनाक हो गया है। यह उनके जीवन के लिए वास्तविक खतरा बन गया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार अतिरिक्त राशि प्रदान करने पर विचार कर सकती है। वास्तव में, वे पहले ही यह कह चुके हैं कि धन की अनपलब्धि के कारण वे यह कार्य करने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस बारे

में विचार करेगी कि इस सड़क के निर्माण को और अधिक महत्व दिया जाए जोकि राजधानी से होकर गुजरती है। मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार इस पर विचार करेगी, यदि हां तो इस कार्य का पूरा करने में इसे कितना समय लगेगा।

श्री जगदीश टाइटलर : यह धन राशि उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। इस समय पर गौर किया जा सकता है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन करता हूं कि उनकी समस्याओं से रक्षा मंत्रालय को अवगत करा दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूंछे। लेकिन यह प्रश्न तो राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए से संबंधित है।

डा. मुमताज अन्सारी : एक और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 है जो बिहार, असम, सिलिगुड़ी और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की अवस्था बहुत खराब है और इस पर वाहन भी नहीं चलाए जा सकते। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस सड़क को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जाएगी और बिहार को इस कार्य के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है तथा इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की जा रही है ?

श्री जगदीश टाईटलर : राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत एक चालू रहने वाली प्रक्रिया है तथा हम निरन्तर ही राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि धनराशि की उपलब्धि के अध्यधीन मरम्मत कार्य किया जाएगा और राजमार्ग में सुधार लाया जाएगा और मैं हमेशा ही राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए और अधिक धनराशि की मांग करता रहा हूं। लेकिन इस समय भी जहां कहीं भी सड़कें क्षतिग्रस्त हैं हम निरन्तर उनकी मरम्मत कर रहे हैं।

निःसंदेह यह प्रश्न राष्ट्रीय राजमार्ग 31-ए से संबंधित है जो पश्चिम बंगाल और सिक्किम से होकर गुजरता है लेकिन यह राष्ट्रीय राजमार्ग 31 नहीं है।

श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : महोदय, कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों की तो अत्यधिक मरम्मत करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जब कभी भी राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु धनराशि देने की मांग करते हैं और किसी सड़क के भाग को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने के लिए कहते हैं। तो वे सदैव धन की कमी का मुद्दा उठाते हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या उनका मंत्रालय किसी विदेशी निवेश अथवा किसी अन्य कंपनी के माध्यम से निवेश आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है उदाहरण के लिए बंगलौर, मंगलौर, मरकारा राष्ट्रीय राजमार्ग बहुत लम्बा मार्ग है जिस पर अत्यधिक यातायात रहता है। अत : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि क्या इसे शामिल किया जा सकता है और किसी अन्य एजेंसी अथवा बाहर से निवेश आमंत्रित करने पर विचार किया जाएगा।

श्री जगदीश टाईटलर : जब हम किसी एजेंसी से अथवा बाहर से निवेश प्राप्त करने की बात करते हैं तो इसके निजीकरण का मुद्दा भी आ जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के लिए है। राष्ट्रीय राजमार्ग सभी के लिए खुले हैं। ये नई सड़कें, एक्सप्रैस मार्ग हैं। इस क्षेत्र में विदेशी निवेश का बहुत स्वागत है। हम पहले ही कुछ सड़कों, पुल और बाई पास की शिनाख्त कर चुके हैं जो कि विदेशी निवेश के लिए रखे गए हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

ताबां उत्पादन

*603. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के लिए तांबे का प्रत्याशित उत्पादन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अर्थात हिन्दुस्तान कापर लि. ने मंत्रालय के कार्य-निष्पादन बजट के अनुसार 39,000 टन उत्पादन के लक्ष्य के मुकाबले वर्ष 1993-94 के दौरान 39,002 टन शोधित तांबे का उत्पादन किया।

(ग) आर्थिक सुधारों को देखते हुए, आशा है कि निजी क्षेत्र में तांबे का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए तांबा कंसट्रेट/स्क्रैप जैसी आयातित कच्ची सामग्री पर आधारित अतिरिक्त क्षमता विकसित की जा सकेगी। इसके अलावा हिन्दुस्तान कापर लि. आयातित ऊंचे ग्रेड के फीडस्टॉक तांबा कंसट्रेटों के साथ खेतड़ी में शोधित तांबे की वर्तमान स्मैल्टिंग क्षमता 31,000 टन से बढ़ाकर 100,000 टन वार्षिक करने पर विचार करने पर विचार कर रही है।

[अनुवाद]

परमाणु कार्यक्रम बंद करना

*606. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान को परमाणु कार्यक्रम बंद करने की शर्त पर 38 अतिरिक्त एफ-16 लड़ाकू विमानों की खेप प्राप्त करने के लिए प्रेसलर संशोधन एक बार लागू न करने संबंधी अमरीका के संशोधित प्रस्ताव की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या अमरीका की सरकार ने भारत से भी अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए दबाव डाला है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिकिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नही।

(ग) सरकार ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान को एफ-16 विमान तथा अन्य सैन्य उपकरण हस्तांतरित करने का अमरीका प्रस्ताव भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। एफ-16 विमान अतिरिक्त डिलीवरी प्रणाली प्रदान करके पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक सैन्य उपकरण परम्परागत

रूप से भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने के लिए ही हासिल किए जाते रहे हैं। सरकार को भारत की रक्षा जरूरतों की पुनः समीक्षा करनी होगी तथा भारत की सुरक्षा के लिए उपयुक्त करने होंगे।

एल्यूमिनियम

*607 **श्री छेदी पासवान :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एल्यूमिनियम का कुल वार्षिक उत्पादन एल्यूमिनियम का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों की कुल अधिष्ठापित क्षमता के बराबर कभी नहीं पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) संयंत्र-वार अधिष्ठापित क्षमता, निर्धारित लक्ष्यों और वास्तविक उत्पादन का गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : देश मे एल्यूमिनियम के सभी पांचों प्राथमिक उत्पादकों अर्थात हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (हिन्डालको); इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (इंडाल्को); मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (माल्को); नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (नाल्को) तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (बाल्को) की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 6.35 लाख टन है। 1993-94 के दौरान एल्यूमिनियन का कुल उत्पादन 4,65,486 टन रहा है।

सरकारी क्षेत्र की दो एल्यूमिनियम उत्पादन कर रही कंपनियां अर्थात नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (नाल्को) तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ (बाल्को) की स्थापित क्षमता उनकी व्यवहारिक क्षमता के साथ उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों और पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्पादन की उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :-

वर्ष	स्थापित क्षतमा (एमटी)	व्यवहारिक क्षमता (लाख/एमटी)	निर्धारित (एमटी)	उत्पादन उपलब्धि (एमटी)
1	2	3	4	5
I. **बाल्को**				
1991-92	100,000	1.00	95,000	92,011
1992-93	100,000	1.00	94,00	91,047
1993-94	100,000	1.00	90,000	91.802 (अनन्तिम)

1	2	3	4	5
II. **नाल्को**				
1991-92	218,000	1.95	1,90,000	1,92,202
1992-93	218,000	1.95	1,95,000	1,91,072
1993-94	218,000	1.95	1,95,000	1,94332 (अनन्तिम)

जब सभी 480 पोट्स कार्य कर रहे हों उस समय नाल्को की प्रतिवर्ष 2.18 लाख टन की स्थापित क्षमता है। इस समय बिजली की कमी के कारण केवल 410 पोट्स काम कर रहे हैं। जिससे 1.95 लाख टन प्रतिवर्ष ही व्यवहारिक क्षमता मिल रही है। वर्ष 1994 के मध्य तक केप्टिव विद्युत संयंत्र (सीपीपी) की 120 मेगावाट की छठी इकाई के कार्यरत हो जाने की संभावना है कंपनी की सीपीसी की छठी इकाई के कार्यरत हो जाने पर कंपनी अपनी कुल स्थापित क्षमता को प्राप्त कर लेगी ऐसी आशा है। बालकों के उत्पादन में गिरावट के मुख्य कारण उसका 1975 में स्थापित संयंत्र के उपकरणों का पुराना होना तथा सीपीपी में विद्युत उत्पादन में यदा-कदा उत्पन्न व्यवधान एवं मध्य प्रदेश राज्य विद्युत परिषद द्वारा अनियमित विद्युत आपूर्ति भी है।

[हिन्दी]

एस.टी.डी. और टेलेक्स सुविधाएं

*608. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी जिलों में एस.टी.डी. और टेलेक्स सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में इन सुविधाओं का विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) देश के आदिवासी जिलों के सभी जिला मुख्यालयों को पहले से ही एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ा जा चुका है।

- आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु

दूरसंचार सर्किलों के अंतर्गत आने वाली आदिवासी जिलों के सभी उपमंडल मुख्यालय एस.टी.डी. सुविधा से जोड़ दिए गए हैं।

- कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, राजस्थान और तमिलनाडु दूरसंचार सर्किलों के आदिवासी जिलों के सभी तालुक मुख्यालयों को भी एस.टी.डी. सुविधा प्रदान कर दी गई है।
- टेलेक्स सुविधा युक्त आदिवासी जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) सभी उप मंडल मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों को मार्च, 1995 तक एस.टी.डी. नेटवर्क से जोड़ने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि निधि, उपस्कर भूमि, भवन आदि जैसे संसाधन उपलब्ध हों। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन आदिवासी जिलों में मार्च, 1995 तक एस.टी.डी. सुविधा से जोड़े जाने वाले प्रस्तावित उप मंडल मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों की सर्किलवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

- यदि 4 से अधिक कनेक्शनों की मांग हो तो नेशनल टेलेक्स एक्सचेंज प्रदान किया जा सकता है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) में दिए उत्तर के मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

आदिवासी जिलों की सूची जहां टेलेक्स सुविधा उपलब्ध है

राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. खामाम
	2. पूर्व गोदावरी
	3. विशाखापट्नम
	4. श्रीकाकुलम
	5. वारंगल
	6. आदिलाबाद
	7. विज्यानगरम

1	2
असम	1. डिबरूगढ़
बिहार	1. रांची
गुजरात	1. भड़ूंच
	2. बढ़ोदरा
	3. बलसाद
	4. सूरत
कर्नाटक	1. चिकमगलूर
	2. मैसूर
केरल	1. पालघाट
	2. मालापुरम
	3. कोजहीकोड
	4. कन्नानोर
	5. त्रिवेन्द्रम
	6. क़्यूलिन
	7. एर्नाकुलम
मध्य प्रदेश	1. रायगढ़
	2. जबलपुर
	3. देवास
	4. खरगोन (पश्चिम निमर)
	5. बिलासपुर
	6. रायपुर
	7. रतलाम
	8. खंडवा (पूर्व निमर)
महाराष्ट्र	1. चन्द्रपुर

1	2
	2. यवतमाल
	3. अहमदनगर
	4. पुणे
	5. नानदेड
	6. अमरावती
	7. थाने
	8. नासिक
	9. धुले
	10. जलगांव
उड़ीसा	1. कोरापुट
	2. बालासोर
	3. संबलपुर
राजस्थान	1. उदयपुर
तमिलनाडु	1. सलेम
	2. उत्तरी अरकोट
	3. तिरूचिरापल्ली
	4. धर्मपुरी
	5. दक्षिण अरकोट
पश्चिम बंगाल	1. दार्जिलिंग
	2. मालदा
	3. बरधमान
दमन और दीव	1. दमन

विवरण -II

आदिवासी जिलों के उपमंडल मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों में लंबित सूची

क्र. सं.	जिला	स्टेशन का नाम
1	2	3
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	मुधोले
		लक्सट्टीपेट
		चिन्नूर
	खम्माम	सूदीमल्ला
		भोरागमपडू
	श्रीकाकुलम	पथापटनम
	विशाखापट्टनम	चिन्तापल्ली
		के. कोटापडू
	विजयनगरम	सालूरू
		भोगपुरम
		कुरूप्पम
		बंडचणी
	वरंगल	मर्रीपेडा
		चिटयाल
	पश्चिम गोंदावरी	इटूनगरम
		पोलवरम
असम	दरंग	दलगांव
		पथारीघाट
		हरिसिंग

1	2	3
	गोलपाड़ा	मटिया
		रंगवुली
	कामरूप	पलीजाना
		नगरबीरा
		चमरिया
	लखीमपुर	कडम
		नोबोधिया
	शिवसागर	महमारा
गुजरात	बनासकांठा	कंकरेज (सिहोरी)
		संतलपुर
	पंचमहल	संतरामपुर
	सूरत	निजार
		एम.एम. मंगरोल
		पलसाना
		मंहुवा (एसआरटी)
	वड़ोदरा	तिलाकवादा
		नसवाड़ीं
		सनखेड़ा
	वलसाड	गानदेवी
हिमाचल प्रदेश	चम्बा	किल्लर
		सलूनी
		भरमौर
		चुराह

1	2	3
	किन्नौर	पूह
		मूरांग
		निचार
		सांगला
	लाहुल स्पीती	काजा
महाराष्ट्र	अहमदनगर	पथारदी
		शेवगांव
	अमरावती	नंदगांवकाजी
		भटकाली
		धारनी
		मोरशी
		चिकल धारा
		चंदूर बाजार
		दरियापुर
	चंद्रपुर	गोंडपिम्परी
		चिमूर
	धुले	अकरनी
	नांदेड़	बिल्लौरी
		भोकर
		मुखेड
		कधार
		हदगांव

1	2	3
		किनवाट
		डेगलूर
	नासिक	कलवान
		पींट
		सुरगाना
	थाना	तालासारी
		जवाहर
		मोरवादा
	यवतमाल	बाबुलगांव
		मेरेगांव
		पालेगांव
		वानो
		नरपरसोपंत
		महागांव
		डिगरास
मध्य प्रदेश	बालाघाट	लांगी
		कटंगी
		बैहार
	बस्तर	नरायणपुर
		कोटा
		अंतागढ़
		भोपालपंथम
		बीजापुर

1	2	3
	बेतूल	शाहपुर
	बिलासपुर	सक्ती
		पंडरिया
		जंजगीर
		डभारा
		लोरमी
		पेंडरा रोड
		कदघोरा
		कोटा
		पामगढ़
		मुंगेली
		ताकतपुर
	छिंदवाड़ा	तमिया
	देवास	कन्नौड़
		बागली
		खाटेगांव
	धार	मानावार
		कुकशी
		गंधावानी
	दुर्ग	बेमेतारा
		डोंडीलोछरी
		नवागढ़

1	2	3
		शाजा
	जाबुआ	जोबात
		भाबरा
	खरगौन	महेश्वर
	मांडला	शाहपुरा
		डिंडोरी
		निवास
	मुरैना	शिवपुर
		बीजापुर
	रायगढ़	बघीरहा
		कुंकरी
	रायपुर	देवभोग
		भिलाईगढ़
		भिदेरानवागढ़
		सिमगा
	राजनंदगांव	डोंगरगढ़
		छुईखादान
		खैरागढ़
		मोहली
	रतलाम	बजना
	शहडोल	बिओहारी
		कोटमा

1	2	3
		अन्नूपुर
		पुष्पराजगढ़
		बन्दोगढ़
		जयसिंह नगर
	सिंधी	रामपुनैकन
		कुसमी
		सिन्धवाद
		देवसर
		जिभवान
		मझोली
		चितरांगी
	सिरगुजा	मनेन्द्रगढ़
		लुन्दरां
		सीतापुर
		समारी
		रामानुजगंज
		प्रतापपुर
		भरतपुर
		बदराव नगर
		बैकुण्ठपुर
		सूरजपुर
उत्तरपूर्व	मणिपुर	बाबूपाड़ा

1	2	3
		लिटोन
		बामसंग
		चिनघई
		स्वामबुंग
		थनलोन
		अन्दरी
		तिपईमख
		जिरीवमजीरिबम
		तौसेम
		संगोलमांग
		नुंगबा
		मोइरंग
		कंगपोकपी
		सेकामई
		वांगोई
		सैकुल
		काकाचिंग
		नारम
		जुंगबा
		तुमेई
		शंगाशाक
		तैवाईचुंग

1	2	3
		तैगनाउपाल
		थिनघाट
		तडुबी
		कसेमखुलेन
		ओइनम
		परबुंग
		मयंत्र इम्फाल
		बोरोबेकरा
		फगयार
		हेंगलेप
		पाओमाता
		पुरूल
		जेशामी
		वाइकांग
		मारीपोक
		चकपीकरांग
		कमजोंग
उत्तर पूर्व	त्रिपुरा	अमरपुर
		किल्ला
		चमानु
		कंचनपुर
		वेगमन

1	2	3
		अम्बास्सा
		शान्तिर बाजार
		सोनामुरा
		विशलगढ़
		मानघाट
		मेलागेट
		गंगानगर
		तेलियामुरा
		सबरूम
		राजनगर
		महारनीपुर
		मोहनपुर
		कुमारघाट
		गण्डाचेरा
		कमालपुर
		सिलाचारी
		टकारजला
		बेलोनिया
		निरनिया (विरेन्द्र नगर)
		खोवाई
		ओमपी
		धरमनगर

1	2	3
उत्तर प्रदेश	गोण्डा	कर्नल गंज
		तुलसीपुर
		तरबगंज
		वितरौला
	लखीमपुर खीरीह	धौराहर
प.बंगाल	मुर्शिदाबाद	रशुनाथगंज
		सिक्किम (प.) सारंग
		सिक्किम (उ.) चुंगथांग
		प. दिनाजपुर इस्लामपुर

हांग-कांग में भारतीय

*609. **श्री वृजभूषण शरण सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय हांग-कांग में रह रहे भारतीयों तथा भारतीय मूल के लोगों की संख्या क्या है;

(ख) 1997 में इस ब्रिटिश उपनिवेश को चीन को सौंपे दिये जाने के बाद, उन्हें वहां नागरिकता और सम्पत्ति अधिकारों संबंधी किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) भारतीय समुदाय के उक्त अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) हांगकांग में लगभग 26000 भारतीय राष्ट्रिक और भारतीय मूल के निवासी हैं। इनमें से लगभग 19000 भारतीय नागरिक (भारतीय पासपोर्ट धारक) हैं और शेष व्यक्तियों के पास ब्रिटेन की सरकार द्वारा जारी या तो ब्रिटिश आश्रित प्रदेश नागरिक अथवा ब्रिटिश राष्ट्रिक (विदेश) पासपोर्ट हैं।

2. जब एक जुलाई, 1997 हांगकांग वापिस चीन की सम्प्रभुता के अधीन चला जाएगा तो उस समय जो व्यक्ति हांगकांग में 7 वर्ष के निरंतर आवास का प्रमाण दे सकेंगे वे स्थायी पहचान पत्र पाने के हकदार होंगे जिनमें इन लोगों को हांगकांग में रहने

का अधिकार दिया गया है यह उम्मीद है कि अधिकांश ब्रिटिश आश्रित प्रदेश नागरिक तथा ब्रिटिश नागरिक (विदेश) पासपोर्ट धारक में शर्तें पूरी करते हैं भारत सरकार हांगकांग में रहने वाले भारतीय नागरिकों (भारतीय पासपोर्ट धारकों) को कोंसली सरंक्षण देती रहेगी।

3. हांगकांग पर चीन ब्रिटिश करार जो 1984 में संपन्न हुआ था, में हांगकांग की सम्प्रभुत्ता को चीन को योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से हस्तांतरित करने की व्यवस्था है। इसमें यह भी व्यवस्था है कि हांगकांग की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक प्रणाली में 1997 के बाद 50 वर्षों तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार ऐसी संभावना नहीं है कि भारतीय मूल के लोगों को हांगकांग में अपनी सम्पत्ति को लेकर किसी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

4. ब्रिटेन की सरकार की नीति के अनुसार 1997 के बाद ब्रिटेन आश्रित प्रदेश नागरिक तथा ब्रिटेन राष्ट्रिक (विदेशी पासपोर्ट धारकों) की प्रथम दो पीढ़ियों को ब्रिटेन विदेशी नागरिक का दर्जा दिया जाएगा इससे उन्हें ब्रिटिश कोंसली सरंक्षण का अधिकार मिल जाएगा लेकिन यू॰के॰ में आवास का अधिकार नहीं। तथापि, तीसरी पीढ़ी को यह दर्जा नहीं दिया जाएगा और इसलिए संभवतः वे "राज्यविहीन" हो जाएगें यदि उन्होंने उस वक्त तक चीन अथवा किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त न कर ली हो।

5. सरकार ने इस मामले को ब्रिटेन की सरकार तथा चीन की सरकार के साथ उठाया है। सरकार की बराबर यह स्थिति रही है कि ब्रिटेन आश्रित प्रदेश नागरिक तथा ब्रिटेन राष्ट्रिक (विदेशी पासपोर्ट धारकों) की बुनियादी जिम्मेवारी ब्रिटेन की सरकार की है और यह कि ब्रिटेन की सरकार को चाहिए कि वे ब्रिटेन के नागरिकों के रूप में इन व्यक्तियों के दर्जे के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए। ब्रिटेन की सरकार ने हमारी सरकार को यह आश्वासन दिया है कि वह इसे किसी भी भावी सरकार का दायित्व मानती है कि वह ऐसे किसी भी ब्रिटिश राष्ट्रिक को यूनाइटिड किंगडम में प्रवेश देने के मामले को पर्याप्त तथा विशेष सहानुभूति दें जिसे सभी वर्तमान प्रत्याशाओं के विपरीत दबाववश हांगकांग छोड़ना पड़े। चीन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कई अवसरों पर यह कहा है कि इस वर्ग के व्यक्तियों को चीनी राष्ट्रिकता प्राप्त करने का विकल्प अवश्य प्राप्त है। वे यदि चाहे तो भारतीय कानून के अनुसार भारतीय कानून के अनुसार भारतीय राष्ट्रिकता के लिए भी आवेदन कर सकते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*610. **श्री बीर सिंह महतो : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं.	राज्य	सड़क निर्माण कार्य	पुल निर्माण कार्य	जोड़
1	2	3	4	5
			(करोड़ रु.)	
1.	आंध्र प्रदेश	2702.20	362.00	3064.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.54	5.11	20.65
3.	असम	545.50	60.00	605.50
4.	बिहार	538.00	87.00	625.00
5.	गोवा	113.00	50.67	163.67
6.	गुजरात	946.52	266.57	1213.09
7.	हरियाणा	448.26	37.92	486.18
8.	हिमाचल प्रदेश	139.00	67.32	206.32
9.	कर्नाटक	378.35	51.35	429.70
10.	केरल	391.55	215.28	606.83
11.	मध्य प्रदेश	500.00	146.00	646.00
12.	महाराष्ट्र	498.00	59.00	557.00
13.	मणिपुर	51.00	10.60	61.60
14.	मेघालय	142.40	9.21	151.61
15.	नागालैंड	37.75	3.00	40.75
16.	उड़ीसा	398.40	53.00	451.40
17.	पांडिचेरी	7.93	–	7.93

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	515.09	57.57	572.66
19.	राजस्थान	615.00	60.50	675.50
20.	तमिलनाडु	1101.84	18.66	1120.50
21.	उत्तर प्रदेश	511.40	223.50	734.90
22.	पश्चिम बंगाल	794.52	114.09	908.61
	जोड़	11391.25	1958.35	13349.60

(ख) आठवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

		1992-93			1993-94		
क्र.सं.	राज्य	सड़क	पुल	जोड़	सड़क	पुल	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7.43	0.01	7.44	10.54	0.33	10.87
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	0.24	–	0.24
3.	असम	13.53	1.01	14.54	3.14	1.33	4.47
4.	बिहार	8.75	3.28	12.03	13.81	1.04	14.85
5.	चंडीगढ़	–	–	–	0.23	–	0.23
6.	दिल्ली	0.66	–	0.66	0.37	–	0.37
7.	गोवा	0.49	–	0.49	1.96	–	1.96
8.	गुजरात	16.74	0.08	16.82	39.83	39.28	79.11
9.	हरियाणा	7.69	–	7.69	1.81	–	1.81
10.	हिमाचल प्रदेश	3.11	3.27	6.38	3.46	2.10	5.56

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1.83	–	1.83	–	–	–
12.	कर्नाटक	5.35	–	5.35	12.89	4.36	17.25
13.	केरल	60.84	31.74	92.58	17.22	5.95	23.17
14.	मध्य प्रदेश	115.41	1.59	117.00	1.89	–	1.89
15.	महाराष्ट्र	10.50	6.14	16.64	104.20	25.88	130.08
16.	मणिपुर	0.66	–	0.66	1.85	–	1.85
17.	मेघालय	7.99	4.50	12.49	3.46	1.24	4.70
18.	नागालैंड	0.48	–	0.48	–	–	–
19.	उड़ीसा	6.28	–	6.28	86.69	54.82	141.51
20.	पांडिचेरी	0.03	–	0.03	0.23	–	0.23
21.	पंजाब	9.02	–	9.03	86.10	–	86.10
22.	राजस्थान	14.10	8.44	22.54	0.57	0.22	0.79
23.	तमिलनाडु	8.94	–	8.94	4.27	0.52	4.79
24.	उत्तर प्रदेश	19.40	104.83	124.23	125.62	5.82	131.44
25.	पश्चिम बंगाल	1.83	18.17	20.00	99.60	0.82	100.42
	जोड़	321.06	183.06	504.12	619.98	143..71	763.69

[अनुवाद]

भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिक

*611. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका में हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण जोहान्सबर्ग स्थित भारतीय मिशन ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कोई आकस्मिक योजनाएं बनायी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, जबकि भारतीय मूल के लोग वहां पीढ़ियों से रह रहे हैं और अब वे दक्षिण अफ्रीका ही हैं;

(ग) अनुमानत : कितने भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के कितने दक्षिण अफ्रीकी नागरिक दक्षिण अफ्रीकी में रह रहे हैं; और

(घ) इनमें से ऐसे कितने नागरिक भारतीय पासपोर्ट-धारक हैं जिन्होंने वहां सें निकाले जाने के लिए अपने नाम भारतीय मिशन में पंजीकृत कराये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) जोहान्सबर्ग में भारतीय मिशन ने दक्षिण अफ्रीका से भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने के लिए कोई विशेष आकस्मिक योजना नहीं बनाई है उस देश में रहने वाले भारतीय पासपोर्ट धारकों की उपलब्ध संख्या को देखते हुए किसी आपातकाल में भारतीय राष्ट्रिकों को निकालने के लिए मौजूदा मानक क्रियाविधि पर्याप्त है। भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों को निकालने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका के नागरिक हैं, दक्षिण अफ्रीका के पासपोर्ट धारक हैं और वे कई पीढ़ियों से उस देश में रह रहे हैं।

(ग) और (घ) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के दक्षिण अफ्रीकियों की अनुमानित संख्या लगभग 10 लाख है। 29-4-94 तक जिन भारतीय पासपोर्ट धारकों ने भारत के प्रधान कोंसलावास जोहान्सवर्ग में स्वयं को पंजीकृत करवा लिया है, उनकी संख्या 654 है।

चूंकि प्रत्येक परिवार के मुखिया को ही स्वयं को पंजीकृत करवाना होता है, इसलिए भारतीयों की कुल संख्या लगभग 2,000 मानी जा सकती है।

[हिन्दी]

लघु इस्पात संयंत्र

*612. **श्री गुमान मल लोढा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में लघु इस्पात संयंत्रों को अधिष्ठापित क्षमता क्या थी और उनका वार्षिक उत्पादन क्या रहा है;

(ख) क्या लघु इस्पात संयंत्रों का उत्पादन अपनी अधिष्ठापित क्षमता से काफी कम रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार किया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) इस समय लघु इस्पात संयंत्रों (विद्युत चाप भट्टी इकाइयों) को संस्थापित वार्षिक क्षमता का अनुमान लगभग 78 लाख टन लगाया है। इन इकाइयों से इस्पात का उत्पादन 1991-92 में 27 लाख टन, 1992-93 में 25 लाख टन और 1993-94 (दिसंबर, 1993 तक) 15.6 लाख टन हुआ।

(ख) और (ग) विद्युत चाप भट्टी इकाइयों से इस्पात का उत्पादन उनकी संस्थापित क्षमता

से कम हुआ है विभिन्न घटकों जैसे मांग में मन्टो और आदान लागत जैसे विद्युत-शुल्क, स्क्रैप-मूल्यों आदि में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(घ) 1994-95 के बजट में स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए वर्धित आबंटन जैसे उपायों से इस्पात की मांग में वृद्धि होने की आशा है। अन्य उपायों जैसे परियोजना आयात पर सीमा-शुल्क को 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने, पूंजीगत माल के लिए "मोइवेट" लागू करने, ब्याज दर में 1 प्रतिशत की कमी करने और इस्पात प्रगलन स्क्रैप पर आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने से इस्पात क्षेत्र के निष्पादन में सुधार होने की आशा है।

अभ्रक की खानें

*613. **श्री लाल बाबू राय :**
प्रो. एम. कामसन :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की सभी अभ्रक की खानों के नाम क्या-क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इनमें से प्रत्येक खान से अभ्रक का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) इन खानों के अपनी पूरी क्षमता से कार्य न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या खानों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों का पुनर्वास कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जिन जिलों में अभ्रक खानें स्थित हैं उनके नाम (वर्ष 1992-93 के लिए) और खानों की संख्या इस प्रकार है :-

राज्य/जिला	खानों की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	**65**
खम्माम	1
नेल्लोर	58
विशाखापत्तनम	6

1	2
बिहार	**70**
गिरीडीह	14
हजारीबाग	40
नवादा	16
राजस्थान	**40**
अजमेर	7
भीलवाड़ा	33

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अभ्रक का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार रहा :-

उत्पादन	1990-91 (टन)	1991-92 (टन)	1992-93 (टन)
अभ्रक कच्चा	4062	3593	2507
अभ्रक अपशिष्ट और स्क्रैप	3366	2364	1490

(ग) खानों का अपनी पूरी क्षमता से कार्य न करने के पता लगाए गए मुख्य कारणों में गहरे स्तर पर खनन की ऊंची लागत और अभ्रक और स्क्रैप इसके उत्पादों के विकल्पों का विकास होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग में कमी आना है।

(घ) और (ङ) कुछ अभ्रक खानों के बंद होने से प्रभावित हुए लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, सरकार ने अभ्रक स्क्रैप उपलब्ध कराने की नीति में संशोधन करने जैसे कदम उठाए हैं और अभ्रक आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों को उपलब्ध कराने वाले उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा दिया है ताकि अभ्रक के खनन को प्रोत्साहन मिल सके।

विद्युत की मांग और आपूर्ति

*614. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दीर्घकालीन आधार पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में ऊर्जा और व्यस्त्तमकालीन कमी क्रमश : 7.8 प्रतिशत और 18.8 प्रतिशत थी। विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति और विद्युत की आपूर्ति और मांग के बीच अन्तर को कम करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 79589.32 करोड़ रुपये के परिव्यय से 30537.5 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य के निर्धारण की परिकल्पना की गई है। तथापि, अन्य बातों के अलावा, निधि संबंधी अत्यधिक बाधाओं के कारण योजना के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा और योजना अवधि के दौरान लगभग 20000 मे.वा. की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता जोड़ी जा सकेगी। इस क्षमता अभिवृद्धि के आधार पर आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) के अंतिम वर्ष में लगभग 14 प्रतिशत (ऊर्जा) और 28 प्रतिश (व्यस्ततमकालीन) विद्युत की कमी होने की प्रत्याशा है।

उपरोक्त परिकल्पित क्षमता अभिवृद्धि के अलावा मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए किए गए उपायों में ये शामिल हैं; (1) नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना (2) अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना (3) विद्यमान विद्युत केंद्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना (4) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करना (5) बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करना (6) अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को ऊर्जा के अन्तरण की व्यवस्था करना और (7) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देना।

[अनुवाद]

भारत में पेप्सी

*615. **श्री रवि राय :**

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1994 के ट्रिब्यून में "पेप्सी गोज 100 परसेंट फोरेन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार ने निर्यात वचनबद्धताओं की शर्तों की व्याख्या को लेकर पेप्सिकों के साथ कोई समझौता किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार पेप्सिकों द्वारा अपनी वचनबद्धता पूरी न करने के लिए उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गांगोई) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स पेप्सी को इन्क ने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा पारित शेयर खरीदने की अनुमति दी जाए ताकि वे पेप्सी फूड लिमिटेड में 105 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी में अपनी इक्विटी सहभागिता बढ़ाकर 104.99 करोड़ रुपये (99.97 प्रतिशत) कर सकें। सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

(घ) से (ङ) सरकार ने पेप्सिको इन्क. के साथ निर्यात वचनबद्धताओं की शर्तों के बारे में कोई समझौता नहीं किया है। लेकिन मैसर्स पेप्सी फूड लिमिटेड ने उन्हें दी गयी अनुमति की कुछ शर्तों में संशोधन करने का अनुरोध किया है। सरकार ने अपनी उदारीकृत औद्योगिक नीति और इसी तरह के औद्योगिक कार्य में लगी अन्य कंपनियों को दी गयी अनुमति को ध्यान में रखते हुए इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। कंपनी की योजना अगले 10 वर्षों की अवधि में कम से कम 400 करोड़ रुपये मूल्य के उत्पाद का निर्यात करना है तथा उस दौरान निर्यात आयात का अनुपात 3 : 1 रखा जाएगा।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी प्रसारण

*616. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी देशों के दुष्प्रचार को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में आकाशवाणी के प्रसारण में सुधार लाने की कोई योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी योजनाएं पूरी कर ली गयी हैं; और

(घ) शेष योजनाओं को कब तक पूरा किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) अब तक 50 स्कीमों को पूरा किया जा चुका है।

(घ) जैसा कि संलग्न विवरण-II में इंगित किया गया है।

विवरण-I

सीमावर्ती क्षेत्र में आकशवाणी नेटवर्क के विस्तार/सुधार हेतु तैयार की गई स्कीमें

छठी योजना (1980-85), सातवीं योजना (1985-90) वार्षिक योजना (1990-91) 1991-92 तथा आठवीं योजना (1992-97) में शामिल उन नये रेडियो केन्द्रों की सूची, जिनसे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवरेज प्रदान किया जाएगा।

(क) **नए रेडियो केन्द्र**

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीमें
1	2	3	4
1.	असम	धुबरी	2×3 कि.वा. एफ.एम.ट्रा., एम.पी. स्टूडियो आदि (स्थानीय)
2.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. (बिना स्टूडियों सुविधा)
3.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. बहुद्देशीय स्टूडियो
4.	जम्मू और कश्मीर	पुंछ	2×3 कि.वा. एफ.एम.ट्रा. बहुउद्देशीय स्टूडियो (स्थानीय)
5.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियों (स्थानीय)
6.	मणिपुर	चुरा चांदपुर	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
7.	मेघालय	तुरा	20 कि.वा. मी.वे. ट्रा. टाइप 1(आर) नया रेडियो केन्द्र
8.	मिजोरम	लुंगलेह	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. ब.उ. स्टूडियो
9.	सिक्किम	गंगतोक	20 कि.वा. मी.वे. ट्रा. टाइप 1(आर) नया रेडियो केन्द्र
10.	पंजाब	भटिण्डा पटियाला	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय) 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो
11	राजस्थान	बाडमेर	2×10 कि.वा. मी.वे. ट्रे.ब.उ. स्टूडियो
12.	राजस्थान	जैसलमेर	2×5 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. टाइप 1(आर) स्टूडियो

1	2	3	4
13.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन	2×100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. टाइप 1(आर) स्टूडियो
14.	त्रिपुरा	कैलाशहर	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
15.	त्रिपुरा	बेलोनिया	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
16.	उत्तर प्रदेश	चमौली	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
17.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी/श्रीनगर	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
18.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. (बिना स्टूडियो सुविधा के)
19.	उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. (बिना स्टूडियो सुविधाओं के)
20.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.ब.उ. स्टूडियो (स्थानीय)
21.	पश्चिम बंगाल	माल्दा	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. रिले केन्द्र

छठी, 7वीं योजना (1985-90) वार्षिक योजना (1990-91) तथा 8वीं योजना (1992-97) में शामिल अन्य स्कीमों की सूची स्कीमें जो सीमावर्ती क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान करेंगीं।

(ख) अन्य स्कीमें

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीमें
1	2	3	4
1.	असम	डिबूगढ़	100 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 300 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
		गुवाहाटी	10 कि.वा. शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा. शा.वे. ट्रा. की स्थापना
		गुवाहाटी	10 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा. मी.वे. ट्रा का उन्नयन
2.	बिहार	पटना	20 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 100 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
3.	गुजरात	अहमदाबाद	50 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा. की स्थापना

1	2	3	4
		राजकोट	20 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 300 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर
4.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.5 कि.वा.शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. की प्रतिस्थापना
5.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर	2.5 कि.वा.शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. की प्रतिस्थापना
		जम्मू	50 कि.वा. ट्रा. से 300 कि.वा. मी.वे. ट्रा. की शक्ति का उन्नयन
		लेह	10 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान
6.	मणिपुर	इम्फाल	50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान
7.	मेघालय	शिलांग	आइ.एन.ई.एस. के लिए 50 किलोवाट शा.वे. ट्रा.
8.	नागालैण्ड	कोहिमा	2 कि.वा.शा.वे. ट्रा. की शक्ति का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. में उन्नयन
9.	पंजाब	जालन्धर	50 कि.वा.ट्रा. शक्ति का 300 कि.वा. मी.वे. ट्रा. में उन्नयन
		जालन्धर	100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा. में उन्नयन
10.	राजस्थान	जयपुर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान
		बीकानेर	10 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर 20 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
		सूरतगढ़	20 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का 300 कि.वा. मी.वे. ट्रा.के रूप में उन्नयन
		जोधपुर	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा.का 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रा.के रूप में उन्नयन
		अजमेर	20 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा.

1	2	3	4
11.	सिक्किम	गंगतोक	10 कि.वा. शा.वे. ट्रा. का प्रावधान
12.	तमिलनाडु	मद्रास	20 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
13.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	50 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
		लखनऊ	10 कि.वा. शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
		गोरखपुर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान
		गोरखपुर	100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर नये 100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
14.	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	20 कि.वा. मी.वे. के स्थान पर 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
		कलकत्ता	(1) विद्यमान 10 कि.वा.शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा. शा.वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
			(2) 50 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर 100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
		कुर्सियांग	विद्यमान 20 कि.वा. शा.वे. ट्रा. के स्थान पर 50 कि.वा.शा. वे. ट्रा. का प्रतिस्थापन
		कलकत्ता	200 कि.वा. मी.वे. ट्रा. उन्नयन
		कलकत्ता	दो 10 कि.वा. एफ.एम. ट्रा. का प्रावधान
15.	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट	अल्प शक्ति ट्रा. का 10 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के रूप में उन्नयन
		तेजू	अल्प शक्ति ट्रा. का 10 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के रूप में उन्नयन
		त्वांग	अल्प शक्ति ट्रा. का 10 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के रूप में उन्नयन

1	2	3	4
		इटानगर	50 कि.वा. शा.वे. ट्रा. का प्रावधान 1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. के स्थान पर 100 कि.वा. मी.वे. ट्रा.
16.	मेघालय	शिलांग	आई.एन.ई.एस. के लिए 50 कि.वा.शा. वे. ट्रा. का प्रावधान

विवरण-II

सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी नेटवर्क के विस्तार/सुधार हेतु तैयार की गई स्कीमें

छठी योजना (1980-85) सातवीं योजना (1985-90), वार्षिक योजना 1990-91,1991-1992 तथा आठवीं योजना (1992-97) में शामिल उन शेष नये रेडियो केन्द्रों की सूची जो देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को कवरेज प्रदान करेंगे।

(क) **नए रेडियो केन्द्र**

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीमें	लक्ष्य
1	2	3	4	5
1.	असम	घुबरी	2×3 कि.वा.एफ.एम., ट्रा. एम.पी. स्टूडियो आदि (स्थानीय)	मार्च, 1994
2.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	1 कि.वा.मी.वे. ट्रा. (स्टूडियो सुविधा रहित)	अक्तूबर, 1994
3.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	1 कि.वा.मी वे ट्रा. एम.पी. स्टूडियो	अक्तूबर, 1995
4.	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. एम.पी. स्टूडियो (स्थानीय)	अक्तूबर, 1994
5.	मणिपुर	चुराचांदपुर	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. (स्थानीय)	1994-95
6.	मिजोरम	लुंगलेह	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. एम.पी. स्टूडियो	अक्तूबर, 1994
7.	सिक्किम	गंगटोक	20 कि.वा.मी.वे. ट्रा. टाइप-1 (आर) एन.आर.एस.	मार्च, 1995

1	2	3	4	5
8.	तमिलनाडु	तूतिकोरन	2×10 कि.वा.मी.वे. ट्रा. टाइप-1(आर) स्टूडियो	तकनीकी रूप से तैयार
9.	उत्तर प्रदेश	चमोली	1 कि.वा.मी.वे. ट्रा. एम.पी.स्टूडियो (स्थानीय)	1995-96
10.	उत्तर प्रदेश	पौड़ी/श्रीनगर	1 कि.वा.मी.वे. ट्रा. एम.पी. स्टूडियो (स्थानीय)	अक्तूबर, 1994
11.	उत्तर प्रदेश	पिथौरागढ़	1 कि.वा.मी.वे. ट्रा. (स्टूडियो सुविधा रहित)	1994-95
12.	उत्तर प्रदेश	उत्तरकाशी	1 कि.वा.मी.वे. ट्रा. (स्टूडियो सुविधा रहित)	तकनीकी रूप से तैयार
13.	पश्चिम बंगाल	मालदा	2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. रिले केन्द्र	1996-97

छठी योजना, सातवीं योजना (1985-90), वार्षिक योजना 1990-91 तथा आठवीं योजना (1992-97) में शामिल उन अन्य स्कीमों की सूची जो सीमावर्ती क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान करेंगी।

अन्य स्कीमें

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थान	स्कीमें	लक्ष्य
1	2	3	4
असम	गुवाहाटी	50 कि.वा.मी.वे. ट्रा. का 100 कि.वा.मी.वे. ट्रा. से उन्नयन	1995-96
हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.5 कि.वा.शा.वे. ट्रा. को 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. द्वारा प्रतिस्थापना	अक्तू., 1994
मणिपुर	इम्फाल	50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान	1994-95
नागालैण्ड	कोहिमा	2 कि.वा.शा.वे. ट्रा. की	1994-1995

1	2	3	4
		शक्ति को 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. से उन्नयन	
पंजाब	जालंधर	100 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का 200 कि.वा. मी.वे. ट्रा. से उन्नयन	1995-96
राजस्थान	जयपुर	50 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का प्रावधान	तकनीकी रूप से तैयार
	जोधपुर	1 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का 2×3 कि.वा.एफ.एम. ट्रा. से उन्नयन	मार्च, 1995
सिक्किम	गंगटोक	10 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान	तकनीकी रूप से तैयार
उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	100 कि.वा.मी.वे. ट्रा. को नये 100 कि.वा.मी.वे. ट्रा. द्वारा प्रतिस्थापना	1995-96
पश्चिम बंगाल	कुर्सियांग	मौजूदा 20 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का 50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. द्वारा प्रतिस्थापना	मार्च, 1995
	कलकत्ता	200 कि.वा. मी.वे. ट्रा. का उन्नयन	1995-96
	कलकत्ता दो	10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर का प्रावधान	1994-95
अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट	अल्प शक्ति ट्रा. का 10 कि.वा.मी.वे. ट्रा. द्वारा उन्नयन	जून, 1994
	तेजू	अल्प शक्ति ट्रा. का 10 कि.वा.मी.वे. ट्रा. द्वारा उन्नयन	जून, 1994

1	2	3	4
	तंवाग	अल्प शक्ति ट्रा.का 10 कि.वा.मी.वे. ट्रा. द्वारा उन्नयन	1994-95
	ईटानगर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रा. का प्रावधान	1994-95

[अनुवाद]

हज यात्री

*617. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समुद्र मार्ग से जाने वाले हज यात्रियों को राजसहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जलयानों द्वारा इस राजसहायता का परिकलन "न हानि, न लाभ" के आधार पर किया जाता है अथवा संचालन लाभ के आधार पर;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष जलयानों द्वारा प्रथम श्रेणी और शायिका (बंक) श्रेणी के लिए कितने-कितने किराये की मांग की गई और हज यात्रियों द्वारा वास्तव में कितना-कितना किराया दिया गया;

(घ) हज यात्रियों की कुल संख्या क्या है और जलयानों को वर्ष-वार कितनी राशि दी गई अथवा दिये जाने का प्रस्ताव है, और

(ङ) राजसहायता दिये जाने तथा संचालन लागत में वृद्धि होने के बावजूद किराये को स्थिर रखने के क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड हज सेवा को "न लाभ न हानि" के आधार पर प्रचालित कर रहा है और इसी आधार पर सब्सिडी की गणना की जाती है।

(ग) भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, तीर्थ यात्रियों से किन्हीं विशिष्ट किरायों का दावा नहीं करता। जहाज से यात्रा करने वाले हज तीर्थ यात्रियों के लिए केन्द्र सरकार किराया नियत करती है। ये किराए, राज्य/केन्द्रीय हज समितियों द्वारा वसूले जाते हैं और भा.नौ.नि. के खाते में जमा कर दिए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम श्रेणी और बंक श्रेणी के लिए तीर्थ-यात्रियों द्वारा वस्तुत अदा किए गए किराए निम्न प्रकार है :

	प्रत्येक पूरे चक्कर के लिए प्रतियात्री किराया	
	1991	1992 तथा 1993
	एम.वी. अकबर (रुपये)	(एम.वी. निकोबार) (रुपये)
केबिन श्रेणी		
(क) 2-बर्थ केबिन	8000	8750
(ख) 4-बर्थ केबिन	जहाज में उपलब्ध नहीं है।	8500
(ग) 6-बर्थ केबिन	8000	8250
बंक श्रेणी	3000	3750

(घ) पिछले तीन वर्षों के लिए भारतीय नौवहन निगम लि. को दी गई/देय सब्सिडी की राशि और तीर्थ-यात्रियों की कुल संख्या निम्न प्रकार है :–

वर्ष	तीर्थ यात्रियों की संख्या		भा.नौ.नि. को दी गई/देय सब्सिडी
	जाने वाले	आने वाले	(लाख रु.)
1991	4552	4496	385.12
1992	4751	4707	469.60
1993	4592	4565	549.09 (अनुमानित)

वापस आने वाले यात्रियों की संख्या कम है क्योंकि कभी-कभी कुछ तीर्थयात्री वायुयान द्वारा वापस आना पसंद करते हैं।

(ङ) केबिन श्रेणी के किराए 1991 में और फिर 1992 में संशोधित किए गए थे। 1992 में बंक श्रेणी का किराया भी संशोधित किया गया था। यद्यपि अधिकांश यात्री वायुयान द्वारा यात्रा करते हैं फिर भी समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कुछ तीर्थयात्रियों के लिए नौवहन सेवा बनाए रखी गई है। तुलनात्मक रूप से गरीब और अल्प संपन्न तीर्थयात्रियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार प्रचालन लागत में वृद्धि होने के बावजूद जहाज द्वारा यात्रा करने

वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रियायती किराया सुनिश्चित करने का प्रयास करती रही है। चूंकि हज सेवा, केन्द्र सरकार के विदेशों के अनुसार भारतीय नौवहन निगम द्वारा प्रचालित की जाती है, इसलिए संतुलन (ब्रेक ईवन) स्तर से कम किराए नियत करने के कारण सेवा के प्रचालन में भा.नौ.नि. को हुए घाटे की पूरी प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा भा.नौ.नि. को की जाती है।

मछली पालन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

*618. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मछली-पालन और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक जैसी आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का है;

(ख) यह किन-किन क्षेत्रों में संभव है; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रकार की योजनाओं में शामिल किया जायेगा।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गांगोई) : (क) और (ख) सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत मछली की खरीद, संरक्षण, प्रसंस्करण, परिवहन और विपणन की आधारभूत सुविधाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देती है। इनमें से कुछ आधारभूत सुविधाओं जैसे प्रसंस्करण संयंत्र, कोल्ड स्टोरेज आईस प्लांट, प्रशीतित परिवहन आदि का इस्तेमाल एक्वाक्लचर और गहन समुद्र मत्स्यन क्षेत्र दोनों द्वारा किया जाता है।

(ग) इनमें से कुछ स्कीमों के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है।

जल विद्युत उत्पादन

*619. **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल विद्युत उत्पादन की राज्यवार सम्भावित क्षमता क्या है;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं तथा उनकी क्षमता और वर्तमान विद्युत उत्पादन कितना-कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री एन.के.पी. साल्वे) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह अनुमान लगाया है कि भारत की जल विद्युत भव्यता 60 प्रतिशत भार अनुपात पर **84044 मे.वा.** है। शक्यता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 30.4.94 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय क्षेत्र के 17 जल विद्युत केन्द्र हैं, जिनकी

अधिष्ठापित क्षमता 4518.50 मे.वा. है और राज्य क्षेत्र के 165 जल विद्युत केन्द्र हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 15445 मेगावाट है। 1993-94 के दौरान सभी जल विद्युत केन्द्रों का कुल विद्युत उत्पादन 70311 मि. यूनिट था।

(ग) से (ङ) जी, हां। 18155.55 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता की 93 स्वीकृत और निर्माणाधीन स्कीमें हैं। ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

जल विद्युत शक्यता विकास की स्थिति

(राज्यवार)

शक्यता पर आधारित — 30-4-94 की स्थिति के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	60 प्रतिशत भार अनुपात पर अनुमानित शक्यता (मे.वा.)
1	2
उत्तरी	
जम्मू एवं कश्मीर	7487.00
हिमाचल प्रदेश	11647.00
पंजाब	922.00
हरियाणा	64.000
राजस्थान	291.00
उत्तर प्रदेश	9744.00
उप जोड़ (उ.से.)	30155.00
पश्चिमी	
मध्य प्रदेश	2774.00
गुजरात	409.00
महाराष्ट्र	2460.00
गोवा	36.00
उपजोड़ (प.क्षे.)	5679.00

1	2
दक्षिणी	
आन्ध्र प्रदेश	2909.00
कर्नाटक	4347.00
केरल	2301.00
तमिलनाडु	1206.00
उपजोड़ (द.क्षे.)	10763.00
पूर्वी	
बिहार	538.00
उड़ीसा	1983.00
प. बंगाल	1786.00
सिक्किम	1283.00
उप जोड़ (पू.क्षे.)	5590.0
उत्तर पूर्वी	
मेघालय	1070.00
त्रिपुरा	9.00
मणिपुर	1176.00
असम	351.00
नागालैण्ड	1040.00
अरुणाचल प्रदेश	26756.00
मिजोरम	1455.00
उप जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र)	31857.00
अखिल भारत	84044.00

विवरण-II

स्वीकृत/चालू जल विद्युत स्कीमें

(3 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता)

(1 5 199 की स्थिति के अनुसार)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का नवीनतम कार्यक्रम
1	2	3	4
केन्द्रीय क्षेत्र			
1.	नाथपा झाकरी (एनजेपीसी) हि.प्र.	6×250	98-99
2.	दुलहस्ती (एन.एच.पी.सी.) जम्मू एवं कश्मीर	3×130	96-97 (यूनिट-1)
3.	सलाल-2(एन.एच.पी.सी.) जम्मू और कश्मीर	3×115	94-95
4.	उरी (एन.एच.पी.सी.) जम्मू एवं कश्मीर	4×120	96-97
5.	टिहरी चरण-1 (टीएचडीसी) उत्तर प्रदेश	4×250	9वीं योजना
6.	धौलीगंगा चरण-1 (एन.एच.पी.सी.) उत्तर प्रदेश	4×70	2000-01
7.	कोयलकारो (एन.एच.पी.सी.) बिहार	4×172.5 +1×120	98-2001
8.	रंगीत-3 (एन.एच.पी.सी.) सिक्किम	3×20	96-97
9.	दोयांग (नीपको) नागालैण्ड	3×25	96-98

1	2	3	4
10.	रंगानदी (नीपको) अरुणाचल प्रदेश	3×135	96-98
11.	कोपिली विसतार (नीपको) असम	2×250	96-97
	उप जोड़	5115 मे.वा.	

*अब 2 यूनिटों को रोल कर दिया गया है।

स्वीकृत/चालू जल विद्युत स्कीमें

(3 मेगावाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता)

क्रम संख्या	परियोजना राज्य का नाम	अधिष्ठापित क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का नवीनतम कार्यक्रम
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
1.	दादुपुर हरियाणा	4×1.5	1996-97
2.	बनेर हिमाचल प्रदेश	3×4	1995-96
3.	गाज हिमाचल प्रदेश	3×3.5	1995-96
4.	थिरोट हिमाचल प्रदेश	3×1.5	1995-96
5.	लारजी हिमाचल प्रदेश	3×42	1998-99
6.	अपर सिन्ध-2 जम्मू एवं कश्मीर	2×35	1995-96
7.	अपर सिन्ध विस्तार जम्मू एवं कश्मीर	1×35	1996-97

1	2	3	4
8.	कारगिल जम्मू एवं कश्मीर	3×1.25	1994-95
9.	किशनगंगा जम्मू एवं कश्मीर	3×110	9वीं योजना के बाद
10.	शाहपरकण्डी पंजाब	2×40+ 2×40+ 1×8	9वीं योजना
11.	रणजीत सागर पंजाब	4×150	1996-98
12.	जाख्म राजस्थान	2×2.5	नौवीं योजना
13.	श्रीनगर उत्तर प्रदेश	6×55	1997-98
14.	सोबला उत्तर प्रदेश	2×3	1995-96
15.	लखवाड़ व्यासी उत्तर प्रदेश	3×100+ 2×60	1998-99
16.	मनेरी भाली-2	4×76	1997-98
	उप जोड़	2430.75	
प. क्षेत्र			
1.	कदाना पीएसएस (विस्तार) गुजरात	2×60	1995-96
2.	सरदार सरोवर गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	6×200+ 5×50	1995-96
3.	बाणसागर टोन्स फेज-2 एवं 3 (मध्य प्रदेश)	2×51+ 3×20	1996-97

1	2	3	4
4.	हसदेव बांगो मध्य प्रदेश	3×40+	1994-95
5.	नर्मदा सागर (इन्दिरा सागर) मध्य प्रदेश	8×125	1999-2000
6.	बाण सागर फेज-4 मध्य प्रदेश	2×10	1996-97
7.	बोधघाट मध्य प्रदेश	4×135	9वीं योजना के बाद
8.	राजघाट उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश	3×15	1995-96
9.	भण्डारडारा चरण-2 महाराष्ट्र	1×34	1995-96
10.	मनिकडोह महाराष्ट्र	1×6	1994-95
11.	सूर्या महाराष्ट्र	1×6	1994-95
12.	वारना महाराष्ट्र	2×8	1995-96
13.	कोयना चरण-4 महाराष्ट्र	4×250	1996-98
14.	दुधगंगा महाराष्ट्र	2×12	1995-96
15.	हिम्मे महाराष्ट्र	1×5	1994-95
16.	घाटघर पी.एस.एस. महराष्ट्र	2×125	1999-2000
	उप जोड़	4646 मे.वा.	

*1 यूनिट 1993-94 में पहले ही चालू की जा चुकी है।

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
1.	श्री सेलम एल.बी.पी.एच. आन्ध्र प्रदेश	6×150	1996-99
2.	अपर सिलेरू-2 आन्ध्र प्रदेश	2×60*	1994-95
3.	गुंटूर कैनाल-1 आन्ध्र प्रदेश	2×2	1995-96
4.	गुंटूर कैनाल-2 आन्ध्र प्रदेश	2×2.25	1995-96
5.	सिंगर आन्ध्र प्रदेश	2×7.5	1995-96
6.	सीमासिला आन्ध्र प्रदेश	2×5	9वीं योजना
7.	कालीमेला आन्ध्र प्रदेश	2×30	1997-98
8.	डाडेली कर्नाटक	2×30	9वीं योजना
9.	कालीनदी-2 कर्नाटक	3×40+3×50	1995-97
10.	बृन्दावन कर्नाटक	2×6	1996-97
11.	भाद्रा आर.बी.सी. कर्नाटक	1×6	1996-97
12.	शारावती कर्नाटक	4×60	1995-97
13.	गंगावाली कर्नाटक	2×105	1999-2000

1	2	3	4
	*यूनिट् 1 पहले ही चालू की जा चुकी है।		
14.	लोअर पेरियार केरल	3×60	1995-96
15.	मुवात्तुपूझा केरल	2×3.5	1995-96
16.	कक्काड केरल	2×25	1995-96
17.	कल्लाडा केरल	2×7.5*	1994-95
18.	पोरिंगलकुथु विस्तार (यूनिट-4) केरल	1×16	1996-97
19.	कुट्टियाडी विस्तार केरल	1×50	1996-97
20.	पूयानकुट्टी केरल	2×120	9वीं योजना
21.	लोअर भवानी आर.बी.सी. तमिलनाडु	2×4	9वीं योजना
22.	सथनूर डैम तमिलनाडु	1×75	1995-96
23.	कुण्डाह-5 विस्तार तमिलनाडु	1×30	9वीं योजना
24.	पाईकारा अल्टीमेट चरण तमिलनाडु	3×50	1997-90
	उप जोड़	2597.5 मे.वा.	

*यूनिट 1 पहले ही 1993-94 में चालू की जा चुकी है।

पूर्वी क्षेत्र

1.	पूर्वी गण्डक बिहार	3×5	1994-95

1	2	3	4
2.	सोन ईस्टर्न कैनाल बिहार	2×1.65	1994-95
3.	चान्दिल बिहार	2×4	1995-96
4.	उत्तरी कोयल बिहार	2×12	1995-96
5.	अपर इन्दरावती उड़ीसा	4×150	1994-97
6.	पोत्तेरू उड़ीसा	2×3	1995-96
7.	वालीमेला-2 उड़ीसा	2×60	9वीं योजना
8.	बारगढ़ कैनाल उड़ीसा	3×3	9वीं योजना
9.	राम्मम चरण-2 प.बंगाल	4×12.5	1994-95
10.	तीस्ता फाल्स प. बंगाल	3×3×7.5	1994-96
11.	राम्मम चरण-1 प. बंगाल	3×12	9वीं योजना
12.	पुरूलिया पी.एस.एस. प. बंगाल	4×225	9वीं योजना
	उप जोड़	1838.8 मेगावाट	

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र

1.	नूरानांग आन्ध्र प्रदेश	3×2	1996-97

1	2	3	4
2.	धानसिरी असम	15×1.33	1995-96
3.	दालाईमा असम	3×2	1997-98
4.	सारजुई-6 मिजोरम	2×4.5	1998-99
5.	लिकिम्रो नागालैण्ड	3×8	1995-96
	उप जोड़	65 मेगावाट	

निजी क्षेत्र

1.	घान्वी मध्य प्रदेश	3×7.5	9वीं योजना
2.	उडल हिमाचल प्रदेश	4×17.5	9वीं योजना
3.	वास्पा एच.ई.पी. एच.पी.	3×100	9वीं योजना
4.	विष्णुप्रयाग उत्तर प्रदेश	4×100	9वीं योजना
5.	तावा एल.वी.सी. मध्य प्रदेश	2×6	1996-97
6.	महेश्वर मध्य प्रदेश	10×40	1998-2000
7.	भिरा पी.एस.एस.(टाटा) महाराष्ट्र	1×150	1994-95
8.	अनाक्कायाम केरल	2×4	1997-98
9.	कारबी लांग्पी, असम	2×250	1995-96
	उप जोड़	1462.50 मेगावाट	

सारांश

जोड़ (केन्द्रीय क्षेत्र)	5115.00 मेगावाट
जोड़ (राज्य क्षेत्र)	11578.05 मेगावाट
जोड़ (निजी क्षेत्र)	1462.50 मेगावाट
अखिल भारत जोड़	18155.55 मेगावाट

[हिन्दी]

सीमेंट से बनी सड़कें

*620. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़कें बनाने में तारकोल के स्थान पर सीमेंट का प्रयोग करने का है;

(ख) क्या सीमेंट से बनी सड़कें, तारकोल से बनी सड़कों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विशेष अध्ययन कराया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और उन राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम क्या हैं जिन्हें परीक्षण के तौर पर सीमेंट की सड़कों में बदलने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

फरक्का तापीय परियोजना-4

6647. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में फरक्का ताप विद्युत परियोजना, एकक चार के "इलेक्ट्रो-स्टैटिक प्रिसिपिटेटर" के गिर जाने के कारण अनुमानतः कुल कितना घाटा हुआ;

(ख) फरक्का ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्धित एकक में कब तक वाणिज्यिक रूप से विद्युत उत्पादन आरम्भ हो जाएगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार और एन.टी.पी.सी. के एक विशेषज्ञ दल ने परियोजना के गिरने से पूर्व इसमें कुछ कमियों का पता लगाया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.सी.पी.) ने एक जांच समिति का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) का एक प्रतिनिधि भी शामिल किया है ताकि फेल होने का कारण और क्षति परिमाण की जांच-पड़ताल की जा सके। जांच समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही हानि का अनुमान लगाया जा सकेगा।

(ख) फरक्का यूनिट 4 से विद्युत उत्पादन को आरंभ अक्तूबर, 1994 के बाद होने की प्रत्याशी है, जो कि इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपीटेटर के चार पासों में से 3 पासों पर आवश्यक कार्यों को पुनः करने के बाद ही होगा। यूनिट पूर्ण भार पर वाणिज्यिक प्रचालन के कार्यक्रम का निर्धारण, नींव के लिए उपायों में संशोधन और इलैक्ट्रिोटेटिक प्रैसिपिटेटर के चौथे पासे पर आपूर्ति और उत्थापन के लिए समय अवधि के सुनिश्चित किए जाने के बाद ही होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दूरदर्शन में घोटाला

6648. **श्री मोहन सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 मार्च, 1994 के जनसत्ता में "दूरदर्शन में होने वाले घोटालों की जांच कराने की मांग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) दूरदर्शन ने इस सम्बन्ध में निर्माता द्वारा प्रकाशन अधिकार का उल्लंघन करने सम्बन्धी कोई मामला नहीं पाया था।

विद्युत क्षेत्र पर राष्ट्रीय कार्य दल

6649. **श्री राम नाईक : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत क्षेत्र पर राष्ट्रीय कार्य दल द्वारा संसद सदस्यों को हाल ही में जारी किए गए पत्र के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या नये निजी संयंत्रों के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत मंत्रालय द्वारा किए गए लागत अनुमानों में काफी अन्तर है; और

(ग) विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मांग के अनुमान का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) विद्युत ऊर्जा मांग प्रक्षेपण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित 14वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट में किए मांग प्रक्षेपण के अनुसार 2000 ईस्वी तक, अपेक्षित ऊर्जा 517005 मि.कि.वा. आवर और व्यस्ततमकालीन मांग 91191 मेगावाट होगी।

आप्टिक फाइबर का उत्पादन

6650. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आप्टिक फाइबर का कितना उत्पादन होता है और इस शताब्दी के अंत तक इसकी अनुमानित मांग कितनी होगी;

(ख) आप्टिक फाइबर की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और अभी इसका कितना आयात किया जाता है;

(ग) क्या किसी विदेशी निवेशक ने देश में आप्टिक फाइबर के नए संयंत्रों की स्थापना में रुचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान ऑप्टिकल फाइबर केबिल का उत्पादन लगभग 6000 रूट किलोमीटर था। इस शताब्दी के अंत तक इसकी कुल अनुमानित आवश्यकता लगभग 40,000 रूट किलोमीटर होगी।

(ख) आशा है कि आप्टिकल फाइबर केबिल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने हेतु इसके विनिर्माण के लिए पर्याप्त स्वदेशी क्षमता उपलब्ध हो जाएगी इस समय दूरसंचार विभाग द्वारा इस केबिल का आयात नहीं किया जा रहा है।

(ग) दूरसंचार विभाग को विदेशी निवेशकों से भारत में नया आप्टिकल फाइबर संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

फिल्मों का प्रमाणीकरण

6651. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा किन-किन भारतीय और विदेशी फीचर फिल्मों को प्रमाणपत्र देने से मना किया गया और जिन फिल्मों को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था उस प्रत्येक फिल्म द्वारा जिन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से किन-किन फिल्मों को संशोधित संस्करण पर प्रमाणपत्र दिए गए; और

(ग) उनमें से किन-किन फिल्मों को फिल्म प्रमाणीकरण अपील न्यायाधिकरण ने प्रमाण-पत्र दिया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें

6652. **श्री तारा सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की कुछ कम्पनियों ने भारतीय कम्पनियों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के विरुद्ध कुछ मामलों के संबंध में झूठी और मनगढंत जानकारी देने के लिए गम्भीर शिकायतें की हैं;

(ख) क्या जर्मन कंपनियां जर्मनी स्थित भारतीय दूतावास में शिकायतें दर्ज करती रही हैं;

(ग) क्या सरकार दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक हित में सम्बद्ध भारतीय कंपनियों को इन मामलों को निपटाने अथवा विदेशी कंपनियों को यथोचित मुआवजा देने के संबंध में निर्देश देगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) सरकार को भारतीय कम्पनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विरुद्ध जर्मन कम्पनियों द्वारा की गई कुछ वाणिज्यिक संबंधी शिकायतों की जानकारी है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। वाणिज्यिक किस्म की शिकायतों को दोनों संबंधित पक्षों को एक-दूसरे के साथ मिलकर सुलझाना होता है। जब कभी आवश्यक होता है, तो सरकार स्वयं भी इन मतभेदों को सुलझाने की यथा संभव कोशिश करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई-पुणे राजमार्ग

6653. **श्री गोविन्द राव निकाम** : क्या **ज़ल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई-पूणे के छः लेन वाले राजमार्ग को बिल्ड आपरेट ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं, और

(घ) इस परियोजना के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या दिशानिर्देश जारी किए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र सरकार से अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

6654. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में नए आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना कब तक की जाएगी ?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में आकाशवाणी की उन्नयनशील स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

केन्द्र	मौजूदा परियोजना	उन्नयन परियोजना
हैदराबाद	10 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
हैदराबाद	50 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर	2×100 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर
हैदराबाद	स्टूडियो	टाईप-4 स्थायी स्टूडियो

(ग) वर्तमान में, नालगौंडा में एक नये आकाशवाणी केन्द्र को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नालगौंडा में एक नये आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना साधनों की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

गुरू ग्रन्थ रत्नावली पर दूरदर्शन धारावाहिक

6655. **श्री प्रभु लाल रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये प्रयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत "गुरू ग्रन्थ रत्नावली" दूरदर्शन धारावाहिक का चयन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रसारण कब से शुरू किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) धारावाहिक को टेलीकास्ट किया जाना, दूरदर्शन द्वारा पायलट को अनुमोदित किए जाने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरा किए जाने पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

टेलीफोन बिलों की अदायगी

6656. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **संचार मंत्री** 13 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1573 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के मुख्य महाप्रबंधक को, गत वर्ष दक्षिण क्षेत्र में भूमिगत केबल्स में वर्षा के पानी के घुस जाने के कारण टेलीफोन्में के ठप्प पड़े रहने की अवधि के दौरान टेलीफोन किराये में छूट देने के संबंध में कई बार अभ्यावेदन देने के बावजूद भी इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने के क्यां कारण हैं;

(ख) क्या महाप्रबंधक महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (दक्षिण), नेहरू प्लेस, नई दिल्ली को भी अभ्यावेदन दिया गया था और अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्षेत्रीय प्रबंधक (दक्षिण) के पास अभी तक ऐसे कितने दावे लम्बिंत हैं तथा इन्हें कब तक निपटाया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ब्रिटिश कम्पनी द्वारा विद्युत संयंत्र की स्थापना

6657. **श्री गोपीनाथ गज़पति** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ब्रिटिश कम्पनी ने देश में विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु निविदा भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह विद्युत संयंत्र कहां-कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने हेतु यू.के. की तीन कम्पनियों ने अपनी रुचि प्रकट की है ब्यौरा निम्नवत है :

1. मै. अशोक लेलैण्ड एण्ड नेशनल पावर यू.के. की आन्ध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम टी.पी.एस. (1000 मेगावाट)
2. इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स एण्ड पावर जेन. यू.के. की उत्तर प्रदेश में राजा टी.पी.एस. (750 मेगावाट)
3. जय प्रकाश इन्डस्ट्रीज एण्ड नेशनल पावर यू.के. का कर्नाटक में मंगलोर टी.पी.एस. (1000 मेगावाट)

(घ) इन परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु सभी सम्बन्धित स्वीकृतियां प्राप्त करने में निजी प्रवतकों की सहायता की जा रही है।

दूरदर्शन का ई.एस.टी.वी. के साथ समझौता

6658. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **सूचना एवं प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने ब्रिटेन की केबल टी.वी. फर्म कम्पनी, ई.एस.टी.वी. के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) दूरदर्शन ने मैसर्स जी.एस. टी.वी. लंदन से समूचे ब्रिटेन व यूरोप में फैले कंपनी के सैटेलाइट चैनलों पर दिखाए जाने वाले कार्यक्रमों व समाचार बुलेटिनों (सीधा प्रसारण) से युक्त तीन घंटे रोज का कार्यक्रम (कैप्स्यूल) उसे देने के लिए एक समझौता किया है। आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध समझौते के अनुसार, दूरदर्शन के लोगों युक्त कार्यक्रम पहले तीन मास तक निःशुल्क सप्लाई किए जाएंगे। तत्पश्चात् जी.एस. टी.वी., प्रति घंटे के हिसाब से दूरदर्शन को अदायगी किया करेगा। इसके अलावा, दूरदर्शन के इन कार्यक्रमों से अर्जित सकल राजस्व (ग्राहकी/विज्ञापन/प्रयोजकता) का 10 प्रतिशत लाभांश भी मिला करेगा। 12 मास के नोटिस के जरिए यह समझौता किसी भी पक्ष की ओर से समाप्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के परिणाम

6659. **श्री साईमन मरान्डी** : क्या **इस्पात मंत्री** 12 दिसम्बर, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3467 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि इस मामले की जांच पूरी हो गई है और वे शीघ्र ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्र

6660. **श्री नुरूल इस्लाम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश पूर्वोत्तर क्षेत्र में कितने आकाशवाणी केन्द्र कार्यरत हैं और ये कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इस क्षेत्र में नए आकाशवाणी केन्द्र खोलने की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। विभिन्न मार्गों के साथ समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। साधनों की उपलब्धता, आवश्यकता, सम्भाव्यता आदि को ध्यान में रखते हुए इनकी पूर्ण रूप से जांच की जाती है, और उपयुक्त कार्रवाही की जाती है।

विवरण

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आकाशवाणी केन्द्रों के स्थान

क्र. सं.	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
2.	तवांग	अरुणाचल प्रदेश
3.	तेजू	अरुणाचल प्रदेश
4.	ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश
5.	गुवाहाटी	असम
6.	सिलचर	असम

1	2	3
7.	डिबूगढ़	असम
8.	जोरहाट	असम
9.	हाफर्लोंग	असम
10.	नौगांव	असम
11.	इम्फाल	मणिपुर
12.	शिलांग	मेघालय
13.	तूरा	मेघालय
14.	ऐजवाल	मिजोरम
15.	कोहिमा	नागालैण्ड
16.	अगरतला	त्रिपुरा
17.	कैलाशहर	त्रिपुरा
18.	बेलोनिया	त्रिपुरा

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन एक्सचेजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलना

6661. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजो को अब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है; और

(ख) इन एक्सचेंजों को कब तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पश्चिमी बंगाल में ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1994-95 के दौरान 73 टेलीफोन एक्सचेंजों और 1995-96 के दौरान 40 टेलीफोन एक्सचेंजों को इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज में बदलने की योजना है और शेष 26 टेलीफोन एक्सचेंजों को उनकी निर्धारित मियाद समाप्त होने पर उत्तरोत्तर रूप से इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया जाएगा।

विवरण

पश्चिम बंगाल के उन टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम जिन्हें अभी तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में नहीं बदला गया है

क्रम सं॰	एक्सचेंज का नाम
1	2
1.	बांकुरा
2.	दुर्गापुर-इडस्ट्रीस
3.	पुर्रवान
4.	दुर्गापुर-स्टील
5.	दार्जिलिंग
6.	बहुला
7.	बुर्रनपुर
8.	सूरी
9.	कूचबेहड़
10.	कलिन पोंग
11.	कुरशियांग
12.	बागडोगरा
13.	तरकेश्वर
14.	मालदा यूनिट-I
15.	मालदा यूनिट-II
16.	खड़गपुर
17.	डायमंड हारबर
18.	हलदिया-इडस्ट्रीस

1	2
19.	मिदनापुर
20.	दुर्गाचक
21.	कांडी
22.	कृष्णानगर
23.	परूलिया
24.	बलूर घाट
25.	रायगंज
26.	बसीरहाट
27.	मेमरी
28.	बेरहामपुर
29.	सिलिगुडी
30.	रानीगंज
31.	धात्रीग्राम
32.	कंद्रा
33.	मंडल ग्राम
34.	नंदन घाट
35.	पंचाननताला
36.	पतुली
37.	समुद्र गढ़
38.	अंडी
39.	असापाड़ा
40.	बिश्नुपुरा

1	2
41.	डोमकल
42.	जलंगी
43.	खैरसोल
44.	मयूरेश्वर
45.	मुरारई
46.	नाबाग्राम
47.	नागर
48.	नासीपुर बालागंच
49.	पंचग्राम
50.	पंचीथूपी
51.	पटिकाबाड़ी
52.	पुरन्दरपुर
53.	राजनगर
54.	रानीनगर
55.	सागर दिघी
56.	सागरपाड़ा
57.	सलार
58.	सतूई
59.	तन्लीपाड़ा
60.	तारापीठ
61.	अजाध्या
62.	बसंती

1	2
63.	चित्रसेनपुर
64.	दासघारा
65.	धनियाखली
66.	गंगाधरपुर
67.	गरपोटा
68.	गौरहाटी
69.	गुपतीपाड़ा
70.	हेलन
71.	टेलेंचा
72.	जगतबलदेवपुरा
73.	मंगीपाड़ा
74.	कानपुर पुरास
75.	खतूल
76.	कुलियापुरा
77.	मालोयपुर
78.	मुथाडंगा
79.	नैसराय
80.	पंचला
81.	पत्थरप्रतिमा
82.	राजबलहाट
83.	उदयनारायण पुर
84.	बार्कसरहाट

1	2
85.	गोटपट्टी
86.	ब्रजपुर
87.	धुपगुड़ी
88.	जयगांव
89.	जटेसवर
90.	कामाक्शच गुड़ी
91.	कुमार ग्रम
92.	निशीगंज
93.	शीतल गंज
94.	इनटोन
95.	कांलिदी
96.	मरहोताला
97.	नचिंदा
98.	परमानंदपुर
99.	बडूकलला
100.	बेयूआदहाड़ी
101.	बीरनगर
102.	चकदश
103.	दयरे बाजार
104.	फुलिया
105.	जोनिया मालुका
106.	मदनपुर

1	2
107.	मलिऐरी
108.	मुरागच्छा
109.	नजीरपुर
110.	गोपालगंज
111.	हेमताबाढ
112.	कुशमंडी
113.	रामपुर
114.	सोनापुरहाट
115.	झालोंग
116.	पुरूलिया
117.	चांदपाड़ा बाजार
118.	बुनियाद पुर
119.	बडा-अंदुलिया
120.	जलपाई गुड़ी कलकत्ता
121.	टेरेट्टा बाजार-1 (25)
122.	टेरेट्टा बाजार-(27)
123.	सातट लेक (31)
124.	जादवपुर (72)
125.	बहेला (77)
126.	मानिकाताला (36)
127.	कोशीपुर (52)
128.	सेरामपुर (62)

1	2
129.	हावड़ा (68)
130.	टेरेट्टा बाजार-III (26)
131.	इनतल्ली (29)
132.	रूशा (42)
133.	अलीपुर (49)
134.	कालीघाट (48)
135.	बाघ बाजार (54)
136.	डुम डुम (59)
137.	उत्तर पाड़ा (64)
138.	अमतोला (615)
139.	उलूबेरिया (613)

भारत-पाकिस्तान के राजनयिकों हेतु वीजा

6662. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान दोनों ने हाल ही में अपने राजनियकों हेतु कार्यभार वीजा पर लगी रोक को हटा दिया है;

(ख) किन कारणों से दोनों देशों ने कार्यभार वीजा पर रोक लगाई थी;

(ग) पाकिस्तान द्वारा मई, 1993 में रोक लगाने के बाद से कार्यभार वीजा के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित थे;

(घ) नीति में परिवर्तन और रोक हटाने के पीछे क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कार्यभार वीजाओं पर से रोक हटा लेने से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में सुधार आयेगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (च) 19 अगस्त, 1929 को दोनों देशों के बीच सम्पन्न भारत और पाकिस्तान में राजनयिक/कोंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार के लिए आचरण की संहिता के अनुसार एक-दूसरे के देश के राजनयिक मिशन में तैनात होने वाले कार्मिकों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर प्रतिस्थापन वीजा दिया जाएगा। खेद की बात है कि पाकिस्तान ने हमारे मिशनों में तैनात होने वाले भारतीय अधिकारियों को कार्यनियोजन वीजा जारी करने में असाधारण देर की। इस के कारण कार्य-नियोजन वीजा के लिए 37 भारतीय अनुरोध इक्ट्ठे हो गए। राजनयिक माध्यमों से लगातार और जोरदार प्रयासों के बाद यह समस्या सुलझ गई जब पाकिस्तान ने मार्च, 1994 के अन्त में सभी बकाया कार्य नियोजन वीजा जारी कर दिए।

सरकार यह उम्मीद करती है कि पाकिस्तान की सरकार भविष्य में पाकिस्तान में भारतीय मिशनों के सुचारू रूप से कार्य संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए आचार संहिता के अन्तर्गत वचन-बद्धताओं और दायित्वों का पालन करेगी।

डिबूगढ़ दूरदर्शन केंद्र

6663. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिबूगढ़ दूरदर्शन केंद्र का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार डिबूगढ़ दूरदर्शन केंद्र द्वारा निर्मित कार्यक्रमों के प्रसारण समय में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो डिबूगढ़ में दूसरा चैनल कब से आरंभ हो जाएगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) इस प्रयोजन हेतु संसाधनों तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों को सड़कों से जोड़ना

6664. **श्रीमती सूर्यकान्ता पाटिल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) संभवतः माननीय सदस्य का आशय अंतर्राज्यीय अथवा आर्थिक महत्व की राज्जीय सड़कों की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना से है। महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ 8वीं पंचवर्षीय योजना में उक्त योजना के तहत रा.रा. 17 को जोड़ने के लिए 400.00 लाख रु. की लागत की वीर ढोल पुल और खाड के बीच बाईपास सड़क के निर्माण का एक प्रस्ताव भेजा है।

कण्णनोर, केरल में एफ.एम. रेडियो स्टेशन

6665. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कण्णनोर, केरल में एफ.एम. रेडियो स्टेशन के विकास/विस्तार संबंधी कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितना आबंटन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रांसमीटर बहुद्देशीय स्टूडियों आदि से युक्त कन्नानूर स्थित आकाशवाणी केंद्र 4-5-91 को चालू हो गया था। यह कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं से सज्जित सर्वांगपूर्ण आकाशवाणी केंद्र के रूप में परिकल्पित किया गया था। फिलहाल इस केंद्र के विकास/विस्तार का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पंचायतों की टेलीफोन सुविधा

6666. **श्री रामपाल सिंह** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा दी गई है;

(ख) क्या सभी टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(घ) शेष गांवों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में 3524 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। पुरानी एम.ए.आर.आर. प्रणालियों पर प्रदान किए गए कुछ टेलीफोन संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। विभाग, विनिर्माताओं से इन प्रणालियों को ठीक करवा रहा है। इसके अतिरिक्त, अधिक विश्वनीय नए आधुनिक उपस्कर भी शामिल किए जा रहे हैं।

(घ) प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश में 31-3-1995 तक सभी पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव था, परन्तु पर्याप्त मात्रा में स्वदेशी उपस्कर प्राप्त करने में विलम्ब तथा आधारभूत अवसंरचना संबंधी अन्य कठिनाइयों के कारण अब ग्राम पंचायतों में संभवतः 31-3-1996 तक तथा अन्य सभी ग्रामों में संभवतः 2000 ई. तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

सद्भावना शिष्टमंडल पर व्यय

6667. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सऊदी अरब में सद्भावना शिष्टमंडल भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना व्यय हुआ और 1994-95 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) 1993-94 के दौरान इन शिष्टमंडलों में गए व्यक्तियों की सूची क्या है; और

(घ) ऐसे सद्भावना शिष्टमंडलों का उद्देश्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां। भारत सरकार हर वर्ष हज के अवसर पर सद्भावना शिष्टमंडल सऊदी अरब भेजती रही है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

1991-92	30.64 लाख रुपये
1992-93	54.06 लाख रुपये
1993-94	92.26 लाख रुपये

वर्ष 1994 के लिए सद्भावना शिष्टमंडल के स्वरूप को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) वर्ष 1993 के हज के लिए शिष्टमंडल के सदस्यों की एक सूची संलग्न विवरण में है।

(घ) भारत हर वर्ष हज यात्रियों का एक बड़ा दल सऊदी अरब भेजता है। हज सद्भावना शिष्टमंडल को भेजने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सद्भावना बढ़ाना, अन्य देशों से आए इसी

प्रकार को शिष्टमंडलों के साथ संपर्क करना, हज के प्रबंधों के लिए सऊदी प्राधिकरण के साथ संपर्क करना और हमारे हजयात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में और सुधार करने के लिए प्रबंधों को देखना है।

विवरण

वर्ष 1993 के हज के लिए भारत सरकार के सद्भावना शिष्टमंडल का स्वरूप

1.	श्री पी.एम. सईद गृह राज्य मंत्री	नेता
2.	श्री सलामतुल्लाह	उप नेता
3.	श्री मोहम्मद अकबर पाशा संसद सदस्य (तमिलनाडु)	
4.	मुफ्ती मंजूर साहिब, कानपुर (उत्तर प्रदेश)	
5.	श्री गुलाम रसूल माटो, संसद सदस्य, कश्मीर	
6.	श्री सईद अहमद महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्य और भूतपूर्व मंत्री	
7.	मौलाना जुनैद साहेब, बनारस (यू.पी.)	
8.	कारी हिफ्जुर रहमान, बिहार	
9.	श्री टी.एच. मुस्तफा खाद्य मंत्री केरल सरकार तिरूअन्नतापुरम्	
10.	कैप्टन अयूब खान संसद सदस्य (लोक सभा)	
11.	मौलाना जमील अहमद इज्यासी (अखिल भारतीय इमाम परिषद)	
12.	श्री शाफेत हुसैन, सदस्य, जेड.आर.यू.सी.सी. (एन आर) 57, नाग सिनेमा रोड, लखनऊ	

13. डा॰ मोहम्मद फजल रहमान
 सहायक निदेशक
 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नालॉजी, हैदराबाद

14. श्री मोतलुर रहमान
 महासचिव, बिहार (पीसीसी)

15. श्री गुलाम रसूल कर,
 अध्यक्ष
 पीसीसी कश्मीर

16. मोहम्मद इलयास
 मार्फत मोहम्मद युनुस सलीम
 एम॰पी॰

17. श्री ई॰टी॰ मोहम्मद बशीर
 शिक्षा मंत्री
 केरल राज्य सरकार

18. डा॰ काजी गजान्फर अली... सदस्य सचिव
 संयुक्त सचिव
 संघ लोक सेवा आयोग
 नई दिल्ली।

[हिन्दी]

दूरदर्शन स्टूडियो

6668. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का विचार कौन-कौन से स्थानों पर दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने का है और इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आगरा में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के॰पी॰ सिंह देव) : (क) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मथुरा में एक पी॰जी॰एफ॰ केंद्र स्थापित किए जाने की परिकल्पना है जो आगरा सहित इस क्षेत्र की सांस्कृतिक आवश्यकता को पूरी करेगा।

विवरण

कार्यान्वयानधीन/स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित कार्यक्रम निर्माण सुविधा परियोजना

राज्य	स्थान
1	2
आंध्र प्रदेश (3)	1. विजयवाड़ा
	2. विजग
	3. वारंगल
अरुणाचल प्रदेश (1)	4. ईटानगर
बिहार (4)	रांची (विस्तार)-1
	पटना (विस्तार)-2
	5. मुजफ्फरपुर
	6. डाल्टनगंज
गुजरात (1)	राजकोट (विस्तार)-3
हरियाणा (1)	हिसार
हिमाचल प्रदेश (1)	8. शिमला
जम्मू और कश्मीर (1)	श्रीनगर (विस्तार)-4
कर्नाटक (1)	9. गुलबर्गा
केरल (1)	10. त्रिचूर
मध्य प्रदेश (3)	11. रायपुर

1	2
	12. ग्वालियर
	13. जगदलपुर
महाराष्ट्र (3)	बम्बई (विस्तार)-5
	नागपुर (विस्तार)-6
	14. पुणे
मिजोरम (1)	15. आईज्ज्वल
उड़ीसा (2)	16. सम्बलपुर
पंजाब (1)	17. भवानीपटना
राजस्थान (1)	18. पटियाला
सिक्किम (1)	19. उदयपुर
तमिलनाडु (2)	20. गंगटोक
	मद्रास (चैनल-2) (विस्तार)-7
उत्तर प्रदेश (5)	21. सलेम
	22. बरेली
	23. मऊ
	24. इलाहाबाद
	25. मथुरा
पश्चिम बंगाल (3)	26. वाराणसी
	कलकत्ता (2 चैनल) (विस्तार)-8
	27. सिलीगुड़ी
	28. शान्तिनिकेतन
संघ शासित क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (1)	29. पोर्ट ब्लेअर

चंडीगढ़ (1)	30. चंडीगढ़	
दिल्ली (1)	दिल्ली (दूरदर्शन भवन) (विस्तार)-9	
	नये कार्यक्रम निर्माण केंद्र	30
	कार्यक्रम निर्माण केंद्रों का विस्तार	9
		39

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन का दूसरा चैनल

6669. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्य भागों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूरदर्शन का दूसरा चैनल शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। मैटो चैनल कार्यक्रमों के रिले का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित देश के राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में चरणबद्ध रूप से विस्तार करने का प्रस्ताव है जोकि इस उद्देश्य के लिए संसाधनों, उपस्कर एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) स्थलीय ट्रांसमिशन के विस्तार हेतु उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न शक्तियों के 28 टी.वी. ट्रांसमीटर और 2 कार्यक्रम निर्माण केंद्र कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

उपर्युक्त में से 6 ट्रांसमीटर तथा 1 कार्यक्रम निर्माण केंद्र अरुणाचल प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं।

स्वर्ण आयोग का गठन

6670. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने देश में स्वर्ण खनन को बढ़ावा देने के लिए एक स्वर्ण आयोग गठन करने की संस्तुति की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हरियाणा में विभागेत्तर टिकट विक्रेता

6671. **श्री राजेश कुमार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 में हरियाणा में विशेष तौर पर गुड़गांव के विभन्न प्रधान डाकघरों में कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को सेवा मुक्त किया गया है;

(ख) कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को अब तक पुन : नियुक्त किया गया है;

(ग) गुड़गांव प्रधान डाकघर के कितने विभागेत्तर टिकट विक्रेताओं को अब तक पुनः नियुक्त नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक उन्हें पुनः नियुक्त कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

अमरीका में पाकिस्तान का दुष्प्रचार

6672. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जनवरी, 1994 के जनसत्ता में "अमरीका में भारत विरोधी प्रचार की जवाबी मुहिम चलायी जाये" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान अमरीका में कश्मीर के संबंध में अंधाधुंध दुष्प्रचार कर रहा है और उस देश में इस दुष्प्रचार का प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे दूतावास तथा वाणिज्य दूतावासों के पास साधनों का अभाव है;

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अधिवेशन में भाग लेकर लौटे भारतीय शिष्टमंडल के सदस्यों ने भी यही विचार व्यक्त किये हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा संसाधनों में अत्यधिक कटौती किये जाने के क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) इस मुद्दे को सही रूप में प्रस्तुत तथा प्रचार करने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान भारत विरोधी तत्वों की सहायता से अमेरिका में कश्मीर के बारे में एक

जोरदार प्रचार अभियान चला रहा है। भारतीय राजदूतावास तथा कौसलावासों को इस प्राकर के प्रचार का खण्डन करने के लिए प्रर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं।

(ग) पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 48वें अधिवेशन के दौरान पाकिस्तान के मुद्दे को केंद्र बिन्दु बनाकर भारत के विरुद्ध एक सघन प्रचार अभियान शुरू किया। भारत ने कश्मीर की स्थिति के बारे में वास्तविकता को सामने रखकर इस अभियान का जोरदार प्रतिकार किया खासतौर पर कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान की ओर से मिलने वाली शह के संदर्भ में और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इसकी ओर आकर्षित किया।.संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के भारी बहुमत ने भारत की स्थिति को समझा सरकार ने इस बात को समझ लिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में और बड़े पैमाने पर प्रचार प्रयासों की आवश्यकता है।

(घ) और (ङ) सरकार ने अमेरिका में अपने पक्ष का प्रचार प्रसार करने वाली एक फर्म की सेवाएं ली हैं ताकि भारत विरोधी दुर्भावनापूर्ण प्रचार का प्रतिकार करने में अपने मिशनों और कौसंलावासों के प्रयासों को समर्थन मिल सके। सरकार कश्मीर में पाकिस्तान की शह पर चलाए जा रहे आतंकवाद के बारे में अन्य विदेशी सरकारों को अवगत करा रही है। भारत विरोध दुरुष्प्रेरित प्रचार के प्रतिकार के लिए तथा हालात को सही परिप्रेक्ष में प्रस्तुत करने के लिए हर तरह से प्रयत्न किए जा रहे हैं।

कश्मीर में अफगानिस्तान के उग्रवादी

6674. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 फरवरी, 1994 के हिन्दुस्तान में "अब अफगान उग्रवादी सक्रिय" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जो अफगान राष्ट्रिकों सहित उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त तथा सशस्त्र विदेशी भाड़े के सैनिकों की जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा चोरी-छिपे सहायता से घुसपैठ किए जाने तथा तोड़फोड़ और आतंकवाद की गतिविधियां किए जाने के बारे में है। रिपोर्टों के अनुसार कुछ हजार ऐसे भाड़े के सैनिक अभी भी पाकिस्तान में हैं।

सरकार निरन्तर सतर्कता बरतती है तथा आतंकवाद का सामना करने और किसी भी कीमत पर देश की एकता और प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करती है।

[अनुवाद]

दूरदर्शन में अनु.जा./अ.ज.जा. के कर्मचारी

6675. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और इनमें से महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को 1981-82 के दौरान दूरदर्शन में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से जाली जाति-प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रथम श्रेणी पदों पर हुई फर्जी नियुक्तियों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन में वर्ग-1 पद कार्यरत 64 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी हैं जिनमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं।

(ख) दूरदर्शन महानिदेशक के ध्यान में एक मामला लाया गया है जहां एक वर्ग-1 अधिकारी ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से दूरदर्शन में सहायक केंद्र निदेशक के रूप में नियुक्ति प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र जिसकी वह पात्र नहीं थी का लाभ उठाया है।

(ग) और (घ) संबंधित सरकारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत यदि उक्त व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात के आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पद

6676. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों में कार्यरत विभिन्न सवर्गों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) इन केंद्रों में कितने पद रिक्त पड़े हैं और ये कब तक भरे जाएंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी गुजरात के आकाशवाणी केंद्रों में विभिन्न वर्गों के 728 कर्मचारी कार्यरत हैं तथा उनमें 128 पद रिक्त हैं। अधिवर्षता पर सेवा-निवृत्ति त्यागपत्र, प्रति नियुक्ति आदि के कारण पदों का रिक्त होना सतत प्रक्रिया है। इसी प्रकार पद रिक्त होने पर संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग अथवा रोजगार कार्यालय की मार्फत इन पदों को भरने के लिए भर्ती तथा/या पदोन्नति की कार्रवाई भी शुरू की जाती है। अतः मौजूदा रिक्तियों पर भर्ती के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट करना संवभ नहीं है।

दूरदर्शन : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आरक्षण नीति

6677. **श्री ललित उरांव :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्ध-शासकीय पद कार्मिक और प्रशिक्षण आदेश संख्या ए बी/14017/2289-स्थापना (आर.आर.) दिनांक 15-5-89 अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अथवा भारतीय सड़क निर्माण निगम बोर्ड के एजेंडा मद 119/16 पर लागू होता है;

(ख) योग्यतावधि पूरी होने के शीघ्र पश्चात् कितने सामान्य कर्मचारी पदोन्नत किए गए और 1991 से 1993 तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को इससे वंचित किया गया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) निदेशक मंडल/उपदान न्यास, भविष्य निधि तथा पदवार विभागीय पदोन्नति समिति/इससे बाहर बकाया रिक्त पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ब्यौरा क्या है और ये कब से नहीं भरे गए तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) 1991 से 1993 तक स्वीकृत पदों का पदवार ब्यौरा क्या है और उत्पन्न/स्वीकृत किए गए रिक्त पदों के बिना कितनी पदोन्नतियां दी गईं; और

(ङ) 20-12-93 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2800 में उठाई गई कुल शिकायतों में से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ङ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

ग्रेनाइट खनन की समरूप नीति

6678. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :**
श्री जार्ज फर्नाडीज :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रेनाइट खनन की समरूप नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) देश में ग्रेनाइट का राज्यवार कितना भंडार है और गत तीन वर्षों के दौरान इसका कितनी मात्रा में और कितने मूल्य का वार्षिक उत्पादन हुआ; और

(घ) आठवीं योजना में ग्रेनाइट के खनन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रेनाइट का स्टाक उपादकों, शोधनकर्ताओं और व्यापारियों के पास रहता है और सरकार इसकी मानीटरिंग नहीं करती । वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 के उत्पादन संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(घ) आठवी पंचवर्षीय योजना के लिए खनिज विकास (कोयले और लिग्नाइट को छोड़कर) 1989 पर बने कार्य दल की रिपोर्ट में, देश में 61.29 लाख टन ग्रेनाइट ब्लाकों (निर्यात के लिए 59.41 लाख टन और घरेलू बाजार के लिए 1.88 लाख टन) के उत्पादन और 1994-95 तक 501 करोड़ रु. के ग्रेनाइट निर्यात का अनुमान लगाया गया है।

विवरण

वर्ष 1990-91 में ग्रेनाइट का राज्यवार उत्पादन

(मात्रा हजार टन में)

	राज्य	1990-91	1991-92	1992-93
1.	डाइमेंशन स्टोन ग्रेनाइट			
	कर्नाटक	560	250	280
	तमिलनाडु	175 (ई)	175 (ई)	175 (ई)
	आंध्र प्रदेश	72	87	138
	राजस्थान	28	32	45
	केरल	-	-	9
	मध्य प्रदेश	1	0.6	लागू नहीं
	कुल डाइमेंशन स्टोन	836	544.6	647
2.	डाइमेंशन स्टोन को छोड़कर			
	केरल	273 (ई)	273 (ई)	लागू नहीं
	गोवा	171 (ई)	17 (ई)	लागू नहीं
	गुजरात	5	7	लागू नहीं
	हरियाणा	++	16	लागू नहीं।
	कुल (अन्य)	449	467	लागू नहीं।

स्रोत : (1) डाइमेंशन स्टोन- भारतीय खान ब्यूरों के पास उपलब्ध डाटा और राज्य सरकारों द्वारा दिया गया डाटा।

(2) ग्रेनाईट की किस्म बताए बगैर राज्य सरकारों द्वारा दिया गया डाटा।

(ई) अनुमानित

++ नगण्य

पाक जलडमरूमध्य में मत्स्यन

6679. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और उन पर क्या निर्णय लिए गए;

(ग) क्या श्री लंका सरकार के साथ कोई मत्स्यन समझौता किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन केंद्र मद्रास विश्वविद्यालय ने भारतीय महासागर अध्ययन सोसायटी की मद्रास समिति के सहयोग से "पाल्क स्ट्रेटस में भारतीय मछेरों की समस्याएं नामक विषय पर 25 फरवरी, 1994 को मद्रास विश्वविद्यालय में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की थी।

(ख) इस संगोष्ठी में विचार-विमर्श पाल्क स्ट्रेट्स में भारतीय मछेरों को पेश आने वाली समस्याओं विशेषकर श्रीलंका की नौसेना द्वारा उन्हें तंग किए जाने से संबद्ध मसले पर केन्द्रित रहा। इस सम्मेलन में पाल्क स्ट्रेट्स में भारतीय मछेरों के विरुद्ध हिंसा की वारदातों पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की गई तथा ऐसी वारदातों के परिहार के लिए तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी सहयोग

6680 **प्रो. पी.जे. कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निकट भविष्य मे संचार के विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान किए गए विदेशी सहयोग का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) सरकार (दूरसंचार विभाग) की निकट भविष्य में संचार के क्षेत्र में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की कोई योजना नहीं है।

(ख) ऊपर मांग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा विदेशी सहयोग प्राप्त करने से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर ख दी जाएगी।

पृथ्वी के संबंध में अमेरिका का अनुरोध

6681. **श्री श्रीकान्त जेना :**
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका ने पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र के लगाए जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है और उसके बदले कुछ चुने क्षेत्रों में रक्षा प्रौद्योगिकी देने और पाकिस्तान को एफ-16 की आपूर्ति रोकने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी देशों का नया संगठन

6682. **श्री उदय सिंह राव गायकवाड़** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तीसरे विश्व के देशों के शांतिपूर्वक प्रयोजनों हेतु उपयोगी खतरनाक और आधुनिक हथियारों तथा प्रौद्योगिकी की पूर्ति न करने के लिए अमेरिका और इसके सहयोगी देशो द्वारा एक नये संगठन का गठन करने के प्रयासों के बारे में हाल की रिपोर्टों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति (कोकोम), जिसका उद्देश्य तत्कालीन साम्यवादी देशों तथा उनके मित्र देशों को सैन्य महत्व की प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने से रोकना था, 31 मार्च, 1994 से समाप्त हो गई। अमरीका सहित पश्चिमी राष्ट्र अब रूस के सहयोग

से कोकोम की एक ऐसी उत्तराधिकार व्यवस्था की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य गैर-सदस्य राज्यों को दोहरे प्रयोग की प्रौद्योगिकियों तथा उससे संबद्ध उपस्करों के अन्तरण को रोकना है ताकि प्रसार को रोका जा सके। यह बताया जाता है कि नई निर्यात नियंत्रण व्यवस्था अक्तूबर, 1994 तक स्थापित हो जाएगी। सरकार इस संबंध में घटनाओं पर बराबर निगाह रखती है और साथ ही ऐसी प्रौद्योगिकियों का स्वदेशी विकास करने के लिए कृतसंकल्प है जो विदेशी स्रोतों के जरिए उपलब्ध न हों।

राजस्थान में खनिजों पर आधारित एकक

6683. **श्रीमती वसुंधरा राजे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में खनिज संसाधनों के दोहन और उपयोग के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

डा. अम्बेडकर पर फीचर फिल्म

6684. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा. बी. आर. अम्बेडकर पर पूरी अवधि की फीचर फिल्म का निर्माण कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) यह फिल्म कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) इस फिल्म की निर्माण यूनिट का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) इस फिल्म का कुल बजट 6.60 करोड़ रुपए है, जिसमें से 1.00 करोड़ रुपए महाराष्ट्र शासन तथा 5.60 करोड रुपए कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा खर्च किए जाने हैं।

(ग) जनवरी, 1996 तक

(घ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. इस फिल्म का कार्यकारी निर्माता है। सुश्री सूनी तारापुरवाला को पटकथा लेखक नियोजित किया गया है। फिल्म का निर्देशन डा. जब्बार पटेल करेंगे। श्याम बेनेगल को इस परियोजना का परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण के निर्यात में वृद्धि

6685. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा इस्पात के निर्यात में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 1993-94 में इस्पात के निर्यात में वृद्धि की है। इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

वर्ष	मात्रा (लाख टन)	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि प्रतिशत
1992-93	2.68	51 प्रतिशत
1993-94	6.30	135 प्रतिशत

खनिज निर्यात पर अध्ययन

6686. **श्री के. प्रधानी : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज उद्योग मंडल ने सरकार की नई उदारीकरण नीति, विशेष रूप से "गैट" समझौते के अनुसरण में खनिजों की निर्यात संभावनाओं पर अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय खनिज उद्योग मंडल के अध्ययन को देखते हुए खनिज निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) खनिजों की निर्यात संभावनाओं पर भारतीय खनिज उद्योग संघ ने अध्ययन में 26 खनिजों की निर्यात संभावनाओं का अध्ययन किया है। अध्ययन का अभिप्राय अन्य बातों के साथ-साथ आधारभूत सुविधाओं का उन्नतिकरण, रायल्टी दरों में बार-बार बढ़ोत्तरी को रोकना, उत्पादकों का पता लगाने तथा प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाना तथा प्रबंधन तकनीकी में निवेश करना और प्रत्येक खनिज हेतु परिस्करण व शोधन उद्योगों की स्थापना करना है।

(ग) निर्यात बढाने हेतु सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में मशीनरी के आयात शुल्क में कमी, भारतीय मिशनों द्वारा विपणन संबंधी सहायता देना निर्यात क्षेत्र हेतु बैंकों द्वारा ऋणों की उपलब्धता, रुपया ऋण की ब्याज दर में कमी, इत्यादि शामिल हैं।

असम की पहाड़ियों में चूना पत्थर के भंडार

6687. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम की पहाड़ियों में चूना पत्थर के अनुमानित कितने भंडार हैं;

(ख) असम की पहाड़ियों से प्रति वर्ष चूना पत्थर का कितनी मात्रा में दोहन किया जाता है;

(ग) क्या इस चूना पत्थर की बिक्री और उपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) दिनांक 1-4-1990 तक चूना पत्थर के 703 मिलियन टन मात्रा के कुल प्राप्य भंडार थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, असम राज्य में चूना पत्थर का वार्षिक उत्पादन इस प्रकार रहा :-

1990-91	2.64 लाख टन
1991-92	2.36 लाख टन
1992-93	1.90 लाख टन

(ग) और (घ) राज्य में कुल उत्पादित चूना पत्थर का सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, दी बोकाजन सीमेंट फैक्टरी तथा विनय सीमेंट प्लांट द्वारा उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में तार घर

6688. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल कितने तार घर कार्यरत हैं;

(ख) कितने तार घरों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है;

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में ऐसे कार्यालय खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन तार घरों को कब तक खोल दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में 101 तार घर तथा 6074 संयुक्त डाक-तार कार्यालय कार्य कर रहे हैं।

(ख) सभी तार-घरों तथा संयुक्त डाक तार कार्यालयों में हिन्दी में तार भेजने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(ग) जब कभी भी नई मांग उत्पन्न होगी व्यवहार्यता के अध्यधीन कार्यालय खोले जाएंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजदूतों का कश्मीर दौरा

6689. **श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्लामी देशों के राजदूतों के एक शिष्टमंडल को कश्मीर के दौरे की अनुमति देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खर्शीद) : (क) और (ख) सरकार ने भारत में प्रत्याशित कई मिशन प्रमुखों को जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने की पेशकश की थी। इसमें इस्लामी देशों और अन्य देशों के राजदूत शामिल थे। इसके अनुसरण में फरवरी, 1994 से राजदूतों के तीन दलों जिसमें कुछ इस्लामी देशों के मिशन प्रमुख भी शामिल है, ने जम्मू और कश्मीर की यात्रा की। सरकार ने संभार-तंत्रीय प्रबंधों की व्यवस्था की। राज्य प्राधिकारियों के परामर्श से पक्षसारों और यात्राओं के कार्यक्रमों का प्रबन्ध किया गया। मिशन प्रमुखों ने यात्रा के दौरान राज्य में विभिन्न वर्गों के लोगों से मुलाकात की।

शाखा डाक घर

6690. **श्री अनादि चरण दास :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाक नेटवर्क का विस्तार करने और डाक संबंधी कार्यों में सुधार करने का काम केवल शाखा डाकघर खोलने तक ही सीमित रहता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1991-92 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पृथक्-पृथक् कुल कितने शाखा डाकघर और विभागीय उप डाकघर खोले गए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) ग्रामीण डाक नेटवर्क के विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक प्रचालन में सुधार पर बल देने से तात्पर्य केवल "शाखा डाकघर" खोलने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शाखा डाकघरों का विभागीय उप-डाकघरों के रूप में दर्जा बढ़ाना, लैटर-बाक्स लगाना, सभी डाकघरों में बचत बैंक सुविधा का विस्तार, औचित्यपूर्ण मामलों में बचत-पत्र से संबंधित कार्य तथा सभी गांवो का डाक का दैनिक वितरण जैसे अनेक महत्वपर्ण कार्य शामिल हैं।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान देश के ग्रामीण इलाकों में 1348 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर तथा 36 विभागीय उप-डाकघर खोले गए।

[हिन्दी]

विद्युत परियोजनाएं

6691. **श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और बोधघाट विद्युत परियोजनाओं को नौवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ओंकारेश्वर और बोधघाट विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) चमेरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और बोधघाट विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में लक्ष्यों का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

परियोजना का नाम	चालू करने का कार्यक्रम (मेगावाट)
1. नर्मदा सागर (8×125 मे.वा.)	6×125 मेगावाट 9वीं योजना में 2×125 मेगावाट 9वीं योजना से आगे
2. महेश्वर (10×40 मे.वा.)	9वीं योजना
3. ओंकारेश्वर (8×65 मे.वा.)	6×65 मे.वा. 9वीं योजना में 2×65 मे.वा. 9वीं योजना से आगे
4. बोधघाट (4×125 मेगावाट)	9वीं योजना से आगे

ओंकारेश्वर (8×65 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 14-12-1993 को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से क्रमशः 13-10-93 और 22-10-93 को स्वीकृति प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार को योजना आयोग से निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त करना है।

बोधघाट (4×125 मेगावाट) जल विद्युत परियोजना का केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से नवम्बर, 1978 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और निवेश की दृष्टि से योजना आयोग का अनुमोदन 29-2-1979 को प्राप्त हुआ था। पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति 20-2-85 को प्राप्त हुई थी। तथापि राज्य सरकार ने परियोजना के लिए वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त नहीं की है।

बिजली के उपकरण

6692. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के उपकरणों की कम सप्लाई के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए बिजली के उपकरणों की राज्यवार कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए राज्यवार बिजली के कितने उपकरणों की सप्लाई की;

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान इनमें से राज्यवार कितने प्रतिशत उपकरणों की चोरी हुई; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (ङ) ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विद्युत उपकरणों की आपूर्ति, भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा इन्हें उपलब्ध कराया जाता है ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने और क्षतिग्रस्त उपकरण या चोरी होने के कारण उनका प्रतिस्थापन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों की होती है।

[अनुवाद]

सीट बेल्ट

6693. **श्री के. एच. मुनियप्पा :**
श्री वी. कृष्णा राव
श्री के. जी. शिवप्पा :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारों में सीट बेल्ट का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हां। 27 मार्च, 1994 से लागू केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम 125 के अनुसार 500 सी.सी. तक की इंजिन क्षमता की मोटर साइकिलों और तिपहिया वाहनों को छोड़कर प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता प्रत्येक ऐसे वाहन में ड्राइवर और अगली सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए सीट बैल्ट लगाएगा।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की सीमाएं

6694. **श्री राम कापसे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ठाणे जिले के निवासियों से तीन मिनट की काल सेवा प्रदान करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के क्षेत्र को संपूर्ण मुम्बई महानगर क्षेत्र तक बढ़ाने के लिए अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को संसद सदस्यों सहित विभिन्न लोगों से पूरे मुम्बई महानगर क्षेत्र को तीन मिनट की काल सेवा की सुविधा प्रदान करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) अभ्यावेदनों पर यथोचित रूप से विचार किया गया है। पूरे मुम्बई महानगर क्षेत्र को मुम्बई सहित तीन मिनट की पल्स दर पर इंटर-डायलिंग की सुविधा प्रदान करना संभव नहीं है। मौजदा नीति दिशानिर्देशों के अनुसार, मुम्बई स्थानीय क्षेत्र के साथ संलग्न केवल निम्नलिखित टेलीफोन स्थानीय क्षेत्र 3 मिनट की काल की सुविधा के लिए पात्र है :

1. कल्याण
2. जुचांद्रा
3. बोइन (वसाई)
4. ससुनावधार
5. मनठोली
6. न्यू मुम्बई
7. खारबावो

इन में निम्नलिखित को 3 मिनट की काल की सुविधा पहले ही दी जा चुकी है।

1. कल्याण
2. बोइन (वसाई)
3. न्यू मुम्बई

संसाधित खाद्य

6695. **श्री अकुंशराव रावसाहेब टोपे :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993-94 में महाराष्ट्र के लिए स्वीकृत की गई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की रोजगार सृजन क्षमता और निर्यात क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : जुलाई, 1991 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार अल्कोहलिक पेयों के किण्वन और आसवन तथा छोटे उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। तथापि अगस्त, 1991 से फरवरी, 1994 तक महाराष्ट्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए 346 औद्योगिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिसमें 59252 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने का कार्यक्रम है। उपर्युक्त के अलावा 1993-94 के दौरन महाराष्ट्र राज्य में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए अनुमोदन मांगने हेतु विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है जिनमें करीब 2734 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार जुटाने का कार्यक्रम है। इस अनुमोदित परियोजनाओं में 5 वर्ष की अवधि में निर्यात से होने वाली अनुमानित आय करीब 1,2,1,547 रु. होगी।

विदेशी एवं घरेलू एजेंसियों द्वारा निजी क्षेत्र में निवेश की स्वीकृति

6696. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री सुधीर राय :
श्री राम नाईक :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदशी निवेशकों को विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए प्रेरित किया गया है क्योंकि अन्य निवेशों पर उन्हें अधिक लाभ दिया गया है;

(ख) देश में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने हेतु ऐसी प्रत्येक परियोजनाओं में रुपयों में पूंजी निवेश हेतु सरकार की समुचित अनुमति के बाद निजी क्षेत्र (विदेशी एवं घरेलू) में आज तक लिए गए पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन शुरू करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रलाय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) उन परियोजनाओं की सूची जिनकी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच और तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन किया गया है उनका विवरण संलग्न है। इन परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा अब इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

निजी क्षेत्र से संबंधित के.वि.प्रा. द्वारा स्वीकृत/मूल्यांकित स्कीमों

क्र. सं.	परियोजना का नाम क्षमता, जिला और प्रर्वतक का नाम	पी.आर. के अनुसार अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)
1	2	3
पश्चिमी क्षेत्र		
1.	**महाराष्ट्र**	
	डभोल जी.टी.सी.सी. टी.पी.एस. - 2015 मे.वा. (कार्य स्थल पर निवल) - जिला रतनगिरी - मै. डभोल कंपनी - (मै. इनरॉन डेवलपमेंट कारपोरेशन)	9051.27 (आई.डी.सी. 1988 स्तर समेत) यू.एस. डालर 28285 2 मिलियन
2.	**गुजरात**	
	गंधार (पगूथान) सी.सी.जी.टी. - 655 मे.वा. - जिला बडरूच - मै. गुजरात टोरेन्ट इनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड	2298.14 (आई.डी.सी. 1996 स्तर समेत) सी.ई.ए. द्वारा मूल्यांकित
3.	**मध्य प्रदेश**	
	पेंच टी.पी.एस. - 2×210 मे.वा. - जिला चिन्दवारा - मै. सेंच्यूरी पावर	1272.23 (आई.डी.सी. को छोड़कर) सी.ई.ए. द्वारा मूल्यांकित
4.	**महेश्वर लाइड्रो इलैक्ट्रिक**	1073.00
	प्रोजेक्ट 10×40 मे.वा. - जिला - मै. एस. कुमार एंड कंपनी	(आई.डी.सी. 93 स्तर समेत) सी.ए. द्वारा मूल्यांकित
	दक्षिण क्षेत्र	

5.	**आन्ध्र प्रदेश**	
	जैगूरूपाडू जी.टी.सी.पी.सी. टी.पी.एस. - 216 मे.वा. (कार्यस्थल) जिला ईस्ट गोदावरी मै. स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लि.	827.00 (आई.डी.सी. 1996 स्तर समेत) सी.ई.ए. द्वारा मूल्यांकित
6.	गोदावरी जी.टी.सी.सी. टी.पी.एस. - 200 मे.वा. (कार्यस्थल) - जिला ईस्ट गोदावरी - मै. स्पेक्ट्रम पावर जनरेशन लि.	748.43 (आई.डी.सी. 1996 स्तर समेत सी.ई.ए. द्वारा मूल्यांकित)

पासपोर्ट कार्यालय परिसर

6697. **प्रो. के.वी. थामस** : *क्या* **विदेश मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि* :

(क) क्या पासपोर्ट कार्यालय वाले स्थानों पर कार्यालय और रिहायशी आवास सहित पासपोर्ट कार्यालय परिसर बनाने की धारणा को कार्यरूप देने का कोई प्रस्ताव है क्योंकि ये पासपोर्ट कार्यालय नाजुक प्रकृति का कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिसरों का कब तक निर्माण किया जाएगा और इस प्रयोजनार्थ किन-किन पासपोर्ट कार्यालयों का चयन किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) से (ग) सरकार सभी पासपोर्ट कार्यालयों को बेहतर कार्यालय परिसर और आवास उपलब्ध कराने के प्रयत्न कर रही है। कुछ स्थानों पर कार्यालय-सह-आवासीय परिसर होंगे।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि से उत्तर प्रदेश को वित्तीय आबंटन

6698. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदशे सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केंद्रीय सड़क निधि से कितनी धनराशि की मांग की;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य को अब तक कितनी राशि दी गई; और

(ग) शेष राशि कब तक दे दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) गत

तीन वर्षों के दौरान के.स.नि. (सी.आर.एम.) के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मांगी गई और उसे आबंटित की गई राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	मांगी गई	आबंटित की गई (लाख रु.)
1991-92	745.83	शून्य
1992-93	103.44	79.50
1993-94	120.00	100.00

अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि शेष राशि कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

महाराष्ट्र में डाकघर भवन

6699. **श्री विलास राव नागनाथराव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में नए डाकघर भवनों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां उक्त भवनों का निर्माण किया जाएगा; और

(ग) इन भवनों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र में निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित डाकघर भवनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण उपयुक्त भूमि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जैसी निर्माण-पूर्व औपचारिकताओं के पूरा होने और निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अत : वह समय बता पाना कठिन है कि इनके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विवरण

उन डाकघरों की सूची, जिनके लिए विभागीय भवनों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है, निम्नानुसार है :-

1. किनवत डाकघर, जिला नान्देड
2. सी.आई.डी.सी.ओ. डाकघर, औरंगाबाद
3. भूम डाकघर, जिला उस्मानाबाद

4. इगतपुरी, जिला नासिक
5. टैगौर नगर, बम्बई सिटी
6. ओशीवाड़ा, लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स बम्बई सिटी
7. कॉदीवली इंडस्ट्रियल एस्टेट, बम्बई सिटी
8. चारकोप, कॉदीवली (पश्चिम), बम्बई
9. उल्डासनगर, कैम्प-5, जिला थाणे
10. बर्तकनगर, थाणे पश्चिम
11. बांद्रा पश्चिम, बम्बई सिटी
12. बांद्रा पूर्व, बम्बई सिटी
13. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, ई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, पणजी, गोआ
14. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, मारगांव, गोआ
15. पन्हाला, जिला कोल्हापुर
16. गधींगलाज, जिला कोल्हापुर
17. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, सावंतवाडी जिला सिंधुदुर्ग
18. कन्कावली में प्रभागीय डाकघर बिल्डिग, जिला सिंधुदुर्ग
19. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, खामगांव
20. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, यवतमाल, जिला यवतमाल
21. पर्तवाड़ा में प्रधान डाकघर बिल्डिंग, जिला अमरावती
22. प्रधान डाकघर बिल्डिंग, कामठी, जिला नागपुर
23. डाकघर बिल्डिंग बभूलगांव
24. डाकघर बिल्डिंग, बरसीटकली
25. डाकघर बिल्डिंग, मोवाड़
26. डाकघर पी.सी.एन., टी.डी., पुणे सिटी

27. सहकार गनर, पुणे सिटी

28. संत तुकाराम नगर, पुणे सिटी

29. कोपड़गांव, जिला अहमदनगर

30. विजयनगर, पुणे सिटी

31. गुरुनानक नगर, शोलापुर सिटी

32. यरवदा, पुणे सिटी

33. लोनन्द, जिला पुणे

34. रंजनगांव गणपति, जिला पुणे

35. मंगलवेधा, जिला शोलापुर

[अनुवाद]

वित्त निगम

6700. **श्री ब्रम्हानन्द मंडल :**
श्री तेजनारायण सिंह :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में दूरसंचार प्रणाली के लिए कोई वित्त निगम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह निगम कब तक स्थापित किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) दूरसंचार वित्त निगम की स्थापना करने संबंधी दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था में गड़बड़ी

6701. **डॉ॰ अमृतलाल कालिदास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से मार्च, 1994 तक दिल्ली में टेलीफोन खराब होने के संबंध में दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं;

(ख) तत्संबंधी जोन-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक शिकायत के निवारण में कितना-कितना समय लगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जनवरी से मार्च, 1994 की अवधि के बीच खराब टेलीफोनों के बारे में महानगर टेलीफोन निगम लि. दिल्ली को 686929 शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो प्रतिदिन औसतन 7633 शिकायतें बैठती हैं जब कि दिल्ली टेलीफोन प्रणाली के अंतर्गत 8 लाख से अधिक लाइनें काम कर रही हैं।

(ख) क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) लगभग 75 प्रतिशत दोष, शिकायत के दिन ही निबटा दिए गए थे और अधिकांशतया सभी दोष अगले दिन दूर कर दिए गए थे। अन्य जनोपयोगी सेवाओं द्वारा खुदाई किए जाने के कारण अथवा केबिलों की चोरी के कारण केबिलों के क्षतिग्रस्त होने से खराब हुए टेलीफोनों को ठीक करने में कुछ अधिक समय लग जाता है। इसमें अधिकांश दोषों को तीन दिन के भीतर ठीक कर दिया गया था।

विवरण

दिल्ली में जनवरी से मार्च, 1994 की अवधि के बीच प्राप्त शिकायतों के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्षेत्र	जनवरी, 1994	फरवरी, 1994	मार्च, 1994
मध्य	20023	17496	19269
पूर्व	63754	57044	61483
उत्तर	50861	43443	45088
दक्षिण	57666	48385	44860
पश्चिम	52002	49883	55672
योग	244306	216251	226372

[अनुवाद]

कनाडा द्वारा विद्युत क्षेत्र में निवेश

6702. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने भारत में विद्युत क्षेत्र में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है;

(ख) क्या कनाडा के किसी व्यापारिक शिष्टमंडल ने भारत की यात्रा की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.बी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी, हां। कनाडा के विदेशी कार्य एंव अर्न्तराष्ट्रीय व्यापार विभाग के तत्वाधान में कनाडा के छः सदस्यों के एक विद्युत मिशन ने 22 नवम्बर से 3 दिसम्बर, 1993 तक भारत का दौरा किया था।

(घ) और (ङ) सरकारों के बीच आपसी किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

नए पत्तनों का निर्माण

6703. **श्री काशीराम राणा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात से नए पत्तनों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित स्थानों के नाम क्या हैं और ये प्रस्ताव किस दिन प्राप्त हुए थे; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नया दूरदर्शन उपग्रह चैनल

6704. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित नये दूरदर्शन उपग्रह चैनल के विरुद्ध कई शिकायतें की गई हैं, और मुकदमा चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समयावधि का आबंटन करने में अपनाई गई प्रकियाओं तथा प्रणालियों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रलय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली, बम्बई और मद्रास स्थित न्यायालयों में शिकायतें और न्यायिक मामले प्रमुखत : इस उद्देश्य के लिए बनाई गई स्कीम के अन्तर्गत उन चैनलों पर समय स्लाटी आबंटन की "पहले आओ पहले पाओ" विधि अपनाने के विरुद्ध हैं।

(ग) सितम्बर 1993 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उक्त स्कीम को रद्द कर दिए जाने के पश्चात् इन चैनलों पर नवम्बर, 1993 से प्रायोजक्ता, कमीर्शड और रायलटी आधार पर कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं जैसा कि विगत में पहले प्राथमिक चैनल के लिए किया जाता था।

[हिन्दी]

पाकिस्तान को एफ– 16 की आपूर्ति

6705. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :
श्री बापू हरि चौरे :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के राज्य उप सचिव की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनके साथ हुए विचार-विमर्श में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को की जा रही एफ– 16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति का मुद्दा उठाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीकी अधिकारियों की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान को एफ– 16 किस्म के विमान हस्तान्तरित करने का अमरीका प्रस्ताव भारत के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। एफ– 16 अतिरिक्त डिलिवरी प्रणाली प्रदान करके पाकिस्तान की आक्रमण की क्षमता बढ़ा देंगे। पाकिस्तान द्वारा अत्याधुनिक सैन्य उपकरण परम्परागत रूप से भारत के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने के लिए ही हासिल किए जाते रहे हैं। सरकार को भारत की रक्षा जरूरतों की पुनः समीक्षा करनी होगी तथा भारत की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने होंगे।

अमरीका के उपविदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा विखण्डनीय सामग्री के उत्पादन पर सत्यापनीय रोक लगाने के बदले पाकिस्तान को 38 एफ– 16 विमान तथा अन्य सैन्य उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए प्रैसलर संशोधन में केवल एक बार ढील देने का अमेरिका का प्रस्ताव पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय प्रस्ताव है। अमेरिका के विचार से पाकिस्तान की विखण्डनीय सामग्री की उत्पादन क्षमता पर रोक लगाने से भारत की सुरक्षा मजबूत होगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में रिंग रोड

6706. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1994 के इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली में रिंग रोड के संबंध में प्रकाशित समाचार शीर्षक की ओर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) रिंग रोड की स्थिति, इसकी भूज्यामिति और यातायात गुणता को देखते हुए इसे नरक को जाने वाला राजमार्ग नहीं कहा जा सकता। 1992 के मूल्य स्तर पर 475 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से रिंग रोड को एक बाधारहित सड़क बनाने के लिए एक सुधार स्कीम तैयार की गई है जिसमें फ्लाई औवरों/भूमिगत मार्गों का निर्माण, चौराहों का विकास तथा कुछ खंडों को चौड़ा करने के प्रावधान हैं।

अमरीकी कंपनी द्वारा भारत के मानचित्र का प्रकाशन

6707. **श्री चित्त बसु :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "मैसर्स पी.सी. ग्लोब एंड यू.एस. कम्प्यूटर कंपनी" ने भारत का एक मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें जम्मू और कश्मीर को शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले पर अमरीकी प्रशासन से बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

दूरदर्शन पर समय खंडों का आबंटन

6708. **श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन पर समय- खंड आबंटित करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे दिशा- निर्देश तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) धारावाहिकों, खेल घटनाओं आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए समय स्लॉटो का आबंटन, समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं के आधार पर किया जाता है। इस संबंध में दूरदर्शन द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, घटनाओं अथवा उनके मुख्य अंशों के सीधे कवरेज हेतु आवेदनकर्त्ताओं के अलावा अन्य आवेदनकर्त्ताओं द्वारा पायलट प्रस्तुत किया जाना और बाद में दूरदर्शन के अधिकारियों की समिति द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर विज्ञापन

6709. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन अत्यधिक अश्लील होते हैं;

(ख) इस तरह के विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी वर्तमान सेंसर नीति को अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन का केवल ऐसे विज्ञापनों को प्रसारित करने का सतत प्रयास रहता है जो देश के कानून के अनुरूप हो और जो अन्य बातों के साथ-साथ लोगों की नैतिकता, शिष्टाचार और धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन न करते हों।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन के वाणिज्यिक विज्ञापनों की वर्तमान संहिता जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है, पर्याप्त समझी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रेन सेवा

6710. **श्री हरिन पाठक :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों पर खराब वाहनों को हटाने के लिए क्रेन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटनाओं की मात्रा को देखते हुए सरकार क्रेनों और एम्बूलेंसों की खरीद के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पैट्रोलिंग स्कीम के तहत चुंनिदा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पिछले वित्त वर्ष में छः राज्यों अर्थात् राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल को यह सहायता उपलब्ध करवाई गई।

डी.टी.सी. बस की रात्रि सेवा

6711. **श्री शिवलाल नागजी भाई वेकारिया :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और रोहिणी के बीच केवल एक रात्रि सेवा दिल्ली परिवहन निगम की बस सं. 011 चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या रात्रि सेवा की बसें नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय बस अड्डे, सभी समाचार पत्र-कार्यालयों और सिनेमा घरों से होकर चलाई जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 011 रात्रि सेवा का मार्ग बदलकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से होकर करने का अथवा नाहरपुर से होकर जाने के लिए पुरानी दिल्ली स्टेशन से सुल्तानपुरी जाने वाली बस सं. 093 का मार्ग बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) रूट सं. 011 और 093 सुस्थापित रूट हैं। इसके अतिरिक्त रूट सं. 094 जो नाहरपुर होते हुए पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से सुल्तान पुरी के बीच चलती है पहले से ही यात्रियों के लिए उपलबध है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य

6713. **श्री हरि केवल प्रसाद :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में नए डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में उक्त अवधि के दौरान जिलावार कितने डाकघर खोले गये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) 93 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 12 विभागीय उप-डाकघर खोले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान खोले गए डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1993-94 के दौरान जिलावार खोले गए डाकघर

क्रम संख्या	जिले का नाम	खोले गए डाकघरों की संख्या	
		अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	विभागीय उप-डाकघर
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	4	-
2.	आगरा	1	-
3.	अलीगढ़	1	-
4.	अल्मोड़ा	2	-
5.	आजमगढ़	1	-
6.	बदायूं	2	-
7.	बरेली	1	-
8.	बिजनौर	2	-
9.	बस्ती	2	-
10.	बलिया	2	-
11.	बहराइच	2	-

1	2	3	4
12.	बाराबंकी	9	-
13.	चमोली	1	-
14.	देवरिया	1	-
15.	फतेहपुर	2	-
16.	फर्रूखाबाद	1	-
17.	फैजाबाद	4	-
18.	गाजीपुर	2	-
19.	गाजियाबाद	3	4
20.	गोंडा	4	-
21.	गोरखपुर	5	-
22.	जौनपुर	3	-
23.	खीरी	4	-
24.	कानपुर सिटी	2	-
25.	कानपुर (एम)	2	-
26.	लखनऊ	4	6
27.	मिर्जापुर	3	-
28.	मैनपुरी	1	-
29.	मुरादाबाद	2	-
30.	मुजफ्फरनगर	1	-
31.	प्रतापगढ़	1	-
32.	पिथौरागढ़	4	-
33.	पौढ़ी गढ़वाल	1	-
34.	रायबरेली	3	-
35.	सीतापुर	2	2

1	2	3	4
36.	सुल्तानपुर	2	-
37.	टिहरी	4	-
38.	उन्नाव	1	1
39.	वाराणासी	1	-
	कुल	93	13

लौह अयस्क की उपलब्धता

6714. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क को अनुमानतः वार्षिक मांग और आपूर्ति क्या है;

(ख) क्या इन राज्यों को लौह अयस्क की मांग और आपूर्ति में अन्तर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में लौह अयस्क और स्पंज आयरन के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) नागपुर द्वारा यथाअनुमानित मध्य प्रदेश राज्य में लौह अयस्क की मांग जो संगठित क्षेत्र द्वारा सूचित खपत के आंकड़ों पर आधारित है, तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए इसके उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	मांग	उत्पादन
1990-91	57.6 लाख टन	123 लाख टन
1991-92	62.4 लाख टन	138 लाख टन
1992-93	64.4 लाख टन	142 लाख टन

अभी तक उत्तर प्रदेश से लौह अयस्क के उत्पादन के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

इस समय इस राज्य में लौह अयस्क की मांग भी नगण्य बताई गई है।

(ख) और (ग) इन दो राज्यों में लौह अयस्क की मांग और पूर्ति के अन्तर से संबंधित कोई विशेष समस्या सरकार के ध्यान में नहीं लाई गई है।

(घ) देश में लौह अयस्क और स्पंज लोहे का उत्पादन बढ़ाने में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

लौह अयस्क

(1) लौह अयस्क का खनन (तथा कुछ अन्य खनिजों के खनन कार्य को भी, जो पहले सिर्फ सरकारी क्षेत्र द्वारा खनन करने के लिए आरक्षित थे) निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है।

(2) खनन कानून जो अब तक खनन क्षेत्र में अधिकतम 40 प्रतिशत तक विदेशी निवेश के लिए सीमित था, में संशोधन किया गया है ताकि बिना किसी अधिकतम सीमा के विदेशी निवेश की अनुमति हो।

स्पंज लोहा

(1) विदेशी निवेश के प्रयोजन के लिए स्पंज लोहे को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है।

(2) अकोककर कोयले पर सीमा शुल्क को 85 प्रतिशत से घटाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है।

(3) हाल ही में लौह अयस्क पैलेटों पर सीमा शुल्क की 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

केबल टी.वी. का प्रभाव

6715. **श्री अनन्त राव देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज पर केबल टी॰वी॰ के अवांछनीय प्रभाव को रोकने हेतु उपयुक्त उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अवैध वीडियो पार्लरों के प्रसार और चोरी छिपे तैयार की गई वीडियो कैसेटों की बिक्री पर रोक लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिल्मों (वीडियो कैसेटों सहित) का सार्वजनिक प्रदर्शन सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत आता है। इस अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने का दायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों का है जिन्हें इस अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने के लिए बार-बार कहा गया है।

उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में दूरदर्शन की सुविधाएं

6716. **कुमारी फ्रिडा तोपनों** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के लेफरीपड़ा तथा हेमगिर ब्लाक के निवासियों को अभी तक दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हेमगिर में चालू वित्त वर्ष के दौरान एक कम शक्ति वाला टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) हालांकि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के हेमगिर अथवा लेपहरोपारा ब्लाकों में टी.वी. ट्रांसमीटर की स्थापना की कोई स्कीम नहीं है, सम्बलपुर स्थिति मौजूदा उच्च शक्ति (1 किलोवाट) ट्रांसमीटर को शक्ति को 10 किलोवाट तक बढ़ाने से इन स्थानों को टी.वी. सेवा प्राप्त होने की आशा है बशर्ते कि भू-स्थलीय स्थिति उपयुक्त हो।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को क्षति

6717. **श्री दिलीप भाई संघाणी** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई कितनी है;

(ख) राज्य में प्राकृतिक आपदाओं और भारी यातायात के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों का कितना भाग क्षतिगस्त हो गया है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों की प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 93 किलोमीटर लम्बे निर्माणाधीन अहमदाबाद बड़ोदरा एक्सप्रैसवे सहित 1631 किलोमीटर।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और 8-ए के भारी यातायात वाले कुछ खंड कभी कभी बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तथापि इनकी मरम्मत उपलब्ध निधियों में से की जाती है और इन्हें यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है।

महाराष्ट्र में सूचना और प्रसारण नेटवर्क को क्षति

6718. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में हाल ही में आये विनाशकारी भूकम्प के दौरान सूचना और प्रसारण नेटवर्क को हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा राज्य में क्षतिग्रस्त हुई नेटवर्क को पुनः शुरू करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) हाल ही में महाराष्ट्र में आए भूकम्प के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण पद्धति को कोई क्षति नहीं हुई है। तथापि, आकाशवाणी, सतारा के भवन की दीवार में जरा-सी दरार देखी गई थी। इससे केन्द्र के कार्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

गुजरात में पंचायतों को टेलीफोन

6719. **श्री महेश कनोडिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में जिलावार कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध हैं;

(ख) इस समय जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या शेष ग्राम पंचायतों को यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार, गुजरात में 9075 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध थी। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार 4435 पंचायत ग्रामों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। जिलेवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार की नीति के अनुसार, 31 मार्च, 1995 तक सभी पंचायत ग्रामों में और सन् 2000 ई. तक सभी ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों। इस प्रकार के सार्वजनिक टेलीफोन मुख्यतः वायरलेस, पर शेयर्ड रेडियो प्रणाली पर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि इष्टतम तकनीकी किफायती आधार पर की जा सके।

विवरण

गुजरात में 1-4-1994 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन सुविधा युक्त तथा बिना टेलीफोन सुविधा वाली ग्राम पंचायतों के जिलेवार ब्यौरे

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल पंचायत ग्राम	टेलीफोन सुविधा वाले पंचायत ग्राम	बिना टेलीफोन सुविधा के पंचायत ग्राम
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	640	470	170
2.	गांधी नगर	70	41	29
3.	बड़ोदरा	906	519	387
4.	सूरत	857	433	424
5.	राजकोट	840	512	328
6.	भावनगर	853	408	445
7.	जामनगर	657	363	294
8.	नड़ियाद	899	899	-
9.	जूनागढ़	921	500	421
10.	भुज	604	448	156
11.	मेहसाणा	1045	877	168
12.	वलसाड	688	420	268
13.	डांग	70	9	61
14.	हिम्मतनगर	673	640	33
15.	पालनपुर	825	590	235
16.	सुरेन्द्र नगर	620	544	76

1	2	3	4	5
17.	भड़ौच	712	526	186
18.	गोधरा	1052	489	563
19.	अमरेली	556	370	186
20.	संघ राज्य क्षेत्र	22	17	5
	जोड़	13510	9075	4435

[अनुवाद]

दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

6720. **श्री बापू हरि चौरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से अपने-अपने राज्यों में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने तथा प्रादेशिक भाषा के कार्यक्रमों के लिए अधिक समय देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) देश में पहले से ही कार्य कर रहे कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और टी.वी. ट्रांसमीटरों के अतिरिक्त देश में राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न राज्यों/संघ शसित प्रदेशों में विभिन्न शक्तियों के 30 नए कार्यक्रम निर्माण केन्द्र और 370 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित करने के लिए परिकल्पित हैं।

त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल

6721. **श्री एन. डेनिसः क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुझीथराई नदी पर स्थित पुराने पुल का नवीकरण करने अथवा इसे बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कुझीथराई पर पुल के पुनः निर्माण की व्यवस्था आठवीं पंचवर्षीय योजना में की गयी है। प्रथमतः पुल के पहुंच मार्गों के लिए अपेक्षित भूमि खरीदने के प्राक्कलन को संस्वीकृत किया गया है।

समर्थन जुटाने वाली फर्मों की सफलता

6722. **श्री संत राम सिंगला : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका में सरकार द्वारा नियुक्त समर्थन जुटाने वाली फर्मों को कोई सफलता मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेंटर फोर स्ट्रेटेजिक एण्ड इन्टरनेशनल स्टडीज ऑफ वाशिंगटन ने किसी भारतीय पीठ की स्थापना हेतु अनुदान देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) सरकार द्वारा अमरीका में नियुक्त विधि फर्म मेसर्स मेकओलिफे, केली और रफेली भारत विरोधी प्रेरित प्रचार का प्रतिकार करने के लिए अमरीका में हमारे मिशनों और केन्द्रों के प्रयासों में सहायता करके उन्हें सुदृढ़ करती है।

(ग) वाशिंगटन के सामरिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन केन्द्र ने अपने यहां भारत पीठ स्थापित करने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका और भारत में स्थित गैर सरकारी व्यावसायिक संगठनों से धन एकत्र करने का प्रयास शुरू कर दिया है।

(घ) भारत सरकार ने इस प्रयास को प्रोत्साहित किया है।

आइसक्रीम

6723. **श्री बी. देवराजन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आइसक्रीम का उत्पादन और विपणन रियायती दरों पर करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गांगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

6724. **श्री खेलन राम जांगड़े : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चालू विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन-सी हैं और उनकी अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और प्रत्येक परियोजना के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) इन परियोजनाओं के परियोजनावार पूरा करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) स्वीकृत निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन, परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	परियोजना/यूनिट का नाम	क्षमता (मे.वा.)	चालू करने का कार्यक्रम	अनुमानित परिव्यय (करोड़ रुपये)	स्थिति
1.	**जल विद्युत**				
1.	बानसागर टोन्स फेस-II और III	2×15+ 3×20	1996-97	62.00	पी.एच-II को कार्यनिष्पादन एजेंसी के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पी.एच-III के सिविल कार्य और सामान्य जल संवाहन कार्य प्रगति पर है।
2.	बानसागर टोन्स फेस-4	2×20	1996-97		कार्यनिष्पादन एजेंसी के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
3.	हसदेव बांगों	3×40	1994-95	+2	यूनिट एक चालू हो चुकी है। यूनिट - 2 और 3 का उत्थापन कार्य प्रगति पर है।
4.	नर्मदा सागर (इन्द्रा सागर)	8×125	2000-03	151.84	आधारभूत कार्य प्रगति पर है। बांध पी.एच., एच.आर.सी. और टी.आर.सी. का कार्य निष्पादन प्रगति पर है और मुख्य बांध और पी. एच. हेतु सिविल कार्य के लिए ठेके दिए जा चुके हैं। विद्युत उत्पादन यूनिटों के लिए निविदाओं की समीक्षा की जा रही है।
5.	बोधघाट (इन्द्रा सरोवर)	4×125	9वीं योजना से आगे	0.10	वन संबंधी स्वीकृति के कारण परियोजना पर कार्य रोक दिया गया है। एम.ओ.ई.एफ. की स्वीकृति में अनियमित रूप से विलंब होने पर विश्व बैंक ने 300.4 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता रद्द कर दी है।

6.	राजघाट (50 प्रतिशत मेयर (उ.प्र./म.प्र.)	3×15	1995-97	25.00 (म.प्र. शेयर)	बांध के सिविल कार्य अग्रिम अवस्था में है और पी.एच. का कार्य प्रगति पर है सन्निहित पुर्जों की आपूर्ति प्रगति पर है।
7.	सरदार सरोवर (50 प्रतिशत शेयर) गुज./म.प्र./महा.	6×200+ 5×50	1997-2000	40.00 (म.प्र. शेयर)	मुख्य बांध, वी.एस. बांध का निर्माण कार्य और अन्य सिविल कार्य प्रगति पर है। सी.एच.पी.एच. यूनिटों का उत्थापन कार्य हाथ में ले लिये गये हैं।
8.	महेश्वर (निजी क्षेत्र)	10×40	9वीं योजना	–	डी./एस. कोफर बांध का निर्माण कार्य एम.पी.ई.वी. द्वारा पूरे कर लिए गए हैं। परियोजना का क्रियान्वयन मै. एस. कुमारर्स बम्बई को सौंपा गया है।
9.	तावा एल.बी.सी. (निजी क्षेत्र)	2×6	9वीं योजना	–	क्रियान्वयन निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है।
ताप विद्युत					
1.	संजय गांधी विस्तार यूनिट-3 और 4	2×210	1997-98 1998-99	48.04	वायलर क्षेत्र में खुदाई कार्य शुरू कर दिया गया है।
2.	पैच यूनिट 1 और 2	2×210	–	–	निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए प्रस्तुत की गई है।
3.	कोरबा पश्चिम क्षेत्र विस्तार यूनिट 5 और 6	2×210	–	–	तथैव

[अनुवाद]

आप्रवास संबंधी नियम

6725. **श्री धर्मण्णामोंडय्या सादुल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "गैट" समझौते में श्रम का स्तर बढ़ा दिये जाने के फलस्वरूप आप्रवासन नियमों को और अधिक बड़ा और व्यापक बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पोस्टकार्डों की बिक्री

6726. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अप्रैल, 1994 के "दैनिक जागरण" में डाकघर के बजाए कर्मियों के घर से बिकते हैं, पोस्टकार्ड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्मचारियों के निवासस्थानों से पोस्टकार्ड बेचे जाने की कोई घटना ध्यान में नहीं आई है। अप्रैल, 1994 के प्रथम सप्ताह के दौरान फतेहगढ़ हैड पोस्ट ऑफिस में पोस्टकार्डो की कमी हो गई थी। किन्तु, सर्किल स्टैम्प डिपो, कानपुर से इसकी पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था करके इस कमी को दूर किया गया था। हालांकि, दूरदर्शन पर आयोजित विभिन्न क्विज-प्रतियोगिताओं के लिए पोस्टकार्डो का बहुत बड़ी संख्या में प्रयोग किया जाता है, किन्तु पोस्टकार्डो की कमी का यही एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। तथापि, जहां कहीं पोस्टाकार्डों की कमी जब भी ध्यान में आती है, वहां उनकी पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति की जाती है।

श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर हमला

6727. **डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका भारतीय मछुआरों की समस्याओं का हल निकालने के लिए "कच्चाथीवू करार" को कार्यान्वित कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) भारत और श्रीलंका के बीच 1974 और 1976 के समुद्री सीमा करारों के विधिक ढांचे के अन्तर्गत दोनों देश पाक

स्ट्रेट के मछुआरों की समस्याओं को सुलझाने के तौर तरीकों के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की बातचीत का पिछला दौर 8 से 9 मार्च 1994 को कोलम्बो में हुआ। इन विचार विमर्शो के दौरान दोनों पक्ष अक्टूबर 1993 में विदेश सचिव स्तर की बातचीत में भारतीय मछुआरों को प्रभावित करने वाली घटनाओं को रोकने के लिए निर्धारित उपायों को प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सहमत हुए। ये उपाय (1) मछुआरों द्वारा बढ़ती जाने वाली सावधानी तथा (2) मछुआरों के उत्पीड़न को रोकने के लिए श्रीलंका की नौसेना द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के सम्बन्ध में है। 21 से 22 अप्रैल 1994 तक श्रीलंका के विदेश मंत्री की दिल्ली की यात्रा के दौरान इस विषय पर भी विचार विमर्श हुआ। दोनों सरकारें इस विषय पर द्विपक्षीय विचार विमार्श की प्रक्रिया जारी रखने पर सहमत है।

समुद्री संचार केन्द्र

6728. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरन स्थित मछली पकड़ने के पत्त में तट में समुद्र तक वायरलेस संचार सुविधाओं से युक्त एक समुद्री संचार केन्द्र स्थापित करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। संचार मंत्रालय के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केरल में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

6729. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्र :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992-93 और 1993-94 में केरल में कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) क्या 1994-95 में राज्य में नए एक्सचेजों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार विचार आठवीं योजना की शेष अवधि के दौरान केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों को विकसित करने/आधुनिक बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) वर्ष 1992-93 और 1193-1994 के दौरान केरल में चालू किए गए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 218 और 57 है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान चालू किए जाने के लिए प्रस्तावित नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेजों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) दूर संचार विभाग की 8वीं योजना का उद्देश्य, धनराशियों और उपस्कर उपलब्ध होने पर, छोटे और मध्यम आकार के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (लाइन फाइंडर टाइप) को बदलना है।

(ङ) सभी छोटे इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेजों को पहले ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदला जा चुका है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्यम आकार के 27 इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (लाइन फाइंडर टाइप) को बदलने का भी विचार है।

विवरण

वर्ष 1994-95 के दौरान चालू किए जाने वाले प्रस्तावित नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजो का जिलेवार ब्यौरा।

1.	अल्लैप्पी	2
2.	कालीकट	5
3.	मल्लापुरम	5
4.	वायनाड	1
5.	कन्नानोरे	10
6.	कासरगोड	3
7.	कोट्टायम	2
8.	एरूनाकुलम	7
9.	इडुक्की	2
10.	पालघाट	2
11.	पटनमथीट्टा	4
12.	क्विलोन	3
13.	त्रिचूर	4
14.	त्रिवेन्द्रम	6

दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में

6730. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों के प्रसारण के क्या मानदंड हैं।

(ख) क्या दूरदर्शन पर दिखाए जाने के उद्देश्य से कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए असमिया फिल्मों की संख्या बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन प्रदान की गई क्षेत्रीय भाषा फिल्मों को अपने राष्ट्रीय नेटवर्क में वर्णाक्रमानुसार बारी-बारी से प्रसारित करता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। फरवरी, 1994 से प्रथमिक चैनल के अतिरिक्त केवल क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों के लिए विनिर्दिष्ट तीन उपग्रह चैनलों में से एक (डी.डी.-5) पर भी असमिया फिल्मों का प्रसारण किया जा रहा है।

पोर्ट आर.ए.एक्स. की खरीद

6731. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में संचार सुविधाएं मुहैया कराने के लिए 128 पोर्ट आर.ए.एक्स. तथा अन्य सी-डाट स्विचिंग उपकरणों की खरीद संबंधी क्रय नीति का मूल उद्देश्य क्या है;

(ख) जल क्रय नीति घोषित की गयी थी तो क्या दूर संचार विभाग ने 128 पोर्ट आर.ए.एक्स. के 1500 नगों की खरीद के बारे में संकेत दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो केवल 500 नगों की खरीद का आदेश देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दूर संचार मुख्यालयों को 500 नगों की खरीद के उपरोक्त क्रयदेश का विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) वर्तमान वर्ष के दौरान दूरसंचार केन्द्रों द्वारा आर.ए.एक्स. उपकरणों की खरीद की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 128 पोर्ट आर.ए.एक्स. और अन्य सी-डॉट उपस्कर की खरीद के लिए क्रम नीति का मूलभूत उद्देश्य, दूरसंचार नेटवर्क में विश्वसनीय स्विचन उपस्करों को शामिल करने का है। आर.ए.एक्स. आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल

किया जाता है और उच्च क्षमता के सी- डॉट एक्सचेंज, सामान्यतया नगरों में इस्तेमाल किए जाते हैं।

(ख) जी हां 1993-94 के दौरान 1,32,000 लाइनें चालू करने के लिए 1500 आर.ए.एक्स. की निविदा आमंत्रित की गई थी।

(ग) आदेश देने के समय वस्तुतः केवल 500 अदद की खरीद के लिए आदेश दिए गए थे। निविदा पर कार्रवाई करने के बाद सर्किलों की जरूरत की दोबारा समीक्षा की गई और यह पाया गया कि डिजिटल ट्रंकिंग की अतिरिक्त सुविधा पाले 256 पोर्ट क्षमता के स्विचन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 128 पोर्ट की जरूरत कम हो गई थी। अतः अपेक्षित मात्रा का इस प्रकार वितरण किया गया। 128 पोर्ट सी- डॉट आर.ए.एक्स. की 500 अदद और 256 पोर्ट सी-डॉट आर.ए.एक्स. की 500 अदद इस प्रकार लाइनों की कुल संख्या करीब 1,32,000 रखी गईं।

(घ) और (ङ) कुछेक सर्किलों में उनको आबंटित फर्मों को आरंभ में खरीद आदेश नहीं दिए थे। यह मुख्यतः निधियों की कमी के कारण हुआ। तथापि, मुख्यालय से अनुदेश मिलने के बाद अधिकांश मुख्य महाप्रबंधकों ने खरीद आदेश जारी कर दिए है।

(च) 1994-95 के दौरान लगभग 1380 अदद 128 पोर्ट और 256 पोर्ट आर.ए.एक्स. की खरीद के लिए अनंतिम योजना बनाई गई है जो निम्नवत है :-

128-पी-	216 अदद
256-पी-	1164 अदद

[हिन्दी]

सामरिक महत्व की सड़कों के लिए आबंटन

6732. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सड़कों के रख रखाव के लिए उन राज्यों, जहां सेना द्वारा रक्षा संबंधी कार्य किया जाता है, के लिए विशेष धनराशि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की सड़कों के रख रखाव के लिए उस राज्य को 1989-90 से अब तक राज्य वार कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(घ) क्या राजस्थान राज्य को इस प्रयोजनार्थ अब तक 1 25 लाख रुपयों धनराशि दी गयी है;

(ङ) शेष धनराशि कब तक दे दी जाएगी; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार धनराशि में वृद्धि करने का विचार कर रही है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (च) रक्षा

मंत्रालय सामरिक सड़कों के विकास से संबंधित अपनी आवश्यकताएं जल-भूतल परिवहन मंत्रालय को परियोजित करता है जो संबंधित राज्यों अथवा बी.आर.डी.बी. के माध्यम से कार्य करवाता है।

इस प्रकार की सड़कों के रख-रखाव के लिए केन्द्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों को कोई निधि उपलब्ध नहीं करवाती है।

बिहार में मछलियों का प्रसंस्करण

6733. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में 1992-93 के वित्तीय वर्ष में प्रसंस्कृत मछली का कितना उत्पादन हुआ तथा इनका रुपयों में मूल्य कितना था ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गांगाई) : बिहार में 1992-93 में 164070 मीटन टन मछली का उत्पादन हुआ। देश के अन्दर स्थित राज्य होने के कारण लगभग 97 प्रतिशत पकड़ी गई मछली ताजी/बर्फ में लगाकर बेची जाती है। शेष 3 प्रतिशत का निपटान फुटकर कामों के लिए किया जाता है। बिहार में केनिंग, फ्रीजिंग, करिंग और फिश मील आदि द्वारा मछली का विशिष्ट रूप से प्रसंस्करण नहीं किया जाता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग

6734. **श्री के. मुरलीधरन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केरल राज्य सहित पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और उनका अनुसरण एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध निधियों में से राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। पिछले तीन वर्षों (1991-92 से 1993-94) में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उनके अनुरक्षण के लिए कुल 75.09 करोड़ रुपये आंबटित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार होने से दुर्घटनाएं कम होने में सहायता मिलती है।

[हिन्दी]

सोना निकालने की लागत

6735. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्वर्ण खानों का ब्यौरा क्या है जिनसे सोना निकालना अधिक खर्चीला है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी.जी.एम.एल.) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एकमात्र सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है जो स्वर्ण खनन के क्षेत्र में कार्यरत है। बी.जी.एम.एल. द्वारा संचालित स्वर्ण खानों में, कर्नाटक के कोलार जिले में स्थिति मैसूर चैम्पियन अमलगामेटेड, खान व नन्दीदुर्ग खान तथा आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में स्थित येप्पामाना खान व आंध्र प्रदेश के चित्तुर जिले में स्थित चिगारगुंटा तथा ओल्ड बिसनाथम खानें हानि में चल रही हैं।

(ख) बी.जी.एम.एल. ने कोलार गोल्ड फील्ड्स क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधियों को लागत कम करने के उद्देश्य से सिर्फ उथले खनन तक ही सीमित रखा है। इसके अलावा, कम्पनी ने उत्पादन लागत कम करने के लिए विद्युत के उपभोग व अन्य खर्चों में कमी के उपाय किए हैं।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग

6736. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाला बनाने के लिए होने वाले अनुमानित खर्च का ब्यौरा प्रस्तुत किया है;

(ख) और (ग) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इन अनुमानित खर्च के बारे में मंजूरी कब दी गयी थी और इसकी कुल लागत क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पारादीप और हल्दिया के बीच यात्री और माल परिवहन

6737. **डा. कृपासिंधु भोई** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप और हल्दिया के बीच जलमार्ग से यात्री और माल परिवहन व्यवस्था शुरू करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पारादीप और हल्दिया के बीच का खंड देश के तटीय जल का हिस्सा है। पारादीप और हल्दिया के बीच पहले से ही कार्गो जहाजों का प्रचालन हो रहा है। इस खंड में यात्री जहाजों के प्रचालन के लिए इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान और बंगलादेश के साथ समुद्री सीमा

6738. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** 20 दिसम्बर, 1993 के तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ अरब सागर में तथा बंगलादेश के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा के निर्धारण की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस संबंध में बातचीत की वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) समझौता करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

बंगलादेश :

(क) बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए भारत की सरकार और बंगलादेश की सरकार के बीच नवम्बर, 1974 से जनवरी, 1982 तक बातचीत के 8 दौर हो चुके हैं। इन बातचीतों के बावजूद अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

(ख) उपरोक्त बातचीत पुनः शुरू करने के लिए राजनयिक और अन्य माध्यमों से प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों पक्षों के दृष्टिकोणों में अन्तर होने के कारण कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ है।

पाकिस्तान :

(क) से (ग) सरक्रीक क्षेत्र में भारत-पाकिस्तान समुद्री सीमा का निर्धारण करने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत के 5 दौर हो चुके हैं। 5-6 नवबंर 1992 को नई दिल्ली में इस विषय पर हुई बातचीत के पिछले दौर में दोनों पक्षों ने विचारों का विस्तृत आदान-प्रदान किया तथापि सरक्रीक क्षेत्र में सीमा की व्याख्या के संबन्ध में मतभेद बने हुए हैं।

1-3 जनवरी, 1994 को इसलामाबाद में हुई भारत और पाकिस्तान के बीच सविच स्तर की वार्ता के बाद सरकार ने पाकिस्तान को रचनात्मक और विशिष्ट सुझाव भेजे हैं, जो इस विषय पर एक व्यापक और अर्थपूर्ण बातचीत का आधार बन सकते हैं।

दामोदर घाटी निगम

6739. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम अपनी कुछ नई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनमें अनुमानतः कितनी पूंजी परिव्यय शामिल है तथा क्या इनमें से कोई परियोजना प. बंगाल में लगाई जायेंगी; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) दामोदर घाटी निगम (डी.वी.सी.) का मैथान दांया तट ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगावाट) जिसका अधिष्ठापन बिहार में धनबाद जिले में होना है, वर्ष 1994-95 के लिए जापानी वित्तीय सहायता हेतु, ओवरसीज इक्नोमिक कोपरेशन फण्ड (ओई.सी.एफ.) को प्रस्तुत की गई है। परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 2486.23 करोड़ रुपये है जो कि 1993 की चौथी तिमाही के मूल्य पर आधारित है।

[हिन्दी]

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के बिजली घरों से निकलने वाली राख का उपयोग

6740. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विभिन्न बिजली घरों से निकलने वाली कुल राख में से कितनी प्रतिशत राख का विभिन्न प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की राख का अधिकतम सम्भव उपयोग करने के लिए कोई दीर्घावधि योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार की इस कार्य को शुरू करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन.टी.पी.सी.) ने अपनी विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में वर्ष 1993-94 के दौरान उत्पन्न राख की लगभग 7 प्रतिशत मात्रा का समुपयोजन किया है। 1993-94 के दौरान लगभग 15 मिलियन टन उत्पन्न राख में से, एक मिलियन टन से अधिक राख का विभिन्न उद्देश्यों जैसे निचली भूमि का विकास, राख कुण्ड का निर्माण, बंजर भूमि का विकास, सीमेंट और एसवेस्टस उद्योग को राख की आपूर्ति, निर्माण सम्बन्धी सामग्रियों के उत्पादन आदि के लिए समुपयोजन किया गया।

(ग) और (च) एन.टी.पी.सी. ने सरकार को एक दीर्घावधि योजना प्रस्तुत की है जिसमें इसके विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों में 2000 ईस्वी तक उत्पन्न होने वाले राख की 15 प्रतिशत मात्रा का समुपयोजन किए जाने परिकल्पना की गई है। योजना की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) और (च) सरकार ने विद्युत यूटीलिटीज के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं जिसमें राख आधारित उद्योगों को स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए विभिन्न अवसरचनात्मक सुविधाएं जुटाने की परिकल्पना की गई है। सरकार के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एन.टी.पी.सी. ने भी नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्धारण किया है, जिसमें विभिन्न अवसरचनात्मक सुविधाएं जुटाने जैसे सम्बन्धित उद्यमियों को लीज पर भूमि देना, की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

कलकत्ता टेलीफोन्स के अन्तर्गत टेलीफोन काटना

6741. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन्स द्वारा बिलों का भुगतान किए जाने के बावजूद अनेकों टेलीफोन काट दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे उपभोक्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ङ) सूचना मंगवाई गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डाकघर अधिनियम पुनरीक्षा समिति

6742. **श्री राम नाईक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाकघर अधिनियम पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) कूरियर सेवाओं के संबंध में इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा किए गए संशोधनों का स्वरूप क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1993 में।

(ग) कुरिअर सेवाओं के संबंध में समिति की सिफारिशें यह थीं कि हालांकि डाक विभाग पत्र भेजने का अपना अनन्य विशेषाधिकार बनाए रखे, पर वह किसी फीस और नियमों द्वारा निर्धारित

शर्तों के अध्यधीन प्राइवेट कुरिअर्स को 200 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक के भार के पत्र ले जाने के लिए लाइसेंस देने की पद्धति आरम्भ कर सकता है।

(घ) और (ङ) डाकघर अधिनियम पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

भोपाल में एफ.एम. केन्द्र

6743. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में एफ.एम. केन्द्र स्थापित कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा;

(ग) क्या भोपाल के लिए कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन किया गया है;

(घ) इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं तो इसका गठन कब तक कर दिया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति, भोपाल के सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कार्यक्रम परामर्शदात्री समिति, आकाशवाणी, भोपाल

1. श्री जगदीश सैनी
967, कमला नेहरू नगर
गेट नं. 4, जबलपुर
मध्य प्रदेश

2. डा. सुरेन्द्र कुमार शुक्ला
ब्यौहारी
जिला शहडोल
मध्य प्रदेश

3. श्री हरि खेडिया
निवास तथा पो. बिजुरी
जिला शहडोल
मध्य प्रदेश

4 श्रीमती पुष्पा सिंह
रामनगर कॉलियरी
बिजुरी
जिला शहडोल
मध्य प्रदेश

5. सुश्री माबेल रेबेलो
एल/7, त्रिवेणी कॉम्पलेक्स
रोशनपुर
भोपाल-462 003

6. डॉ. लखन अहिरवार
एफ 9/9, चार इमली,
भोपाल-16

7. श्री दीप चन्द यादव
45, बंगला भोपाल
भू.पू. अध्यक्ष, नगर निगम,
भोपाल

8. श्री काजिम अली खान
श्यामला कोठी
श्यामला हिल्स
भोपाल

9. श्री पी.सी. शर्मा
एस-1/7, 11 क्वार्टर्स,
भोपाल

10. श्री अमरीक सिंह
भू.पू. अध्यक्ष, स्थायी समिति
भोपाल नगर निगम, रंजीत होटल,
भोपाल

11. श्रीमती इंदिरा आयंगर
अरेरा कालोनी
भोपाल

12. श्री खालिद अलीम खान,
भू.पू. अध्यक्ष, स्थायी समिति,
नगर निगम, भोपाल, ईदगाह हिल्स,
भोपाल

[अनुवाद]

ग्रेनाइट की खानों का निजीकरण

6744. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में ग्रेनाइट की खानों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ खानें पहले ही निजी क्षेत्र को सौंप दी गयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) ग्रेनाइट के खनन की अनुमति निजी क्षेत्रों को पहले ही दे दी गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

6745. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान के चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : आकाशवाणी व दूरदर्शन स्थलों के चयन के मानदण्डों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रसारण विधि तथा तकनीकी उपयुक्तता, ग्रामीण व शहरी जनता हेतु फलित कवरेज की सीमा, पर्वतीय, पिछड़े, आदिवासी, दूरस्थ, संवेदी तथा सीमा क्षेत्रों में सेवा की व्यवस्था, मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं की सुलभता जैसे कारक शामिल हैं। स्थल के चयन में एतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को भी विचारगत रखा जाता है।

विभिन्न स्थलों पर टी.वी. कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की व्यवस्था निम्नलिखित परिमाण द्वारा शासित होती है :

(1) प्रत्येक राज्य की राजधानियों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की व्यवस्था;

(2) सांस्कृतिक महत्व के चुनिन्दा स्थलों पर;

(3) क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुनिन्दा रिले केन्द्रों पर ?

भारत में पूंजी निवेश सम्बन्धी अमरीकी प्रस्ताव

6746. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री राम कापसे :
श्री अन्ना जोशी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश के सम्बन्ध में विचार विमर्श करने के लिए अमरीका और इंग्लैण्ड की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां तो उन देशों में निवेशकर्ताओं और निगमों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया थी; और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशी निवेश से स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) यू.के. और यू.एस.ए. को निजी कंपनियों से अब तक 25 विद्युत परियोजनाओं के अधिष्ठापन हेतु प्रस्ताव प्राप्त किय जा चुके हैं। जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

क्रम संख्या	देश का नाम	परियोजना की संख्या	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनंतिम लागत (रुपये करोड़)
1.	यू.एस.ए.	22	11589	38122
2.	यू.के.	3	2050	6525

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

यू.एस.ए. और यू.के. की निजी कंपनी द्वारा प्रकट की गई रुचि का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना/राज्य का नाम	विदेशी/भारतीय	क्षमता (मेगावाट)	अनंतिम लागत अनुमान (करोड़ रुपये)	कंपनी का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जेगुरूपाडू जी.बी.पी.पी./(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	235.00 (गैस)	827.00	जी.वी.के. इंडस्ट्रीज, यू.एस.ए.
2.	काकीनाडा जी.बी.पी.पी./(गोदावरी) आन्ध्र प्रदेश	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	208.00 (गैस)	748.43	स्पैक्ट्रम पॉवर जनरेशन लिमिटेड, (यू.एस.ए.)
3.	विशाखापत्तनम टी.पी.एस./ आन्ध्र प्रदेश	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोंयला)	3000.00	अशोक लेलैण्ड एंड नेशनल पावर (यू.के.)
4.	अमगुड़ी जी.बी.पी.पी./ असम	विदेशी	360.00 (गैस)	1280.00	नार्दर्न इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज यू.एस.ए./आगरा इंडस्ट्रीज

1	2	3	4	5	6
5.	हिसार टी.पी.एस./ हरियाणा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1000.00	कोजैन्ट्रिक्स इन्क. यूं.एस.ए.
6.	हिब्रा एच.ई.पी./ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	231.00 (ज.वि.)	708.50	हारजा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.
7.	धामवाड़ी एच.ई.पी./ हिमाचल प्रदेश	विदेशी	70.00 (जल विद्युत)	245.00	हारजा इंजीनियरिंग कं. यू.एस.ए.
8.	मंगलौर टी.पी.एस./ कर्नाटक	विदेशी	1000.00 (कोयला)	5088.00	कोजेन्ट्रिक्स इन्क. यू.एस.ए.
9.	मंगलौर टी.पी.एस./ कर्नाटक	भारतीय विदेशी	300.00 (कोयला)	900.00	जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि./ नैशनल पॉवर (यू.के.)
10.	अलमत्ती डैम एच.ई.पी./ कर्नाटक	विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम	600.00 (ज. विद्युत)	1800.00	एशिया पावर कं. लि. (टापको) यू.एस.ए., कर्नाटक पावर कारपोरेशन
11.	हौसपेट टी.पी.एस./ कर्नाटक	विदेशी	500.00 (1×500) (कोयला)	1350.00	हॉक-इंटर-कॉटिनेंटल लि., यू.एस.ए.

12.	रायचूर चरण-5 टी.पी.एस./ कर्नाटक	विदेशी भारतीय संयुक्त उद्यम	500.00 (2×250) (कोयला)	1000.70	पब्लिक पॉवर इन्ट, इन्ड. (नार्थ ईस्ट एनर्जी) यू.एस.ए. कर्नाट्क पावन कारपोरेशन
13.	थीक्कारीपुर टी.पी.पी./ केरल	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	1480.00	एम.ए. अल-मदुरई जैन ट्रेडिंग एस्ट. यू.ए.ई. स्कैप्चर पावर कं. यू.एस.ए.
14.	दभोल सी.सी.जी.टी. (एल.एन.जी.)/ महाराष्ट्र	विदेशी	2015.00 (एल.एन.जी.)	9051.00	एनरॉन पावर डबलपमेंट कारपोरेशन एंड जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन, यू.एस.ए.
15.	तलचेर टी.पी.एस./ उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	15.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज़ यू.एस.ए.
16	कमलांगा (धनकनाल टी.पी.एस.) उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1500.00	इंटरनैशनल इंक्विटी पाटनर्स, एल.पी. यू.एस.ए.
17.	इष घाटी टी.पी.एस./ उड़ीसा	विदेशी	420.00 (2×210) (कोयला)	2025.60	ए.ई.एस. कारपारेशन, यू.एस.ए.

1	2	3	4	5	6
18.	दुबूरी टी.पी.एस./ उड़ीसा	विदेशी/ भारतीय	500.00 (2×250) (कोयला)	1548.00	कलिंगा पावन कारपोरेशन/ नार्थ ईस्ट एनर्जी सर्विसेज़ इन्क. यू.एस.ए./उड़ीसा सरकार
19.	लापंगा टीपीएस/ उड़ीसा	विदेशी	500.00 (2×250) (कोयला)	1750.00	पायोनियर एनर्जी इन्क. यूएसए/डयूक इंजीनियरिंग, सर्विसेज़ यूएसए
20.	कुड्डालोर टी.पी.एस./ तमिलनाडु	विदेशी	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	इंटरनेशनल कॉंट्रक्टिंग एंड मार्केटिंग कारपोरेशन, यू.एस.ए.
21.	पिल्लईपेरूमलनल्लूर सी.सी.जी.टी./ तमिलनाडु	विदेशी	300.00 (2×100) (+1×100) (गैस)	429.49	पीगविजयकुमार रेड्डी. माकोवस्की एसोसिएटस. यू.एस.ए.
22.	जीरा यूनिट (एन.एल.सी.)/ तमिलनाडु	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	210.00 (1×210) (लिग्नाईट)	750.00	एस.टी. पावर सिस्टम्स इन्क. यू.एस.ए.

23.	रोजा टी.पी.एस./ उत्तर प्रदेश	विदेशी/ भारतीय	750.00 (3×250) (कोयला)	2625.00	इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स/पावर जनरेशन, यू.के.
24.	सागरदीघी टी.पी.एस./ प. बंगाल	विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम	1000.00 (2×500) (कोयला)	2000.00	डवलपमेंट-कंसल्टेंट प्रा.लि., सी.एम.एस., यू.एस.ए. जनरेशन एंड डब्ल्यू.बी.एस.ई.बी.
25.	दानकुनी जी.बी.पी.पी./ प. बंगाल	विदेशी (अनिवासी भारतीय)	20.00 (गैस)	40.00	स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजीज यू.एस.ए.
			13639.00	446446.99	

गुड़गांव से दिल्ली तक डी.टी.सी.

6747. **श्री शशि प्रकाश : क्या भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव के बीच चलने वाली बसों की संख्या काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गुड़गांव से केन्द्रीय टर्मिनल होते हुए शिवाजी स्टेडियम तक तथा शिवाजी स्टेडियम से केन्द्रीय टर्मिनल होते हुए गुड़गांव तक जाने वाली डी.टी.सी. बसों के रूट हाल ही में बदल दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार विचार अधिकांशतः केन्द्रीय टर्मिनल के आसपास के क्षेत्रों में कार्यरत केन्द्रीय कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए पुराना रूट पुनः बहाल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं। दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली के विभिन्न स्थानों से गुड़गांव तक पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराई हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी हां। अलाभकारी प्रचालन के कारण दि.प.नि. द्वारा मार्ग बदल दिया गया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) उक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) दि.प.नि. अलाभकारी अंतर्राज्जीय मार्गों पर अपनी बसें नहीं चला सकता।

दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई गई फिल्में

6748. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय चैनल पर दिखाई गई फिल्मों के स्तर के बारे में आम जनता ने प्रतिकूल टिप्पणी की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन ने जन आलोचना से बचने के लिए राष्ट्रीय चैनल पर दिखायी जाने वाली फिल्मों के संबंध में नई नीति तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो नई नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) कब तक नई नीति लागू कर दी जायेंगी; और

(ङ) राष्ट्रीय चैनल पर अन्य कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए किए गए अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) जी, नहीं। दूरदर्शन द्वारा 1993 के उत्तरार्द्ध में शुरू की गई प्रायोजित फिल्मों की योजना के प्रति दर्शकों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। अब दूरदर्शन पूर्ववर्ती व्यवस्था जिसमें स्वतः प्रस्तुत फिल्मों पर, उनके प्राप्तिक्रम में विचार किया जाता था बजाए फिल्मों के प्रस्ताव आमंत्रित करके उनका चयन करता है।

(ङ) दूरदर्शन के प्राथमिक चैनल सहित चैनलों के कार्यक्रम स्वरूप को अपने बृहत्तम प्रतिनिधित्व दर्शक वर्ग की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से फरवरी, 1994 में संशोधित किया गया था।

दूरदर्शन द्वारा संसद सत्र बढ़ाये जाने की घोषणा

6749. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने यह घोषणा की थी कि संसद सत्र 18 मई, 1994 तक बढ़ा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बात की जांच करायी गयी है कि यह गलत और अनधिकृत घोषण किस प्रकार की गयी;

(ग) जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि कोई जांच नहीं की गयी, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। उक्त समाचार मद, जिसमें दूरदर्शन द्वारा बाद में संशोधन कर लिया गया था, समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर आधृत थी, भविष्य में इसी प्रकार की गल्ती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए समाचार बुलेटिनों में ऐसी खबरें शामिल करने से पूर्व प्राधिकृत प्रतिनिधियों से उनके पूर्व सत्यापन के समुचित अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश में खनिज भण्डारों का सर्वेक्षण

6750. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खनिज भंडारों का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। फील्ड सत्र 1992-93 के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पश्चिम कामेंग जिले के वासुधारा-अमृतगंगा, मुक्तंग व शेरगांव ब्लाकों में सीसा-जस्ता खनिजीकरण हेतु विस्तृत जांच की है। चांगलांग जिले के विजयनगर क्षेत्र के प्लेटीनॉड्स में स्वर्ण हेतु प्राथमिक जांच की है व अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले में चूना पत्थर के लिए जांच कार्य किया है। आगे कार्य जारी है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गये सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप, चांगलांग जिले के नामचिक-नामफुक क्षेत्र में ऐश व फासफोरस के कम अंश वाले अच्छी किस्म के कोयले के 93 मिलियन टन के कुल भंडारों लोहित जिले में टिडिंग और टेल्लु नदियों के संगम स्थल के समीप सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के 91 मिलियन टन के भंडारों व जामिरी और चेलियपम के दोनों ओर रूपा डोलोमाइट के 185 मिलियन टन के भंडारों का पता चला है।

अमरीका और असम राज्य विद्युत बोर्ड के बीच विद्युत क्षेत्र समझौता

6751. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य विद्युत बोर्ड ने असम में एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए अमरीका स्थित एक कम्पनी के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) संयंत्र को पूरा करने के लिए कितनी समयावधि निर्धारित की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) असम स्थित अमगुड़ी में 360 मेगावाट गैस आधारित संयुक्त साइकिल विद्युत संयंत्र की स्थापना किए जाने हेतु असम राज्य बिजली बोर्ड (ए.एस.ई.बी.) और मै. एन.ई.आई. आगरा इक. (यू.एस.ए.) के बीच 10-6-1993 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत 400 मिलियन अमरीकी डालर है। एन.ई.आई. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगी, परियोजना के वित्त पोषण हेतु व्यवस्था करेगी और आपसी स्वीकार्य विद्युत क्रय समझौता के अधीन, उत्पन्न की गई विद्युत को बेचेगी। इसके अतिरिक्त, ए.एस.ई.बी., संयंत्र स्थल पर पर्याप्त क्षमता वाले गैस आपूर्ति पाइप लाइन ले जाने और विद्युतनिकासी सुविधाएं जुटाने के लिए, सरकार से आवश्यक स्वीकृतियां/अनुमतियां प्राप्त करने की व्यवस्था करेगा। सभी औपचारिकताओं के पूरा होने और संयंत्र तथा उपस्कर हेतु आर्डर दिए जाने के बाद परियोजना पूरा करने के समय का अनुमान लगाया जा सकेगा।

पक्षकारों की सेवाएं प्राप्त करना

6752. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की भांति किसी अन्य देश अथवा देशों के समूह में पक्षकारों की सेवाएं प्राप्त करने की प्रथा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन देशों में अपना पक्षकार नियुक्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं। जबकि अन्य देशों में दवाब डालने वाले दलों तथा गैर सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ रही है तथापि अभी तक व्यावसायिक पक्षकारों की कोई स्थापित संस्कृति नहीं है जैसे की अमरीका में है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत पाक सीमा पर सुरक्षाबल

6753. **श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाक वार्ताओं के फलस्वरूप भारत-पाक सीमा से बलों की कोई वापसी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) भारत द्वारा मई, 1990 में प्रस्तावित विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों के सुझाव के अनुसरण में भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत के सात दौर हुए हैं, जिनमें विश्वास उत्पन्न करने वाले उपायों पर विचार-विमर्श हुआ जिनमें सैन्य स्वरूप के उपाय भी शामिल हैं।

इन बातचीतों के परिणाम स्वरूप दोनों देशों के मिलिटरी ऑपरेशन से संबंद्ध महा निदेशक एक दूसरे से नियमित सम्पर्क बनाए हुए हैं, सैन्य अभ्यासों तथा सेना की गतिविधियों के बारे में पूर्व सूचना तथा सैन्य विमानों द्वारा हवाई-मार्ग के उल्लंघन को रोकने से सम्बन्धित दो करार सम्पन्न किए गए हैं। रसायनिक हथियारों के इस्तेमाल, उत्पादन आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध से सम्बन्धित एक घोषणा जारी की गई है तथा नाभिकीय प्रतिष्ठानों एवं सुविधाओं पर हमले को रोकने से सम्बन्धित एक द्विपक्षीय करार का अनुसमर्थन किया गया है।

पाकिस्तान के साथ भारत पाकिस्तान सीमा पर सेनाओं को पीछे हटाने के सम्बन्ध में कोई बातचीत नहीं हुई है।

दक्षिण-एशिया क्षेत्र में नया व्यापार गुट

6754. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और दक्षिणी अमरीका मुक्त व्यापार करार का सदस्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दक्षिण एशिया क्षेत्र में देशों का एक नया व्यापार गुट बनाने के लिए पहल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) एक दक्षिण एशियाई देश होने के नाते भारत अपने ही क्षेत्रीय ग्रुप अर्थात् दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का सदस्य है। भारत न तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य है और न ही उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार करार का सदस्य है। भारत ने एशिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग (एपेक) का सदस्य बनने में अपनी रुचि जाहिर की है। अभी तक एपेक की सदस्यता प्रशान्त महासागर के कुछ तटीय राज्यों तक ही सीमित है। नवबंर 1993 तक सभा पटल में हुए एपेक शिखर सम्मेलन में 1997 तक नए सदस्यों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया। तथापि भारत उम्मीद करता है कि एपेक के कुछ कार्यक्रमों से उसे संबद्ध किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन में अनियमितताएं

6755. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन के लिए बनाए गए अधिकृत और प्रायोजित कार्यक्रमों में गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं पायी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बिजली निर्माताओं द्वारा बनाए गए चुनिंदा प्रायोजित धारावाहिक इस श्रेणी में आते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लोक लेखा समिति ने इन अनियमितताओं का पता लगाया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) जबकि प्रायोजित कार्यक्रमों के संबंध में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं की सूचना नहीं है, कमीर्शड

कार्यक्रमों के संबंध में लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में निम्नलिखित अपर्याप्तताओं/कमियों का उल्लेख किया गया है :-

"कार्यक्रम संबंधी अपेक्षाओं के बारे में आयोजना का अभाव, निर्माताओं, के चयन/उन्हें सूचीबद्ध किए जाने संबंधी प्रक्रिया का अभाव, लागत संबंधी तकनीकों में दोष, निर्माण में विलम्ब, प्रतिभूति जमा-राशियों तथा स्रोत पर आयकर कटौती के टेलीकास्ट में विलम्ब, निर्माताओं के साथ प्रकाशना[illegible] में भागीदारी, स्कीम के प्रशासन के विनियमन हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों/निर्देशों का अभाव और इस सबंध में दूरदर्शन पर मंत्रालय के नियंत्रण का अभाव तथा दूरदर्शन के लेखा के रख-रखाव में कुछ चूक।"

(ङ) सिफारिशों की जांच की जा रही है, जिसके पश्चात् उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही शुरू की जाएगी।

अप्रसार संधि

6756. **श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या विदेश मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में ऐसा बिल पास किया है जो प्रेसलर संशोधन के नाम पर, अमरीका को किसी देश द्वारा उसकी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने पर उस देश के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने की शक्तियां प्रदान करता है;

(ख) क्या किसी विदेशी आर्थिक या अन्य संगठन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दवाब डाला है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां। सरकार ने आशय की रिपोर्टें देखी हैं कि अमरीकी प्रशासन ने प्रेसलर संशोधन से संबंधित मौजूदा विदेशी सहायता अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने के लिए अमरीकी कांग्रेस का प्रस्ताव भेजे हैं, इसके बाद प्राप्त खबरों से यह पता चलता है कि अमरीकी प्रशासन के यह प्रयास असफल रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने निरंतर यह कहा है कि वे नाभिकीय अप्रसार संधि पर इसके भेदभावपूर्ण स्वरूप के कारण हस्ताक्षर नहीं करेगी।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण हेतु धनराशि

6757. **श्री तारा सिंह :**
श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण कार्य पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण ठप्प हो गया है; और

(ख) यदि हां तो सरकार संसाधन जुटाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) सरकार और स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (जिसकी इस्को सहायक कम्पनी है) के पास संसाधनों की अड़चनों के कारण सरकार द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) के आधुनिकीकरण के लिए निवेश सम्बन्धी निर्णय लेना संभव नहीं हो सका है।

इस्को के बर्नपुर इस्ताप का कारखाने का शीघ्र आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने इसके साम्या और प्रबन्धन में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) को इस्को में उसकी शेयरधारिता को निजी व्यक्ति को हस्तांरित करने के उद्देश्य से सरकार को शक्तियां देने के लिए एक विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। यह विधेयक विभागों से सम्बद्ध उद्योग विषयक स्थायी समिति के विचाराधीन था और समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट संसंद में प्रस्तुत कर दी है।

सी.बी.एस. की एक फिल्म का टेलीविजन पर प्रसारण

6758. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री राम सिंह कस्वां :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अमेरिकी टेलीविजन तन्त्र सी.बी.एस. द्वारा भारतीय परमाणु ऊर्जा केन्द्रों की सुरक्षा के संबंध में एक फिल्म का टेलीविजन पर प्रसारण करने के संबंध में दिनांक 14-27 मार्च, 1994 के 'बिजनेस इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) सी.बी.एस. ने 13 फरवरी, 1994 को अपने कार्यक्रम "सिक्सटी मिनट" में एक फिल्म का प्रसारण किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम "महत्वाकांक्षी गुप्त और पर्याप्त खतरनाक" है। इसने यह दावा किया कि भारत के नाभिकीय संयंत्रों के चारों ओर अत्याधिक "गोपनीयता और सुरक्षा" है। इसमें यह बताया गया कि भारत का नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम "खतरनाक रूप से असफल" है। इसने यह दावा किया कि पिछले वर्ष भारत में 146 नाभिकीय दुर्घटनाएं हुईं और इनमें से पांच दुर्घटनाओं में लोग मारे गए।

सरकार ने कहा है कि 'सिक्सटी मिनट" कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रसारित फिल्म "तथ्यों का जानबूझकर गलत प्रस्तुतिकरण" है। 15 फरवरी, 1994 को परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने कहा कि सी.बी.एस. दल को उसकी भारत यात्रा के दौरान भारत के नाभिकीय विनियमन व्यवस्था की कार्यप्रणाली के बारे मं विस्तार से बताया गया था, परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि इन विचारों

को अन्तिम रूप से प्रसारण में बहुत कम प्रदर्शित किया गया था महत्व दिया गया। परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड ने इस बात का पुनः आश्वासन दिया कि देश में सभी नाभिकीय कार्यकलापों, जिसमें बिजली का उत्पादन शामिल है, की सुरक्षा का सुनिश्चय करने के लिए विनियमन व्यवस्था और प्रक्रियाएं सुव्यवस्थित हैं और इन्हें कारगर रूप से क्रियान्वित किया जाता है।

वाशिंगटन स्थित भारत का राजदूतावास ने उक्त टिप्पणियां एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की और "सिक्सटी मिनट" के कार्यकारी निर्माता को एक पत्र भी लिखा जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उन अन्तर्राष्ट्रीय उच्च मानकों का ब्यौरा दिया गया है जो भारत अपनी सभी नाभिकीय सुविधाओं में बनाए रखता है।

तिब्बत के संबंध में बैठक

6759. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**
श्री चित्त बसु :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली में तिब्बत के संबंध में आयोजित बैठक को न रोकने के लिए सरकार से चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इसका दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार 18-20 मार्च, 1994 को कुछ सांसदों द्वारा तिब्बत के संबंध में नई दिल्ली में आयोजित बैठक से किसी प्रकार से संबंद्ध नहीं थी। सरकार के विचार से तिब्बत चीन का एक स्वायत्र क्षेत्र है। भारतीय कानूनों के अन्तर्गत किसी को भी अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। सरकार उम्मीद करती है कि कुछेक व्यक्तियों की गैर सरकारी गतिविधियों से भारत-चीन संबंधों की सुधार प्रक्रिया जो इस समय चल रही है, प्रभावित नहीं होगी। इस स्थिति में चीन की सरकार को अवगत करा दिया गया है।

वन भूमि में खनिजों का दोहन

6760. **श्री आनन्द रत्नमौर्य :**
श्री एन. जे. राठवा :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में खनन कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में दिये गये खनन पट्टों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने वन भूमि में खनिज भंडारों का दोहन करने संबंधी कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत जनजातियों को इन खनिज भंडारों के दोहन का अधिकार दिया जाएगा;

(च) यदि हां, तो इसके लिए क्या शर्तें निर्धारित की गयी हैं; और

(छ) यह कार्यक्रम कब से कार्यान्वित किया जाएगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फिल्म उद्योग की समस्याएं

6771. **श्री हरीशनारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया से फिल्म उद्योग की विभिन्न समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने समस्याओं के समाधान हेतु क्या कार्यवाही की है;

(ग) फिल्म निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों को राहत प्रदान करने हेतु की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार व्यवहारिक नीतियों के निर्धारण और फिल्म उद्योग की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु फिल्म उद्योग की विभिन्न समस्याओं की संवर्ती समीक्षा के लिए केन्द्र स्तर पर कोई नियमित संस्था/सर्वोच्च निकाय बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया (एफ.एफ.आई.) के दिनांक 3 अगस्त 1993 के प्रत्यावेदन में उठाई गई मुख्य मांगें (1) मनोरंजन कर की समाप्ति, और (2) विद्युत शुल्क में रियायत की। दोनों विषय राज्य सरकारों की संघ शासित प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया की मांगों को सूचना और प्रसारण मंत्री ने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रशासनों से सहानुभूति विचार करने तथा अनुकूल निर्णय देने की सिफारिश की है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाई को स्थापना

6772. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशाखापत्तनम में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एल्यूमिनियम इकाई स्थापित करने में किसी निजी फर्म को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, इस इकाई की प्रस्तावित क्षमता कितनी है तथा इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा और इससे रोजगार के कितने अवसर सृजित होंगे ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार का विशाखापत्तनम में स्वयम् 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एल्यूमिनियम इकाई लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु ऐसे 100 प्रतिशत वाले प्रस्तावों के लिए विचार किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दामोदर घाटी निगम

6763. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ताप विद्युत/पनविद्युत उत्पादन तथा गैस टरबाईन निर्माण सहित दामोदर घाटी निगम की वर्तमान अधिकष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) दामोदर घाटी निगम इस समय 1703.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मेझिकया ताप विद्युत परियोजना (3×210 मेगावाट) का क्रियान्वयन कर रहा है। यूनिट 1 को फरवरी, 1995 में चालू करने का कार्यक्रम है तथा तत्पश्चात् यूनिट-2 को सितम्बर, 95 और यूनिट-3 को मई, 1996 में चालू करने का कार्यक्रम है। मैथान दाया तट ताप विद्युत केन्द्र चरण-1 (4×210 मेगावाट) अधिष्ठापित किए जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके अलावा, डी.वी.सी.

के निम्नलिखित विद्यमान और विद्युत केन्द्रों को नवीकरण, आधुनिकीकरण एवं क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है :

(1) बोकारो "क" ताप विद्युत केन्द्र (3×50 मेगवाट+1×55 मेगावाट)

(2) चन्द्रपुरा ताप विद्युत केन्द्र (3×120 मेगावाट+3×140 मेगावाट)

(3) दुर्गापुर ताप विद्युत केन्द्र (2×55 मेगावाट+1×140 मेगावाट)

(4) मैथान जल विद्युत केन्द्र (3×20 मेगावाट)

(5) पंचेत जल विद्युत केन्द्र (1×40 मेगावाट)

दामोदर घाटी विद्युत निगम (डी.वी.सी.) की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता 2241.50 मेगावाट है, जिसमें 2007.50 मेगावाट ताप विद्युत, 144 मेगावाट जल विद्युत और 90 मेगावाट गैस टर्बाइन क्षमता शामिल है।

(ग) मेझिया ताप विद्युत परियोजना से 630 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा। मैथान ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 से 840 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है। विद्यमान केन्द्रों की नवीकरण, आधुनिकीकरण और क्षमता अभिवृद्धि स्कीमों को क्रियान्वित किए जाने के पश्चात् इन केन्द्रों से भी अधिक विद्युत उत्पादन किए जाने की आशा है।

टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान

6764. **श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान का पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसकी एक शाखा स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र की ऊर्जा क्षमता का उपयोग करने हेतु उक्त शाखा की स्थापना करने की अनुमति देने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

खनिजों का उत्खनन और निर्यात

6765. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रति वर्ष बिहार में खुदाई करके निकाले गये खनिजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य से खुदाई करके निकाले गये खनिजों का निर्यात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो खनिज वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निर्यातों से अर्जित आय में बिहार का हिस्सा कितना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बिहार से निर्यात किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में अभ्रक तथा लौह अयस्क हैं।

(घ) राज्यवार निर्यात किए गए खनिजों तथा उनसे प्राप्त हुई आय का रख-रखाव सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, और इसीलिए ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

बिहार राज्य में 1991-92 तथा 1992-93 के वर्षों के दौरान खनिजों का उत्पादन

(मूल्य हजार रुपये में)

खनिज	इकाई	1991-92		1992-93	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6
बाक्साइट	टन	1084268	91897	1109529	99667
तांबा अयस्क	टन	1187960	756752	1328067	849709
स्वर्ण*	किलोग्राम	284	91267	291	105816
लौह अयस्क	000 टन	10049	1007414	9902	1095193
मैगनीज अयस्क	टन	16821	3208	22960	5466
चांदी**	किलोग्राम	17173	122914	15610	106395
डोलोमाइट	टन	149061	24935	184247	30687
फेल्पपर	टन	3226	345	4975	361
फायरक्ले	टन	49506	3156	53089	3610

1	2	3	4	5	6
ग्रेफाइट	टन	5651	1113	8020	1606
काओलिन	टन	38843	14418	29554	13998
कायनाईट	टन	10116	10707	5374	4946
लाइमस्टोन	000 टन	1429	289051	1303	240481
अभ्रक (कच्चा)	टन	1887	15197	1176	7195
अभ्रक (अपशिष्ट व स्क्रैप)***	टन	680	उपलब्ध नहीं	550	उपलब्ध नहीं
ओकर	टन	167	16	90	6
पायराइटस	टन	130650	56833	130325	56691
क्वार्टज	टन	953	98	2633	212
क्वार्टजाइट	टन	21225	1832	6150	406
सिलिका सैण्ड	टन	79674	10389	73458	10824
स्टीटाइट	टन	4812	296	3600	214

*सोना कापर स्लाइम के बाई-प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त किया जाता है।

**यह राजस्थान में उत्पादित सीसा सान्द्रों से एच.जैड.एल. के टुण्डू स्थित सीसा स्मैल्टर, धनबाद में प्राप्त किया जाता है। सिंहभूमि जिले में, कापर स्लाइम से एच.सी.एल. के मोबान्डर स्थित स्मैल्टर में प्राप्त किया जाता है।

***इसमें खान स्थान पर कच्चा अभ्रक को साफ करते समय प्राप्त अपशिष्ट तथा खान अपशिष्ट भी शामिल है।

[अनुवाद]

टेलीफोनों का किराया

6766. **श्री एस.एम. लालजान वाशा :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों का वार्षिक किराया कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं । शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों का मौजूदा वार्षिक किराया कम है फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन किरायों को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऊपर भाग "क" के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त व्यापार परिषद समझौता

6767. **श्री मोहन रावले : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने किन-किन देशों के साथ पहले ही संयुक्त व्यापार परिषद समझौता किया;

(ख) क्या कुछ और देशों ने अपने साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देने हेतु ऐसे समझौते में शामिल होने के लिए भारत से सम्पर्क किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) महोदय जिन देशों के साथ भारत ने संयुक्त व्यापार परिषद समझौता किया है उन देशों के नामों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) उन देशों की सूची भी संलग्न विवरण-II में दी गई है जिन्होंने ऐसे समझौतों के लिए भारत में संयुक्त व्यापार परिषद से सम्पर्क किया है।

(ग) संयुक्त व्यापार परिषद एक स्वंतत्र और गैर सरकारी निकाय है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंव इन्डस्ट्री (फिकी) और एसोशिएटिड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री (एसोचाम) द्वारा संयुक्त रूप से गठित स्थायी दल के सम्पूर्ण रूप पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करती है संयुक्त व्यापार परिषद भारत के व्यापार को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त व्यापार परिषद का मुख्य उद्येश्य व्यापार संबंधी मुद्दों पर भारतीय और विदेशी निजी व्यापार और औद्योगिक संगठनों और वैयक्तिक उद्यमियों के बीच औपचारिक पारंस्परिक क्रियाकलापों के लिए एक मंच तैयार करना है। यह मंत्रालय और विदेश स्थित इसके मिशन इस तरह के पारस्परिक क्रियाकलापों में मदद करते हैं।

विवरण-I

क्षेत्र IV	पश्चिम एशिया और अफ्रीका	:	भारत-अरब
			भारत-इथोपिया
			भारत-ईरान
			भारत-कीनिया
			भारत-नाइजीरिया

		भारत-मारीशस
		भारत-बहरीन
क्षेत्र V	दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	भारत-जापान
		भारत-कोरिया
		भारत-आस्ट्रेलिया
		भारत-अफगानिस्तान
		भारत-बंगलादेश
		भारत-चीन
		भारत-इंडोनेशिया
		भारत-मलेशिया
		भारत-सिंगापुर
		भारत-श्रीलंका
		भारत-थाईलैंड
		भारत न्यूजीलैंड
		भारत-ताईवान

संयुक्त व्यापार परिषद, नई दिल्ली

क्षेत्रवार ब्यौरा

क्षेत्र I	अमरीका	भारत-अमरीका
		भारत-कनाडा
		भारत-क्यूबा
		भारत अर्जेंटीना
		भारत ब्राजील
		भारत कोलम्बिया
		भारत मैक्सिको
क्षेत्र II	पश्चिमी यूरोप	भारत डेनिश
		भारत फ्रेंच

		भारत-फिनिश
		भारत-इतावली
		भारत-नीदरलैंड्स
		भारत-पुर्तगाली
		भारत-स्पेनिश
		भारत-स्वीडिश
		भारत-तुर्की
		भारत-साइप्रस
		भारत-यू.के.
क्षेत्र III	पूर्वी यूरोप	भारत-बल्गारिया
		भारत-पालिश
		भारत-हंगरी
		भारत-रूमानियां
		भारत-रूसी परिसंघ
		भारत-यूगोस्लाव

विवरण-II

प्रस्तावित संयुक्त व्यापार परिषद

1. भारत-मोरक्को
2. भारत-उगान्डा
3. भारत-फिलीपीन्स
4. भारत-स्लोवेनिया
5. भारत मोजाम्बिक
6. भारत-चैक
7. भारत-ओमान
8. भारत-खाड़ी सहयोग परिषद
9. भारत-कुवैत
10. भारत-स्लोवाक

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

6768. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्रतिवर्ष फिल्म उद्योग से कितने राजस्व की प्राप्ति होती है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को प्राप्त हुए राजस्व का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (रा.फि.वि.नि.) राजस्व का कोई भी प्रतिशत फिल्म उद्योग से प्राप्त नहीं करता।

(ख) गत तीन वर्षों में निगम द्वारा अपने व्यापार कार्यालयों के माध्यम से अर्जित राजस्व इस प्रकार हैं :

1991-92	803.50 लाख रुपये
1992-93	885.71 लाख रुपये
1993-94	1475.00 लाख रुपये (अनन्तिम)

[अनुवाद]

पोत मरम्मत यार्ड

6769. **श्री नीतीश कुमार :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में पोत मरम्मत यार्डों के बारे में कोई तथ्यात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पोत मरम्मत यार्डों को 1993-94 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने भारतीय जहाज मरम्मत उद्योग के वर्तमान स्तर को सुनिश्चित करने के लिए 1991-92 में एक अध्ययन किया था। सरकार को 1992 में प्रस्तुत की गयी अपनी रिपोर्ट में उन्होंने निम्नलिखित वास्तविक स्थिति दर्शाई है :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के चार बड़े जहाज निर्माण/मरम्मत यार्ड हैं अर्थात् कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोचीन, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता तथा मझगांव डाक लिमिटेड बम्बई। यद्यपि उपर्युक्त जहाज निर्माण/मरम्मत यार्डों के पास ग्रेविंग गोदियां एवं जल के अन्दर मरम्मत वाली बर्थें हैं, लेकिन इस समय केवल दो शिपयार्ड अर्थात् को.शि.लि. एवं डि.शि.लि. वाणिज्य जलयानों की मरम्मत करते हैं क्योंकि मझगांव डाक लिमिटेड और गार्डरन रीच शिप एंड इंजी. में उन सुविधाओं का उपयोग अधिकांशतः रक्षा जलयानों के लिए किया जाता है। केवल को.शि.लि. एवं डि.शि.लि. वाणिज्य जलयानों के लिए व्यापक ड्राई डाकिंग और मरम्मत सुविधाएं प्रदान करते हैं। उनके पास आधुनिक उपकरण हैं, जिनमें पर्याप्त वर्कशाप सुविधाएं, केन और आधारभूत संरचना शामिल है।

(2) सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम आकार के 3 शिपयार्डों में से वास्कोडिगामा स्थित गोवा नहीं शिपयार्ड रक्षा जहाज निर्माण में लगा हुआ है और इसके पास कोई शुष्क गोदी नहीं है, किन्तु अपने जहाजमार्गों पर अपेक्षाकृत छोटे क्राफ्टों की मरम्मत करता है। इसी प्रकार कलकत्ता स्थित के.अ.ज.प. निगम काराजावागान डाक यार्ड एवं हुगली डाक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड आई.डब्ल्यू.टी. के जहाजों और अन्य छोटे जहाजों की मरम्मत करता है।

(3) एक निजी उद्यमी द्वारा मद्रास में जल बर्थों और वर्कशाप सुविधाओं के साथ दो फ्लोरिंग शुष्क गोदियों से युक्त एक विशेष जहाज मरम्मत यार्ड की स्थापना की गयी है।

(4) इसके अलावा, सीमित सुविधाओं वाले अनेक छोटे जहाज मरम्मतकर्ता हैं लेकिन उनके पास शुष्क गोदियां अथवा जल के अन्दर मरम्मत करने वाली बर्थें नहीं हैं। वे संबंधित पत्तनों पर आने वाले जहाजों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं।

(5) बम्बई और कलकत्ता पत्तनों पर शुष्क गोदियां हैं लेकिन वे बहुत पुरानी हैं। वाणिज्य पोतों और पत्तन क्राफ्टों की मरम्मत के लिए बम्बई पत्तन पर 2 और कलकत्ता पत्तन पर 5 शुष्क गोदियां हैं।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों द्वारा अर्जित की गयी विदेशी मुद्रा लगभग 6.02 लाख अमरीकी डालर है।

[अनुवाद]

एफ-16 की बिक्री

6770. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1994 के "आबजर्वर" में "एफ 16 सेल कान्ट्रेरी टू. यू. एस. गोल्स रे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार को इस पर अमेरिका से कोई प्रतिक्रिया मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अमेरिका की सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तान द्वारा विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर सत्यापनीय रोक लगाने के बदले पाकिस्तान को 38 एफ-16 विमानों तथा अन्य सैन्य उपकरणों के हस्तान्तरण का प्रस्ताव एक द्विपक्षीय प्रस्ताव है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री श्री स्ट्रोब तालबोट की इस्लामाबाद की यात्रा के उपरान्त अमेरिका और पाकिस्तान दोनों को स्वीकार्य दृष्टिकोण तैयार करने के उद्देश्य से अमेरिका की पहल पर आगे विचार की पहल पर आगे विचार करने के लिए सहमत हुए।

दूरसंचार उपकरण

6771. **श्री राम कापसे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विस्तार कार्यक्रमों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए गैर सरकारी एजेंसियों से आधुनिक दूरसंचार उपकरण पट्टे पर प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप दूरसंचार क्षेत्र में क्या सुधार होने की संभावना हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बड़ी डिजिटल स्विचन प्रणाली की 5.7 लाख टेलीफोन लाइनें पट्टे के आधार पर प्राप्त करने की व्यवस्था को विभाग ने अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) पट्टे के आधार पर उपस्कर प्राप्त करने से दूरसंचार सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

जलपोतों की खरीद

6772. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **जल भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की जलपोतों की खरीद संबंधी नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार नौवहन कम्पनियों को पोतों की खरीद की अनुमति दे रही है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जहाजों की खरीद, निजी उद्यमियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों दोनों के लिए खुली हुई हैं। निजी

जहाज मालिक कंपनियों द्वारा कूड तेल टैंकर और ओ.एस.वी. को छोड़कर सभी प्रकार के जहाजों की खरीद के लिए सरकार को स्वतः अनुमोदन हैं। तथापि, यह अनुमोदन, विशिष्ट खरीद के मामलों में ही दिया जाएगा जो सरकार द्वारा निर्धारित आयु मानदंड पूरा करते हैं। ऐसा अनुमोदन 45 दिन की अवधि के लिए वैध होगा।

अन्य प्रस्तावों के मामले में निजी उद्यमी जहाज खरीद लाइसेंसिंग समिति के विचारार्थ एक आवेदन प्रस्तुत करेगा जो 45 दिनों के अन्दर, लाइसेंस जारी करने से संबंधित निर्णय की जानकारी देगी।

[हिन्दी]

बिहार में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

6773. **श्री लाल बाबू राय** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान बिहार में कितने इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए गए और कितने गांवों में एस.टी.डी. सुविधाएं प्रदान की गईं; और

(ख) निकट भविष्य में ऐसे कितने नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) (1) बिहार में स्थापित इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों की संख्या निम्नवत है :

1992-93	304
1993-94	120

(2) जिन ग्रामों में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराई गई है उनकी संख्या के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) (1) 1994-95 के दौरान स्थापित किए जाने वाले अधिक क्षमता वाले नये इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संख्या 8 है।

(2) भविष्य में कम क्षमता वाले नए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि किसी स्थान पर टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कम से कम 10 भुगतान शुदा मांग दर्ज हों। बिहार में 1994-95 के लिए अनंतिम रूप से कम तथा मध्यम क्षमता वाले 72 एक्सचेंजों का आबंटन किया गया है।

हज सद्भावना शिष्टमंडल

6774. **श्री राजेश कुमार :**
डा. मुमताज अंसारी :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हज, 1993 के लिए सरकारी हज सद्भावना शिष्टमंडल के सदस्यों के नामों पदों, पेशों तथा मूल निवासों सहित ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके साथ कितने और लोग हज पर गए थे;

(ग) सऊदी अरब में वे कितने दिन रहे;

(घ) उनके आवास, परिवहन, टेलीफोन शुल्क, दैनिक भत्ते, उपहारों और आतिथ्य पर कुल कितने रुपये खर्च हुए;

(ङ) शिष्टमंडल द्वारा सऊदी अरब में आयोजित प्रेस सम्मेलन में बुलाए गए व्यक्तियों और प्रकाशित वक्तव्यों के रूप में किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(च) क्या शिष्टमंडल ने सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(छ) हज सेवा के सुधार के लिए दिए गए सुझावों और की गई सिफारिशों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और उन्हें हज, 1994 के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) हज, 1993 के लिए 18 सदस्यीय भारत सरकार के सद्भावना शिष्टमंडल का स्वरूप, जिसमें उनके नाम, पदनाम, व्यवसाय और प्रत्येक सदस्य को मूल निवास को राज्य का ब्यौरा शामिल है, विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) इस शिष्टमंडल के साथ 23 व्यक्ति और गए थे।

(ग) यह शिष्टमंडल सऊदी अरब में 23 दिनों तक रहा।

(घ) हज, 1993 के लिए इस शिष्टमंडल पर कुल 92,25,650 रुपये खर्च हुए। व्यय का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(ङ) इस शिष्टमंडल ने सऊदी अरब हज और औकफ मंत्री से भेंट की तथा तीर्थयात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात् शिष्टमंडल के नेता मक्का में सऊदी मंत्री द्वारा दिए गए रात्रि भोज में शामिल हुए। शिष्टमंडल ने मक्का और मदीना के गर्वनरों से भी भेंट की। मक्का और मदीना के गर्वनरों को भारत की सरकारी यात्रा पर आने का निमंत्रण दिया गया। कुछ सदस्यों ने मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्राचार्य से भी मुलाकात की और मदीना में कुरान प्रिंटिंग प्रतिष्ठान भी गए। शिष्टमंडल के नेता ने भारत के प्रधान कांसलावास, जद्दाह में एक प्रैस सम्मेलन को सम्बोधित किया जिसमें अंग्रेजी और अरबी समाचारपत्रों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इसके पश्चात् शिष्टमंडल के नेता कुछ समाचार पत्रों के संवाददाताओं से अलग अलग मिले। कुछ सदस्यों ने वहां के प्रसिद्ध व्यक्तियों से जैसे मदीना में हराम के इमाम और मोंस्सासा के अध्यक्ष से मुलाकात की।

(च) सऊदी अरब से लौटने पर, शिष्टमंडल ने उनके नेता द्वारा हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट सरकार को भेजी।

(छ) शिष्टमंडल ने हज सेवाओं में सुधार के लिए कई सुझाव दिए। इनमें सद्भावना शिष्टमंडल का सऊदी अरब में समय से काफी पहले पहुंच जाने का सुझाव शामिल है ताकि हज से पहले सऊदी विशिष्ट व्यक्तियों से सम्पर्क क़िया जा सकें। इसके अतिरिक्त इनमें केन्द्रीय हज समिति तथा जद्दाह के भारत का प्रधान कोंसलावास के बीच और अधिक सहयोग, मक्का/मदीना में समय से काफी पहले तीर्थयात्रियों को अपना प्रबंध स्वयं करने का विकल्प, हज कार्य योजना समय-समय सीमा का बेहतर ढंग से अनुपालन करने, उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने ताकि सऊदी अरब में तीर्थयात्रियों के प्रवास की अवधि घटाकर 30 दिन कर दी जाए, प्रस्थान से पूर्व तीर्थयात्रियों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रमों का प्रावधान तथा भारत सरकार के हज प्रतिष्ठान को सुदृढ़ करने के संबंध में विभिन्न प्रशासनिक सुझाव भी शामिल हैं। इन सुझावों की विस्तार में जांच की जा रही है तथा उनकी व्यवहार्यता एवं आवश्यकता और जहां जरूरी हो सऊदी पक्ष की सहमति को ध्यान में रखते हुए निरन्तर आधार पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

विवरण-I

वर्ष 1993 के हज के लिए भारत सरकार के सद्भावना शिष्टमंडल का स्वरूप

1. श्री पी.एम. सईद
   गृह राज्य मंत्री — नेता

2. श्री सलामतुल्लाह — उपनेता

3. श्री मौहम्मद अकबर पाशा
   संसद सदस्य (तमिलनाडु)

4. मुफ्ती मंजूर साहिब, कानपुर (उत्तर प्रदेश)

5. श्री गुलाम रसूल माटो,
   संसद सदस्य, काश्मीर

6. श्री सईद अहमद
   महाराष्ट्र के विधान सभा सदस्य और भूतपूर्व मंत्री

7. मौलाना जुनैद साहेब, बनारस (यू.पी.)

8. कारी हिफ्जुर रहमान, बिहार

9. श्री टी.एच. मुस्तफा
   खाद्य मंत्री त्रिरुअनन्तपुरम
   केरल सरकार

10. कैप्टन अयूब खान
    संसद सदस्य (लोक सभा)

11. मौलाना जमील अहमद इल्यासी
(अखिल भारतीय इमाम परिषद)

12. श्री शाफेत हुसैन,
सदस्य, जेड.आर.यू.सी.सी. (एन.आर.)
57, नाग सिनेमा रोड, लखनऊ

13. डा. मौहम्मद फजल रहमान
सहायक निदेशक
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉजी, हैदराबाद

14. श्री मोतलुर रहमान
महासचिव, बिहार (पी.सी.सी.)

15. श्री गुलाम रसूल कर,
अध्यक्ष
पी.सी.सी. कश्मीर

16. मोहम्मद इल्यास
मार्फत मोहम्मद युनूस सलीम
एम.पी.

17. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
शिक्षा मंत्री
केरल राज्य सरकार

18. डा. काजी गजान्फर अली...सदस्य सचिव
संयुक्त सचिव
संघ लोक सेवा आयोग
नई दिल्ली

विवरण-II

हज वर्ष 1993 के लिए भेजे गए हज सद्भावना शिष्टमंडल पर किए गए व्यय का विवरण

विदेशी मुद्रा में (सऊदी रियाल)

आवास	707,325.50
परिवहन	192,245.00
दूरभाष शुल्क	28,299.97

दैनिक भत्ता		101,579.00
	कुल (क)	1,029,449.47
	रुपयों में	87,50320.00

भारतीय मुद्रा में

हवाई यात्रा किराया		4,39,380.00
अतिरिक्त सामान		18,350.00
फुटकर खर्च		4,600.00
मनोरंजन		7,500.00
विदेश यात्रा कर		5,400.00
	कुल (ख)	4,75,330.00
	कुल जोड़ (क+ख)	92,25,650.00

भद्रक उड़ीसा में अल्प शक्ति के ट्रांसमीटर

6775. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के भद्रक में कार्यरत अल्प शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर अपेक्षानुकूल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर में बदलने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) विद्युत सप्लाई में बार-बार गड़बड़ी के फलस्वरूप एंटेना में दोष आने के कारण पिछले कुछ समय से भदरक में अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर का कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं था। दोष का निवारण कर दिया गया है और अब केन्द्र के सामान्य रूप से कार्य किए जाने की सूचना है। तथापि, विद्युत सप्लाई में गड़बड़ी से केन्द्र से सामान्य प्रसारण पर प्रतिकूल प्रभाव जारी है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। बालेश्वर जिले में टेलीविजन सेवा को सुदृढ़ करने की दृष्टि से वहां एक उच्च शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन है। इस प्रकार की बड़ी परियोजना को पूरा करने में, स्थल पर सिविल कार्य आरंभ किए जाने के बाद लगभग 3-4 वर्ष का समय लगता है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाक व तार सेवाओं से राजस्व की प्राप्ति और उन पर हुआ खर्चा

6776. **श्री विलासराव नागनाथ राव गूंडेवार : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र सरकार को 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान टेलीफोन, डाक और तार सेवाओं से कितना-कितना राजस्व प्राप्त हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन सेवाओं पर कितनी राशि खर्च की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) महाराष्ट्र में 1991-92, 1992-93 और 1993-94, मार्च तक (प्राथमिक) लेखे के वर्षों के दौरान सरकार द्वारा टेलीफोन डाक तथा तार सेवाओं से अर्जित राजस्व इस प्रकार है :

(करोड़ रुपये में)

	1991-92	1992-93	1993-94 (मार्च प्राथमिक) 94 तक
टेलीफोन	317.75	401.38	447.67
डाक	165.38	204.00	204.15
तार	22.53	18.89	13.80

(ख) इन सेवाओं पर उपर्युक्त अवधि के दौरान व्यय हुई राशियां इस प्रकार हैं :

	1991-92	1992-93	1993-94 (मार्च) (प्राथमिक) 94 तक
टेलीफोन	107.88	126.62	152.02
डाक	206.08	218.44	236.58
तार	18.22	20.25	20.83

गुजरात में रेडियो/दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार

6777. **श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात में कितने आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और इस संबंध में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया और किन-किन स्थानों पर यह कार्य शुरू किया जाना था; और

(ख) 1993-94 के दौरान गुजरात में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार और स्थापना के लिए क्या योजना तैयार की है और इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक केंद्र के लिए क्या प्रबन्ध किए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी ने, 8वीं योजना के दौरान गुजरात राज्य में अपने नेटवर्क के विस्तार हेतु चार योजनाएं चलाने का लक्ष्य रखा था। जिनमें से विगत दो वर्षों के दौरान अहवा स्थित आकाशवाणी केन्द्र चालू किया गया है। जूनागढ़, बड़ोदरा तथा अहमदाबाद (वी.बी.) की शेष स्कीमें कार्यान्वयन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। आठवीं योजना के दौरान अपने नेटवर्क के विस्तार को दूरदर्शन द्वारा योजनाओं में, उच्च शक्ति के 4 अल्प शक्ति के 16 तथा अत्यल्प शक्ति के 2 ट्रांसमीटर लगाना शामिल हैं। विगत दो वर्षों के दौरान भुज (उ.श.ट्रां) खंभात (अ.श.ट्रां) तथा अहमदाबाद (अ.श.ट्रां.) की तीन योजनाएं चालू की गई हैं।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ संबंध

6778. **श्री चित्त बसु : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलादेश के साथ कौन से प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान किया जाना है; और

(ख) इन मुद्दों का समाधान करने और भारत और बंगलादेश के बीच संबंधों में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) बंगलादेश के साथ जिन मुख्य द्विपक्षीय मसलों को सुलझाया जाना है उनमें संयुक्त नदियों के जल का बंटवारा, चकमा शरणार्थियों को स्वदेश वापिसी को शीघ्र पूरा करना, बंगलादेश से अवैध आप्रवासन, विद्रोह संबंधी घटनाएं तथा सांस्कृतिक, वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग का विस्तार शामिल है।

सरकार बंगलादेश के साथ मैत्रीपूर्ण तथा सहयोग के संबंध में बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य से सभी अनसुलझे मसलों को सुलझाने के लिए बंगलादेश की सरकार के साथ हमारी बातचीत तथा द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारे प्रयास भविष्य में जारी रहेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों का निर्माण

6779. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राष्ट्रीय राजमार्गों और पुलों के निर्माण संबंधी अनेक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार को कर्नाटक से ऐसे कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु वे प्रस्ताव कब से लम्बित हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क और पुल निर्माण कार्यों के संबंध में 1993-94 के दौरान कुल 24 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। स्थिति निम्न प्रकार है :

प्रस्ताव	सड़क		पुल	
	संख्या	अनुमानित राशि (करोड़ रुपये)	संख्या	अनुमानित राशि (करोड़ रुपये)
प्राप्त	21	22.00	3	54.00
संस्वीकृत	19	17.00	1	4.00
वापस लौटाए	2	5.00	–	–
जिन पर कार्यवाही की जा रही है	–	–	2	50.00

गंगा नदी में परिवहन

6780. **श्री हरिन पाठक : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी में पोत चलाने की योजना के संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश के अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों में भी ऐसी परिवहन प्रणाली आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) गंगा के हल्दिया-पटना खंडों में कार्गो की ढुलाई के लिए सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. लिमिटेड, कलकत्ता नियमित रूप से आई.डब्ल्यू.टी. के जहाजों का प्रचालन करता है। आई.डब्ल्यू.ए.आई. को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वह सम्पूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग-1, अर्थात् गंगा (हल्दिया-इलाहाबाद) में 2 मीटर की गहराई बनाए रखे।

निजी आपरेटरों द्वारा प्रयोगात्मक-व-प्रोत्साहन के तौर पर आई.डब्ल्यू.टी. के जहाजों के प्रचालन संबंधी एक स्कीम को 84.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से लागू किए जाने को मंजूरी दी गई। शीघ्र ही मरम्मत/ड्राई डाकिंग के बाद इस स्कीम के तहत 600 टन क्षमता के दो जहाज जो सी.आई.डब्ल्यू.टी.सी. से आई.डब्ल्यू.ए.आई. द्वारा भाड़े पर लेकर राष्ट्रीय जल मार्ग-1 (गंगा) में प्रचालन के लिए गोवा बार्ज ओनर्ज एसोसिएशन को एक वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ये प्रभाव वसूल कर सकते हैं।

पासपार्ट आवेदन पत्रों को निपटाने की स्थिति का समाचार पत्रों में प्रकाशन

6781. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त देश में स्थित पासपोर्ट कार्यालय जनसाधारण की सूचनार्थ प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन के लिए पासपार्ट आवेदन पत्रों से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रेस को जारी करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर.एल. भाटिया) : (क) और (ख) पासपोर्ट कार्यालय प्रति सप्ताह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जिसमें पिछले सप्ताह जिस तारीख तक आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जा चुकी है उस की जानकारी दी जाती है।

(ग) प्रश्न हीं नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा उत्पादित सह-उत्पाद

6782. **डा. के.वी.आर. चौधरी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसकी सहायक कम्पनियों तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा उत्पादित सह-उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इनके विपणन तथा वितरण के लिए क्या मानदण्ड/मानक निर्धारित किए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित उपोत्पादों का उत्पादन करती हैं :

(1) उर्वरक

(2) कोयला-रसायन

(3) स्क्रैप

(4) स्लैग

उपरोकत उपोत्पादों में से स्क्रैप और स्लैग को "सेल" के इस्पात संयंत्रों द्वारा सीधे बेचा जाता है।

उर्वरकों और कोयला-रसायनों के लिए अपनाई जा रही वितरण प्रणाली नीचे दी गई है।

उर्वरक

उर्वरकों के मूल्यन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण है। उर्वरक विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार 'सेल' विभिन्न राज्यों की मांग के अनुसार छमाही आधार पर उर्वरकों की सप्लाई करता है। वितरण संजाल के माध्यम से भी उर्वरकों की बिक्री की जाती है, इसमें राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहित की जा रही संस्थागत एजेंसियां/सहकारी निकाय और प्राइवेट थोक डीलर भी शामिल हैं।

कोयला-रसायन

"सैल" द्वारा कोयला-रसायनों की बिक्री उपलब्धता के आधार पर या तो लम्बी अवधि के ठेकों या तदर्थ बिक्री के माध्यम से की जाती है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र)

निम्नलिखित उपोत्पादों का उत्पादन करता है :

(1) उर्वरक (अमोनियम सल्फेट)

(2) कोयला-रसायन

(3) स्लैग

(4) कैल्सिन्ड लाइम फाईन्स

(5) कैल्सियम कार्बाइड स्लज

(6) द्रव/गैस रूप में आक्सीजन, नाइट्रोजन और आरगोन।

वी.एस.पी. द्वारा उपोत्पादों की बिक्री विशाखापत्तनम स्थित मुख्यालय से वास्तविक प्रयोक्ताओं और निविदाओं के जरिए की जाती है। उत्पादों की मांग भी रजिस्टर की जाती है। सामग्रियों की सप्लाई के लिए तिमाही/छमाही/वार्षिक करार किए जाते हैं।

दूरदर्शन पर विज्ञापन

6783. **श्री अनन्तराव देशमुख : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को दूरदर्शन पर सरकार द्वारा प्रायोजित विज्ञापन नियंत्रित करने हेतु पृथक दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(ख) 1992-93 के दौरान सरकारी विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि के रूप में विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने इसे बहुत ही सक्षम संचार का माध्यम का कितना उपयोग किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) कार्यक्रमों के निर्माण और दूरदर्शन पर उनके प्रसारण पर 1992-93 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा 344.44 लाख रुपये का व्यय किया गया था।

महाराष्ट्र में टेलीविजन ट्रांसमीटर

6784. **श्री बापू हरि चौरे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजनावधि के दौरान महाराष्ट्र में कम शक्ति तथा उच्च वाले टेलीविजन ट्रांसमीटर कहां-कहां पर स्थापित किए जाने थे;

(ख) लक्ष्यों की प्राप्ति किस सीमा तक की गई है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में टलीविजन ट्रांसमीटरों के अलावा नये आकाशवाणी केंद्रों की स्वीकृति भी दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें से कितनों की स्थापना का काम पूरा किया गया है और आठवीं योजनावधि के दौरान राज्य में कितने टेलीविजन ट्रांसमीटर तथा आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) विवरण-I में संलग्न है।

(ख) जुन्नार में ट्रांसपोजर को छोड़कर विवरण-I में उल्लिखित परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सातवीं योजना में सम्मिलित नये रेडियो केन्द्रों के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। दूरदर्शन के पास आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में पहले से चालू 3 अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के अलावा 3 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 19 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर/अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/परिकल्पित हैं। आकाशवाणी के पास आठवीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में दो योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

विवरण-I

उच्च शक्ति/अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटरों के स्थान

क्र. सं.	स्थान
1	2
उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	
1.	अम्बाजीगई
2.	औरंगाबाद
अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	
3.	अचलपुर
4.	अमलनेर
5.	बर्शी
6.	बीर
7.	बुलढाना
8.	डिग्लूर
9.	गढ़चिरौली
10.	हिंगोली
11.	इचल्करन्जी
12.	कराड
13.	यवतमाल
14.	वर्धा
15.	किनवत
16.	मनमाड़

1	2
	17. नन्दूरबार
	18. उस्मानाबाद
	19. पंधरपुर
	20. पुसद
	21. रत्नागिरी
	22. सतारा
	23. शाहद
ट्रांसपोजर	
	24. औरंगाबाद
	25. जुनार

विवरण-II

क्रम संख्या	स्थान	स्कीम	
1.	बैतुल	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो	चालू कर दी गई है।
2.	अहमदनगर	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो	-तदैव-
3.	नान्देड	-तदैव-	-तदैव-
4.	कोल्हापुर	-तदैव-	-तदैव-
5.	अकोला	-तदैव-	-तदैव-
6.	यवतमाल	-तदैव-	-तदैव-
7.	सतारा	-तदैव-	-तदैव-
8.	चन्द्रपुर	-तदैव-	-तदैव-

1	2		
9.	धूले	-तदैव-	-तदैव-
10.	नासिक	2×3 कि.वा. एफ.एम. ट्रां., एम.पी. स्टूडियो	अभी चालू की जानी है।
11.	उस्मानाबाद	-तदैव-	-तदैव-

तमिलनाडु में दूरदर्शन प्रसारण

6785. **श्री एन. डेनिस :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के कौन-कौन से हिस्सों में दूरदर्शन नेटवर्क की प्रसारण सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या सरकार को तमिलनाडु से दूरदर्शन प्रसारण के विस्तार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) चूंकि, समूचा तमिलनाडु राज्य सैटैलाइट सेवा से लाभान्वित है, लिहाजा, सभी जिले भू-भागीय ट्रांसमीटरों से पूर्णतः या अंशतः कवर हैं। राज्य की 91.3 प्रतिशत आबादी तथा 91.2 प्रतिशत क्षेत्रफल को टी.वी. सेवा मिल रही है।

(ख) जी, हां। राज्य की टी.वी. सेवा के विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण के लिए, विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन मिलते रहते हैं।

(ग) तमिलनाडु में टी.वी. सेवा में वृद्धि से के उद्देश्य से राज्य में उच्च शक्ति के तीन व अल्प/अत्यल्प शक्ति के 15 ट्रांसमीटर फिलहाल कार्यान्वयनाधीन/लगाया जाना परिकल्पित है। ये परियोजनाएं पूरी होने पर राज्य की 96.1 प्रतिशत आबादी व 96.2 प्रतिशत क्षेत्रफल भू-भागीय प्रसारण से लाभान्वित होगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में पी.सी.ओ. धारकों पर बकाया राशि

6786. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के मंदसौर और रतलाम जिलों में कितने आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. हैं;

(ख) 1993-94 और 1994-95 के लिए उक्त पी.सी.ओ. संचालकों पर कितनी राशि बकाया है; और

(ग) बकाया राशि की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) मध्य प्रदेश के मन्दसौर तथा रतलाम जिलों में क्रमशः 80 और 130 आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. हैं।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 की बकाया राशियां निम्नवत हैं :

	1993-94	1994-95
मन्दसौर जिला	3,60,000	46,000
रतलाम जिला	47,890	शून्य

(ग) मन्दसौर जिले में जिन आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के संबंध में राशियां बकाया हैं उनके कनेक्शन काट दिए गए हैं। रतलाम जिले में पी.सी.ओ. कनेक्शन काटने के संबंध में नोटिस भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ. के फ्रेंचाइजियों से बकाया राशि वसूल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सचिवालय के लिए डी.टी.सी. बस सेवा

6787. **श्री संत राम सिंगला** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली कैन्ट रेलवे स्टेशन से केन्द्रीय सचिवालय स्थित अपने कार्यालय आने वाले सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन सरकारी कर्मचारियों की परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से इन दो स्थलों के बीच सुबह और शाम को व्यस्ततम समय के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बस चलाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह बस सेवा कब से शुरू कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली कैन्ट रेलवे स्टेशन से केन्द्रीय सचिवालय जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए व्यस्ततम समय के दौरान दि.प.नि. पर्याप्त रूप से नियमित तथा विशेष ट्रिपें उपलब्ध करवाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) बेड़े की समस्या के कारण दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन-केन्द्रीय सचिवालय रूट पर दि.प.नि. द्वारा अतिरिक्त बस सेवा उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

राउरकेला हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण

6788. **कुमारी फ्रिडा तोपनो** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राउरकेला हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उड़ने और उतरने की सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि राउरकेला हवाई अड्डे पर रात्रि में विमानों के उड़ने और उतरने की सुविधा नहीं है।

(ख) इस समय, "सेल" राउरकेला इस्पात संयंत्र की राउरकेला हवाई अड्डे जो निजी हवाई अड्डे के रूप में उनके स्वामित्व में है के आधुनिकीकरण की कोई योजना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

एशिया ब्राउन बावेरी, द्वारा विद्युत संयंत्र स्थापित किया जाना

6789. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया ब्राउन बावेरी ने आन्ध्र प्रदेश में राजा मुन्दरी के पास ज़गरूपाडु में 235 मैगावाट की "कम्वाइन्ड साईकिल विद्युत संयंत्र" की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना पर कार्य कब से शुरू हो जायेगा; और

(घ) प्रस्तावित संयंत्र पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) जी, नहीं। ए.बी.बी., जी.वी. के इण्डस्ट्रीज के साथ सम्बन्धित है, जो कि जेगरूपाडु परियोजना के केवल एक ठेकेदार के रूप में प्रवर्तक है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एल्यूमिनियम उत्पादक देशों द्वारा निर्यात

6790. **श्री के. प्रधानी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक देशों ने भारत को किए जाने वाले निर्यात में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) इस निर्णय का देश के एल्यूमिनियम उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) सरकार द्वारा एल्यूमिनियम के मूल्यों में तेजी से वृद्धि में कटौती करने के लिए क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) भारत का एल्यूमिना तथा एल्यूमिनियम का निर्यातक होने से किसी, प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई उम्मीद नहीं है।

(ग) सरकार ने वर्ष 1993-94 के वित्त वर्ष में एल्यूमिनियम पर सीमाशुल्क घटा दिया है और देश में एल्यूमिनियम की मात्रा पूरी करने के लिए 1994-95 के बजट प्रस्तावों में और कमी करना प्रस्तावित किया है।

केरल में आकाशवाणी केंद्र

6791. **श्री थाइल जॉन अंजलोल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में आकाशवाणी के समस्त सुविधाएं सम्पन्न कितने केंद्र, कितने रिले केंद्र और कितने सहायक केंद्र हैं;

(ख) क्या केरल में इनमें से कुछ रेडियो स्टेशनों का दर्जा बढ़ाने हेतु सरकार के पास कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य में आकाशवाणी सेवाओं के विस्तार हेतु कौन-कौन से प्रस्ताव हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) कालीकट, त्रिचूर, त्रिवेन्द्रम, कोचीन, केन्नों तथा इदुक्की में 6 पूर्ण विकसित रेडियो केंद्र हैं और केरल राज्य के एलेप्पी में एक रिले केंद्र कार्यरत है।

(ख) और (ग) जी, हां। केरल में आकाशवाणी केंद्रों का दर्जा बढ़ाने वाले ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

	स्थान	योजना
1.	त्रिचूर	20 कि.वा.मी.वे.ट्रा. के स्थान पर 100 कि.वा.मी. 100 कि.वा. मी.वे.ट्रा.

2.	कालीकट	10 कि.वा.मी.वे.ट्रा. के स्थान पर 100 कि.वा.मी.वे.ट्रा.
3.	एलेप्पी	100 कि.वा.मी.वे. ट्रां. के स्थान पर 2×100 कि.वा.मी.वे.ट्रा.
4.	त्रिवेन्द्रम (वी.बी.)	1 कि.वा.मी.वे.ट्रा. के स्थान पर 2×5 कि.वा.एफ.एम.ट्रा.
5.	"तथैव-	पुराने स्टूडियो के स्थान पर स्टूडियो।

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य में आकाशवाणी सेवाओं के उन्नयन की योजना नीचे दी गई है :

	स्थान	योजना
1.	त्रिवेन्द्रम	50 कि.वा.शा.वे. ट्रांसमीटर
2.	कोचीन	2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर

असमी भाषा के कार्यक्रमों का प्रसारण

6792. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के मैट्रो चैनल से प्रसारित असमी भाषा के कार्यक्रमों को एक पखवाड़े के अंदर कई बार प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी और मार्च, 1994 के दौरान एक ही कार्यक्रम को कितनी बार प्रसारित किया गया और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एक ही कार्यक्रम के बार-बार प्रसारण को रोकने तथा नये कार्यक्रमों का प्रसारण करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) मैट्रो चैनल पर असमिया भाषा में कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग

6793. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और उन्हें चौड़ा करने के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक विकसित करने के लिए कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं तथा इस संबंध में अभी तक क्या प्रगति हुई; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) राष्ट्रीय रजमार्गों के विकास और उन्हें चौड़ा करने के लिए वर्ष 1992-93 और 1993-94 में महाराष्ट्र राज्य को आबंटित की गई निधियां नीचे दर्शाई गई हैं :-

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रु.)
1992-93	3280.00
1993-94	3080.00

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सत्त प्रक्रिया है। यातायात की सघनता, सड़क की स्थिति, भूमि और जलवायु संबंधी स्थिति कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की समग्र उपलब्धता इत्यादि को ध्यान में रख कर सुधार कार्य किए जाते हैं।

[हिन्दी]

ताप/प्राकृतिक गैस विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत का उत्पादन

6794. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक प्राकृतिक गैस विद्युत संयंत्र द्वारा इस समय विद्युत का कितना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) ऐसे प्रत्येक संयंत्र में उत्पन्न की जा रही विद्युत की प्रति यूनिट लागत कितनी है;

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत प्राकृतिक गैस संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत की अपेक्षा कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में कच्चा लोहा बनाने का संयंत्र

6795. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कच्चा लोहा बनाने के एक संयंत्र की स्थापना करने में विदेशी निवेश हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में कच्चा लोहा संयंत्र की स्थापना करने के लिए सिंगापुर को एशियन फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2285.00 लाख रुपए को प्रदत्त पूंजी में 232.00 लाख रुपए (10.15 प्रतिशत) की राशि की विदेशी साम्या भागीदारी के लिए मैसर्स लेंको फैरों लिमिटेड के विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्ताव को केन्द्र सरकार ने अनुमति दे दी है।

(ख) मैसर्स लेंको फैरो लिमिटेड ने 2 मार्च, 1994 को एशियन फाइनेन्स एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ए.एफ.आई.सी.) सिंगापुर के साथ अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए हैं। करार के अनुसार ए.एफ.आई.सी. 23,20,000 शेयरों के मूल्य के लिए सममूल्य अंशदान और कंपनी का अनुरोध प्राप्त होने पर प्रेषण को तारीख को 232 लाख रुपए का पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए सहमत है।

(ग) मैसर्स लेंकों फैरो लिमिटेड के कच्चा लोहा संयंत्र के जुलाई, 1994 से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

बिहार में भुज में उच्च शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर

6796. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने केंद्रीय सरकार को भुज में कम शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति के टी.वी. ट्रांसनीटर में बदलने तथा इसका स्थान परिवर्तन करने और संभाव में कम शक्ति का टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात उद्योग में अनुसंधान और विकास

6797. **श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने इस्पात संयंत्रों के अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को सुधारने तथा उनका आधुनिकीकरण करेन हेतु कुछ कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए गए अनुसंधान और विकास तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम करने का ब्यौरा क्या है तथा इस कार्य हेतु विभिन्न इस्पात संयंत्रों के लिए संयंत्र वार कितनी राशि निर्धारित की गयी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतो" मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने अपने अनुसंधान ,ंव विकास कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। ब्यौरा निम्नानुसार है :-.

(1) अनुसंधान एवं विकास केंद्र ऐसी परियोजनाओं का चयन और प्रतिपादन करता है जो उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्पादन, माल अस्वीकरण में कमी करने, ऊर्जा तथा सामग्री की विशिष्ट खपत में कमी लाने के साथ-साथ उत्पादन लागत में कमी और नये उत्पादों के विकास के संबंध में अधिकतम लाभार्जन के लिए अग्रणी होती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र द्वारा कुछ परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए गए हैं जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :-

- संयंत्र निष्पादन सुधार जो सेल के इस्पात संयंत्रों में व्यापक अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के लिए हैं यह उत्पादकता में सुधार गुणवत्ता उत्पादन और ऊर्जा। अनुरक्षण और विकास का पथ-प्रदर्शन करता है।
- नई इस्पात प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए मूल अनुसंधान और प्रमुख प्रौद्योगिकी विकास।
- अन्वेषण और परामर्शी अभ्यर्पण।

(2) वार्षिक निष्पादन योजना अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र लोहा और इस्पात द्वारा प्रत्येक परियोजना के लिए आरेखित माइक्रो योजनाओं के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में तैयार की जाती है।

(3) अनुसंधान एवं विकास केंद्र लोहा और इस्पात के निष्पादन की त्रैमासिक समीक्षा जो सक्षम; सर्जनात्मकता, उत्पादन की गुणवत्ता, प्रभावकारिता तथा जिम्मेवारी में सुधार लाने के उद्देश्य से की जाती है।

(4) अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेल के साथ समझौता भी करता है।

(5) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं द्वारा अर्जित लाभों के मूल्यांकन एवं सत्यापन के लिए सेल के प्रत्येक संयंत्र/इकाई में स्थाई समितियों का गठन किया गया है।

(6) **एक विशाल गुणवत्ता जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया है।**

इस समय दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र में "सेल" का आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है।

ब्यौरा निम्नानुसार है :-

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र

2667.60 करोड़ रुपए की लामत से दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजना को फरवरी, 1989 में मंजूरी प्रदान की गयी थी। इसके पूरा होने का समय मार्च, 1993 निर्धारित था।

कुल 16 टर्न-की पैकेजों में से 6 पैकेजों के कार्य पूरे कर लिये गए हैं और 8 पैकेजों में आंशिक सुविधाओं संबंधी कार्य पूरे हो गए हैं।

इस परियोजना का संपूर्ण कार्य जून, 95 में पूरा कर लिया जाएगा। आठवीं योजना में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए अनुमोदित परिव्यय की राशि 1810 करोड़ रुपए है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

राउरकेला इस्पात संयंत्र के मामले में सरकार ने 12 अक्तूबर, 1989 को कुल 2461 करोड़ रुपये इसमें 396 करोड़ रुपये मुल्य की विदेशी मुद्रा भी शामिल है, की लागत से आधुनिकीकरण कार्य के लिए मंजूरी प्रदान की। बाद में सरकार ने 12 मई, 1992 को कुल 3954 करोड़ रुपये जिसमें 714 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भी शामिल है, की लागत से संशोधित लागत अनुमानन को भी मंजूरी प्रदान की। आधुनिकीकरण का कार्य दो चरणों अर्थात चरण-I और चरण-II में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण-I का कार्य 9 स्वेदेशी पैकेजों और चरण-II का कार्य 20 पैकेजों (15 स्वदेशी और 5 अन्तर्राष्ट्रीय) के जरिये कार्यान्वित किया जा रहा है। आधुनिकीकरण का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। सम्पूर्ण आधुनिकीकरण कार्य को दिसम्बर, 95 में पूरा कर लिये जाने का कार्यक्रम है।

आठवीं योनजा के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के लिए कुल आबंटित निधि 3545 करोड़ रुपये है।

बोकारो इस्पात संयंत्र

सरकार ने 23-7-1993 को बोकारों इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण के चरण-I को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह परियोजना मंजूरी प्राप्ति की तारीख से 48 महीने में पूरी कर ली जाएगी।

बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण (चरण-II) में निम्नलिखित अनुसार परिकल्पना की गयी है :-

(1) इसकी द्रव इस्पात की क्षमता 18.4 लाख टन वार्षिक से बढ़ाकर 22.5 लाख टन वार्षिक करने के लिए विद्यमान इस्पात गलनशाला नं. 2 की पुनसंरचना।

(2) दो डबल स्ट्रैंड स्लैब कास्टरों की स्थापना।

(3) 2000 मि.मी. आकार वाली तपत स्ट्रिप मिल का आंशिक उन्नयन।

(4) संबंधित सेवा सुविधाएं।

1993 की प्रथम तिमाही की आधार तिथि को बोकारो इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण की अनुमोदित लागत 1625.79 करोड़ रुपए है। इसमें 283.50 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। इस परियोजना के लिए आठवीं योजना में आबंटन की राशि 1446 करोड़ रुपये है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी/दूरदर्शन केंद्र

6798. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छ : महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रसारण कार्यक्रम राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में सुने और देखे जा सकते हैं;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न ट्रांसमीटरों का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के संबंध मं अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निकट भविष्य में इन ट्रांसमीटरों का प्रसारण क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) पिछले छह महीनेां के दौरान, उत्तर प्रदेश में मैट्रो चैनल के रिले के लिए लखनऊ में एक अल्प शक्ति टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किया गया था। इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कोई आकाशवाणी केंद्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य की क्षेत्रवार कवरेज (किनारे के क्षेत्रों सहित) आकाशवाणी द्वारा 88 प्रतिशत और दूरदर्शन द्वारा 79 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) जी, हां। ट्रांसमीटरों की रेंज को बढ़ाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाने के लिए स्कीमों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में मौजुदा ट्रांसमीटर्स की शक्ति के संबंर्धन के लिए आकाशवाणी/दूरदर्शन की स्कीमें

क्र. सं.	स्थान	संवर्धन के लिए स्कीम
आकाशवाणी		
1.	इलाहाबाद	1 कि.वा.मी.वे. से 20 कि.वा.मी.वे.
दूरदर्शन		
1.	मऊ	अशट्रा से उशट्रा
2.	अल्मोड़ा	अअशट्रा से अशट्रा
3.	हलद्वानी	अअशट्रा से अशट्रा
4.	नई टिहरी	ट्रांसपोजर से अशट्रा

इसके अतिरिक्त बलरामपुर, बांदा, लखमीपुर और सीतापुर में ट्रांसमीटरों की शक्ति उच्च शक्ति ट्रासमीटर में संर्वधन करने की भी परिकल्पना है। बशर्ते कि संसाधनों की उपलब्धता हो।

संकेत चिन्ह

उशट्रा	-	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
अशट्रा	-	अल्प शक्ति ट्रासमीटर
अअशट्रा	-	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

दूरसंचार कर्मचारियों को दूरभाष कनेक्शन

6799. **श्री ब्रहमानन्द मंडल :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा :गे कि :

(क) क्या सरकार ने दूर-संचार कर्मचारियों को ओ.वाई.टी. श्रेणी में पंजीकृत होने के बाद उनकी संपूर्ण सेवावधि के दौरान देश में कहीं भी प्राथमिकता के आधार पर एक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) क्या कर्मचारियों का गैर-ओ.वाई.टी. श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां। दूरसंचार विभाग के सेवारत कर्मचारी ओ वाई टी श्रेणी के अंतर्गत अपने/अपनी सामान्य आवासीय स्थान पर अथवा अपने/अपनी परिवार की सुविधा के लिए किसी अन्य स्थान पर, जहां दे रह रहे हों, बिना बारी के प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। तथापि, कर्मचारियों प्रतिनिधियों ने इस मामले में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

(घ) सेवारत कर्मचारियों को गैर-ओवाईटी श्रेणी के अंतर्गत बिना बारी के आधार पर टेलीफोन मंजूर करने को सुविधा प्रदान नहीं की गई है क्योंकि सेवारत कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है और गैर ओ वाई टी श्रेणी के अंतर्गत लंबी प्रतीक्षा सूची है।

[हिन्दी]

बिहार में एस.टी.डी. शुल्क दर

6800. **श्री ललित उरांव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य अवधि के दौरान पचास से सौ किलोमीटर की रेडियल दूरी के बीच बारह पल्सों के एक यूनिट के रूप में मानकर इसकी दर निर्धारित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो सामान्य अवधि (8 म.पू. से 7 म.पू.) के दौरान एस.टी.डी. कॉलों के लिए बिहार में गुमला और रांची के ग्राहकों से आठ पल्सों को एक यूनिट मानकर किस आधार पर प्रभार लिया जाता है जबकि गुमला ओर रांची के बीच की रेडियल दूरी 100 किलोमीटर से कम है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में शुल्क दरों में परिवर्तन करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारत-'आसियान' आर्थिक सहयोग समिति

6801. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-आसियान आर्थिक सहयोग समिति दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समिति की स्थापना करने के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसका उद्देश्य एक ऐसा सुदृढ़ छत्राकार वाणिज्य एवं उद्योग संगठन स्थापित करना है जो 'आसियान' वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के समकक्ष के रूप में काम कर सके और व्यापार, निवेश पर्यटन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिक में भारत 'आसियान' द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में हमारे उद्योग एंव व्यवसाय समुदाय को सक्रिय रूप से शामिल किया जा सके।

(घ) इस समिति ने भारत-'आसियान' व्यवसाय परिषद का गठन करने के लिए 'आसियान' वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इसने अब तक दोनों पक्षों द्वारा तय किए गए चार प्रमुख क्षेत्रों में भारत-'आसियान' सहयोग संवर्धित करने में अपना ठोस कार्य शुरू कर दिया है।

कनार्टक में केबल पर टिके रहने वाले पुल

6802. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 पर केबल पर टिके रहने वाले एक पुल की स्वीकृति दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब दी गयी थी और इस पर कितनी लागत आने का अनुामन है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समाचार सुधार योजना

6803. **डा. कृपासिन्धु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के समाचार सुधार योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या अवधारणा है;

(ग) सरकार ने किन आधारों पर ऐसी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(घ) इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) समाचार बुलेटिनों सहित दूरदर्शन के कार्यक्रम संबंधी स्वरूप में परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य उनमें गुणात्मक सुधार लाना है ताकि दर्शकों की रुचि को बनाए रखा जा सके। समाचार बुलेटिनों के संबंध में हाल ही में किए गए परिवर्तनों में से कुछ इस प्रकार हैं-नया मोन्टेज अपनाना, उपयोग किए जाने वाले दृश्यों की मात्रा में वृद्धि करना, विभिन्न खंडों अर्थात मुख्य, व्यापार, सांस्कृतिक, खेल तथा मौसम समाचार में विभक्त करना और अद्यतन कला उपस्करण का प्रयोग किए जाने के माध्यम से तकनीकी गुणवत्ता में सुधार करना।

[हिन्दी]

धातु स्क्रैप और स्पंज लौह

6804. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में धातु स्क्रैप की उपलब्धता इसकी मांग की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने मांग और आपूर्ति के अन्तर को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) सरकार ने स्पंज लौह के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रोत्साहन दिये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां। इस्पात प्रगलन स्क्रैप के संबंध में घरेलू-मांग और उपलब्धता में लगभग 15 लाख टन से 20 लाख टन वार्षिक का अन्तर है।

(ख) इस्पात उद्योग एवं अन्य औद्योगिक इकाइयों में इस्पात प्रगलन स्क्रैप का सृजन देश की विद्युत चाप भट्टी इकाइयों की आवश्यकता की तुलना में कम है। इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण से स्क्रैप के सृजन में कमी हुई है।

(ग) इस्पात प्रगलन स्क्रैप का निर्बाध रूप से आयात किया जा सकता है। 1994-95 के बजट में इस्पात प्रगलन स्क्रैप पर आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से घटाकर 1 से 10 प्रतिशत कर दिया गया था और इसमें हाल में और अधिक कमी करके 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सरकार स्पंज लोहे जो इस्पात प्रगलन स्क्रैप का आंशिक एवजी है, के निर्माताओं के लिए नई इकाइयां स्थापित करने में भी मदद कर रही है। स्पंज लोहे का उत्पादन 1993-94 में लगभग 24 लाख टन हुआ जबकि 1992-93 में स्पंज लोहे का उत्पादन 12.8 लाख टन हुआ था।

(घ) स्पंज लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) स्पंज लोहा उद्योग को वर्ष 1985 में अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट दे दी गयी है।

(2) विदेशी निवेश के प्रयोजन के लिए स्पंज लोहे को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है।

(3) स्पंज लोहा उद्योग के लिए अकोककर कोयले और लौह अयस्क पैलेटों जैसे आदानों पर सीमा-शुल्क कम कर दिया गया है।

(4) सरकार ने स्पंज लोहा इकाइयों को विभिन्न कच्ची सामग्रियों को संलग्नता उपलब्ध कराने हेतु एक "लिंकेज कमेटी" गठित की है।

[अनुवाद]

लाईनर नौवहन सेवाएं

6805. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाईनर नौवहन सेवाओं पर से लाइसेंस प्रतिबन्धों को हटाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका लाईनर व्यापार में भारतीय लाईनर कंपनियों के शेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) सरकार ने मई, 1993 में उन लाइनर रूटों को सभी भारतीय नौवहन कंपनियों के लिए खोलने का निर्णय लिया, जिन रूटों पर तीन भारतीय नौवहन कंपनियां, अर्थात भारतीय नौवहन निगम इंडिया स्टीमशिप कंपनी और सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कंपनी लि. प्रचालन नहीं कर रही है। सरकार की उदारीकरण की नीति को ध्यान में रखते हुए सभी लाइनर रूटों को अन्य नौवहन कंपनियों के लिए खोले जाने की जांच की जा रही है।

इस छूट से लाइनर सेवाओं पर प्रचालनरत भारतीय और विदेशी नौवहन कंपनियों को वाणिज्यिक दृष्टि से खुली प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गीत और नाटक प्रभाग यूनिट

6806. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गीत और नाटक प्रभाग की कितनी और कहां-कहां यूनिटें स्थापित की गई हैं;

(ख) 1993-94 के दौरान इन यूनिटों ने कितने शो प्रस्तुत किए;

(ग) इन यूनिटों पर प्रतिवर्ष कितना व्यय हो रहा है;

(घ) क्या इन यूनिटों की कोई उपयोगिता है; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रलाय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में गीत एवं नाटक प्रभाग का एक क्षेत्रीय केंद्र है जो भोपाल में स्थित है और इस एकक का प्रदेशीय न्याय क्षेत्र मध्य प्रदेश और राजस्थान है।

1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में इस एकक ने 2696 प्रदर्शन प्रस्तुत किए। 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश में एकक द्वारा 22,72,996 रुपए व्यय किए गए।

(घ) और (ङ) जी, हां लोक कथा परम्परागत मीडिया, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के साथ आन्तरिक वैक्तिक संपर्क में बहुत उपयोगी पाए गए हैं।

[अनुवाद]

मीडिया आयोग

6807. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीडिया आयोग के गठन की पुरजोर मांग की जा रही है;

(ख) क्या यह प्रस्ताव सरकार के भी विचारधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायतों को टेलीफोन प्रदान करना

6808. **श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) 31 मार्च, 1991 तक कितनी ग्राम पंचायतों और कितने अतिरिक्त गांवों को टेलीफोन से जोड़ा गया;

(ख) 31 मार्च, 1994 तक कितने पंचायतों, ग्रामों और अतिरिक्त ग्रामों का टेलीफोन से जोड़ा गया;

(ग) आगामी दो वर्षों में कितनी पंचायतों और ग्रामों को टेलीफोन से जोड़ दिया जाएगा; और

(घ) आठवीं योजनावधि के अंत तक कितना योजना लक्ष्य पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा के जरिए जोड़ी गई कुल ग्राम पंचायतों और अतिरिक्त ग्रामों की संख्या क्रमशः 46,420 और 8,079 थी।

(ख) 31-3-1994 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन सुविधा के जरिए जोड़ी गई कुल ग्राम पंचायतों और अतिरिक्त ग्रामों की संख्या क्रमशः 1,31,245 और 8,079 थी।

(ग) आगामी दो वर्षों की अवधि के दौरान (1994-96) शेष 1,01,102 ग्राम प्रचायतों और इसके अतिरिक्त 56000 अन्य ग्रामों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(घ) इस योजना में आठवी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 3,82,347 ग्रामों को शामिल करने का प्रस्ताव है और विभाग इसे पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

सचिवालय यात्रा

6809. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "सचिवालय यात्रा" शीर्ष के अन्तर्गत उनके मंत्रालय द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या इसके कारण व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका क्या औचित्य है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मुख्य शीर्ष "2052-सचिवालय यात्रा व्यय के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1991-92, 1992-93 और 1993-94) के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया व्यय नीचे लिखे अनुसार है।

क्र. सं.	वर्ष	"(मुख्य शीर्ष 2052) सचिवालय यात्रा पर किया गया व्यय (हजार रुपयों में)
(1)	1991-92	5,00,11
(2)	1992-93	8,94,98
(3)	1993-94	11,68,77 (अनन्तिम)*

*मार्च, 1994 के दौरान मंत्रालय की ओर से मिशनों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में सूचना की लेखा नियंत्रक (विदेश मंत्रालय), नई दिल्ली अभी प्रतीक्षा कर रहा है।

(ख) और (ग) यात्रा व्यय (सचिवालय) में वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं;

(1) वायुयान में किरायों में वृद्धि।

(2) 1991 में भारतीय रुपये का अवमूल्यन।

(3) नए मिशनों का खुलना।

अरुणाचल प्रदेश में डाकघर

6810. **श्री लाईता उम्ब्रे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में श्रेणीवार कितने डाकघर चल रहे हैं;

(ख) क्या उक्त डाकघरों की संख्या आवश्यकतानुसार है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने राज्य में जिलेवार नये डाकघर खोलने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अरुणाचल प्रदेश में, 31-3-94 की स्थिति के अनुसार, 283 डाकघर कार्य कर रहे हैं, जिनका श्रेणीवार और जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस समय अरुणाचल प्रदेश में एक शाखा डाकघर औसतन 3055 लोगों को सेवा प्रदान करता है जिसकी तुलना में अखिल भारतीय औसत 5553 है। तथापि, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डाकघर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर स्थिति हैं, अरुणाचल प्रदेश में नए डाकघर चरणबद्ध ढंग से खोले जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में, वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान, 17 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और 2 विभागीय उप-डाकघर खोले गए थे।

विवरण

अरुणाचल प्रदेश के जिलों 31-3-94 की स्थिाति के अनुसार डाकघरों का वर्गीकृत ब्यौरा

क्र.सं.	जिले का नाम	प्रधान डाक घर	विभागीय उपडाक घर	अतिरिक्त विभागीय उप डाक घर	अतिरिक्त विभागीय शाखा डाक घर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	तावांग	–	1	–	11	12

1	2	3	4	5	6	7
2.	पश्चिम कामेंग	–	7	–	12	19
3.	पूर्व कामेंग	–	2	–	12	14
4.	लोअर सुबॉसिरी	–	1	–	18	19
5.	अपर सुबॉसिरी	–	1	–	12	13
6.	पश्चिम स्यांग	–	5	–	28	33
7.	पूर्व स्यांग	–	4	–	26	30
8.	दिबंग घाटी	–	2	–	20	22
9.	लोहित	–	5	–	38	43
10.	तिरप	–	3	–	27	30
11.	चागलॉग	–	6	–	20	26
12.	पापुमपाड़ा.	1	7	–	14	22
	योग	1	44	–	238	283

एस.एफ.टी. द्वारा तारों का शीर्घ पहुंचना

6811. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चार महानगरों, मुम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता में तारों को शीघ्र पहुंचने के लिए स्वदेश में बनाया गया एक उपकरण जिसे "स्टोर एंड फारवर्ड टेलीग्राफ" (एस.एफ.टी.) स्विचिंग प्रणाली कहते हैं, को शीघ्र चालू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उपकरण की प्रक्रिया, कार्य प्रणाली, लागत, समय की बचत तथा निर्माता का विवरण इत्यादि क्या है;

(ग) क्या अन्य बड़े शहरों में भी यह उपकरण अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) 1982-94 के दौरान बंबई, दिल्ली, मद्रास, तथा कलकत्ता महानगरों में स्टोर एंड फारवर्ड टेलीग्राफ (एस.एफ.टी.) प्रणालियां चालू की

जा चुकी हैं। इन शहरों में 1989-94 की अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रणालियों सहित 128 लाइनों की उच्च क्षमता की स्विचन प्रणालियां भी चालू की जा चुकी हैं।

(ख) तार प्राप्त करने, उनका विश्लेषण करने तथा प्राथमिकता बार वांछित स्थानों पर स्वतः प्रेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित स्टोर एंड फारवर्ड टेलीग्राफ प्रणालियां देश में विकसित संदेश स्विचन प्रणालियां हैं। इन प्रणालियों के आने से स्थानों के बीच हस्तचलित विलम्ब में काफी कमी आई और तार गंतव्य स्थानों पर शीघ्र पहुंचते हैं। इन प्रणालियों से प्रेषण का पिन कोड, प्रेषण के शहर का नाम, टेलेक्स डिलिवरी, कोड शब्दों का अर्थ लिखने आदि जैसे अतिरिक्त कार्य भी किए जाते हैं। क्षमता, प्रापण का वर्ष तथा अन्य कारकों के आधार पर इन प्रणालियों की लागत अलग-अलग होती हैं, ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ये प्रणालियां अन्य बड़े शहरों में भी संस्थापित की गई हैं जिनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

अनुबंध-क

प्रणालियां		लागत (लाख रु. में)	आपूर्तिकर्त्ता का नाम
एसएफटी-141	-16 लाइनें	7.54	एम/एसईसीआईएल
एसएफएमएस	-128 लाइनें	77.27	एम/एस ईसीआईएल
एसएफएमएस	-64 लाइनें	47.00	ईसीओई, कैल्ट्रोन और टीसीआईएल।
एसएफएमएस	-32 लाइनें	26.00	एम/एस टीसीआईएल

विवरण-II

स्थानों के नाम जहां प्रणालियां कार्य कर रही हैं।

एसएफटी -141 प्रणालियां :

हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, सिल्चर, पटना, अहमदाबाद, अम्बाला, शिमला, जम्मू तवी, बेंगलूर, कोचिन-I, कोचिन-II, भोपाल, इंदौर, रायपुर, जवलपुर, शिलांग, कटक, चंडीगढ़, जयपुर, तिरूची, कोयम्बटूर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, सिलीगुडी।

एसएफएमएस-32 लाइन प्रणाली :-

चंडीगढ़, देहरादून, नई दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, रांची, कटक, तरूची।

एसएफएमएस-64 लाइन प्रणाली :

तिरुअनंतपुरम, मदुरै, कोयम्बूटर, हुबली, विजयवाड़ा, पुणे, नागपुर, अहमदाबाद।

एसएफएमएस-128 लाइन प्रणाली :-

लखनऊ, एर्नाकुलम, बंबई, बंगलूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, नई दिल्ली।

स्थानों के नाम जहां इन प्रणालियों की योजना बनाई गई है :

कानपुर, अम्बाला, तिरुनेलवेली, जम्मू-तवी, शिलांग, बंबई, शोलापुर राजकोट, इलाहाबाद, आगरा, पटना, गुलवर्गा, जलंधर, रायपुर, शिमला, सालेम, नासिक, कालीकट, टीटीसी, जबलपुर।

इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ अमेरिका द्वारा अमरीका में कश्मीर बचाओ अभियान

6812. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर में विद्रोह की दुर्भावना से प्रेरित होकर जान-बूझकर शुरू किए गए हाल ही के प्रचार के प्रत्युत्तर स्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ अमरीका ने कुछ समय से अमेरीका में "कश्मीर बचाओ" नाम से एक अभियान शुरू किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ अमेरीका ने पाकिस्तान को एफ-16 लड़ाकू विमान की बिक्री का विरोध करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है और यह कश्मीर से संबंद्ध भारत विरोधी प्रचार का प्रतिकार करने में भी सक्रिय है।

(ख) सरकार भारत-अमरीका संगठनों से बार-बार संपर्क रख रही है और विभिन्न मसलों पर भारत की स्थिति के बारे में सूचना देती है ताकि ऐसे संगठन भारत से संबंद्ध नकारात्मक प्रचार का प्रतिकार कर सकें।

दक्षिणी अफ्रीका के भारतीय परिवार

6813. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका के बोपुत्स्वाना की गृह भूमि में विद्रोह के दौरान जब भारतीय परिवारें के घर लूटे गए तो उन्हें अपनी संपत्ति व अन्य सामान से हाथ धोना पड़ा जैसा कि दनिांक 31 मार्च, 1994 के "द स्टेटसमेंन" में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां भारतीय समुदाय के लोगों की दुर्दशा की जांच कराने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भूतपूर्व "स्वतंत्र-गृह-भूमि"

बोपुत्स्वाना में गृह-युद्ध, दंगों तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने से, जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रपति ल्यूकस मांगोपे का तख्ता उलट गया, कुछ भारतीय प्रभावित हुए।

अनेक घर लूटे और जलाए गए जिनमें इत्सोसिंग में सेलेलोपेल गवर्नमेंट हाई स्कूल के परिसर में भारतीय अध्यापकों के तीन घर भी शामिल हैं। ये घर सरकार की सम्पत्ति तथा भारतीयों का सामान-बीमाकृत था जिसमें दंगों के कारण हुई क्षति भी शामिल है। माबाथो में मेघा सिटी शापिंग कम्पलैक्स में स्थित एक प्रवासी इंजीनियर की पत्नी की वीडियो टेप की दुकान लूटी गई। इनमें से किसी भी घटना में भारतीयों को विशेष रूप से लक्ष्य बनाया गया था। उनके आस-पास के दक्षिण अफ्रीकियों के घर और दुकानें भी इसी तरह प्रभावित हुए। वास्तव में दक्षिण अफ्रीकी पड़ौसियों ने आग बुझाने तथा सामान एवं संपत्ति को बचाने में भारतीयों की मदद की। कोई भारतीय घायल नहीं हुआ।

(ख) और (ग) जोहान्सबर्ग स्थित भारत के प्रधान कोंसलावास ने इस क्षेत्र में संबद्ध भारतीय प्रवासियों द्वारा टेलीफोन किए जाने पर स्थिति की मौके पर जांच करने के लिए एक अधिकारी बोपुत्स्वाना भेजा। उसने पाया कि स्थिति सामान्य हो रही है तथा बख्तरबंद गाड़ियों में दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल (एस.ए.डी.एफ.) सड़कों पर पहरा दे रही है। पुलिस तथा एस.ए.डी.एफ. के कार्मिक सार्वजनिक इमारतों, बैंकों, तथा प्रमुख शापिंग काम्पलैक्सों के प्रवेश-द्वारों पर तैनात किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रिकों के साथ एक बैठक की गई जिसमें 140 व्यक्तियों ने भाग लिया जिन्होंने इस अधिकारी को उपरोक्त स्थिति से अवगत कराया। बोपुत्स्वाना में भारतीय राष्ट्रिकों से, जिनके परिवारों की संख्या लगभग 500 है, जोहान्सवर्ग स्थिति भारत के प्रधान कोंसलावास में अपने आप को पंजीकृत कराने का सुझाव दिया गया।

शेयर उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करना

6814. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीयर उद्योग को लाइसेंस से मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कई विदेशी कंपनियों ने भारतीय बीयर उद्योग में प्रवेश की अनुमति मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गांगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) फोस्टर ब्रीविंग ग्रुप, आस्ट्रेलिया ने भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति मांगी है।

इस विदेशी कंपनी को भारत सरकार ने बीयर निर्माण के लिए मौजूदा लाइसेंस होल्डर के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए अनुमति दी है।

फोस्टर ब्रिविंग ग्रुप से देश को 5.1 करोड़ रु॰ मूल्य की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 में संशोधन

6815. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव** : क्या **जल-भूतल पविहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मीडिया सलाहकार परिषद

6816. **श्री एस.एम. लालजान बाशा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मीडिया सलाहकार परिषदों और विज्ञापन निकायों के गठन तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगमित प्रयोजन के मुद्दे पर कोई परस्पर विचार-विमर्श नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान व्यवस्था को पर्याप्त समझा गया है।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

6817. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में उत्तर प्रदेश में जिला-वार खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना हेतु स्वीकृत प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केंद्रीय सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को तत्काल स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गागोई) : (क) से (ग) जुलाई,

1991 की नई औद्योगिक नीति के अनुसार अल्कोहल युक्त पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस युक्त कर दिया गया है। तथापि, जुलाई, 1991 से फरवरी, 1994 तक उत्तर प्रदेश में 523 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 7882 करोड़ रु. का निवेश और 101,356 लोग्गों के लिए रोजगार निहित हैं उपर्युक्त के अलावा 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश में सात परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बीयर निर्माण के तीन प्रस्तावों ओर पेय अल्कोहल निमार्ण के दो प्रसतावों पर कार्यवाई आरंभ कर दी है। इसी प्राकर पाल्ट्री प्रसंस्करण को एक परियोजना के संबंध में भी कार्यवाई प्रारंभ कर दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए 93-94 के दौरान दी गई मंजूरियों का ब्यौरा

क्र. सं.	दी गई मंजूरियों का ब्यौरा	जिला
1.	बीयर निर्माण के लिए दो यूनिटों की स्थापना	नैनीताल, देहरादून
2.	भारत में निर्मित विदेशी शराब के निर्माण के लिए एक यूनिट	मेरठ
3.	खनिज बल (मिनिरल वाटर) के निर्माण के लिए एक यूनिट	नैनीताल
4.	फल और सब्जी प्रसंस्करण के लिए 3 यूनिटें	निर्यात प्रौसेसिंग जोन-नोएडा, मथुरा, नैनीताल।

परिवार पेंशन

6818. **श्री इंद्रजीत गुप्ता :**
श्री तारा सिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के मुख्य महाडाकपाल के कार्यालयों में उदारीकृत पेंशन नियमों के अन्तर्गत भूतपूर्व विभागीय कर्मचारियों की विधवाओं के भारी संख्या में आवेदन-पत्र, निर्णय और अन्तिम स्वीकृति दिए जाने के लिए लंबित पड़े हैं;

(ख) क्या कुछ विधवाएं तो जीवन भर परिवार पेंशन प्राप्त नहीं कर सकीं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस संबंध में आवेदनों को निपटाने तथा भुगतान करने की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कार्यालयों को निदेश देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भूमि का वाणिज्यिक उपयोग

6819. **श्री राम कापसे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने जल-भूतल मंत्रालय की भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने संबंध प्रस्ताव को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी के लिए नई प्रतिभाएं

6820. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के कार्यक्रमों और प्रसारणों के स्तर में सुधार लाने हेतु नई प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए आकाशवाणी की कोई संस्थागत व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) और (ख) आकाशवाणी के पास प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नई प्रतिभाओं सहित कलाकारों के विभिन्न वर्गों हेतु ध्वनि परीक्षण प्रणाली है। इसके अलावा प्रतिभावान कलाकारों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आकाशवाणी द्वारा प्रदान किए अवसरों में से कुछ है; युववाणी सेवा, अखिल भारतीय संगीत प्रतियोगिता, आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कार प्रतियोगिता और रेडियो नाटक लेखकों हेतु प्रतियोगिता, बशर्ते कि केंद्र में कार्यक्रम की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर गैट समझौते संबंधी विज्ञापन

6821. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी पर यह संदेश प्रसारित करने हेतु कि गैट समझौता देश के हितों के विपरीत नहीं विज्ञापन देने पर कितना व्यय किया गया;

(ख) इस संदेश को प्रचारित करने हेतु दूरदर्शन और आकाशवाणी पर कितना समय नियत किया गया;

(ग) इन विज्ञापनों के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य था; और

(घ) सरकार को इस उद्देश्य की प्राप्ति में कितनी सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) इस विषय पर आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा कोई विज्ञापन प्रसारित/टेलीकास्ट नहीं किया गया था।

(ख) से (घ) प्रश्न नही उठते।

[अनुवाद]

मत्स्य-नौका स्वामियों को डीजल संबंधी राज सहायता

6822. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की मत्स्य नौकाओं के स्वामियों को डीजल राज सहायता देने तथा आवश्यक कार्य पूंजी मुहैया कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गांगोई) : (क) और (ख) हाई स्पीड डीजल की कीमत प्रतिपूर्ति स्कीम के अंतर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उन गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों को चलाने में लगे हाई स्पीड डीजल की लागत के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है जो पकड़ी गयी मछली का कम से कम 25 प्रतिशत निर्यात करते हैं। विशाखापत्तनम स्थित गहन समुद्री ट्रालरों को दी गई सहायता की राशि इस प्रकार है :-

वर्ष	कंपनियों की संख्या	जलयानों की संख्या	दी गयी राशि (लाख रु. में)
1992-93	18	30	100.22
1993-94	17	47	125.30

गहन समुद्र में चलने वाले ट्रालरों के मालिकों को कार्यशील पूंजी सहायता देने की कोई स्कीम नहीं है।

राष्ट्रीय जल मार्गों की घोषणा

6823. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मान्डोलवी और जुआरी नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) मंडोवी-जुआरी नदियों और कुम्बार्जुआ नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए गोवा राज्य सरकार की सहमति मांगी गई थी। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

आवामी लीग के नेता की यात्रा

6824. **श्री चित्त बसु** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवामी लीग की नेता सुश्री शेख हसीना ने हाल ही में प्रधान मंत्री और उप-राष्ट्रपति से भेंट की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस भेंट के दौरान भारत-बंगलादेश मैत्री समझौता, 1973 को जारी रखने के मुद्दों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) यदि हां तो इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां, आवामी लीग की नेता शेख हसीना ने 7 मार्च, 1994 को भारत की अपनी निजी यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री और उप राष्ट्रपति से शिष्टाचार स्वरूप मुलाकात की थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरे रंग की पत्र पेटी

6825. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा हरे रंग की पत्र पेटियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनके उद्देश्य सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुविधा को देश के सभी शहरों ओर नगरों मं भी शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) महत्वपूर्ण शहरी में अंतः शहरी डाक भेजने के लिए हरे रंग के लैटर बाक्सों का प्रयोग किया जाता है। इससे स्थानीय डाक का अलग करने और शीघ्र छंटाई करने तथा स्थानीय डाक का शहर में शीर्घ वितरण करने में सहायता मिलती है।

(ग) और (घ) हरे रंग के लैटर बाक्सों को किसी भी शहर में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते कि वहां स्थानीय डाक की मात्रा इतनी हो जिससे डाक को अलग से इकट्ठा करने और अलग से निपटान प्रक्रिया अपनाना औचित्य सम्मत हो।

आर.एन.आई., डी.ए.वी.पी. और पी.आई.बी. का आधुनिकीकरण

6826. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री तारा सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान भारतीय समाचार पत्र महापंजीयक, दृश्य एवं श्रवय प्रचार निदेशालय और प्रेस सूचना ब्यूरों के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन एककों के आधुनिकीकरण में कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया भी शामिल है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितना आबंटन किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (घ) तीन संगठनों के बारे में विस्तृत सूचना नीचे दी गई है :-

भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक का कार्यालय

कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से इस कार्यालय का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। मुख्यालय की कम्प्यूटर प्रणाली का उन्नयन किया गया है और इसे बंबई, कलकत्ता और मद्रास स्थिति क्षेत्रीय कार्यालयों के कम्प्यूटरों के साथ जोड़ा जा रहा है क्षेत्रीय कार्यालयों को मुख्यालय के साथ संबद्ध करने हेतु 1994-95 के दौरान प्रत्येक के लिए 7.00 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई है।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के अंतर्गत अनेक क्षेत्रों का चरणबद्ध रूप से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ये इस प्रकार हैं :-

(1) विज्ञापन जारी किए जाने तथा बिलों के भुगतान का कम्प्यूटरीकरण करना।

(2) कम्पोजिंग तथा कला संबंधी कार्यों के लिए उपयेाग किए जाने वाली विद्यमान डी.टी.पी. प्रणाली में कलर मानीटर्स प्रतिष्ठापित करना।

(3) श्रव्य दृश्य स्पाट्स के निर्माण हेतु एजेंसियों के संबंधित डेंटा का कम्प्यूटरीकरण करना।

(4) पहले से कम्प्यूटरीकृत जन वितरण सूची को अद्यतन करना।

कम्प्यूटरीकरण तथा अन्य आधुनिकीकरण स्कीमों के लिए 1994-95 की वार्षिक योजना में 14.50 लाख रु. का आबंटन किया गया है।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय और इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालयों में कम्प्यूटर केंद्र स्थापित किए गए हैं। कम्प्यूटरीकरण परियोजना के अगले चरण में पत्र सूचना कार्यालय के शाखा कार्यालयों में भी इसी प्रकार के कम्प्यूटर कक्ष स्थापित किए जाएंगे जिन्हें राष्ट्रीय सूचना केंद्र नेटवर्क के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संबद्ध किया जाएगा।

वर्ष 1994-95 के दौरान इस उद्देश्य के लिए 80.00 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

वाहन प्रदूषण

6827. **प्रो. सावित्री लक्ष्मणन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुएं की जांच हेतु प्रदूषण जांच उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता के वास्ते कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केरल सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में उपयोग के लिए 59.50 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 14 गैस विश्लेषण और 14 धुआं मीटरों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक अनुमोदन की जानकारी दे दी है। तथापि, केरल सरकार ने मार्च, 1994 में वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान प्रदूषण जांच उपकरण खरीदने में अपनी असमर्थता जाहिर की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस सहायता को वित्त वर्ष 1994-95 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। स्कीम के अनुसार प्रदूषण जांच उपकरणों की खरीद के लिए केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा उपकरणों की खरीद के बाद उपलब्ध कराई जाती है।

''इस्को'' के कर्मचारियों द्वारा शेयरों की खरीद

6828. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति** :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) के कर्मचारियों को शेयरों की भागीदारी देकर इस प्रमुख इस्पात एकक को अर्थक्षम बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने उद्योग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के समक्ष अपना मत व्यक्त किया कि "इस्को" का आधुनिकीकरण सेल के द्वारा किया जाना चाहिए तथा इसे निजी क्षेत्र को नहीं सौंपना चाहिए। उन्होंने प्रधान मंत्री को लिखा है कि यदि आवश्यकता है तो कामगार इस्को को संयुक्त उद्यम के रूप में अधिकार में लेने को तैयार हैं बशर्ते इसमें 50 प्रतिशत स्वामित्व सेल और 50 प्रतिशत स्वामित्व कामगारों का हो। अधिग्रहण की प्रक्रिया सरकार के साथ समझौता करके तय की जा सकती है।

सरकार ने इस संबंध में ट्रेड यूनियनों से विस्तृत ब्यौरा मांगा है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा डम्पर की खरीद

6829. **श्री तारा सिंह** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड अत्याधिक दरों पर 50 टन बी.ई.एम.एल. डम्पर खरीद रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, नहीं। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन.एम.डी.सी.) ने सूचित किया है कि वे देश में डम्परों के मौजूदा निर्माताओं से पेशकश प्राप्त करने के बाद और उपस्कर के तकनीकी-वाणिज्यिक पहलुओं पर विस्तृत रूप से विचार करने के बाद डम्परों की खरीद के लिए आर्डरों को अन्तिम रूप देते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

6830. **श्री मोहन रावले** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णतया विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन करने का कोई विचार है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कब तक इसकी स्थापना की जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्राधिकरण के ब्यौरों और इसके द्वारा कोई कार्य आरम्भ करने के सम्भावित समय को अभी बता पाना संभव नहीं है।

खनिजों की खोज

6831. **श्री के. प्रधानी** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बहुमूल्य और अन्य अलौह खनिजों का पता लगाने और उनका मूल्यांकन करने को उच्च प्राथमिकता दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान कुछ चुनी हुई खनिज मदों के गवेषण को उच्च प्राथमिकता दी है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मूलधातुओं के लिए (46 खोजें) स्वर्ण के लिए (40) खोजें टिन टंगस्टन के लिए (15 खोजें) प्लेटिनम समूह की धातुओं के लिए (9 खोजें), मोलिब्डेनम के लिए (3 खोजें) बहुधातुओं (मल्टीमैटल्स) के लिए (13 खोजें) हीरे के लिए (8 खोजें) तथा जनरल मैटलोजिनिक स्टडीज के लिए (12 प्रोजेक्टस) सहित 146 नये खोज कार्य/री-ओरियेंटेड प्रोग्राम चलाने की योजना बनाई है।

इसके अलावा, कोयले और लिग्नाइट के लिए 21 अन्वेषण कार्य करने की योजना है।

गुवाहाटी में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

6832. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में डाक और तार तथा दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के पर्याप्त संख्या में क्वार्टरों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो स्टाफ क्वार्टरों की वर्तमान संख्या मांग की तुलना में कितना कम है; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त संख्या में स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) **डाक विभाग**

मांग के अनुसार, 110 (एक सौ दस) स्टॉफ क्वार्टरों की कमी है।

दूरसंचार विभाग

14 प्रतिशत संतुष्टि अनुपात (निर्धारित लक्ष्य) प्राप्त करने के लिए 102 (एक सौ दो) स्टॉफ क्वार्टरों की कमी है।

(ग) **डाक विभाग**

36 (छत्तीस) स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण करने की पहले ही मंजूरी दे दी गई है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर और अधिक क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा।

दूर संचार विभाग

कमी को 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक, अर्थात्, मार्च, 97 तक पूरा किये जाने की योजना बनाई गई है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण डाकघर

6833. **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न गांवों में डाकघर छोटे-छोटे भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में, अतिरिक्त विभागीय डाकघरों के लिए आवास, अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टरों द्वारा अपने-अपने परिसर में उपलब्ध कराए जाते हैं, न कि विभाग द्वारा।

आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 31-12-93 की स्थिति के अनुसार, 1335 विभागीय डाकघरों में से लगभग 20 प्रतिशत, उपयुक्त भवनों के अभाव में छोटे-छोटे मकानों में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार का प्रस्ताव इन डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने का है, बशर्ते कि उपयुक्त स्थान और निधि उपलब्ध हो। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे 5 डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

फिल्म सेंसरशिप नीति

6834. **श्री अनंतराव देशमुख :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय फिल्म नीति कार्यदल की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् फिल्म सेंसरशिप व्यवस्था के संबंध में एक स्पष्ट नीति का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय तथा विदेशी फिल्मों को सेंसर करने के संबंध में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को जारी किये गये वर्तमान दिशानिर्देशों में परिवर्तन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) फिल्म सेंसरशिप से संबंधित राष्ट्रीय फिल्म नीति संबंधी कार्यदल (1980) की सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) फिल्मों के प्रमाणन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को फिल्म उद्योग से परामर्श करके और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से सम्बद्ध संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति के विचारों को ध्यान में रखते हुए 6-12-91 को संशोधित किया गया था।

विवरण

सिफारिश	कार्यवाही संबंधी अद्यतन स्थिति
1	2
189. पैरा 14.6 विधियुक्त पूर्व सेंसरशिप जारी रहना चाहिए।	स्वीकृत। सिफारिश सरकार की वर्तमान नीति के अनुरूप है।
190. पैरा 14.9 अध्यक्ष और सेंसर बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति के लिए सरकार स्पष्ट मार्गनिदेश निर्धारित करें, जिसमें खोसला समिति द्वारा मोटे तौर पर अनुमोदित योग्यतायें ध्यान में रखी जानी चाहिए। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में फिल्म बनाने के सृजनात्मक पहलुओं में सम्मिलित व्यक्तियों सहित फिल्म उद्योग से रखे जाने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जना चाहिए।	स्वीकार नहीं की गई हैं। सेंसरशिप और संबंधित पहलू निन्तर सदैव विकसित होने वाले और बदलते समाज और नैतिक लोकाचार के मामले हैं। बोर्ड के अध्यक्ष अथवा सदस्यों के लिए सख्त मार्गनिर्देश अथवा योग्याताएं निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा। प्रचलित स्थिति पर निर्भर करते हुए इसे सरकार के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।
191. पैरा 14.12 एवं 14.13 एवं 14.13 भारतीय सिनेमोटोग्राफ अधिनियम की धारा 5(ख) (1) जो संविधान के अनुच्छेद 19(2) से अनुप्रेरित है तथा उसमें "प्रभुसत्ता और भारत की एकता शब्द छोड़ दिए लगते हैं। अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जाए।	स्वीकृत। दिनांक 29-5-1984 की अधिसूचना के अनुसार चलचित्र की अधिनियम, 1952 की धारा 5(ख)(1) में भारत की प्रभुसत्ता और एकता शब्दों को जोड़ दिया गया है।
192. पैरा 14.5 एवं 14.16 सेंसर बोर्ड को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार की शक्तियों के अंतर्गत सेंसर बोर्ड की स्वतंत्रता एवं प्राधि–कार कम हो जाती हैं खोसला समिति द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद (19) (2) के अंतर्गत सेंसर बोर्ड को इसमें अपने बोर्ड और मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने की स्वतंत्रता है।	स्वीकृत नहीं किया गया। केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई मार्गदर्शी संविधान के अनुच्छेद (19)(2) की सीमा में है। बोर्ड के खंड (5)(ख) के अन्तर्गत मार्गनिर्देशों के निर्धारण जैसी विधिक शक्तियों का अन्तरण करने से बोर्ड की स्वयं अतिरेक प्रत्यायोजन संकट ग्रस्त होने की संभावना है। न्यायालयों ने भी इसका समर्थन नहीं किया है।
193. पैरा 14.19 सेंसर बोर्ड के सभी मामलों के निर्णयों पर सिवाय जिसमें निम्न	स्वीकृत नहीं किया गया। चलचित्र अधिनियम एक आवश्यक प्रशासनिक

1	2
विषय अन्तर्निहित होते हों। (1) भारत की एकता और अखण्डता (2) राज्य की सुरक्षा (3) विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में केन्द्रीय सरकार की संशोधन तथा अपीलीय शक्तियों को हटाने के लिए सिनेमाटोग्राफ अधिनियम में संशोधन होना चाहिए।	अधिनियम है और इसके संचालन की जिम्मेदारी अन्ततः सरकार की है। इसलिए यह महसूस किया गया है कि संशोधन शक्तियां सरकार के पास ही रहनी चाहिए।
194. पैरा 14.20 सरकार को सेंसर बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों के विरुद्ध सुनवाई करने के लिए ऐसे व्यक्ति की अध्यक्षता में एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, जिसको न्यायिक अनुभव हो। न्याया–धिकरण को अपीलों की सुनवाई करते समय एक श्रेष्ठ फिलम निर्माता को शामिल करना चाहिए। पैरा 14.19 में उल्लिखित तीन विशेष क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां संशोधन और अपीलीय शक्तियां केन्द्रीय सरकार के पास होंगी, अपील सभी मामलों में न्यायाधिकरण में करनी चाहिए।	स्वीकार कर ली गई। चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 5(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा एक फिल्म प्रमाणन अपीली अधिकरण (एफ.सी.ए.टी.) की स्थापना की गई है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस अधिकरण के अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश हैं और इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या चार है जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।
195. पैरा 14.24 एक मध्यवर्ती सेंसर वर्गी–वर्गीकरण शुरू किया जाना चाहिए जिसका नामकरण "यूए" किया जा सकता है। इस प्रमाणपत्र में कहा जाना चाहिए कि फिल्म सार्वजनिक प्रर्दशन के लिए स्वीकृत की जाती है किन्तु इसमें कुछ ऐसे अंश मौजूद हैं जिन्हें शायद माता-पिता, बारह वर्षों से कम आयु के बच्चों को दिखाना पसन्द न करें। यह प्रमाणपत्र विशुद्धतः परामर्शदात्री होगा।	स्वीकार कर ली गई। अधिनियम की धारा 5(ख) तथा अन्यत्र जहां आवश्यक समझा गया है, में एक अतिरिक्त सेंसर संबंधी वर्गीकरण 'यूए" शामिल किया गया है।
196. पैरा 14.25 एवं 14.26 "ए" प्रमाणपत्र प्रदान करते हुए सेक्स के चित्रण के बारे में अनैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए बल्कि अतिरेक, परपीड़न कामुकता और भ्रष्ट हिंसा के चित्रण के संबंध में सख्त	नोट किया गया। कार्यदल की टिप्पणियां फिल्म सेंसरशिप के उद्येश्य के लिए निर्धारित कार्यक्षेत्र और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि फिल्म का

1	2
दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।	माध्ययम सामाजिक मूल्यों एवं मानदण्डों तथा सामाजिक परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए।
197. पैरा 14.27 सेंसर बोर्ड ने सामान्यतः प्रतिष्ठित प्राधिकारी जैसे कि पुलिस, राज–नैतिक सरकार आदि के संबंध में भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने के लिए एक सख्त सख्त दृष्टिकोण अपनाया है। साहित्य की भांति सिनेमा को सामाजिक और राजनैतिक टिप्पणियों के लिए स्वतंत्रता दी जानी है।	कार्यदल की टिप्पणियों को नोट कर लिया गया है। सेंसर बोर्ड के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त, संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप हैं जिसमें "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता" पर केवल उचित प्रतिबन्धों का प्रावधान है और इसलिए ये विशिष्ट रूप से सामाजिक या राजनैतिक टिप्पणी को हतोत्साहित नहीं करते। हाल में यह भी देखा गया है कि सामाजिक एवं राजनैतिक सिनेमा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के माध्यम से मान्यता प्राप्त कर रहा है।
198. पैरा 14.28 एवं 14.29 इस बात का उल्लेख करते हुए कि फिल्म में निश्चित कलात्मक गुणवत्ता है, सेंसर बोर्ड को "क्यू" प्रमाणपत्र देना चाहिए। ऐसीं फिल्मों को मनोरंजन कर और उत्पाद शुल्क से छूट द्वारा सहायता दी जानी चाहिए। इस प्रमाण पत्र की सिफारिश सेंसर बोर्ड से संबंद्ध एक पृथक समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रमुखतया फिल्म निर्माता, फिल्म आलोचक और संबंद्ध कला के लोग शामिल हों। केवल उन्हीं फिल्मों पर "क्यू" प्रामणपत्र के लिए विचार किया जाना चाहिए जिनके लिए निर्माता विशेष रूप से ऐसे विचारार्थ अनुरोध करते हैं।	इस सिफारिश पर विस्तृत रूप से विचार किया गया था और यह निष्कर्ष सामने आया की फिल्मों के लिए अलग से वर्गीकरण किया जाना व्यवहारिक नहीं होगा। चूंकि इस प्रकार के वर्गीकरण्या से "ए", "यू", "यूए" तथा "ऐस" जैसे अन्य वर्गीकरणों के परिप्रेक्ष्य में विरोधात्मक स्थिति सामने आने की काफी संभावना थी, इसलिए इस प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया।
199. पैरा 14.30 सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनलों में सभी नामांकन सेंसर बोर्ड द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा और इनमें से फिल्म निर्माता और अन्य क्षेत्रों के कलाकारों को पर्याप्त	स्वीकार नहीं की गई। चूंकि सलाहकार पैनलों के लिए नामांकन, केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के परामर्श से किया जाता है, वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

1	2
प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।	
200. पैरा 14.32 सेंसर बोर्ड की सदस्यता का समुचित रूप से विस्तार किया जाना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रभारी एक पूर्णकालिक सदस्य होना चाहिए जिसे अध्यक्ष का नाम दिया जाए और प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 2 अथवा 3 गैर–सरकारी सदस्य होने चाहिए। प्रत्येक परीक्षा समिति में या तो क्षेत्रीय अध्यक्ष होना चाहिए या बोर्ड होना चाहिए या बोर्ड का एक गैर-सरकारी सदस्य। क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास सेंसर शिप प्रमाणपत्र देने का पूरा अधिकार होना चाहिए जब तक कि निर्णय का आवेदक द्वारा विरोध नहीं किया जाता। निर्णय का विरोध किये जाने की स्थिति में परिशोधन समिति की वर्तमान प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए।	अस्वीकृत 1 संशोधित सिनेमाटोग्राफ अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रामणन बोर्ड की सदस्यता 9 से अधिक नहीं से 12 से कम नहीं तथा 25 क्षेत्रीय से अधिक नहीं कर दी गई है। इसे अतिरिक्त अधिनियम की धारा 7(ख) के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में बोर्ड के अध्यक्ष की समिति शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बम्बई से बाहर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में बोर्ड के एक सदस्य को अधिकृत किया है।
201. पैरा 14.33 सेंसर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को एक अलग-थलग वातावरण में कार्य नहीं करना चाहिए। प्रक्रियात्मक तथा नीतिगत समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय अध्यक्ष की सहायता हेतु एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जिसमें अधिकांश सदस्य फिल्मोद्योग के हों।	अस्वीकृत। क्योंकि केन्द्रीय, फिल्म प्रमाण़न बोर्ड स्वयं परामर्शदाता, समीक्षाकर्ता की भूमिका के साथ-साथ सलाहकार पैनलों को मार्गनिर्देशन का कार्य करता है, क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को फिल्म उद्योग से लेने संबंधी सुझाव को अनावश्यक समझा गया है।
202. पैरा 14.34 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश अब प्रतिवर्ष अधिक से अधिक फीचर फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, बंगालौर, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम में सेंसर बोर्ड कार्यालयों की स्थापना जरूरत है इसी प्रकार जैसे-जैसे फिल्म निर्माण कार्यकलाप का अन्य क्षेत्रों में विस्तार हो सेंसरशिप तंत्र के समुचित विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए।	स्वीकृत। हैदराबाद, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम, दिल्ली, कटक तथा गुवाहाटी प्रत्येक में बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा चुके हैं, गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में अभी तक फिल्मों की जांच शुरू नहीं की गई है।

1	2
203. पैरा 14.35 सेंसर बोर्ड की स्वायत्ता को कानूनी तौर पर गारंटी मिलनी चाहिए और इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक विभाग के रूप में कार्य करना बंद कर देना चाहिए। इसे अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष के नियत कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाने चाहिए।	अस्वीकृत। सेंसर बोर्ड पहले से ही कार्यात्मक रूप से स्वायत्त है। बोर्ड की स्थिति (स्टेट्स) से संबंधित अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है। बोर्ड के लिए वित्तीय सलाह देने वाली अनुवर्ती सिफारिश संख्या 205 को भी अस्वीकार किया जाता है।
204. पैरा 14.36 बोर्ड के अध्यक्ष का स्तर कम से कम भारत सरकार के सचिव के समान होना चाहिए और इसके पूर्णकालिक सदस्य का स्तर भारत सरकार के कम से कम संयुक्त सचिव के समतुल्य होना चाहिए।	अस्वीकृत। यह सिफारिश संख्या 203 से जुड़ी हुई है जिसे स्वीकार करने योग्य समान नहीं पाया गया है।
205. पैरा 14.37 बोर्ड को एक नियत बजट दिया जाना चाहिए और अपने मामलों का संचालन करने के लिए इसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। सेंसरशिप का कार्य पूर्णतः एक नियंत्रण का कार्य है और यह सरकार का दायित्व है कि वह बोर्ड के व्यय का वहन करें।	सिफारिश संख्या 203 के अनुसार।
206. पैरा 14.38 सेंसरशिप के उल्लंघन को हतोत्साहित करने के लिए सेंसर बोर्ड के पास सेंसर की नई फिल्मों की एक वीडियो प्रति होनी चाहिए और उसके पास प्रवर्तन स्टाफ का एक सैल होना चाहिए जो स्थल पर जाकर निरीक्षण करे। प्रयोगशालाओं की यह कानूनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सेंसर शिप के लिए अपेक्षित प्रिंट के अलावा फिल्म के और कोई प्रिंट तब तक तैयार न किए जाएं जब तक फिल्म सेंसर नहीं कर दी जाती।	स्वीकृत। सेंसर प्रमाणपत्र को जारी करने की एक पूर्व शर्त के अनुसार प्रत्येक फिल्म के सेंसर किए गए भाग की एक वीडियो प्रति बोर्ड द्वारा प्राप्त की जाती है। प्रवर्तन एककों की स्थापना किया जाना बोर्ड की आठवीं योजना स्कीमों के रूप में शामिल कर लिया गया है।

समाचार पत्रों का पंजीकरण

6835. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**
श्री तेज नारायण सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के समाचार पत्र पंजीयक (आर.एन.आई.) के पास स्वत्वाधिकार पंजीकरण हेतु लंबित पड़े आवेदन-पत्रों की अद्यतन संख्या क्या है; और

(ख) लंबित पड़े आवेदन-पत्रों को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 15-4-94 की स्थिति के अनुसार भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय के नीचे 121 आवेदन पत्र पंजीकरण के लिए लम्बित थे। इनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
असम	1
दिल्ली	3
हरियाणा	1
कर्नाटक	4
मणिपुर	1
पंजाब	1
पश्चिम बंगाल	3
उत्तर प्रदेश	81
मध्य प्रदेश	2
राजस्थान	2
बिहार	1
महाराष्ट्र	20
मिजोरम	1

(ख) पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार की जाती है, और पंजीयन एक सतत् प्रक्रिया है।

पत्तनों के लिए विश्व बैंक सहायता

6836. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने आधारभूत सुविधा विकास ऋण के लिए पत्तनों के बेहतरीन कार्य निष्पादन को पूर्व शर्त के रूप में निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बैंक ने प्रमुख पत्तनों पर पोतों के पहुंचने के संबंध में कोई समझौता करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) क्या यह ऋण विशेषतः विभिन्न अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो और पत्तनों को जोड़ने वाली आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या जनवरी, 1994 के दौरान विश्व बैंक के दल ने मुम्बई और नेहरू पत्तनों का दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो भारत के कार्य निष्पादन से विशेषज्ञ कितने संतुष्ट हुए;

(च) विश्व बैंक द्वारा कब तक यह ऋण उपलब्ध करा दिया जाएगा; और

(छ) पत्तनों पर कार्य कब से शुरू हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) जनवरी, 1994 में विश्व बैंक टीम, बम्बई पत्तन के अपने दौरे के दौरान बम्बई पत्तन और रेल कन्टेनर डिपो में रेल की व्यवस्था से संतुष्ट थी।

(च) चूंकि, ऋण के लिए बातचीत चल रही है अतः कोई निर्धारित समय सीमा नहीं बताई जा सकती। हालांकि, इसे शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

(छ) चूंकि यह ऋण संभार तंत्र के लिए है न कि पत्तनों के लिए, अतः प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गुजरात में आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र

6837. **श्री एन.जे. राठवा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात में, विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी; और

(ग) राज्य में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। आठवीं योजना अवधि के दौरान दूरदर्शन का गुजरात राज्य सहित ग्रामीण, जनजातीय तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है, उच्च शक्ति ट्रांसमीटर, 16 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और 2 अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। हालांकि गुजरात राज्य आकाशवाणी द्वारा पूरी तरह कवर किया जा रहा है, फिर भी गुजरात राज्य में रेडियो कवरेज को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए वड़ोदरा में एक एल.आर.एस., जूनागढ़ में एक रिले केन्द्र और अहमदाबाद में एक 2×5 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर स्थापित किए जा रहे हैं।

विवरण

क्र. सं.	स्कीम	स्थान
1	2	3
1.	उच्च शक्ति ट्रांसमीटर	भुज
		*वडोदरा
		सूरत
		पालीताना
2.	अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	खम्बात
		मोरवी
		धरंमधरा
		महुआ
		नकतरना
		रापर
		*मंगरोल
		*ईदर
		पालीतना
		*दीसा
		राजुला

1	2	3
		*संगेली
		खम्बालिया
		*अमोद
		*झगड़िया
		*मंगरोल (सूरत)
3.	अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर	*नेतरंग
		*देवगढ़

*इन स्थानों की स्कीमें जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत क्षेत्रों की सेवा करेंगी।

भोजपुरी में कार्यक्रम

6838. **श्री प्रेमचन्द राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र पटना में भोजपुरी में समाचार तथा अन्य कार्यक्रम प्रसारित करने की मांग लगातार की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र पटना से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के स्तर में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को टी.वी. ट्रांसमीटर

6839. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एन.डी.डी.बी. के एक टी.वी. ट्रांसमीटर सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कब तक सौंपा जायेगा;

(ग) एन.डी.डी.बी. को टी.वी. ट्रांसमीटर किस प्रयोजन से सौंपा जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसी ही प्रस्ताव आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) से (ग) सरकार ने भुगतान आधार पर ट्रांसमीटर द्वारा कवर क्षेत्र के लिए प्रसारण को ट्रांसमीटर उपयुक्त ग्रामीण विकास तथा शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करने हेतु स्थानीय प्रसारण को ट्रांसमीटर करने के उद्देश्य से गुजरात के खेड़ा जिले के पिज में 1 कि.वा. टी.वी. ट्रांसमीटर का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ट्रांसमीटर की मरम्मत, सुधार तथा परिचालन की लागत को वहन करेगा। इलैक्ट्रोनिक विभाग तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस बारे में संयुक्त निरीक्षण तथा दूरदर्शन को अपेक्षित भुगतान किए जाने के बाद ट्रांसमीटर के प्रचालन संबंधी रूपात्मकताओं के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

(घ) अन्य राज्यों में इस प्रकार की सुविधा प्रदान करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दूरसंचार सेवाओं के लिए आय का उपयोग

6840. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा टेलीफोनों के पंजीकरण शुल्क में वृद्धि करने के फलस्वरूप जनवरी, 1994 तक कुल कितनी अतिरिक्त आय अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार ने इस अतिरिक्त आय का उपयोग दूरसंचार सेवाओं के आधुनिकीकरण में किया; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है और इसे क्षेत्रीय एककों से एकत्र किया जा रहा है तथा क्षेत्रीय एककों से सूचना प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के संबंध में अतिरिक्त आय, विभाग की अन्य राजस्व प्राप्तियों के साथ मिला दी जाती है। राजस्व व्यय की पूर्ति के उपरांत अधिशेष का उपयोग, विभाग के योजना परिव्यय का वित्त पोषण करने के लिए किया जाता है, जिसमें विविध नई योजनाएं/परियोजनाएं और साथ ही दूर संचार सेवाओं का आधुनिकीकरण शामिल हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पुल

6841. **री एच.डी. देव गौड़ा** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पुलों का निर्माण करने के लिए अनुमानित खर्च को कोई आकलन केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक पुल के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) रा.रा. 48 पर नेत्रवती पुल के निर्माण के लिए राज्य सरकार से 8.06 करोड़ रुपये का एक संशोधित अनुमान प्राप्त हुआ था, जिसे संशोधन के लिए बगैर मंजूरी के वापस भेज दिया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर भवन

6842. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में डाकघरों के विभागीय भवनों के निर्माण हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रतिवर्ष कितने भवनों का निर्माण हुआ;

(ग) राज्य में कितने डाकघर बिना विभागीय भवनों के हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे डाकघरों के लिए नये भवनों के निर्माण हेतु कोई समयबद्ध योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित की गई राशि निम्नानुसार है :

1991-92	166 लाख रुपये
1992-93	110 लाख रुपये
1993-94	150 लाख रुपये

(ख) वर्षवार निर्मित किए गए भवनों की संख्या निम्नानुसार है :

1991-92	3
1992-93	4
1993-94	4

(ग) राज्य में बिना विभागीय भवनों वाले डाकघरों की संख्या 2592 है।

(घ) डाकघर भवनों का निर्माण भूमि और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए, ऐसे डाकघरों के लिए भवनों का निर्माण करने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भोपाल में दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता

6844. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल में लगाये गए टी.वी. ट्रांसमीटरों की प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या भोपाल दूरदर्शन केन्द्र का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भोपाल में मैट्रो चैनल की शुरूआत कब तक कर दी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) भोपाल में एक 10 कि.वा. ट्रासंमीटर कार्यरत है। देश के विभिन्न राज्य की राजधानियों में 29 उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (उ.श.ट्रा.) 10 अल्प शक्ति ट्रांसमीटर (अ.श.ट्रा.) तथा 2 अति अल्प शक्ति ट्रासंमीटर (अ.अ.श.ट्रा.) स्थापित हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1994-95 के दौरान भोपाल में मैट्रो चैनल सेवा शुरू किए जाने की परिकल्पना है।

[अनुवाद]

दिल्ली में नाल्को स्टॉक्यार्डस

6845. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी (नाल्को) ने दिल्ली में अपने स्टॉक्यार्ड की स्थापना की है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसी प्रकार के स्टॉक्यार्ड मुबंई, मद्रास और कलकत्ता में स्थापित करने का है; और

(ग) वर्ष 1994-95 में अन्य किन-किन स्थानों पर "नाल्को" अपना स्टॉक्यार्ड स्थापित करेगी ?

खाना मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नाल्को ने बम्बई, मद्रास, व कलकत्ता में स्टॉक्यार्ड नहीं खोले हैं। कंपनी,

सिर्फ व्यवहार्य स्थानों पर ही प्रतियोगी मूल्यों पर, नाल्को के उत्पादन उपलब्ध कराने के लिए व बेहतर ग्राहक सेवा देने के लिए स्टॉक्यार्ड खोलना चाहती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों की निर्माण लागत

6846. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार लेनों वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, दो लेनों वाले राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेनों वाले राजमार्गों में बदलने, उनकी मरम्मत और रख-रखाव पर प्रति किलोमीटर कितनी औसत लागत आती है;

(ख) 1991-92 से उक्त प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए राज्यवार कुल कितना धनावंटन किया गया है;

(ग) प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए अब तक राज्यवार कुल कितने किलोमीटर लम्बे राजमार्गों की स्वीकृति दी गई; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अब तक कौन-कौन से कार्य किए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और दो लेन से 4 लेन का बनाने तथा उनके रख-रखाव की लागत क्षेत्र, विनिर्देशन, सामग्री लागत, यातायात के आधार पर भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) राज्यों में सभी निर्माण कार्यों के लिए आवंटन समग्र रूप से किया जाता है न कि स्कीम/कार्य-वार। तथापि, वर्ष 1991-92 से विभिन्न राज्यों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए किए गए आबंटन को ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) कोई नहीं।

विवरण-I

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	1991-92 अनुरक्षण/रख-रखाव	1991-92 विकास	1992-93 अनुरक्षण/रख-रखाव	1992-93 विकास	1993-94 अनुरक्षण/रख-रखाव	1993-94 विकास
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1279.42	2455.00	1249.44	2600.00	1716.42	4580.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	84.36	48.00	35.41	80.00	33.51	80.00
3.	असम	1018.09	1225.00	1039.625	1275.00	1355.22	1400.00
4.	बिहार	1012.30	1142.00	1072.66	1385.00	1276.45	1920.00
5.	चन्डीगढ़	16.00	28.00	15.48	25.00	14.00	25.00
6.	दिल्ली	163.00	550.00	171.80	700.00	208.21	550.00
7.	गोवा	191.97	930.00	208.308	850.00	245.07	570.00
8.	गुजरात	918.89	4770.00	881.37	4650.00	1033.95	6350.00
9.	हरियाणा	362.29	1060.00	380.83	1870.00	513.86	3200.00
10.	हिमाचल प्रदेश	518.77	1140.00	529.55	1150.00	881.70	1200.00
11.	जम्मू और कश्मीर	45.00	50.00	143.39	50.00	94.54	40.00
12.	कर्नाटक	990.02	1775.00	1105.85	1880.36	1234.19	2900.00
13.	केरल	586.54	1120.00	587.82	1400.00	726.15	3050.00
14.	मध्य प्रदेश	1195.69	1850.00	1213.25	1915.00	1316.28	1850.00
15.	महाराष्ट्र	1620.00	3358.00	1506.677	3280.00	1815.54	3080.00
16.	मणिपुर	51.67	250.00	73.32	250.00	130.47	300.00
17.	मेघालय	206.19	450.00	170.27	387.00	231.13	470.00
18.	नागालैंड	3.50	48.00	3.50	50.00	7.29	45.00
19.	उड़ीसा	859.98	1384.00	738.52	1375.00	1016.11	1350.00
20.	पांडिचेरी	6.83	120.00	5.78	44.64	16.02	50.00
21.	पंजाब	579.98	2850.00	638.97	2800.00	661.30	2200.00
22.	राजस्थान	1054.61	1800.00	1141.02	3095.00	1339.97	4200.00
23.	तमिलनाडु	979.91	1422.00	1134.69	1600.00	1643.67	3150.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	उत्तर प्रदेश	1312.05	6025.00	1394.96	4995.00	1710.52	4750.00
25.	पश्चिम बंगाल	1284.35	1634.00	1071.51	2230.00	1760.45	3500.00

विवरण-II

1-4-1994 की स्थिति के अनुसार

लम्बाई कि. मी.

क्र.सं.	राज्य	4 लेन वाली नई सड़क का निर्माण	दो लेन से चार लेन बनाना		टिप्पणियां
		प्रगति पर	पूरा किया गया	प्रगति पर स्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	10	41	
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	
3.	असम	-	-	-	
4.	बिहार	-	-	-	
5.	चन्डीगढ़	-	8	-	
6.	दिल्ली	-	72	-	
7.	गोवा	-	-		
8.	गुजरात	93	131	113	
9.	हरियाणा	-	77	216	
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	
11.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	-	
12.	कर्नाटक	-	30	25	
13.	केरल	-	-	37	

1	2	3	4	5	6
14.	मध्य प्रदेश	31	-	16	
15.	महाराष्ट्र	-	18	58	
16.	मणिपुर	-	-	-	
17.	मेघालय	-	-	-	
18.	नागालैंड	-	-	-	
19.	उड़ीसा	-	3	28	
20.	पांडिचेरी	-	-	-	
21.	पंजाब	-	102	73	
22.	राजस्थान	-		86	
23.	तमिलनाडु	-	-	43	
24.	उत्तर प्रदेश	-	30	106	
25.	पश्चिम बंगाल	-	7	35	
	जोड़	124	488	877	

दूरदर्शन केन्द्र की महिला कर्मचारियों से शिकायतें

6847. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष दूरदर्शन की महिला कर्मचारियों से उनके साथ पुरुष सहयोगियों द्वारा दुर्व्यवहार के आरोपों के संबंध में केन्द्र वार कितनी शिकायतें मिली हैं;

(ख) उनमें से कितनी महिलाएं कर्मचारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की थीं; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक दुर्व्यवहार के मामले पर क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) दूरदर्शन महानिदेशालय में गुवाहटी, शिलांग तथा हैदराबाद प्रत्येक से एक-एक तीन शिकायतें प्राप्त हुई

हैं, पिछले 3 वर्षों के दौरान वर्ष 1993 में 2 तथा 1994 में एक, जबकि 4 महिला कर्मचारियों ने उनके पुरूष सहकर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार की शिकायत की हैं।

(ख) 4 में से कोई भी शिकायत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के नहीं हैं।

(ग) तीन में से दो मामलों में जांच पूरी हो चुकी है जबकि एक मामले में, शिकायत सही नहीं पायी गयी थी और मामले को खत्म कर दिया गया था, दूसरे मामले में कथित रूप से आरोपित अधिकारी को जांच रिपोर्ट के आधार पर दूसरे केन्द्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। तीसरे मामले में विस्तृत तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड

6848. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को 1993-94 के लिए आवंटित धन इसके द्वारा शुरू किए जा रहे पुनर्गठन कार्य के लिए अपर्याप्त था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के लिए 1994-95 के लिए कुल कितना परिव्यय नियत किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को अतिरिक्त धन देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 1993-94 के लिए स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को आवंटित धन उनकी चालू योजनाओं और परियोजनाओं के लिए कम्पनी द्वारा प्रक्षेपित आवश्यकताओं के अनुरूप था।

(ग) से (ङ) 1994-95 में स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के लिए मंजूर कुल योजना परिव्यय 4.80 करोड़ रुपये हैं। मंजूर किया गया परिव्यय 1994-95 के लिए स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड द्वारा निधि को प्रक्षेपित मांग को पूरा करता है 1994-95 के लिए अतिरिक्त योजना परिव्यय के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

आकाशवाणी केन्द्र, कानपुर

6849. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आकाशवाणी केन्द्र, कानपुर के प्रसारण की प्रसार सीमा बढ़ाए जाने का है;

(ख) यदि हां, तो कब से; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं। कानपुर स्थित विविध भारती/वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र संतोषजनक कार्य कर रहा है। इस समय इसकी शक्ति के उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भारत को अमरीकी सहायता

6850. **श्री मनोरंजन भक्त :**
डा. ए.के. पटेल :
डा. मुमताज अंसारी :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1994 के स्टेट्समैन में "डिमान्ड टू स्टाफ यू" "एस. एंड टू इंडिया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस बात पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी, हां।

(ख) कांग्रेस सदस्य रोसको बार्टलेट तथा 28 अन्य कांग्रेस सदस्यों ने फरवरी, 1994 में राष्ट्रपति क्लिंटन को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि अमरीका "भारत को विकास सहायता देने के मसले को इस बात से जोड़े कि भारत एमनेस्टी इन्टर नेशनल को मानवाधिकारों के हनन की छानबीन के प्रयोजन से पंजाब, खालिस्तान में प्रवेश की इजाजत दे"। इन कांग्रेस सदस्यों ने यह आरोप लगाया कि ऐसी जांच पड़ताल के अभाव में सिखों के मानवाधिकारों का हनन किया जाना जारी रह सकता है। इस बात का उल्लेख करते हुए कि भारतीय सरकार ने यह दावा किया है कि "पंजाब, खालिस्तान" में शान्ति बहाल कर दी गई है इन कांग्रेस सदस्यों ने यह कहा है कि भारत सरकार ने "उन कठोर कानूनों को निरस्त करने से इंकार कर दिया है जो सबसे जरूरी बुनियादी मानवाधिकारों से भी करते हैं" और इन कानूनों का प्रयोग करके "हजारों सिखों को कैद" किया गया है।

अमरीकी प्राधिकारियों तथा कांग्रेस सदस्यों को इस बात से अवगत किया गया है कि पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। सरकार ने मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन सहित किए गए अतिरिक्त उपायों के बारे में भी बता दिया है। सरकार ने सूचित किया है कि भारत के निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का संरक्षण करना उसकी पहली चिन्ता है।

गुजरात में हीरे के भण्डार

6851. **श्री राम कापसे :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने हीरे के भण्डारों का पता लगाने के लिए सौराष्ट्र का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या वहां स्थित हीरे के भंडारों का पुनर्आकलन करने के लिए भूगर्भ वैज्ञानिकों ने केन्द्रीय सरकार से इस क्षेत्र का फिर से सर्वेक्षण कराने का आग्रह किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नही उठता।

दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण

6852. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में वाहनों से होने वाला प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण उपाय बड़े ट्रकों तथा लॉरियों पर कठोरता से लागू नहीं किए जाते;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) मोटर यानों से होने वाले उत्सर्जन से प्रतिदिन 608.9 टन कार्बन मोनोक्साईड, 12.74 टन कणदार पदार्थ, 157.04 टन नाइट्रोजन आक्साइड, 310.05 टन हाइड्रोकार्बन, 7.47 टन सल्फर डाइआक्साईड पैदा होता है। यह अनुमान है कि दिल्ली के कुल वायु प्रदूषण भार में 76 प्रतिशत कार्बन मोनोक्साइड और 66 प्रतिशत नाइट्रोजन आक्साइड होता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) (1) केन्द्र सरकार ने पैट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए द्रव्य-उत्सर्जन मानक निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी की है। ये मानक 1-4-1996 से सख्ती से लागू किए जाएंगे।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग "मोटर वाहनों की निकास नली से होने वाले वायु प्रदूषण पर नियंत्रण नामक एक प्लान स्कीम को लागू कर रहा है।

(3) मार्च, 1990 और जनवरी, 1994 के बीच परिवहन विभाग और इसके प्राधिकृत केन्द्रों ने 25.01 लाख वाहनों की प्रदूषण स्तर संबंधी जांच की। इनमें से 4.41 लाख वाहनों को निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाते पाया गया।

(4) निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की विभाग द्वारा नियमित रूप से जांच की जाती है। अप्रैल, 1990 और फरवरी, 1994 के बीच अब तक 34,130 वाहनों का चालान किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में 1,00,651 वाहनों के फिट्नेस प्रमाण पत्रों/प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्रों को रद्द किया जा चुका है।

(5) जन परिवहन प्रणाली को और सुदृढ़ करने और निजी वाहनों को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने प्राइवेट आपरेटरों को 3000 स्टेज कैरिज परमिट प्रदान किए हैं।

(6) शहरी विकास मंत्रालय ने राइट्स के परामर्श से दिल्ली में द्रुत जन परिवहन प्रणाली के लिए एक परियोजना तैयार की है।

(7) प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दि.प.नि. द्वारा किए गए प्रयास संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

1. दि.प.नि. के सभी वाहनों को एस.टी.ए. दिल्ली से पास करवा लिया गया है और दिल्ली परिवहन निगम के वाहनों के प्रदूषण स्तर को अनुमत सीमा अर्थात् 65 एच.एस.यू. के अंतर्गत लाने के लिए प्रत्येक तीन महीने के बाद "नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र" का नवीकरण भी करवाया जाता है।

2. डिपो के गेट से बाहर निकालते समय दि.प.नि. के सभी वाहनों की गेट पर धुआं उत्सर्जन की जांच के लिए एक कुशल कारीगर द्वारा जांच की जा रही है यदि कोई वाहन अधिक धुआं छोड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे कारखाने (वर्कशाप) में वापस भेज दिया जाता है और उचित सुधार के बाद ही उसे सड़क पर चलाने की अनुमति दी जाती है।

3. एस.टी.ए./दि.प.नि. के संयुक्त जांच दलों द्वारा दि.प.नि. के वाहनों की सड़क पर भी जांच की जा रही है। अधिक धुआं छोड़ते हुए पाए जाने वाले वाहनों की संबंधित यूनिट द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जांच की जाती है और एस.टी.ए. दिल्ली से पास करवाया जाता है।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वाहन पूर्व निर्धारित गति से अधिक तेज न चलें,

सभी वाहनों के इंजन ब्लाक्स पर गति नियंत्रित करने वाले ब्रैकट्स लगाए गए हैं, जिसके फलस्वरूप वायु प्रदूषण में कमी हुई है।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कार्य अपेक्षित गुणवत्ता स्तर के अनुसार पूरे किए गए हैं, वरिष्ठ प्रबन्धक (पी.सी.) के पर्यवेक्षण में विभिन्न निवारक, रख-रखाव कार्यों विशेषतया अधिक धुंआ छोड़ने के लिए जिम्मेदार कार्यों की जांच यूनिटों में की जाती है। जांच के दौरान यदि कोई कमी पाई जाती है तो सुधारात्मक कार्रवाही के लिए डिपुओं को इसकी सूचना दी जाती है।

6. दि.प.नि. में एक प्रदूषण नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है इस कक्ष को सचल धूम्र जांच वाहन (मोबाइल स्मोक चैंकिंग वाहन) उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें "हर्टरिज" स्मोक मीटर लगा होता है। जनता की सुविधा के लिए सभी बसों में प्रदूषण नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या दी गई है, जिससे कि वे अत्याधिक धुआं छोड़ने वाले वाहनों की सूचना नियंत्रण कक्ष को दे सकें। प्रैस, दूरदर्शन इत्यादि के माध्यम से इस बारे में जन सहयोग के लिए भी अनुरोध किया गया है।

7. जन सहयोग के माध्यम से दि.प.नि. की बसों का वाहन प्रदूषण भी नियंत्रित किया जा रहा है। जब भी कोई व्यक्ति दि.प.नि. के वाहनों द्वारा अत्याधिक धुआं छोड़ने जाने के बारे में शिकायत करता है तो प्राथमिकता के आधार पर इसकी जांच की जाती है। एस.टी.ए. दिल्ली से नियंत्रित प्रदूषण प्रमाण पत्र पुनः प्राप्त करने के बाद भी वाहन को सड़क पर चलाया जाता है।

8. दि.प.नि. के ओखला डिपो-1 से सी.एन.जी. दोहरी डीजल ईंधन प्रणाली से चलने वाले 6 वाहनों का प्रचालन शुरू किया गया है। ऐसी सूचना है कि सी.एन.जी. डीजल प्रणाली वाले वाहनों से ऊर्जा की बचत होती है और साथ ही धुंआ स्तर में भी कमी होती है। यदि इसका परीक्षण संतोषजनक पाया गया तो और अन्य वाहनों को भी उपर्युक्त प्रणाली में बदल दिया जाएगा।

9. उपर्युक्त सभी उपाय दि.प.नि. के प्रचालन क्षेत्र में प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाए रखने के लिए किए गए हैं। कुछ और हर्टरिज टाइप स्मोक मीटर लगाकर प्रदूषण नियंत्रण उपायों को और अधिक बढ़ाने की योजना है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन निर्माताओं द्वारा शुरू की जाने वाली उन्नत वाहनों प्रौद्योगिकी को भी उपलब्धता के आधार पर दि.प.नि. अपनाने की योजना बना रहा है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी/निजी निवेशक

6853. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञों ने विद्युत क्षेत्र में विदेशी और निजी निदेशकों को अनुचित रूप से दिये जा रहे अनुकूल निबन्धनों और मूल्यवर्धित अधिष्ठापन लागत की एक स्वतंत्र संसदीय जांच कराने की मांग की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय बोली/निविदाएं आमंत्रित करके लागत मूल्य में कमी करने की सम्भावना का पता लगाने से इन्कार कर दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों को न्यायोचित ठहराने के प्रयोजन से देश में बिजली की कमी का प्रचार किया है;

(घ) क्या सरकार ने संसाधन जुटाने की भारतीय निवेशकों की क्षमता का कम आकलन किया है और संसाधनों की नकली कमी उत्पन्न की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) व्यक्तियों के एक समूह ने जो पहले विद्युत क्षेत्र से सम्बन्धित था, एक प्रकाशन जारी किया जिसमें इस प्रकार की मांग की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बंकिंघम नहर

6854. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या **जल विद्युत परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से बंकिंघम नहर के बारे में जानकारी और परियोजना विवरण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का विचार नहर को विकसित करने के लिए खुले बाजार से वित्तीय संसाधन जुटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) केन्द्र, द्वारा प्रयोजित स्कीम के तहत 37.18 करोड़ रुपये की कुल लागत से बंकिंघम नहर (316 कि.मी.) और विजयवाड़ा तथा मद्रास को जोड़ने वाली कोमामुरू नहर (113 कि.मी.) के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार ने एक संयुक्त परियोजना रिपोर्ट भेजी है। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने काकीनाडा

और मद्रास को जोड़ने वाली सम्पूर्ण नहर प्रणाली पर तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन करने का निर्णय लिया है। यह अध्ययन मै. राइट्स को सौंपा गया है और अध्ययन कार्य चल रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग

6855. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, रख-रखाव तथा उन पर पुलों के निर्माण हेतु गत तीन वर्षों के दौरान, प्रतिवर्ष बजट में राष्ट्रीय राजमार्ग-वार तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया तथा वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर प्रमुख कार्यों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख-रखाव और मरम्मत के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को समग्र रूप से आबंटन किया जाता है न कि परियोजना वार राष्ट्रीय राजमार्ग-वार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास/रख-रखाव और उनकी मरम्मत के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया आबंटन/व्यय नीचे दर्शाया गया है :

वर्ष	विकास		रख-रखाव और मरम्मत	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
				(करोड़ रुपये)
1991-92*	374.84	408.93	163.41	177.02
1992-93*	·399.37	436.05	165.14	171.23
1993-94*	528.69	380.33 (अ.)	209.82	170.76 (अ.)

*बी.आर.डी.नी. को छोड़कर

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47

6856. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 पर (1) एल्वाय वायटिला और (2) अरूर-शेरलघलाई का चार लेनों का बनाने तथा सुदृढ़ करने हेतु वित्त व्यवस्था की थी;

(ख) यदि हां, तो एशियाई विकास बैंक ने इस परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कितनी धनराशि दी थी;

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को शुरू करने में कोई विलम्ब हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) इस कार्य के लिए 22.06 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध करवाए गए हैं।

(ग) सितम्बर, 1997

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोतों द्वारा उल्लंघन

6857. **श्री के. प्रधानी** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पोत अपने मछली पकड़ने संबंधी कार्य के लिए 12 नाटिकल मील की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गांगोई) : (क) से (ग) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की प्रादेशिक जल में, जहां मछली पकड़ने का केवल पारम्परिक मछुवारों को अधिकार है जलयान चलाने की अनुमति नहीं है। हाल ही में मछुआरों की कुछ एसोसिएशनों ने आरोप लगाया था कि गहन समुद्री जलयान उनके क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं लेकिन किसी घटना विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। बहरहाल, मंत्रालय ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके तथाकथित अतिक्रमणों का गहराई से अध्ययन करने तथा उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

पोत निर्माण क्षेत्र

6858. **श्री एम.वी.एस. मूर्ति** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पौलेंड ने पोत-निर्माण के क्षेत्र में अपनी सुविज्ञता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) एक विशेष किस्म के जलयानों के निर्माण के लिए पौलेंड के एक शिपयार्ड द्वारा सहयोग करने की पेशकश की गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल की यात्रा

6859. **श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से अप्रैल, 1994 के दौरान किन-किन देशों के उच्चाधिकार प्राप्त शिष्टमंडल अपने राष्ट्रध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के नेतृत्व में भारत आए;

(ख) देशवार इन शिष्टमंडलों के साथ किस प्रकार की बातचीत की गई और उसके क्या परिणाम निकलें; और

(ग) कश्मीर विवाद पर देशवार इन शिष्टमंडलों ने क्या विचार व्यक्त किए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) उन देशों के नाम जिनके राज्या/शास्नाध्यक्षों के नेतृत्व में उच्च अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिमंडलों ने इस अवधि के दौरान भारत की यात्रा की, नीचे लिखे अनुसार है :

उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, चेक गणराज्य, मंगोलिया, पोलैंड, माल्दीव और अर्जेन्टीना।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित देशों के राज्या/शासनाध्यक्ष मार्च, 1994 में पुनः आयोजित जी-15 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आए :

इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, सेनेगल, मलेशिया और अर्जेन्टीना।

(ख) देश वार सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

उज्बेकिस्तान

बातचीत आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में दोनां पक्षों के बीच सहयोग बढ़ाने पर केन्द्रित रही। आपसी हित के क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। इससे दोनों देश एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझ पाये।

सिंगापुर

क्षेत्रीय और सार्वभौमिक मसलों के संबंध में विचारों के आदान-प्रदान की अतिरिक्त दोनों देशों के बीच सामरिक आर्थिक भागीदारी, व्यापार एवं निवेश में वृद्धि जैसे आपसी हित के द्विपक्षीय मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है।

चेक गणराज्य

द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर इस बातचीत में ध्यान केन्द्रित किया गया। इस बात को स्वीकार करते हुए कि द्विपक्षीय संबंध पारम्परिक रूप से अच्छे रहे हैं दोनों पक्षों ने इस बात को स्वीकार किया कि दोनों देशों में चल रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सहयोग के नये तरीके विकसित करने की आवश्यकता है। चेक पक्ष को भारत में आधारिक संरचना के क्षेत्र में पूंजीनिवेश के लिए आमंत्रित किया गया था जहां हित के क्षेत्र तय किये गये हैं।

मंगोलिया

इस बातचीत में द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मसलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया और दोनों पक्षों ने यह महसूस किया कि क्षेत्रीय सहयोग सुदृढ़ किया जाना चाहिए। खनन एवं कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया और इस पर सहमति हुई कि ब्यौरा संयुक्त समिति तैयार करेगी जो गठित की गई थी। इस यात्रा के दौरान मैत्री संबंध एवं सहयोग से संबंद्ध में एक करार, 1994-96 के लिए स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग संबंधी कार्यक्रम और 1994-96 के लिए एक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए।

पोलैंड

अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यों तथा द्विपक्षीय सहयोग से संबंद्ध मसलों पर विचार-विमर्श हुआ। निरस्त्रीकरण पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ द्विपक्षीय पहलुओं के बारे में दोनों पक्ष इस बात की आवश्यकता पर सहमत हुए कि व्यापारिक और आर्थिक संबंद्ध सुदृढ़ किए जायें और भारत-पोलिश संयुक्त व्यवसाय परिषद् और भारत पोलिश संयुक्त आयोग को सक्रिय बनाया जाये। यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की पुर्नसंरचना के बारे में विचारों को आदान-प्रदान करेंगे और उरुग्वे दौर की अनुवर्ती कार्यवाई के संबंध में गैट के बारे में विशेष तौर पर बहुआयामी करार में प्रयासों में सहयोग करेंगे और उन्हें समन्वित करेंगे।

मालदीव

द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप के आपसी हित के मसलों और भारत और मालदीव के बीच मौजूदा और भावी सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा से दोनों देश एक दूसरे को और अच्छी तरह समझ सके और दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा।

अर्जेन्टीना

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मसलों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। चार करारों पर

हस्ताक्षर हुए यथा- (1) राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने संबंधी करार; और (2) भारत-अर्जेन्तीना संयुक्त आयोग के गठन से संबद्ध करार; (3) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर करने संबंधी उद्देश्य और भारत के एग्जिम बैंक और अर्जेन्तीना के इसके समकक्ष संगठन के बीच सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन।

जी-15 शिखर सम्मेलन

बहरहाल, राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श जो जी-15 शिखर सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए आए थे, मुख्य रूप से जी-15, ठोस सहयोग के क्षेत्रों को तय करने और इसकी सतत प्रासंगिकता की पुनः पुष्टि के संदर्भ में था। इन नेताओं के साथ लाभप्रद द्विपक्षीय विचार-विमर्श भी हुए।

(ग) देशवार स्थिति नीचे लिखे अनुसार है :

उज्बेकिस्तान

बातचीत के जरिए किसी भी समस्या के समाधान का समर्थन किया।

सिंगापुर

इस यात्रा के दौरान भारत यात्रा पर आए प्रतिनिधिमंडल के लिए कश्मीर के संबंध में विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं था। तथापि इस मसले पर उनका दृष्टिकोण किसी का पक्ष न लेना था और उन्होंने कश्मीर मसले का समाधान द्विपक्षीय तरीके से करने की बात कही।

चेक गणराज्य

अपने इस दृष्टिकोण को दोहराया कि दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत के जरिये और इस मसले को इकतरफा रूप से अन्तर्राष्ट्रीय बनाये बिना समाधान किया जाना चाहिए।

मंगोलिया

कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग समझा और कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझे मसलों को शिमला समझौते की परिधि के अन्दर सुलझाया जाना चाहिए।

पोलैंड

भारत और पाकिस्तान के बीच अर्निर्णीत मसलों का समाधान द्विपक्षीय रूप से किया जाना चाहिए और वे इस मसले को अन्तर्राष्ट्रीय बनाने के विरुद्ध हैं।

मालदीव

कश्मीर मसले का हल समाधान भारत और पाकिस्तान के बीच सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत द्वारा तय किया जाना चाहिए।

अर्जेन्तीना

कश्मीर मसले के बारे में कोई विचार व्यक्त नहीं किया।

जी-15 शिखर सम्मेलन

यद्यपि जी-15 शिखर सम्मेलन में जारी संयुक्त विज्ञप्ति में कश्मीर का कोई उल्लेख नहीं था फिर भी इसने आतंकवाद के खतरे पर निम्नलिखित शब्दों में प्रकाश डाला।

मानवाधिकार के उपभोग के प्रति आतंकवाद एक अत्याधिक भयानक खतरे के रूप में उभरा है। आतंकवादी और उनके संगठन निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकार का हनन करते हैं और उसके साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्बाध कार्य संचालन को कमजोर बनाते हैं। जब आतंकवाद को विदेश से सहायता मिलती है तो वह विशेष रूप से घातक स्वरूप धारण कर लेता है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए कारगर रूप से सहयोग करना चाहिए।

दिल्ली में यमुना पर पुल

6860. **डा. के.वी.आर. चौधरी :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में यमुना पर सड़क पुल उपलब्ध कराने तथा वर्तमान पुलों की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है; और

(ख) यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) भैरों सड़कों पर पीपे के एक पुल को यातायात के लिए अभी-अभी खोला गया है और सराय काले खां के निकट दूसरे पुल की अक्तूबर, 1994 तक पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त आई.टी.ओ. के निकट 4 लेन वाला एक और पुल निर्माणाधीन है और इसके जून, 1996 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

नौवहन उद्योग का आधुनिकीकरण

6861. **श्री अन्नतराव देशमुख :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय शिपयार्ड में और अधिक मरम्मत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन-सी योजनाएं शुरू की जाएंगी; और

(ख) गोदी के शुष्क रहने और बर्थ मरम्मत के दिनों में इसकी क्षमता में हुई वृद्धि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 8वीं योजना अवधि के दौरान जहाज मरम्मत के लिए सरकार द्वारा किन्हीं नई सुविधाओं के सृजन का प्रस्ताव नहीं है। तथापि आठवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में जहाज मरम्मत सुविधाओं में वृद्धि और आधुनिकीकरण के लिए अनेक योजनाओं का प्रस्ताव किया गया है। इन योजनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) कुछ बकाया सुविधाओं को शामिल करना तथा पुराने उपकरणों का नवीकरण और पुर्नस्थापना।

(2) पोतों की अतिशीघ्र मरम्मत करने के लिए जहाज मरम्मत सुविधाओं जैसे हाई प्रैशर वाटर जेट, एयर स्प्रे युनिट, कैमिकल क्लीनिंग इक्विपमेंट आदि की वृद्धि।

(3) मौजूदा स्लिपवेज और डाकस का आधुनिकीकरण और नवीकरण।

चूंकि जहाज मरम्मत के लिए नई सुविधाओं के सृजन का कोई प्रस्ताव नहीं है इसलिए ड्राय डाक और मरम्मत बर्थ दिवसों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी। तथापि इससे शिपयार्डों में जिन पोतों की मरम्मत हो रही है, उनके टर्न-राउंड समय में सुधार होगा।

असम के डाकघरों में गबन

6862. **श्री प्रबीन डेका** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के डाकघरों में गबन के कई मामले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) तीन वर्षों के दौरान गबन के जितने मामलों का पता लगाया गया है, उनकी संख्या निम्नानुसार है :

वर्ष	धोखाधड़ी के मामलों की संख्या
1991	53
1992	67
1993	64

(ग) से (ङ) गबन के सभी मामलों की छानबीन की गई तथा गबन के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों और अपनी पर्यवेक्षी लापरवाही के कारण गबन होने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का उनके विरुद्ध उपयुक्त विभागीय नियमों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने के लिए पता लगा लिया गया है। इन मामलों की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है। दोषी पाए गए व्यक्तियों से, हानि की भरपाई करने के लिए, वसूलियां करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।

टेलीफोन कनेक्शन

6863. **श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी कस्बे या शहर को नए टेलीफोन कनेक्शनों के नम्बर आबंटित करने में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या शहर के व्यवसायिक महत्व पर भी विचार किया जाता है; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश के शहर के लिए नए टेलीफोन कनेक्शनों के आबंटन में अपनाए जा रहे ऐसे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) किसी कस्बे या शहर को नए टेलीफोन कनेक्शन आबंटित करना, पूर्ण रूप से पंजीकृत मांग, उपस्कर तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) जी, हां।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार टेलीफोन सुविधाओं के लिए निम्नलिखित स्थानों को प्राथमिकता दी गई है।

1. औद्योगिक नगर/विकास केन्द्र

2. पर्यटन स्थल

3. तीर्थ स्थल

आंध्र प्रदेश के शहरों के लिए नए टेलीफोन कनेक्शनों को आबंटित करने के लिए उपर्युक्त मानदण्ड का अनुसरण भी किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में अंतर्देशीय जल परिवहन

6864. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने गुजरात को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध की है; और

(ख) इस संबंध में अब तक हुए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) गुजरात में नर्मदा नदी में भदभूत और बीच जलमार्ग के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत आठवीं पंचवर्षीय योजना में 2.47 करोड़ रुपया के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। गुजरात सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलम्ब के कारण इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

पत्तनों के बीच माल का बंटवारा

6865. **श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई पत्तन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन द्वारा गत तीन वर्षों में उतारे चढ़ाये गए माल, इन पत्तनों की क्षमता के उपयोग और आधारभूत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये दोनों पत्तन अगामी वर्षों में बढ़ते हुए माल यातायात से निपटने के लिए अत्याधुनिक आधारभूत सुविधाओं और उपकरणों से सुसज्जित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मुम्बई पत्तन और जवाहरलाल नेहरू पत्तन के बीच कन्टेनर माल को उतारने-चढ़ाने के संबंध में हाल ही में कोई विवाद उठा है तथा इसे सुलझाने के लिए एक समिति गठित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या समिति ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान बम्बई तथा जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर हैंडल किया गया कार्गो और क्षमता उपयोग निम्न प्रकार था :

वर्ष	हैंडल किया गया ट्रैफिक (मिलियन टन)		क्षमता उपयोग	
	ब.प. न्या.	ज.ने.प. न्या.	ब.प. न्या.	ज.ने.प. न्या.
1991-92	27.2	2.8	99.7 प्रतिशत	55.3 प्रतिशत
1992-93	28.7	3.0	105.3 प्रतिशत	59.2 प्रतिशत
1993-94	31.0	3.4	113.9 प्रतिशत	66.9 प्रतिशत

दोनों पत्तनों की मुख्य मूल संरचनात्मक परियोजनाएं निम्न प्रकार हैं :

बम्बई

(1) पीर पाऊ आयल पीअर को बदलना।

(2) पोत यातायात प्रबन्ध प्रणाली (वी.टी.एम.एस.) की स्थापना।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

(1) बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ तक पहुंच मार्ग।

(2) जी, हां।

(ग) मुख्यतः कन्टेनर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है। बम्बई पत्तन के पास बर्थ पर दो क्वे क्रेन, यार्ड में रबड़ टायरों वाली तीन गैन्ट्री क्रेन और कंटेनर प्रचालनों के लिए पांच टाप लिफ्ट ट्रक हैं। बढ़े हुए कंटेनर ट्रैफिक को अन्य सामान्य कार्गो बर्थों पर हैंडल किया जाता है। जहां पर कि कंटेनरों को गियरों वाले जलयानों द्वारा माल चढ़ाया/उतारा जाता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के पास तीन कंटेनर बर्थ हैं, जिन पर तीन क्वे क्रेन हैं, 8 यार्ड क्रेनें और तीन कंटेनर फ्रेट स्टेशन हैं, जिनकी प्रतिवर्ष 1,00,000 टी.ई.यू.एस. हैंडलिंग क्षमता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली परिवहन निगम की बस-सेवा

6866. **श्री शशि प्रकाश : क्या जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धौलाकुआं और गुड़गांव के बीच चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों की सेवा विशेष तौर पर शाम के छह बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्णापानी के खनिकों को वैकल्पिक रोजगार

6867. **कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्णापानी खानों के कई ठेका श्रमिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छंटनी किए गए श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) "सेल" की पूर्णापानी खानों में ठेके के श्रमिक ठेकेदार के पास अब भी कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में दूरदर्शन प्रसारण

6868. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में बड़ोदरा, भडूच और पंचमहल जिलों की संपूर्ण आबादी दूरदर्शन नेटवर्क को देख पाती है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन जिलों की संपूर्ण आबादी तक दूरदर्शन कार्यक्रम पहुंचाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जबकि दूरदर्शन के उग्रह कार्यक्रम देश के सभी भागों में उपलब्ध हैं, देश में स्थानीय टेलीविजन सेवा का विस्तार चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है जोकि इस उद्देश्य हेतु संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ग) क्षेत्र को पर्याप्त कवरेज प्रदान करने हेतु गुजरात के भडूच, पंचमहल तथा वड़ोदरा जिलों में विभिन्न शक्तियों के 6 ट्रांसमीटर कार्यान्वयनाधीन/स्थापित किए जाने हेतु परिकल्पित हैं। ये इस प्रकार हैं-भडूच के लिए अमोद एवं जुआगड़िया में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा नेतरांग में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर, पंचमहल के लिए संजेली एवं सतनामपुर में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर तथा देवगढ़ बारिया में एक अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर और वड़ोदरा के लिए वड़ोदरा में एक उच्च शक्ति ट्रांसमीटर।

[हिन्दी]

गया में टेलीविजन स्टूडियो केन्द्र

6869. **श्री प्रेम चन्द राम** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गया अथवा नवादा में एक नया टेलीविजन स्टूडियो केन्द्र की स्थापना करने का है, अथवा इस क्षेत्र में स्थित टेलीविजन केन्द्र की क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दूरदर्शन स्टूडियो सुविधाएं इस समय पटना और रांची में उपलब्ध हैं। डाल्टनगंज और मुज्जफरपुर में इसी प्रकार की सुविधाएं तकनीकी रूप से तैयार हैं और शीघ्र ही चालू कर दी जाएगी। पटना में टी.वी. स्टूडियो केन्द्र का संवर्धन प्रगति पर है। रांची में मौजूदा स्टूडियो सुविधा के उन्नयन करने की भी परिकल्पना है। चालू हो जाने पर, ये स्टूडियो केन्द्र गया अथवा नवादा की स्थानीय प्रतिभा एवं समग्र रूप में इस क्षेत्र की संस्कृति को काफी अवसर एवं प्रभावन प्रदान करेगा।

उत्तर प्रदेश में टी.वी. ट्रांसमीटर

6870. **श्री प्रभू दयाल कठेरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान राज्य-वार किन स्थानों पर प्रसारण केंद्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक प्रसारण केंद्र की प्रस्तावित क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्या फिरोजाबाद में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के.पी. सिंह देव) : (क) 1993-94 के दौरान स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टी.वी. ट्रांसमीटरों की राज्यवार स्थिति सलंग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1993-94 में स्थापित किए जाने हेतु टी.वी. ट्रासंमीटरों के प्रस्तावित स्थान

राज्य/स्थान	ट्रांसमीटर सेट-अप
1	2
आंध्र प्रदेश	
वारंगल	उ.श.ट्रा.
बेल्लमपल्ली	अ.श.ट्रा.
मरकापुर	अ.श.ट्रा.

1	2
कामारेड्डी	अ.श.ट्रा.
मण्डास्सा	अ.श.ट्रा.
एम्मीगनु	अ.श.ट्रा
तम्बलापल्ली	अ.श.ट्रा.
एल.आर. पल्ली	अ.श.ट्रा.
संतापिल्ली	अ.श.ट्रा.
कोरंगल	अ.अ.श.ट्रा.
नांधरा	अ.श.ट्रा.
नगरकुरनूल	अ.श.ट्रा.
पासरा	अ.श.ट्रा.
पडेरू	अ.अ.श.ट्रा.
कोसिगि	अ.श.ट्रा.
वनापर्थी	अ.श.ट्रा.
विशाखापटनम	अ.श.ट्रा./एक्सपीआर
पार्वतीपुरम	अ.अ.श.ट्रा.
इच्छापुरम	अ.अ.श.ट्रा.
रायाचोटी	अ.श.ट्रा.
पेडानंदिपदु	अ.श.ट्रा.
चिंतापल्ली	अ.श.ट्रा.
कर्नाटक	
कुम्टा	अ.श.ट्रा.
अरसिकेरे	अ.श.ट्रा.
हत्तिहाल	अ.श.ट्रा.
हासन	अ.श.ट्रा.

1	2
भटकाल	अ.श.ट्रा.
हरपनाहल्ली	अ.श.ट्रा.
बासवकल्याण	अ.श.ट्रा.
सागर	अ.श.ट्रा.
हनगोंड	अ.श.ट्रा.
सकलेसपुर	अ.अ.श.ट्रा.
केरल	
चेंगान्नूर	अ.श.ट्रा.
कंजिरापल्ली	अ.अ.श.ट्रा.
तमिलनाडु	
धरमपुरी	अशट्रा
शंकरन कोविल	अ.श.ट्रा.
अतूर	अ.श.ट्रा.
उदममंडलम	अ.श.ट्रा.
पुडूकोटई	अ.श.ट्रा.
कृष्णागिरी	अ.श.ट्रा.
वजापदी	अ.अ.श.ट्रा.
मेट्टूपलयम	अ.अ.श.ट्रा.
वालपाड़ा	अ.अ.श.ट्रा.
उदुलनालपेट	अ.अ.श.ट्रा.
वेल्लूर	अ.अ.श.ट्रा.
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
कच्छल	अ.अ.श.ट्रा.
बारातंग	अ.अ.श.ट्रा.

1	2
अरुणाचल प्रदेश	
मियाओ	अ.श.ट्रा.
योमचा	अ.अ.श.ट्रा.
ताली	अ.अ.श.ट्रा.
मिनयांग	अ.अ.श.ट्रा.
कालातंग	अ.अ.श.ट्रा.
असम	
सोनारी	अ.श.ट्रा.
लुमडिंग	अ.श.ट्रा.
होजाई	अ.श.ट्रा.
तिनसुकिया	अ.श.ट्रा.
बिहार	
नौमुण्डी	अ.श.ट्रा.
कोडरमा	अ.श.ट्रा.
फुल पारस	अ.श.ट्रा.
सराइकेला	अ.श.ट्रा.
सिमडेगा	अ.अ.श.ट्रा.
मिजोरम	
सैहा	अ.श.ट्रा.
चंफई	अ.अ.श.ट्रा.
मणिपुर	
कांगपोकपी	अ.अ.श.ट्रा.
मेघालय	
बाघमारा	अ.अ.श.ट्रा.

1	2
नागालैण्ड	
साताखुआ	अ.अ.श.ट्रा.
उड़ीसा	
घेंनकनाल	अ.श.ट्रा.
कामाख्यानगर	अ.श.ट्रा.
तांगे	अ.श.ट्रा.
तालचेर	अ.श.ट्रा.
थुआमल रामपुर	अ.श.ट्रा.
हिंडोल	अ.श.ट्रा.
कबिसूर्य नगर	अ.श.ट्रा.
अथमल्लिक	अ.श.ट्रा.
दशरथपुर	अ.श.ट्रा.
भुबन	अ.श.ट्रा.
खंडपारा	अ.श.ट्रा.
सोनपुर	अ.श.ट्रा.
नरसिंहपुर	अ.श.ट्रा.
लुथेरपुंक	अ.श.ट्रा.
पालना	अ.श.ट्रा.
नयागढ़	अ.श.ट्रा.
औल	अ.अ.श.ट्रा.
राय रंगपुर	अ.श.ट्रा.
केंद्रपाड़ा	अ.श.ट्रा.
नुआपारा	अ.श.ट्रा.
दुर्गापुर	अ.श.ट्रा.

1	2
बौध	अ.श.ट्रा.
रेपाखोल	अ.श.ट्र.
मुहाना	अ.श.ट्रा.
कुचिण्डा	अ.श.ट्रा.
बानापुर	अ.श.ट्रा.
बालीगुरा	अ.श.ट्रा.
राजरानापुर	अ.श.ट्रा.
जी. उदयगिरी	अ.अ.श.ट्रा.
तुशारा	अ.श.ट्रा.
पारादीप	अ.श.ट्रा.
भुवनेश्वर	अ.श.ट्रा.
पटनागढ़	अ.अ.श.ट्रा.
बोनाई	अ.अ.श.ट्रा.
सिक्किम	
सिंगतम	अ.अ.श.ट्रा.
रांगपो	अ.अ.श.ट्रा.
जोरथंग	अ.अ.श.ट्रा.
त्रिपुरा	
कैलाशहर	अ.श.ट्रा.
तेलामुरा	अ.श.ट्रा.
पश्चिम बंगाल	
बलुरघाट	उ.श.ट्रा.
कलना	अ.श.ट्रा.

1	2
दादरा एवं नगर हवेली	
सिलककसा	अ.श.ट्रा.
गुजरात	
पालिताना	अ.श.ट्रा.
दीसा	अ.श.ट्रा.
पालिताना	अ.श.ट्रा.
राजुला	अ.श.ट्रा.
संजाली/संत रामपुर	अ.श.ट्रा.
खम्बालिया	अ.श.ट्रा.
अमोद	अ.श.ट्रा.
मांगरोल	अ.श.ट्रा.
झगड़िया	अ.श.ट्रा.
देवगढ़ बरिया	अ.अ.श.ट्रा.
नेतरंग	अ.अ.श.ट्रा.
महाराष्ट्र	
चन्द्रपुर	उ.श.ट्रा.
सिरपुर	अ.श.ट्रा.
मेहेक्कर	अ.श.ट्रा.
मोर्शी	अ.श.ट्रा.
वनी	अ.श.ट्रा.
रिसोद	अ.अ.श.ट्रा.
रायगढ़ फोर्ट	अ.श.ट्रा.
देवरुक	अ.श.ट्रा.
चिकलधारा	अ.अ.श.ट्रा.

1	2
कारजट	अ.अ.श.ट्रा.
खेड	अ.अ.श.ट्रा.
राजपपुर	अ.अ.श.ट्रा.
चिखली	अ.श.ट्रा.
खामगांव/म्हासले	अ.श.ट्रा.
मध्य प्रदेश	
शहडोल	उ.श.ट्रा.
अशोकनगर	अ.श.ट्रा.
खुरई	अ.श.ट्रा.
मैहर	अ.श.ट्रा.
जसपुरनगर	अ.अ.श.ट्रा.
विजयपुर	अ.श.ट्रा.
लाहर	अ.श.ट्रा.
भांडेर	अ.श.ट्रा.
कैलारस	अ.श.ट्रा.
पाखनजोर	अ.अ.श.ट्रा.
सिंगरौली	अ.अ.श.ट्रा.
खोंडागांव	अ.अ.श.ट्रा.
बुधनी	अ.अ.श.ट्रा.
शक्ति	अ.श.ट्रा.
हरियाणा	
मेहम	अ.श.ट्र.
रेवाड़ी	अ.श.ट्रा.

1	2
हिमाचल प्रदेश	
रामपुर	अ.श.ट्रा.
जोगिन्दर नगर/चतुर्भुज	अ.अ.श.ट्रा.
डलहौजी	अ.श.ट्रा.
जहालमा	अ.अ.श.ट्रा.
बैजनाथ/मदेरन	अअ.श.ट्रा.
भरमौर	अ.अ.श.ट्रा.
सरकाघाट	अ.अ.श.ट्रा.
डायर	अ.अ.श.ट्रा.
दासलानी	अ.अ.श.ट्रा.
होली	अ.अ.श.ट्रा./एक्पीआर
परवानू	अ.अ.श.ट्रा.
बंदला	अ.अ.श.ट्रा.
खारापत्थर	अ.अ.श.ट्रा.
कण्डाघाट	अ.अ.श.ट्रा.
शिवबादर	अ.अ.श.ट्रा.
वीर	अ.अ.श.ट्रा.
भारथी	अ.अ.श.ट्रा.
असीघाट	अ.अ.श.ट्रा.
जम्मू और कश्मीर	
नौशहरा	उ.श.ट्रा.
कठुआ	अ.श.ट्रा.
कटरा	अ.श.ट्रा.
बुइढल	अ.अ.श.ट्रा.

1	2
कालाकोट	अ.अ.श.ट्रा.
बारामूला	अ.अ.श.ट्रा./एक्सपोजर
दावर	अ.अ.श.ट्रा.
साम्बा	अ.अ.श.ट्रा.
राजस्थान	
बीकानेर	उ.श.ट्रा.
मकराना	अ.श.ट्रा.
करौली	अ.श.ट्रा.
फलोदी	अ.श.ट्रा.
राजगढ़	अ.श.ट्रा.
आबू/माउण्ट आबू	अ.श.ट्रा.
प्रतापगढ़	अ.श.ट्रा.
नौहर	अ.श.ट्रा.
बासवा/बांदीकुई	अ.श.ट्रा.
शाहपुरा	अ.श.ट्रा.
भीम	अ.अ.श.ट्रा.
नोखा	अ.श.ट्रा.
राजगढ़	अ.अ.श.ट्रा.
अमेट	अ.अ.श.ट्रा.
लालसोट	अ.अ.श.ट्रा.
उत्तर प्रदेश	
सीतापुर	उ.श.ट्रा.
बलरामपुर	उ.श.ट्रा
रुदौली (रूदौली)	उ.अ.श.ट्रा.

1	2
कासगंज	अ.श.ट्रा.
कर्णप्रयाग	अ.श.ट्रा.
नानपारा	अ.श.ट्रा.
एटा	अ.श.ट्रा.
बसौट/भिखियासेन	अ.अ.श.ट्रा.
लालगंज	अ.श.ट्रा.
देवप्रयाग	अ.अ.श.ट्रा.
चमौली	अ.अ.श.ट्रा.
साशिया	अ.अ.श.ट्रा.
खेत पर्वत	अ.अ.श.ट्रा.
गज्जा	अ.अ.श.ट्रा.
बागोकर/बाराकोट	अ.श.ट्रा.
सिराकोट/बैकुण्ठधाम	अ.अ.श.ट्रा.
राजगढ़ी	अ.अ.श.ट्रा.
फतेह पर्वत	अ.अ.श.ट्रा.
लैंसडाउन	अ.अ.श.ट्रा.
कलजीखाल	अ.अ.श.ट्रा.
प्रतापनगर	अ.अ.श.ट्रा.
बिन्सर	अ.अ.श.ट्रा.

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 को चौड़ा करना

6871. **श्री एच.डी. देवगौड़ा** : क्या **जल-भूतल पविहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनार्टक सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 13 को चौड़ा करने के लिए आंकलन प्रस्तुत किया है, और

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रस्तुत किया गया था, और क्या सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने 1993-94 के दौरान 8 अनुमान भेजे थे जिसमें 5.45 करोड़ रु. के 7 अनुमानों को मंजूरी दे दी गई है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के ऋणों का "इक्विटी" में परिर्वतन

6872. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने अपने दो संयुक्त उद्यमों, जिसमें से एक कनार्टक सरकार के साथ है तथा दूसरा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ है, को दिए गए ऋण के एक बड़े भाग को "इक्विटी" में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है ताकि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को उनके संभावित उल्लेख से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इन दो कंपनियों में कितनी धनराशि का पूंजी निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ग) इन दोनों कंपनियों को अर्थक्षम बनाने हेतु इनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा राज्य सरकार द्वारा क्या नियंत्रण प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और वेस्ट बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एम.डी.टी.सी.) जो पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम है, का नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (एन.बी.डी.एल.) नामक एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इनके 50:50 के अनुपात में शेयर हैं। सेल और पश्चिम बंगाल सरकार ने फरवरी/मार्च, 94 में 48.50 लाख रुपए के अपने-अपने ऋण और उस पर लगे 25.90 लाख रुपए के ब्याज की साम्या में परिवर्तित करने तथा 50:50 में शेयरधारिता अनुपात को बनाए रखने के लिए सहमत हो गए।

कर्नाटक सरकार और सेल की विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (वी.आई.एस.एल.) में 40 : 60 के अनुपात में शेयरधारिता है। "सेल" और कर्नाटक सरकार मार्च 1994 में वी.आई.एस.एल. में अपनी-अपनी साम्या बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। तदनुसार, कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक राज्य बिजली बोर्ड को वी.आई.एस.एल. से देय 18 करोड़ रुपए वी.आई.एस.एल. को साम्या में बदल दिया और इसके अनुरूप ही सेल ने भी वी.आई.एस.एल. के 27 करोड़ रुपए के अपने ऋण की साम्या में बदल दिया ताकि शेयरधारिता पद्धति 40 : 60 की बनी रहे।

इस कार्रवाई से वी.आई.एस.एल. और एन.बी.डी.एल. के कार्यतंत्र और उसके साथ-साथ उसके कार्य परिणाम में भी सुधार होगा।

भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु इजराइली तकनीकी जानकारी

6873. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल ने भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए अपनी तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गांगोई) : (क) से (ग) भारत सरकार और इजराल सरकार के बीच कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ कृषि व्यवसाय, फसलोत्तर एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी तथा संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

[हिन्दी]

. उत्तर प्रदेश में आई.एस.डी./एस.टी.डी./पी.सी.ओ.

6874. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में आईएसडी/एसटीडी/पीसीओ बूथों के आबंटन के लिए वर्ष 1992 93 तथा 1993-94 के दौरान जिला-वार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने आवेदन-पत्रों का निपटारा किया गया और अब तक कितने बूथ आबंटित किये गये हैं; और

(ग) शेष आवेदन-पत्रों का कब तक निपटारा कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल हाइड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता

6875. **श्री उद्धव वर्मन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड में इंजीनियर से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक के कितनी उच्च अधिकारी हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने प्रतिशत उच्च अधिकारी हैं;

(ग) क्या इन श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में इनके प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता केंद्रीय सरकार की आरक्षण नीति के अनुरूप हैं; और

(घ) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन ने इनमें से प्रत्येक श्रेणी के पिछले बकाया पदों को भरने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में इंजीनियर से लेकर महाप्रबंधक स्तर तक के कार्यपालकों की संख्या और इनमें

प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कार्यपालकों की संख्या और प्रतिशतता का ब्यौरा निम्नवत है :-

पद की श्रेणी	कार्यरत कार्यपालकों की संख्या	प्रत्येक श्रेणी में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या		अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कार्यपालकों की संख्या	
		अनु. जाति	अनु. जन जाति	अनु. जाति	अनु. जन जाति
महा प्रबंधक	7			-	-
मुख्य इंजीनियर	39	1	-	2.56	-
वरिष्ठ प्रबंधक	53	4	-	7.54	-
प्रबंधक	· 151	8	2	5.29	1.32
उप प्रबंधक	193	11	1	5.69	0.51
सहायक प्रबंधक	193	3	1	1.55	0.51
इंजीनियर/अधिकारी	31.8	55	3	17.29	0.94
जोड़	954	82	7	8.59	0.73

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन प्रत्येक श्रेणी में पिछले बकाया पदों को भरने के लिए एनएचपीसी में विशेष भर्ती अभियान चलाया है और इस विशेष भर्ती के दौरान जारी किए गए नियुक्ति प्रस्तावों की संख्या के प्रत्युत्तर में जिन अभ्यार्थियों ने पदभार संभाला उनकी संख्या निम्नवत है :

वर्ष	श्रेणी	जारी किए गए नियुक्ति प्रस्तावों की संख्या		पद भार संभालने वालों की संख्या	
		अनु. जाति	अनु.जन जाति	अनु.जाति	अनु.जन जाति
1	2	3	4	5	6
1989	समूह "क"	46	2	21	-

1	2	3	4	5	6
1990	समूह "क"	73	2	34	
1991	समूह "क"	63	1	39	
1992	समूह "क"	6		1	

इन श्रेणियों में पिछले बकाया पदों को भरने के लिए एनएचपीसी ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यार्थियों को हाल ही में क्रमश 32 और 8 नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए हैं और अभ्यार्थियों के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

चासनाला कोयला खानें

6876. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थिति चासनाला कोयला खानों में खनन कार्य करना अभी भी असुरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयला खानों के आधुनिकीकरण सहित कोई प्रभावी सुरक्षा उपाय किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) "सेल" ने चासनाला कोयला खान में सतह तथा भूमिगत, दोनों के संबंध में अनेक सुरक्षा संबंधी उपाय किए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित कुछ उपाय हैं :-

(1) खान के भूतल क्षेत्र पर ले जा रहे मुख्य जल प्रवाह (छोटो नदी) का दिशा परिवर्तन।

(2) निचले क्षेत्रों की ओर जल के प्रवाह को रोकने के लिए दामोदर नदी के किनारे पर पुश्ते का निर्माण।

(3) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित विनिर्दिष्टियों के अनुसार कंकरोट बांध का निर्माण।

(4) भूमिगत अवलम्बों का निर्माण। इन अवलम्बों के लिए "इस्को" बर्नपुर में बेल्लित विशेष इस्पात उत्पादन का प्रयोग किया जाएगा।

(5) पुराने कार्य स्थलों का सर्वेक्षण जो खान सुरक्षा महानिदेशक के साथ संयुक्त रूप से किए गए हैं।

(6) पुराने कार्य स्थलों से पानी टपकने को रोकने के लिए इस्पात जड़े 5 बोर होल किए गए हैं।

(7) विशेषज्ञ विदेशी परामर्शदाताओं के साथ सलाह करके चासनाला को आधुनिकीकरण योजना के भाग के रूप में सघन परतों से कोयले के उत्खनन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाई जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विश्व हिन्दी सम्मेलन

6877. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व हिन्दी सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई सरकारी प्रतिनिधियों को विदेश भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विदेशी यात्राओं पर कितना व्यय हुआ; और

(घ) विश्व हिन्दी सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) संदर्भाधीन अवधि के दौरान एक ही विश्व हिन्दी सम्मेलन अर्थात् चौथा विश्व हिन्दी सम्मेलन 2 से 4 दिसम्बर, 1993 को मारीशस में हुआ था। इसमें महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष श्री मधुकरराव चौधरी के नेतृत्व में एक 14 सदस्यी सरकारी शिष्टमंडल ने भाग लिया था।

(ग) चौथे विश्व हिन्दी सम्मेलन के संबंध में मारीशस में शिष्टमंडल पर 5,27,677 रुपये खर्च किए गए थे।

(घ) शिष्टमंडल ने संमेलन की कार्रवाईयों में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

[अनुवाद]

जापान के साथ व्यापार

6877-क. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक उच्च स्तरीय व्यापार दल ने हाल ही में भारत की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो किन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) भविष्य में दोनों देशों के बीच व्यपार को बढ़वा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है;

(घ) क्या 1992 के दौरान जापान के एक ऐसे ही मिशन ने भारत की यात्रा की थी; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलामन खुर्शीद) : (क) जी, हां। मार्च, 1994 में जापान से एक आर्थिक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था और इस प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय व्यापार एवं उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करना था।

(ख) यह विचार-विमर्श भारत के आंशिक सुधार कार्यक्रम और इस संबंध में अब तक मिली सफलता पर केंद्रित रहा इस बातचीत के दौरान पूंजी निवेश अनुमोदनों के लिए एकल खिड़की की स्थापना, निर्गम नीति, विदेशी पूंजी निवेश के लिए विशेष प्रोत्साहन, आयात शुल्कों में कटौती, आधारभूत संरचना में पूंजी निवेश तथा हमारी पूंजी निवेश नीतियों और क्रियाविधियों में और सुधार जैसे मसलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के दौरान जापानी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी यह धारणा दोहराई कि भारत की सुधार प्रक्रिया अपरिवर्तनीय हो। उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में जापान से भारत में पर्याप्त पूंजी निवेश होने की भी संभावना है।

(ग) भारत और जापान के बीच व्यापार और पूजी निवेश को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार के विभिन्न विभाग, निर्यात संवर्द्धन परिषदें, शीर्षस्थ वाणिज्य तथा उद्योग मंडल और जापान स्थित भारतीय मिशन भारत में उपलब्ध अवसरों के संबंध में सुव्यवस्थित संगत जानकारी जापानी व्यवसायिक समुदाय को देने का कार्य कर रहे हैं। ऐसी सूचना ब्रोशरो, फिलोपी डिस्क, विडियो कैसेटों, स्लाईड पैकेजों आदि के रूप में उपलब्ध कराई जा रही हैं। दोंनो देशों के बीच कई व्यापार तथा पूंजी निवेश प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान किया जा रहा है। जापान में बहुत-सी पूंजी निवेश संगोष्ठियों का आयोजन किया गया है तथा भारतीय एजेंसियां जापान में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लेती रही हैं। भविष्य में ये गतिविधियां जारी ही नहीं रखी जाएंगी बल्कि इन्हें तेज भी किया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) जनवरी, 1992 में भारत यात्रा पर आए जापानी आर्थिक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के विचारार्थ 21 अनुरोध किए थे। सरकार ने व्यापार, पूंजी निवेश, औद्योगिक तथा वित्तीय नीति आदि से संबंधित विभिन्न पहलुओं को उत्तरोत्तर उदार बनाने के लिए पिछले 2 सालों में जो नीतिगत उपाय शुरू किए हैं, उनके अंग के रूप में इन में से अधिकांश अनुरोध मान लिए गए हैं।

12.00 मध्याह्न

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की विराट नगरी, जो देश की राजधानी भी है, यमुना नदी के दोनों किनारों पर बसी हुई है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली में समय-समय पर पेयजल का संकट पैदा होता रहता है।

इस समय भी एक गहरा संकट दिल्ली के सामने है। संकट का तत्काल कारण यह है कि हरियाणा से गत वर्ष जितना पानी दिल्ली को मिला था, इस वर्ष उसकी मात्रा घटा दी गई है। दिल्ली में प्रतिवर्ष दो लाख आबादी बढ़ती है। प्रतिदिन दो लाख लोग दिल्ली से बाहर के यहां काम करने आते हैं, जिन्हें पानी की जरूरत होती है। पानी की आवश्यकता बढ़ रही है, मगर आपूर्ति घट रही है।

मई-जून, 1993 में दिल्ली को 550 से 700 क्यूसैक्स पानी दिया गया था, जबकि इस समय 475 क्यूसैक्स पानी ही दिया जा रहा है। यह कटौती अचानक की कई है। यह कटौती भारी है और इसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। यदि दिल्ली को तत्काल अधिक पानी की आपूर्ति नहीं की गई तो दिल्ली प्रशासन को पानी का राशनिंग करना पड़ेगा। दिल्ली के नागरिकों को किस संकट का सामना करना पड़ेगा, इसका थोड़ा-सा अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली में त्राहि-त्राहि मचने वाली है।

विदेशी राजदूत यहां पर हैं, संसद यहां बैठी है, क्या दिल्ली को जल की आपूर्ति की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की जा सकती? गत वर्ष मई मास में गृह मंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। इस बार जल संसाधन मंत्री ने पहल की है। उन्होंने चारों प्रदेशों के, जो सम्बन्धित प्रदेश हैं, उनके मुख्य मंत्रियों को अपने घर पर बुलाया, उनसे बातचीत की। ऐसा लगता था कि उसमें कोई समझौता हो जायेगा लेकिन समझौता नहीं हुआ, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश की ओर से कई आपत्तियां प्रकट की गई हैं।

मेरा निवेदन है कि इस मामले में केन्द्र हस्तक्षेप करे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी इस बात के लिए तैयार करे कि वह दिल्ली को पर्याप्त पानी दें। दिल्ली में अगर पानी की, पेयजल की कमी हुई तो लोग, दिल्ली के नागरिक, जो उथले कुंए हैं, ट्यूबवैल हैं, उनका पानी पीना शुरू कर देंगे। फिर महामारी फैलेगी, हैजा फैलेगा और दिल्ली में एक दूसरा संकट पैदा हो जायेगा। मैं समझता हूं कि यहां जल संसाधन मंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी बैठे हुए हैं। मैंने जो यह मामला उठाया है, अध्यक्ष महोदय, इस पर आप उनसे कहें कि वे सदन को विश्वास में लें और दिल्ली में जल संकट पैदा नहीं होने दिया जायेगा, दिल्ली को पर्याप्त पानी की आपूर्ति मिलेगी, इस तरह का आश्वासन दें।

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम (पूर्व दिल्ली) : यह दिल्ली का मामला है, इसमें मैंने भी नोटिस दिया है, मुझे भी इसमें कुछ कहना है।

अध्यक्ष महोदय, आज ही आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पानी की कमी के कारण से

बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सब इंस्पैक्टर की हत्या कर दी गई। गली-गली, मौहल्ले-मौहल्ले के अन्दर शोर मचा हुआ है। ...

अध्यक्ष महोदय : इसको आप डाइल्यूट मत कीजिए, यह विषय अच्छे ढंग से रखा गया है।

(व्यवधान)

श्री बी०एल० शर्मा प्रेम : महोदय, बुराड़ी और संत नगर के अंदर 7 दिन से मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पानी नहीं है। अटल जी ने जो कहा है उसके मुताबिक प्रधान मंत्री जी ने स्वयं ही इंटरफियर करके कहा है कि दिल्ली को पानी देना है।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, इस मसले को देख कर यह बैठक की गई। इसमें आप सहमति इस बात पर थी कि जल्दी से जल्दी इस कार्य में, न केवल दिल्ली के पानी की आपूर्ति के बारे में बल्कि अगर यमुना जो ओखला तक है उसके पानी के वितरण के बारे में पूरी तरह से जो दूरगामी समझौता है वह कर लिया जाए। मुझे खुशी है कि चारों तरफ से इस बात का संकेत मिला कि सब लोग इस समझौते को करना चाहते हैं। जैसे माननीय वाजपेयी जी ने कहा कि कुछ थोड़े से कारणों से यह समझौता होना रुक गया है लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह समझौता जल्दी ही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो तत्कालिक समस्या है उसके बारे में उसी मीटिंग में मैंने माननीय मदन लाल खुराना जी के सामने बात की थी। मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश और मुख्य मंत्री, हरियाणा दोनों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जितनी आवश्यकता दिल्ली को पानी की होगी और जितनी वे आपूर्ति करते रहे हैं यदि आवश्यकता हुई तो उससे अधिक भी करते रहेंगे जब तक कि समझौता न हो जाये।

अतः मैं इस माननीय सदन और माननीय वाजपेयी जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आज ही आपने अखबार में देखा होगा कि भजन लाल जी ने अपने आश्वासन को पूरा करना आरम्भ कर दिया है और इस संकट से निपटने के लिये दोनों मुख्य मंत्रियों का, यू० पी० और हरियाणा का सहयोग मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, दक्षिण अफ्रीका में एक गैर-जातीय, लोकतांत्रिक सरकार के सत्ता में आने के पश्चात्, उस देश तथा भारत के बीच सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के नये अवसर पैदा हुए हैं। भारत सरकार को उन सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए जिन्हें महात्मा के दक्षिण अफ्रीका की धरती पर जातीयता पर आधारित उत्पीड़न के विरुद्ध नैतिक, आत्मिक तथा राजनैतिक संघर्ष ने और पुनीत बनाया है। इसलिए दक्षिण अफ्रीका के लोगों तथा उनके महान नेता श्री नेल्सन मंडेला के प्रेम तथा स्नेह पर हमारा विशेष अधिकार है। हमारे दो देशों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की काफी संभावनायें हैं। भारत को दक्षिण अफ्रीका के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा सामाजिक एकता की प्रक्रिया में, बिना कोई

संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाये तथा बिना कोई शोषणकारी दबाब डाले, जो कि उपनिदेशवादी विचारधारा का मूलमंत्र है, भाग लेना चाहिए। दोनों देशों के सांस्कृतिक जीवन को और समृद्ध बनाने के लिए सांस्कृतिक स्तर पर व्यापक आदान प्रदान होना चाहिए। मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि भारत के प्रमुख विश्व विद्यालयों में श्री नेल्सन मंडेला के नाम से पीठ स्थापित की जानी चाहिए। ऐसा करके हम एक ऐसे नेता के प्रति स्नेह तथा आदर प्रकट करेंगे जो कि वास्तव में प्रताड़ित मानवता की आकांक्षाओं का प्रतीक है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशन गंज) : अध्यक्ष महोदय, 28 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड सहिता की धारा 309 जो कि लगभग 100 वर्ष तक हमारे कानून का अंग रही है, को संविधान विरोधी घोषित कर दिया है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसके बारे में प्रैस तथा लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर टिप्पणियां की गईं। यह निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, जीवन का अधिकार, की व्याख्या पर आधारित है। परन्तु ऐसे मत प्रकट किए गये हैं कि इस निर्णय के कारण सती-प्रथा अथवा दहेज के कारण होने वाली मौतों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे युवकों में आत्महत्या की प्रकृति को अथाह प्रोत्साहन मिलेगा जो कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए तनाव, निराशा अथवा हताशा में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

इससे राजनीति से प्रेरित आत्मदाह की घटनाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा जो कि, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कुछ भागों में काफी संख्या में घट रही है। महोदय, वास्तव में मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि अगर कोई नवयुवक राजनीति से प्रेरित हो कर सार्वजनिक रूप से आत्मदाह करने का प्रयत्न करता है तो ऐसी स्थिति में एक पुलिस अधिकारी को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? क्या वह कानून तोड़ेगा अथवा इसका अनुपालन करेगा।

महोदय, इससे एक और मूल सैद्धांतिक प्रश्न उठता है कि क्या एक व्यक्ति का जीवन उसकी निजी सम्पत्ति है, उसका अपना एकाधिकार है अथवा इस पर समाज का हक है जिसने कि उसे एक अनतराशे पत्थर से हीरा बनाने में अपना काफी कुछ खर्च किया है। क्या आत्महत्या राष्ट्र के लिए हानि नहीं है?

तथा इसलिए महोदय, यह आदेश जिसके बारे में मैंने कहा है कि अनेक टिप्पणियां की गई हैं क्योंकि इसके कुछ पहलूओं को धार्मिक विचार धाराओं के अनुसार परखने की आवश्यता है। सर्वोच्च न्यायालय को कानून की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है तथा इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने यह धार्मिक तर्क भी दिया है कि आत्म हत्या धार्मिक सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, यह वास्तविकता नहीं है क्योंकि धर्म जीवन का सम्मान करते हैं तथा अनेक धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं तथा इसे वास्तव में जीवन दाता तथा सृष्टा का विरोध मानते हैं।

तथा, इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि इस निर्णय को, जिसे मैंने ऐतिहासिक निर्णय कहा है, पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है तथा मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस बात पर

विचार करे कि क्या यह आत्महत्या की वैधता संवैधानिकता के सम्बन्ध में इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय कहना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री आर० अन्बारासु (मद्रास-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, लॉटरी का व्यापार आज जुए का पर्यायवाची बन गया है। किसी समय जिसे धर्मार्थ का व्यापार माना जाता था, आज इस लत के कारण जिसमें लाखों लोग एक अक्षर की लॉटरी के खेल में फंसे हुए हैं, के कारण अनेक परिवार तबाह हो गये हैं। सभी प्राईवेट लॉटरियां तथा अन्य राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित लॉटरियों पर कुछ राज्य सरकारों द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। कर्नाटक में पहले ही एक अक्षर की लॉटरी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। यही एक अक्षर की लॉटरी ही सर्वाधिक क्षतिकारी बन गई है क्योंकि इन लाटरियों के ड्रा हर आधा घण्टा बाद निकलते हैं तथा जो लोग यह लॉटरियां डालते हैं उन्हें इसकी लत पड़ जाती है तथा जब एक बार यह लत पड़ जाती है तो व्यक्ति इसके अतिरिक्त दफ्तर, घर सब कुछ भूल जाता है।

लॉटरी विषय के संघ सूची में होने के कारण गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिदिन ड्रा निकालने वाली एक अक्षर की लॉटरियों तथा निजी लॉटरियों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक व्यपक विधेयक लाया जाना चाहिए जो कि शहरों तथा महानगरों में निम्न आय वर्ग को प्रभावित कर रही हैं।

मुझे इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें मिली हैं कि बहुत से निजी लॉटरी मालिक लॉटरियों के नकली टिकट छाप रहे हैं तथा सीधे-सादे गरीब लोगों को इससे लूटा जा रहा है। अनेक निजी लॉटरी मालिकों को राज्य सरकारों द्वारा, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय तथा सिक्किम जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में लॉटरी चलाने की अनुमति दी गई है। निजी लॉटरी चलाने वाले इन क्षेत्रों में सक्रिय हैं तथा लोगों को लूट रहे हैं। जब वह इन बेईमान लोगों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती, गरीब लोग इनका शिकार होते रहेंगे।

सौभाग्य वश, गृह मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं। इसलिए मेरा माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन है कि इन निजी लॉटरियों पर प्रतिबन्ध लगाया जाये तथा निजी लॉटरियों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाये ताकि सीधे-सादे गरीब लोगों को इस बुराई से बचाया जा सके।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता-दक्षिण) : महोदय, केन्द्रीय सरकार भी यही कर रही है। इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही रचनात्मक प्रश्न की ओर आपका और सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं यह याद दिलाना चाहता हूं कि एक सप्ताह पहले वित्त मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि किसी भी सिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए यदि वहां के मजदूर कोआपरेटिव बेसिस पर उस इंडस्ट्री को चलाना चाहेंगे तो सरकार इसमें

बाधा नहीं डालेगी और सरकार उनकी पूरी सहायता करेगी। यह आश्वासन पिछले सप्ताह वित्त मंत्री जी ने यहां पर दिया था।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में एक दर्दनाक घटना मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बिहार में दरभंगा जिले में अशोक पेपर मिल 1982 में बंद हुई थी, जिसके 56 मजदूर भुखमरी के कारण मर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मिल गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है ?

श्री रवि राय : यह मिल गवर्नमेंट की है। उस दिन मनमोहन सिंह जी ने सदस्यों के प्रश्नों का जवाब 15-20 मिनट में दिया था कि हम कामगारों की सहायता करेंगे जो कोआपरेटिव बेसिस पर काम करना चाहते हैं। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि बीस करोड़ रुपए की जरूरत है और वहां की कामगार यूनियन को बकायदा चलाने के लिए कहा है। यहां पर सारे केबीनेट मिनिस्टर बैठे हैं इसलिए मैं कह रहा हूं चूंकि यह बहुत अहम और माननीय सवाल है। इस मिल की दो यूनिट हैं। एक तो आसाम के जोगियप्पा में और दूसरी बिहार के दरभंगा में है। वित्त मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि कामगार कोआपरेटिव बेसिस पर चाहें तो कर सकते हैं, जबकि इसको मजदूर चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए की जरूरत का डायरेक्शन दिया है। इस मिल के 56 लोग मर चुके हैं और बहुत से रिटायर हो चुके हैं और बाकी भुखमरी में मरने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बीस करोड़ रुपए का इंतजाम करें जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और उस सिक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सरकार मजदूरों के सुझाव को मान लें और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत काम करें।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इस मुद्दे को पुनः उठाने के लिए मैं श्री रवि राय जी का धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अशोक पेपर मिल को पुनः चालू करने के लिए कहते आ रहे हैं। इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिये गये हैं। परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें पूरा नहीं किया गया है। अगर आप याद करें तो माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने सदन में कहा था कि वे हमें उन प्रयासों के बारे में जानकारी देंगे जो ऐसी रुग्ण ईकाइयों को पुनः चालू करने के लिए किए गये हैं जिन्हें अर्थक्षम बनाया जा सकता है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो वित्त मंत्री महोदय ने कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं, "सोमनाथ जी, अपने स्तर पर हम ऐसा करेंगे।" परन्तु, दुर्भाग्यवश इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण औद्योगिक ईकाइयां आखरी सांसे ले रही हैं, रुग्ण हो गई हैं तथा बंद हो रही हैं। नवीकरण निधि एक मज़ाक बन गई है, तथा मैं यह कड़ी टिप्पणी करने के लिए इसलिए बाध्य हूं क्योंकि इसके लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। एक विस्फोटक स्थिति पहले ही बनी हुई है। मैं पूरी निष्ठा के साथ सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस मुद्दे को केवल औद्योगिक रुग्णता की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए परन्तु इसमें जुड़े मानवीय तत्व को भी समक्ष रखना चाहिए। आखिरकार, वे भारत के नागरिक हैं।

[अनुवाद]

उनकी अपनी कोई गलती न होने पर भी वे आज परेशानी उठा रहे हैं। वे बेघर हो गये हैं; लोग मर रहे हैं। कोई विशेष प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। जब कभी भी हम प्रधान मंत्री या किसी अन्य मंत्री के पास जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम इस पर विचार करेंगे। लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। यहां कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री बैठे हुए हैं। मैं एक अपील कर रहा हूं। कृपया इस पर शीघ्रता से अमल करें। मुझे विश्वास है कि अगर उनके पास हमारे साथ बातचीत करने के लिए थोड़ा सा भी समय है तो मैं सरकार को संतुष्ट कर सकता हूं कि कौन सी इकाइयों को पुनः चालू किया जा सकता है और उसके लिये कौन से उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आप किसी न किसी ढंग से अपनी भुगतान संतुलन और विदेशाी मुद्रा भंडार में सुधार करने में लगे हुए हैं। आपका केवल यही मानदंड है। अतः गंभीर स्थिति पहले ही उत्पन्न हो चुकी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे टकराव का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन मैं सरकार से इस पर पूरी ईमानदारी और गंभीरता के साथ विचार करने तथा इस देश के हजारों नागरिकों को बचाने के लिए प्रयास करने का अनुरोध करता हूं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, वर्तमान मैं, आज देश के विभिन्न भाग लम्बे समय से चल रहे भयंकर अकाल की चपेट में हैं। जिससे लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सभी कूंए सूख गए हैं। उड़ीसा राज्य समेत देश के विभिन्न भागों में पानी की अत्यधिक कमी है। दूसरी ओर, आग लगने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अनेक गांव इससे तबाह हो जाते हैं और लोगों की कठिनाइयां कई गुणा हो जाती हैं।

मैं जानता हूं कि यह राज्य के क्षेत्राधिकार में जाता है लेकिन इम स्थिति से निपटने के लिए राज्यों को आवश्यक धनराशि नहीं दी जा रही है। इसी कारण से राज्य सरकारें आवश्यक उपाय नहीं कर रही हैं। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से स्थिति की गंभीरता तथा लोगों की बढ़ती हुई मुसीबतों को ध्यान में रखते हुए इनमें से कुछेक राज्यों की, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है, आर्थिक स्थिति मजबूत करने तथा इन राज्यों में तत्काल पर्याप्त मात्रा में अग्निशमन, टैंकर आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करता हूं।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलोंग) : मैं सरकार का ध्यान त्रिपुरा राज्य में कांग्रेस (आई) के सदस्यों तथा कार्यकर्त्ताओं तथा टी०यू० जे०एस० के कार्यकर्त्ताओं तथा सदस्यों की हत्या के कारण फैले आतंक की ओर दिलाना चाहता हूं। शुक्रवार को हुई बैठक में हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रकार की लगभग 500 हत्यायें की जा चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय : राज्य में विधान पालिका है। वहां इस पर चर्चा होने दीजिये अन्यथा हम सभा में सभी राज्यों की संबंधित सभी ऐसी समस्याओं पर चर्चा कर रहे होंगे।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिपूर) : महोदय, एक उपसामान्य घटना हुई है।

श्री पीटर जी मरबनिआंग : माननीय गृह मंत्री यहां सभा में मौजूद हैं।

अध्यक्ष महोदय : उनके पास शायद इससे संबंधित जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकारी स्कूलों के अंदर दिन-ब-दिन पढ़ाई का हाल बुरा होता जा रहा है। सरकारी स्कूलों में कंगाल लोग जाते हैं। क्या सरकार का ख्याल इसमें सुधार करने का है? दिन-ब-दिन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का सत्यानाश हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : अभी हमने मानव संसाधन विकास की मिनिस्ट्री की डिमांडस पर चर्चा की है और दूसरे प्राइमरी स्कूल्स का मामला सैंट्रल गर्वनमेंट के पास नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट के पास है और यह बात सब मैम्बर्स को मालूम होनी चाहिये।

श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिम दिया हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ नोटिस देने की बात ही नहीं, यह भी सोचना चाहिये कि कौन सा विषय चर्चा में आता है?

श्रीमती भावना चाखलिया (जूनागढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान गुजरात में पड़े अकाल के कारण और बारिश न होने से उत्पन्न हुई स्थिति की ओर खींचना चाहती हूं। गुजरात सरकार इस दिशा में कोशिश कर रही है कि अकाल राहत कार्य बड़े पैमाने पर हों परन्तु रिलीफ के लिये 85 करोड़ रुपये का टारगेट है जिसमें से केन्द्र सरकार ने 63.75 करोड़ रुपया देना है तो मेरा आग्रह है कि यह रुपया शीघ्रातिशीघ्र मई माह में मिल जाना चाहिये ताकि राहत कार्य शीघ्र चालू हो सके।

डा० परशु राम गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 1989-90 में उत्तर प्रदेश और विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र पीलीभीत में आये तूफान से उत्पन्न स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र की ओर से सहायता मिलनी चाहिये थी क्योंकि उस समय विद्युत पोल गिर गये, तारें टूट गयीं परन्तु गांवों में यह विद्युत कार्य तो पूरा नहीं किया बल्कि शहरों में पोल भी खड़े किये गये, तारें भी जोड़ी गयीं। मेरा आग्रह है कि सरकार की तरफ से इनको सहायता मिली चाहिये क्योंकि प्राकृतिक आपदा का मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आपको समझना चाहिये कि यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष जी, इस सभा में पहले भी कई बार महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के बारे में चर्चा हो चुकी है, लेकिन लगता ऐसा है कि जितनी बार चर्चा होती है, इस प्रकार के अपराध चौगुने बढ़ते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति तथा गरीब तबके की महिलाओं के साथ-साथ ऐसा लगता है पूरे देश का नारीत्व संकट में है।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि अभी कालीकट ऐयरपोर्ट पर जो घटना एयर होस्टैस के साथ हुई है। अगर कोई अपराध करता है चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसे सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार की घटना हुई है, अगर ऐयरपोर्ट पर महिला सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहती है तो इस प्रकार की घटना क्यों हुई मैं इसका स्पष्टीकरण चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण आना चाहिए क्योंकि बार-बार इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

बंग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे और मैत्री संबंध चाहते हैं लेकिन निश्चित रूप से अपनी संप्रभुता की कीमत पर या तुष्टिकरण की नीति द्वारा नहीं।

महोदय, हाल ही में, बंगलादेश सरकार ने लालमो निरहाट जिले के बूरीमरी गांव में जीरो पाइन्ट सीमा रेखा से लगभग 20 मीटर दूर एक बराज़ तथा एक नहर का निर्माण आरम्भ किया था। उस स्थान का नाम छांगड़ा बांध रखा गया है और यह तीन-बीघा स्थान से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। निर्माण कार्य 22-3-94 को शुरू हुआ और उसके बाद दोनों देशों के सरकारी अधिकारियों की अनेक संयुक्त बैठकें हुईं, लेकिन बंगला देश ने निर्माण कार्य को बन्द करने के बारे में अब तक कोई उचित ध्यान नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले की चर्चा विदेश मंत्री के साथ क्यों नहीं करते?

श्री अमर रायप्रधान : यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। सारा क्षेत्र पानी में डूब जायेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिए। दूसरे देश के संबंध में अगर कोई बात आती है तो पहले आप सरकार से बात कर लें। अगर आपको बात पक्की मालूम होती है तो उठाइये।

[अनुवाद]

श्री अमर रायप्रधान : यह राष्ट्रीय हित का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिये। क्या आप वहां गये थे?

श्री अमर रायप्रधान : जी हां। मैंने सारे क्षेत्र का दौरा किया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस स्थान पर गये थे।

श्री अमर रायप्रधान : जी हां।

महोदय, दिनांक 21-4-94 को एक उच्च स्तरीय संयुक्त बैठक में हमारे प्रतिनिधियों ने बंगलादेश के प्रतिनिधियों को निर्माण कार्य जारी न रखने का अनुरोध करते हुए कड़ा विरोध किया। उसके बाद बंगलादेश ने वहां एक दर्जन बंकरों का निर्माण किया और तोपें और मशीनगनें लगाई। छांगड़ा बांध के ऊपर से भारतीय क्षेत्र में बंगलादेशी विमानों द्वारा अनेकों बार घुसपैठ करते हुए भी देखा गया था।

उक्त संयुक्त बैठक में बंगलादेश के प्रतिनिधियों ने हमारे प्रतिनिधियों को बताया कि वे कोई भी परिणाम भुगतने को तैयार हैं लेकिन वे निर्माण कार्य बन्द नहीं करेंगे क्योंकि जीरो पाइन्ट से आगे का क्षेत्र बंगलादेश का है और वे उस पर अपनी मर्जी के मुताबिक निर्माण कार्य कर सकते हैं। अतः, स्थिति पहले ही खराब हो चुकी है और आगे और खराब होने जा रही है। उनकी ओर से कभी भी गोलाबारी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अगले महीने से बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। अगर वहां बराज़ के निर्माण को अथवा उसके पूरा होने की अनुमति दी जाती है तो फिर एक बड़ा क्षेत्र अर्थात् छांगड़ा बांध, पानीशाला, भोटबाड़ी इत्यादि बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होंगे। 50,000 से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित होंगे।

बंग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, अतः हम उनके साथ मैत्री संबंध चाहते हैं लेकिन निश्चित रूप से अपनी संप्रभुता की कीमत पर अथवा भारतीय नागरिकों का जीवन खतरे में डालकर नहीं।

अतः, मैं इस सभा के माध्यम से सरकार, माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ताकि वे व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करके समस्या का शांतिपूर्ण समाधान इस प्रकार से निकालें ताकि बंगलादेश बराज़ पर निर्माण कार्य तुरन्त बंद कर दे। केवल यही नहीं बल्कि मैं इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि भारतीय अन्तः क्षेत्रों, गंगा नदी के पानी के बंटवारे और नयू मूरे महाद्वीपों की समस्याओं पर भी बंगलादेश के साथ समझौता किया जाये।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के सहरसा ज़िले में कुनौली बाज़ार है जो नेपाल बॉर्डर पर लगता है और बहुत पुराना अंग्रेज़ों के जमाने का बाज़ार है जिसकी हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। चूंकि उसका आवागमन नेपाल से है, नेपाल की सरकार की ओर से बिजली उस कुनौली बाज़ार तक जलती है। नेपाल सरकार कुनौली बाजार को बिजली देने के लिये नैयार है। चूंकि वह ऐसा बाजार है, ऐसा इलाका है जहां उनके बिजली देने से लाखों लोगों को बिजली की सुविधा प्राप्त हो सकती है, इसलिये मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नेपाल सरकार की इस पहल पर विचार करके शीघ्र कोई निणर्य ले और वहां के लोगों को बिजली मुहैया कराने की व्यवस्था करें। **(व्यवधान)**

श्री ज़गमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष जी, मैं भी एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं इसके लिए नोटिस दस दिन पहले ही दे चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दे चुके होंगे, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखिये कि मैं सभी सदस्यों को अवसर दूंगा। आपको यह मालूम होना चाहिये। आप एक नये सदस्य हैं। आपको इस नियम की जानकारी होनी चाहिये।

हम सभी ने फैसला किया है कि इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की जायेगी। आपकी उसकी जानकारी होनी चाहिये। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही - वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आपको यह समझना चाहिये कि सदस्य एक प्रश्न के लिए 20 दिन पहले नोटिस देते हैं। आप इसे 15 मिनट पहले दे रहे हैं और हालांकि एक घंटा पूरा हो गया है। मैं किसी भी सदस्य को प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मुझे खेद है, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं आपको अगले दिन अनुमति दूंगा। अब कृपया बैठ जाइये।

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड का वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा सहित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण

जल भूतल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 5ङ के अंतर्गत कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता डॉक श्रम बोर्ड के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5861/94]

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विद्युत इंजीनियर सोसाइटी, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा सहित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब को दर्शाने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगय्या नायडू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युत इंजीनियर्स प्रशिक्षण सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपयुर्क्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 5862/94]

12.33 ½ म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(I) तमिलनाडु के कन्याकुमारी कुझी दुराई में थाम्परवर्णी नदी पर पुराने पुल की जगह नए पुल के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता

श्री एन० डेनिस (नागर कोइल) : व्यस्ततम कन्याकुमारी-त्रिवेंद्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर थाम्परवर्णी नदी पर कुझीथुराई में बना पुल जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है और वाहनों तथा यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है तथा यह किसी भी समय टूट सकता है। यह देश के सबसे पुराने पुलों में से है। इस पुल की स्थिति को बार-बार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया गया है। 1989 में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए ज़ाने पर यह पाया गया था कि यह पुल सड़क पर चलने वाले भारी यातायात को सह नहीं पाएगा और इसके स्थान पर एक नया पुल शीघ्र ही बनाना होगा। एक अस्थाई व्यवस्था के रूप में पुल को सहारा देने के लिए एंगुलर पिलर खड़े किए गए थे। लेकिन उसके बाद विशेषरूप से नवम्बर, 1992 में भारी बरसात और नदी में बाढ़ आने से पुल को सहारा देने वाले एंगुलर पिलर पूरी तरह से बह गए और इस बरसात और बाढ़ से मूल पिलरों के आधार को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ही पुल में पाई गई दरारों से पानी रिसता है। पुल के किनारें की वादी वालों को भी नुकसान पहुंचा है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में तत्काल कदम उठाया जाये।

(II) होसपेट-हासन-मंगलोर रेलवे लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की आवश्यकता

श्री के०जी० शिवप्पा (शिमोगा) : मैसर्स जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली ने अब मंगलोर में एक समन्वित इस्पात संयत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है जिसकी क्षमता एक मिलियन टन होगी, जिस पर लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सभी तरह का समर्थन और सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।

यह इस्पात संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर होगा और इसके लिए मंगलोर बन्दरगाह की सुविधाओं का इस्तेमाल किया जायेगा, परन्तु इसकी आवश्यकता का सम्पूर्ण लौह अयस्क बेल्लारी-मोसेपट क्षेत्र से आएगा। इसका मतलब यह होगा कि बेल्लारी-होसपेट से लगभग 1.2 मिलियन टन लौह अयस्क की ढुलाई होगी।

फिलहाल, मंगलौर चित्रदुर्ग-हासन होते बेल्लारी-होसपेट क्षेत्र से मीटर गेज लाइन से जुड़ा हुआ है। बेल्लारी-होसपेट से बहुत अधिक मात्रा में मंगलोर तक ढोए गए लौह अयस्क को हसन में ब्राड गेज से मीटर गेज गाड़ी पर लादना होगा। इससे इस्पात संयंत्र को चलाने में कठिनाई के साथ-साथ रेलवे को भी कठिनाई होगी। ऐसा महसूस किया गया है कि इतनी बाधाओं के होते हुये यह समन्वित इस्पात संयंत्र वास्तव में अर्थक्षम नहीं हो सकेगा।

अतः मैं केन्द्र सरकार से होसपेट-हासन-मंगलौर लाइन को उच्च प्राथमिकता के आधार पर ब्राड गेज में बदलने के तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं, जो मंगलौर में प्रस्तावित बहुत से उद्योगों के लिए वरदान सिद्ध होगा।

(III) उत्तर प्रदेश में बुलन्दशहर जिले में स्याना और जहांगीराबाद के एक-एक गैस एजेंसी खोलने की आवश्यकता

श्री छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्याना तहसील मुख्यालय है, यहां की आबादी लगभग 40 हजार से अधिक है। यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र है। देश के अनेक भागों को यहां से गुड़ भेजा जाता है तथा इसके साथ ही तीन मुख्य कस्बे हैं और इसी प्रकार से जहांगीराबाद भी एक व्यापारिक केन्द्र है और यहां की आबादी 50,000 है, लेकिन उपरोक्त दोनों जगहों पर कोई गैस एजेंसी न होने के कारण यहां की जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत दूर से गैसे सिलेण्डर लाना पड़ता है, जिसमें समय तथा धन दोनों का दुरुपयोग होता है।

अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि बुलंदशहर के स्याना तथा जहांगीराबाद में अतिशीघ्र एक-एक गैस एजेंसी खोलने के लिए आदेश निर्गत करने का कष्ट करें ताकि क्षेत्र की जनता को इसके कारण हो रही भारी परेशानी से छुटकारा मिल सके।

(IV) उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 का एक उपमार्ग बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा) : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 मुरादाबाद शहर से होकर

[श्री चेतन पी० एस० चौहान]

गुजरता है। इसके कारण भीड़-भाड़ हो जाती है, यातायात जाम हो जाता है, लम्बी दूरी के यात्रियों को विलम्ब होता है और माल वितरण मे देरी होती है। इसके अतिरिक्त स्थानीय शहर वासियों को बहुत कठिनाई हो रही है और कीमती ईंधन की भी बर्बादी हो रही है। इस सड़क के उपमार्ग का प्रस्ताव पिछले कुछ समय से केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़ा हुआ है। इस प्रस्ताव की उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश की थी तथा इसे केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार के उपमार्ग के लिए भूमि पहले ही अधिग्रहीत कर ली है।

मैं केन्द्र सरकार से इस प्रस्ताव को मंजूर करने और उसके लिए धन उपलब्ध करने का अनुरोध करता हूं ताकि उपमार्ग का निर्माण कार्य तत्काल शुरू हो सके।

(V) पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों की परिलब्धियों के संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए न्यायमूर्ति एस० आर० पाण्डियन की अध्यक्षता में पांचवें वेतन आयोग का गठन किया है। सरकार ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिन कारणों से दूसरे वेतन आयोग का गठन करना औचित्यपूर्ण और आवश्यक समझा है, वे कारण राज्य सरकार के कर्मचारियों, अध्यापकों और देश की विभिन्न राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में कार्यरत अन्य अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग गठित करने के संबंध में भी उतने ही औचित्यपूर्ण और आवश्यक हैं।

परिलब्धियों को संशोधित करने का अति महत्वपूर्ण कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हो रही तीव्र वृद्धि है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि परिलब्धियों इत्यादि के संशोधन के संबंध में कम से कम सरकारी कर्मचारियों अर्थात् केन्द्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के संबंध में एक समान नीति अपनाई जानी चाहिए? और केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को आवश्यक धन आबंटन सहित इस आशय के आवश्यक मार्ग निर्देश जारी किए जाने अपेक्षित हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह राज्य सरकारों को अपने कर्मचारियों की परिलब्धियां संशोधित करने के लिए सामन्य मार्ग निर्देश जारी करें और यह घोषणा करे कि इस उद्देश्य के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

[अनुवाद]

12.39 म०प०

विनिर्दिष्ट क्षेत्र (निवासियों को पहचान-पत्र जारी करना) विधेयक के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब विधाई कार्य की मद संख्या 5 है। हम क्या करें?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : मैं एक मामूली-सा निवेदन करना चाहता हूं। इस

विधेयक को स्थाई समिति के पास भेजा गया था और स्थाई समिति ने अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। इस समिति द्वारा सुझाए गये संशोधन सरकार के विचाराधीन हैं। जब तक हम उन सभी संशोधनों के बारे में अपने विचारों को अंतिम रूप नहीं दे लेते, तब तक मेरे लिए इस विधेयक पर आगे चर्चा करना सम्भव नहीं है। इसी वजह से, मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा की भी ऐसी ही मंशा है?

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यहां इसमें कुछ बातें सुस्पष्ट हैं। हम स्थाई समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में हमें कुछ सुझाव देने हैं। हम यह सुझाव यहां दे सकते हैं अथवा समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। तथापि जैसा कि मंत्री महोदय इस विधेयक पर चर्चा स्थगित करना चाहते हैं, तो हम इससे सहमत हैं।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार से मंत्री महोदय अंतिम क्षण में इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसी जानकारी दो दिन पहले भी दी थी।

श्री श्रीकान्त जेना : क्या उन्होंने दो दिन पहले इस संबंध में जानकारी दी थी? चूंकि चुनाव-प्रक्रिया के बारे में चर्चा चल रही है तथा बहुउद्देशीय पहचान-पत्रों का मुद्दा विचाराधीन है, क्या उन्होंने इसे इसके साथ जोड़ दिया है अथवा क्या यह एक अलग मुद्दा है?

अध्यक्ष महोदय : यह विधेयक स्थाई समिति के पास भेजा गया था। स्थाई समिति ने कुछ सुझाव दिये हैं। उन पर विचार किया जा रहा है। इन सुझावों पर उन लोगों द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद, यह विचारार्थ यहां आयेगा। हमें इसे बाद में चर्चा हेतु लेंगे।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, काफी दिन हुए स्टैंडिंग कमेटी ने इसे दे दिया है और सरकार समय न बताकर इसे पोस्टपोन कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस पर सीरियस नहीं है। इतना पुराना बिल पैंडिंग है, आपको काफी समय मिल गया है, उसके बाद भी आप इसे पोस्टपोन करा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 8 मार्च को आई थी और आज हम 9 मई में हैं। दो महीने गुजर गए। दो महीने में यकीनन होम मिनिस्ट्री का इस बात का मौका था कि वह उन सारे सजेशन्स, रिकमैंडेशन्स को गौर से देखती और अपने बिल को इम्प्रूव करती। आज ज्यादा अहम बात यह है कि इस बीच में पूरे देश में इस बात की चर्चा हुई है कि तमाम नागरिकों के पास एक आईडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। जब तमाम नागरिकों के पास कार्ड होना चाहिए तो स्पैसीफाइड एरिया में कुछ नागरिकों को अलग से कार्ड मिले, इस बात का कोई महत्व नज़र

[श्री सैयद शहाबुद्दीन]

नहीं आता। मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर को पूरे बिल पर फिर से गौर करना चाहिए और यदि वह बात तय हो जाए तो इसे वापिस लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पहले तो ऐडजर्न करने के लिए परमिशन दें।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, स्पैसीफाइड एरिया में विशेष तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो इललीगल इमीग्रेशन होता है, यह उसे रोकने के लिए है। ... **(व्यवधान)** ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुल मिलाकर इस संबंध में सहमति हो चुकी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो एक संसद-सदस्य के नाते मैं उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता।

श्री गुमान मल लोढा : आपको एक पहचान-पत्र दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं सरकारी कर्मचारी नहीं हूं।

यहां यही सुझाव दिया गया है। मै। इसे आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से अलग नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : हमारा निवेदन है कि इसे जल्दी लाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब हम मद संख्या 6 पर चर्चा करेंगे।

12.42 म०प०

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्री (श्री मनगमोहन सिंह) : श्री एम० वी० चन्द्रशेखकर मूर्ति की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रणाली संबंधी समिति (नरसिम्ह समिति) की सिफारिशों के

अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने आय मान्यता और व्यवस्था और इसके साथ-साथ बैंकों की जोखिम भरी आस्तियों के संबंध में पूंजी पर्याप्तता के लिए कुछ मानक निर्धारित किये हैं। ये मानक भारतीय बैंकों के वित्तीय गणना मापदण्डों को चालू अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार किये गये हैं। इन मानको के कार्यान्वयन का अनुसरण करके, सभी राष्ट्रीयकृत बैंक आगामी तीन वर्षों में अपने पूंजीगत आधार को काफी मजबूत करना पडेगा। इन मानकों के आ जाने से सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 31 मार्च, 1996 तक उनकी कुल पूंजी उनकी जोखिम भरी आस्तियों से कम-से-कम 8 प्रतिशत के बराबर हो जाएं। जो बैंक विदेशों में भी कार्य कर रहे हैं, उन्हें यह मानक 31 मार्च, 1994 तक प्राप्त करने पड़ेंगे। यह समय-सीमा को भारतीय रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 1995 तक बढाई जा चुकी है।

बैंकिंग प्रणाली के मौलिक वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए निर्धारित पूंजी उपलब्धता प्राप्त करना अनिवार्य है। ऐसा करना इस प्रणाली की अंतर्राष्ट्रीय साख को बनाये रखने के लिए भी जरूरी है क्योंकि विश्व के सभी बैंक, 'बैंक ऑफ इंटरनेशनल सटलमैंटस' द्वारा गठित बैंकिंग विनियमन एवं पर्यवेक्षणीय व्यवहारों संबंधी समिति द्वारा निर्धारित किये गये मानकों को अपना रहे हैं।

इस समय राष्ट्रीयकृत बैंकों की समूची प्रदत्त पूंजी केन्द्रीय सरकार में निहित है और उसे आबंटित है। केन्द्रीय सरकार इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी में गत कुछ वर्षों के दौरान योगदान देती रही है। वर्ष 1985-1986 से 1993-94 की अवधि के दौरान सरकार ने इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी में 9700 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। चालू वर्ष के बजट में 5600 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। चूंकि सरकार के साधन सीमित हैं और प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, अतः सरकार के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह राष्ट्रीय बैंकों द्वारा नये विवेकी मानकों को पूरा करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में जितनी धनराशि की जरूरत अब है, उतनी धनराशि उन्हें प्रदान करने का योगदान दे सकें। अतः सरकार ने यह विनिश्चय किया है कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसा करने की स्थिति में हैं, उन्हें अपनी पूंजी संबंधी अपेक्षाओं में कमी को पूरा करने के लिए नए शेयर निर्गमित करके पूंजी बाजार में प्रवेश की अनुमति दी जाए। इस तरीके से एकत्रित की गई अतिरिक्त धनराशि से बैंक अपनी उधार देने की क्षमता को बढ़ा पायेंगे। तथापि, सरकार अधिकांश स्वामित्व अपने पास रखेगी और इस प्रकार से सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर उसका कारगर नियंत्रण बना रहेगा।

महोदय, उपर्युक्त विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए, यह आवश्यक हो गया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन किये जाएं। प्रस्तावित संशोधनों में, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से अपनी प्रदत्त पूंजी में शेयरों के लोक निर्गमों द्वारा वृद्धि कर सकेगा, परन्तु ऐसा इस शर्त के अधीन होगा कि केन्द्रीय सरकार हर बार बैंक की प्रदत्त पूंजी

[श्री मनमोहन सिंह]

का 51 प्रतिशत से अन्यून धारण करेगी। इस संबंध में यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि हरेक राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकृत पूंजी 150 करोड़ रुपए के 10 रुपये प्रति के मूल्य वाले पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में विभाजित की जाएगी। केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई शेयरधारक अपने द्वारा बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक धारित किसी शेयर के बारे में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा। यहां भी शेयर धारकों के निदेशकों के चुनाव हेतु निदेशक-बोर्ड के गठन तथा निदेशक-मण्डल को विभिन्न विषयों यथा शेयरधारकों के रजिस्टरों के रख-रखाव, रजिस्टरों में प्रविष्ट किये जाने वाले विवरणों, शेयर रखने तथा उनके अंतरण संबंधी तौर-तरीके एवं शेयरधारकों की आम बैठक आयोजित करने आदि से संबंधित विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान करने संबंधी विषयों के निष्पादन से संबंधित संशोधन भी इसमें शामिल हैं।

वित्त संबंधी स्थाई समिति, जिसको यह विधेयक भेजा गया था, ने विदेशी निवेश पर अधिकतम सीमा, निदेशक मण्डल के गठन आदि से संबंधित कुछ सिफारिशें भी की हैं। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली जाएं तथा इस संबंध में सरकारी-संशोधन प्रस्ताव अलग से पेश किये जा रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सभा से यह सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा पेश बिल पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को 180 डिग्री पर ले जा रहा है यानी कि बिल्कुल पीछे ही ले जा रहा है। 1969 से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार सब मिला कर 20 बैंक हो गये जिनका राष्ट्रीयकरण हुआ। आज इस बिल के माध्यम से एक तरीके से आप बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं। आप शेयर पब्लिक को इशू कर रहे हैं। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी में भी आया। मैं उसका भी सदस्य था। वहां इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। मैं ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहूंगा। हम लोगों को जो कुछ खतरे दिखायी दे रहे थे और शंकायें थीं, हमने वे बतायीं। उनके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि जैसा कि पूरा देश जानता है कि पिछले साल शेयर घोटाला हुआ। 8 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ। जो लोग इसमें पकड़े गये, उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं की गई।

एक प्रकार से बैंकिंग प्रणाली के ऊपर से आम लोगों का विश्वास कम हो गया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि विश्वास बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन आम आदमी का विश्वास कम हो गया है। आज जब प्राइवेजाइजेशन करने जा रहे हैं तो लोगों का विश्वास डगमगा गया है। हमें इस तरफ ज्यादा धन देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को और ज्यादा पावर्स देनी पड़ेंगी और रिजर्व बैंक आफ इंडिया का कंट्रोल और बढ़ाना पड़ेगा। आप प्राइवेट रिसोर्सिस से शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हैं लेकिन अंत में बात यही आती है कि बैंक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? जब तक बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं करेंगे, कुनीतियों को दूर नहीं करेंगे, वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं लायेंगे, कस्टमर सर्विस में सुधार नहीं करेंगे, 30 हजार करोड़ रुपये के बैड डैट्स पर काबू नहीं पायेंगे, तब तक कितना पैसा ले आयें चाहे प्राइवेट सोर्सिस से ले आयें, गवर्नमैंट सोर्सिस से ले आये, व्यर्थ ही जायेगा। मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह क्या नये कदम उठा रहे हैं जिससे बैंकिंग व्यवस्था ठीक हो सके।

हर व्यक्ति, जैसा कि मैंने कहा, जब बैंक में जाता है, पौन घण्टा, एक घण्टा उसको पैसे निकालने के लिए लगते हैं, एक-एक दो-दो महीने तक चैक क्लियर नहीं होते हैं, पास बुक के अन्दर एण्ट्रीज नहीं मिलती हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है और इसी कारण से लोग नेशनलाइज्ड बैंक से, गवर्नमेंट बैंक से हटकर फोरेन बैंकों की तरफ जाने लग गये हैं, प्राइवेट बैंक की तरफ जाने लग गये हैं इसलिए जब तक हम लोग अपनी सर्विस नहीं सुधारते हैं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक नहीं करते हैं, बैंकिंग की प्रणाली को ठीक नहीं करते हैं, तब तक हम कितना भी पैसा इसके अन्दर लगा दें, वह व्यर्थ ही जायेगा।

जो रिकवरी ट्रिब्यूनल आपने बनाये हैं, जैसा माननीय सदस्य ने यहां पर पिछले हफ्ते भी कहा, एक वर्ष से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी तक एक ही ट्रिब्यूनल आप बना पाये हैं तो रिकवरी की भी क्या व्यवस्था होगी? 30,000 करोड़ रुपये बैड डेट्स में पड़े हुए हैं, बैड एण्ड डाउटफुल डेट्स में पड़े हुए हैं, वह भी आप कैसे रिकवर कर पायेंगे, जरा इसकी भी जानकारी सदन को दे दीजिएगा? ऐसे जो विलफुल डिफाल्टर्स हैं, जो लोग जान बूझकर पैसा नहीं देना चाहते हैं, बैंकिंग इण्डस्ट्री से पैसा ले लेते हैं। एक बैंक से लेते हैं और सिक यूनिट हो जाती है तो दूसरे बैंक में चले जाते हैं। दूसरे से तीसरे बैंक में चले जाते हैं। नई कम्पनियां बनाते हैं, नये ग्रुप बनाते हैं। ऐसे लोगो की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बल्कि इतना तक हो गया है कि कम्पनी कागज के ऊपर है तो भी लोग शेयर कैपीटल के बाजार में चले जाते हैं और पैसा रेज कर लेते हैं। उनके पास जमीन नहीं होती है, उनके पास कोई सैटअप नहीं होता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा के ऐसे लोग बैंकों से पैसा नहीं ले पाये।

आपके द्वारा, एक बात मैं यहां पर और कहना चाहूंगा कि 5600 करोड़ रुपये का आपने इस बार प्रावधान किया है, पिछली बार 5700 करोड़ रुपये का किया था। क्योंकि, आप यह बिल लेकर आ रहे हैं और बैंकों को परमीशन दे रहे हैं कि वह लोग मार्केट से पैसा रेज कर सकें तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि 5600 करोड़ का यह बजट के ऊपर बहुत बड़ा पैसा है इसलिए आप 5600 करोड़

[श्री चेतन पी० एस चौहान]

रुपया बैंकों को तुरन्त मत दीजिएगा। पहले आप बैंकों को एलाउ कीजिए कि वह जितना पैसा पब्लिक से रेज कर सकती हैं, यह मैं जरूर कहता हूं कि पूरे के पूरे 20 बैंक पैसा रेज नहीं कर पायेंगे, क्योंकि काफी बैंक घाटे में भी हैं लेकिन कम से कम 10 या 12 जो अच्छे बैंक हैं, कम से कम उनको आप पहले परमीशन दीजिए, जिससे वह मार्केट में जाये और मार्केट से पैसा रेज करें। जैसे कि स्टेट बैंक ने इश्यू किया था, वह बहुत अच्छा रहा, अच्छे तरह से सब्सक्राइब भी हुआ। उसी तरह से और नेशनलाइज्ड बैंक्स को भी आप पहले परमीशन दीजिए, जिससे वह पैसा रेज करें। अगर 5600 करोड़ रुपया आप बचा सकते हैं तो यह पूरा पैसा आप बचा लीजिए जिससे यह पैसा आप दूसरी जगह लगा सकें। ... **(व्यवधान)** ... 5600 करोड़ है या 7000 करोड़ है, जो भी है। इसको आप बचा लीजिए, जिससे यह पैसा आप और विकास कार्यों में लगा सकें। वित्त मंत्री जी, जैसा आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, डैफीसिट फाइनेसिंग है, इस पैसे का आप सदुपयोग करें, पूरी तरह से उपयोग करें, जिससे बजट के ऊपर या वित्त मंत्रालय के ऊपर भार न पड़े।

मैं यह और कहना चाहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद या 49 परसेण्ट जब आप पब्लिक को दे दें तो यह न हो जाय कि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज हैं, स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज है, टाइनी इण्ड्स्ट्रीज है और खासकर ग्रामीण अंचलो में छोटी इण्डस्ट्रीज हैं आप लोग सिर्फ प्रोफिट के ऊपर ही ध्यान दें और बैंकों की जो शाखाऐं हैं, जो छोटी-छोटी जगहों पर चल रही हैं– अभी थोड़े दिन पहले वित्त राज्य मंत्री ने कहा था कि करीब 110 ब्रान्वेज़ को बन्द करने जा रहे हैं – इसमें यह न हो कि आप प्रोफिट को ही सोल मोटिव बना दें और जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं और रूरल एरियाज के अन्दर, ग्रामीण भागों के अन्दर या अनबैंकिंग एरियाज में, जहां पर बैंकों की शाखाएं नहीं हैं, उनको ऋण देना कम न हो जाय, उनको ऋण देना बरकरार रहे।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो 40 परसेण्ट प्रायरटी सैक्टर है, बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, जो यह 40 परसेण्ट का टार्गेट पूरा नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में भी आपको जरूर कार्रवाई करनी चाहिए कि 40 परसेण्ट प्रायरटी सैक्टर हर बैंक को पूरा करना चाहिए। क्योंकि यह सामाजिक ओब्जैक्टिव है इसलिए यह जरूरत पूरा होना चाहिए। प्रायरटी सैक्टर यानि गांवों के अन्दर लोग हैं या छोटे-छोटे कस्बों के अन्दर लोग हैं, अगर यहां पर इनको पैसा नहीं मिलेगा या जो छोटे-छोटे लोन लेने वाले लोग हैं उनको अगर पैसा नहीं मिलगा तो जो बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर है यह भी नहीं बढ़ेगी। इसी के साथ मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहूंगा कि यह जो आप प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजियेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पूरा नियंत्रण रखना चाहिये, जो पैसा बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर है हजारों-करोड़ों रूपया है इसका पूरा उपयोग होना चाहिये और ये जो आप शेयर्स लेकर जा रहे हैं इस पर मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक तो इसके

अंदर कोई भी डायरेक्टर्स कोटा नहीं होना चाहिये यह बात मैंने स्टेंडिंग कमेटी में भी रखी थी कि डायरेक्टर्स कोटा न हो और ये जो स्टेंडिंग कमेटी ने डायरेक्टर्स के लिये कुछ रिकोमेंडेशंस की हैं यह बहुत जरूरी हैं और ये जो स्टेंडिंग कमेटी की रिकोमेंडेशंस हैं ये यूनेनिमस रिकोमेंडेशंस हैं, यह पार्टी लाईन पर नहीं हैं।

महोदय, मैं आपसे यही मांग करूंगा कि यह जो स्टेंडिंग कमेटी की यूनेनिमस रिपोर्ट है इसको आप पूर्ण तरीके से इम्पलीमेंट करें। हालांकि आपने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो रिकोमेंडेशंस हैं उन्हें आप इम्पलीमेंट करेंगे लेकिन मेरा यह कहना है कि जहां पर डिसेंट नहीं है, कम से कम वे जितनी रिपोर्ट हैं उनको आप इम्पलीमेंट करें। इसी के साथ-साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

डा० मुमताज अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जो कि लाया जा रहा है, इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से सर्वदा निंदनीय तथा अत्यंत आपत्तिजनक हैं।

जहां तक पूंजी की पर्याप्तता का प्रश्न है, कोई भी इस बात पर प्रश्न नहीं कर सकता कि बैंकिंग समस्याओं के पास पर्याप्त पूंजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये संस्थायें अर्थव्यवस्था का जीवन स्रोत तथा आधार-स्तम्भ हैं। इसलिए विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में निवेश के लिए इन बैंकिंग संस्थाओं के पास उचित राशि होनी चाहिए। भारत सरकार ने विभिन्न अवसरों पर पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाई है। वर्ष 1985-86 से वर्ष 1992-93 तक बैंकिंग संस्थाओं को 4000 करोड़ रुपया दिया गया। इसी प्रकार वर्तमान वर्ष के बजट में भी इन बैंकिंग संस्थाओं के उचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए 5700 करोड़ रुपया इन बैंकिंग संस्थाओं को दिया गया है। परन्तु अब सरकार ने निजीकरण अथवा उदारीकरण अथवा जो भी नीति सरकार इस सम्बन्ध में अपनाने जा रही है के संदर्भ में इन बैंकिंग संस्थाओं को पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाने से इन्कार कर दिया है। मेरे विचार से बाहरी देशों के दबाब में आ कर सरकार ऐसा कर रही है। ये सब नरसिंह समिति अथवा अन्य समितियों द्वारा की गई सिफारिशों की भावना के अनुरूप नहीं हैं बल्कि ये विचार बाहर के देशों से लिया गया है।

वर्ष 1969 में सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जो कि एक ऐतिहासिक युग था तथा उस समय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार द्वारा जो भी कदम उठाये गये, उनकी देश के सभी भागों में सभी लोगों द्वारा भूरि-भूरि पूर्णता और सराहना की गई। राष्ट्रीकरण से पहले, राशियों का संचयन कुछ एक महत्वपूर्ण नगरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों और केन्द्रों तक सीमित था। पूंजी जमा करवाने तथा ऋण लेने की सुविधायें तथा लाभ दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं थे तथा इसीलिए इन सभी त्रुटियों और खामियों को समक्ष रखते हुए उस समय भारत सरकार द्वारा इन बैंकिंग संस्थाओं का राष्ट्रीकरण किया गया था। उस समय यह एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। इस समय वित्त

[डा० मुमताज अंसारी]

मंत्री महोदय के जो विचार हैं अथवा जिस तरह के विचार अंभिव्यक्त कर रहे हैं, वे कृषक वर्ग, सभी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीब वर्ग के लोगों के हितों के विरुद्ध हैं। आपको प्रत्येक को प्रसन्न करना है। इसके साथ-साथ आप यह बात कह रहे हैं कि इन बैंकिंग संस्थाओं को जो भी राशि दी जाती है। वह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रहती है तथा सरकार के हाथ में रहती है। तो फिर इसका औचित्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री अंसारी, आप भोजनावकाश के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अब सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.00 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.00 बजे म०प० तक क लिए स्थगित हुई।

2.06 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.06 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) संशोधन विधेयक–जारी

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे लिए इस बात की घोषणा करना आवश्यक है कि इस विषय पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय नियत किया गया है। प्रत्येक राजनैतिक दल को कितना समय नियत हुआ है, यह बताना आवश्यक नहीं। फिर भी मैं यह बता रहा हूं कि कांग्रेस को 54 मिनट, भा०ज०पा० को 25 मिनट, जनता दल (ब) को 8 मिनट तथा सी०पी०आई० को 7 मिनट का समय नियत किया गया है।

श्री मुमताज़ अंसारी अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा० मुमताज़ अंसारी : इस संशोधन विधेयक, 1993 के प्रावधन अत्यंत निंदनीय और आपत्तिजनक हैं। इसीलिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जब 1969 में इन बैंकिंग संस्थाओं का राष्ट्रीकरण किया गया। तो यह एक ऐतिहासिक समय था तथा हमारे देश के समाज के सभी वर्गों द्वारा इस कदम की प्रशंसा की गई।

परन्तु, आज मैं यह देख रहा हूं कि इस सारे घटनाचक्र को अब उल्टा घुमाया जा रहा है तथा

तत्कालीन सरकार द्वारा लिए गये ऐतिहासिक निर्णय को अब उलटा जा रहा है तथा पीछे की ओर धकेला जा रहा है। मेरे विचार में यह बात अत्यंत आपत्तिजनक है। इससे समाज के विभिन्न वर्गों पर विपरीत प्रभावें पड़ेगा। इन बैंकिंग संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण के परणािमस्वरूप जो भी लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुच रहे थे। वे अब समाज के इन वर्गों को नहीं मिलेंगे।

उदाहरणार्थ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कुछ वरीयता क्षेत्र निश्चित किए हैं जिनमें उपलब्ध करवाई जाने वाले ऋणों में से 40 प्रतिशत ऋण उपलब्ध करवाये जायेंगे। मुझे संदेह है कि एक बार यह संशोधन विधेयक लागू होने पर लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों, किसानों, ट्रांसपोर्टरों जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के लोगों को मिलने वाले लाभों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शेयर खुले बाज़ार में बेचे जाएंगे। सभी राष्ट्रीयकृत बैंक भी खुले बाज़ार में अपने शेयर बेचेंगे। इस प्रकार गैर-सरकारी सदस्यों और व्यक्ति विशेष द्वारा शेयर खरीदे जाएंगे और वे बैंकिंग संस्थानों पर एक प्रकार से नियंत्रण कर लेंगे। इनकी एक बड़ी राशि महत्वपूर्ण शहरों और महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों में विभिाजित हो जाएगी। इस प्रकार देश के ग्रामीण क्षेत्र और सुदूरवर्ती क्षेत्र उपेक्षित रह जाएंगे और गरीब किसानों तथा लघु क्षेत्र के उद्योगपतियों तथा सभी छोटे व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अतः यह उपबंध बैंकिंग संशोधन विधेयक, 1993 में नहीं होना चाहिए और उन्हें खुले बाज़ार में अपने शेयर बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तथा सरकार पहले जिस प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर रही थी। उसी का पालन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बार जब उन्हें खुले बाज़ार में अपने शेयर बेचने के लिए कहा जाए तो बड़ी संख्या में व्यक्ति राष्ट्रीयकृत बैंकों के मालिक बन जाएंगे और वे उन पर दबाव डालेंगे यद्यपि संशोधन विधेयक में यह प्रावधान है कि निदेशक गैर-सरकारी स्वामी नहीं होंगे तथा 51% इक्विटी सरकार के पास होगी तथा शेष 49% गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास होगी। 20% इक्विटी विदेशी उद्यमियों के पास होगी जो कि अत्यंत आपत्तिजनक बात है क्योंकि उनका भी बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण हो जाएगा। इससे संपूर्ण अच्छा वातावरण खराब हो जाएगा तथा संपूर्ण चक्र बदल जाएगा। मेरा यह अनुरोध है कि बैंकिंग संस्थानों को खुले बाज़ार में अपने शेयर बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और सरकार इन बैंकिंग संस्थानों को जो भी धन दे रही है उसे देना जारी रखा जाए।

जहां तक निदेशकों का संबंध है मेरा यह सुझाव है कि वे शेयरों की संख्या के अनुपात में होने चाहिएं। लेकिन साथ ही अधिकतम शेयर सरकार के पास होने चाहिएं और गैर-सरकारी व्यक्तियों अथवा व्यक्ति विशेष अथवा गैर-सरकारी उद्यमियों में से बने निदेशकों को इस संबंध में कोई शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए यद्यपि यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति निवेश कर रहे हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा लेकिन मुझे संदेह है कि एक बार जब ऐसे बैंकिंग संस्थानों में उन्हें अपने विचारों को क्रियान्वित करने का अवसर मिलेगा और ऐसे बैंकिंग संस्थानों में वे निवेश करेंगे तब उनके पास कार्य करने का कुछ अधिकार अवश्य होगा और वे ग्रामीण क्षेत्रों से धन हटाकर

[डा० मुमताज़ अंसारी]

शहरी क्षेत्रों में लगाएंगे तथा इसी धन का उपयोग इन्हीं उद्यमियों अथवा गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाएगा।

इसलिए सरकार को यह विधेयक वापिस लेना चाहिए और इस विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों में इतना संशोधन किया जाना चाहिए कि इस सभा के सभी पक्षों की संतुष्टि तक इसमें संशोधन किया जाना चाहिए और इसके बाद यह विधेयक सभा में लाया जाना चाहिए क्योंकि बैंकिंग संस्थानों को गैर-सरकारी संस्थान नहीं बनने देना चाहिए। मेरे विचार से यह विचार विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया है क्योंकि यह विचार मूलतः हमारे देश के नहीं हैं। पहले भी कांग्रेस दल के सदस्यों के विचार नहीं थे कि बैंकिंग संस्थान सरकारी क्षेत्र द्वारा चलाया जाना चाहिए। ये अत्यंत संवदेनशील क्षेत्र हैं। आपने देखा है कि इस देश में ऐसा प्रत्याभूति घोटाला हुआ है और ऋण पत्र जारी करने का सुनिश्चित करने के लिए इन प्रत्याभूतियों के मानकों के विरुद्ध जो कुछ भी किया गया है उसके लिए एक भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया गया है। उन्होंने देश के महत्वपूर्ण और सीमित धनराशि का घोटाला किया है।

इस देश में ऐसा घोटाला हुआ है। इसके बावजूद इसे बैकिंग संस्थानों पर छोड़ा जा रहा है कि वे अपने शेयर, डिबेन्चर, परिसंपत्तियां तथा इश्यू खुले बाज़ार में बेच सकते हैं। यदि फिर से इस देश में कोई घोटाला होता है तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा क्योंकि इससे सभी मानकों और वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन हो रहा है।

साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप संशोधन विधेयक, 1993 में जो भी प्रावधान कर रहे हैं उनके लिए आप यह अवश्य देखिए कि बैंकिंग संस्थानों के पास जो भी धन उपलब्ध है उससे उनके प्रबंधन में सुधार किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और उन्हें कार्य करने के वातावरण में सुधार करना चाहिए ताकि इन बैंकिंग संस्थानों के पास जो सीमित धन उपलब्ध है उसे देश के कल्याण के लिए उपयोग किया जा सके। यदि आप इसे बैंकिंग संस्थानों पर छोड़ देते हैं तो फिर से ऐसा घोटाला हो सकता है। अब तक प्रत्याभूति घोटाले में शामिल किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया और न दंडित किया गया है।

[अनुवाद]

उन सभी लोगों के विरुद्ध जो इसमें शामिल थे, कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई है। अगर आप खुले बाजार में शेयरों और निर्गमों को जारी करने की अनुमति देंगे, तो क्या होगा? विदेशों में क्या हो रहा है? हमारी साख कम हो रही है। विदेशों में जो भी निर्गम जारी किए जाते हैं, उनके सम्बन्ध में हम अपनी साख का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। अतः, यह हमारे देश की स्थिति और गरिमा के विरुद्ध जाता है। अगर आप देश की वित्तीय स्थिति अच्छी रखना चाहते हैं तो इस प्रकार का विधेयक इस महान् सभा द्वारा पेश और पारित नहीं किया जाना चाहिये। अतः मेरा माननीय वित्त मंत्री

से अनुरोध है कि इस प्रकार का आपत्तिजनक विधेयक वापिस लिया जाना चाहिये और इस पर पुनः चर्चा अवश्य की जानी चाहिए। सभी सांसदों के सभी सर्वसम्मत विचार तथा विरोधी विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

सामान्य तौर पर यह कहा जा रहा है कि स्थायी समिति ने इस विधेयक को पारित कर दिया है और उसने इसे विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। लेकिन अभी-अभी मैंने वाप पंथी दलों के अपने मित्रों से चर्चा की थी। उनका कहना है कि कुछ शेयरों जिन्हें केवल उन सभी विदेशी उद्यमियों के लिए छोड़ दिया जायेगा, के सम्बन्ध में कुछ उपबंध अत्यधिक आपत्तिजनक हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में अनेक बैंकिंग संस्थायें प्रवेश कर रही हैं। वे यहां भी वित्त संबंधी सभी मानदंडों और मानकों का उल्लघंन कर रहे हैं। स्वभावतः एक बार ये निर्गम उन सभी विदेशी उद्यमों को दे दिये जायेंगे तो पुनः कुछ घोटाले होंगे। अतः, मेरा अनुरोध है कि विभन्न दलों से संबंधित स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा जो भी विरोधी विचार रखे गये हैं, उन पर विचार किया जाना चाहिये। बैंकिंग संस्थान के इन सभी पहलुओं पर पूर्ण सर्वसम्मति और समझौता होने के पश्चात् इस सभा के सामने इस प्रकार का विधेयक रखा जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में विधेयक के सभी विभिन्न पहलुओं पर यहां चर्चा की जा सकती है। उसके पश्चात्, अगर देश के हितों को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा लगे और इसकी आवश्यकता महसूस हो, तो उस स्थिति में इसे सारी सभा पारित कर सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं बैंकिंग कंपनी अधिनियम में संशोधन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री द्वारा रखे गये विधेयक का समर्थन करता हूं। एक आलोचना की जा रही है कि यह विधेयक पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 1970 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा तथा वर्ष 1980 में किये गये परवर्ती संशोधनों को पलट रहा है।

महोदय मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक का उद्देश्य 1970 तथा 1980 में लिये गये निर्णयों को लागू करना है। यह एक विकासात्मक विधान है जो 1970 में किये गये बैंकों के राष्ट्रीयकरण की धारणा से आगे जा रहा है। यह कोई पश्चगामी कदम नहीं है। सरकार अपना निर्णय बदल नहीं रही है। दुर्भाग्य से, कुछ निहित स्वार्थ यह धारणा उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय किये गये अपने सभी वायदों से मुकर रही है। सच्चाई यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक आकार और शक्ति दोनों में बढ़े हैं। 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंकों की शाखाओं में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। आज, देश में औसतन 12,000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा है। यह एक बहुत अच्छा स्तर है। यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों में से एक था। हालांकि बैंकों की शाखाओं के आकार और संख्या में वृद्धि हुई है, तथापि हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने इस देश के लोगों के लिए बैंकिंग सेवा में सुधार किया है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के

[श्री पी० सी० चाक्को]

समय का उद्देश्य देश के आम आदमी को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से बेहतरीन बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना था। लेकिन सच्चाई यह है–कोई इसे इस प्रकार भी कह सकता है–कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आई है। जब हम बैंकिंग क्षेत्र में किसी और सुधार पर विचार कर रहे हैं तो इस पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिये। अब, हमारे देश में निजी क्षेत्र के बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंक प्रवेश करने जा रहे हैं। वे सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। अगर राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवायें स्तर के अनुरूप नहीं हैं, तो स्वभावतः लोगों के पास निजी बैंक अथवा विदेशी बैंक, जो यहां आ रहे हैं, का विकल्प रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उनकी हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका है। अतः, राष्ट्रीयकरण के समय इस देश के लोगों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की सेवाओं से जिस गुणवत्ता की उम्मीद की थी, उसे प्राप्त किया जाना चाहिये। यह आलोचना कि राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य को महत्वहीन बनाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है और इसका कोई आधार नहीं है। इस विधेयक का उद्देश्य बैंक के मालिकाना हक में संशोधन करना तथा बैंक के शेयरों के 49 प्रतिशत भाग जनता को देकर बैंकों की शेयरहोल्डिंग को कम करना है। मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर शेयरों का 49 प्रतिशत भाग जनता को दे दिया जाता है तो इससे बैंकों पर सरकारी नियंत्रण किस प्रकार समाप्त होगा? हरेक व्यक्ति जो कंपनी अधिनियम और कंपनी कानून की जानकारी रखता है, यह भली प्रकार जातना है कि शेयरों का 51 प्रतिशत भाग का होना भी उतना ही अच्छा है जितना सौ प्रतिशत होना। सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण है। मेरे मित्र श्री अन्सारी इस खंड के बारे में कुछ उत्सुकता और शंका जाहिर कर रहे थे। इस संशोधन में यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शेयरों का 51 प्रतिशत भाग सरकार के पास रहेगा। जब नये शेयर जारी किये जा रहे हैं, तो इस पहलू का भी ध्यान रखा जायेगा और बैंक पर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण होगा। जनता को शेयरों का 49 प्रतिशत भाग देने में हमें इस विधेयक की पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना पड़ेगा कि इसके क्या उद्देश्य हैं और क्या लक्ष्य हैं।

चालू वर्ष के बजट में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत करने के लिए 5600 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि रखी गई है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने ठीक ही कहा है, 5600 करोड़ रुपया कोई छोटी राशि नहीं है। आज सामाजिक क्षेत्र और विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों तथा रोजगार कार्यक्रमों के लिए हम संसाधनों के अभाव का सामना कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में संसाधनों में वृद्धि करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत करने के लिए प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपये अलग रखकर हम ऐसे नहीं कर सकते। इतनी ही धनराशि या इससे कुछ अधिक, 5700 करोड़ रुपये, पिछले वर्ष राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को मजबूत करने के लिए निर्धारित की गयी थी और उसे अलग से रखा गया था। पिछले वर्ष यह राशि 5700 करोड़ रु० थी और इस वर्ष यह 5600 करोड़ रु० है।

इस संदर्भ में मैं स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए एक संशोधन की ओर सभा का ध्यान

आकर्षित करना चाहूंगा। स्थायी समिति में विभिन्न दलों के प्रतिनिधि हैं। अपनी बातचीत के दौरान हम सरकार से यह अनुरोध करने के लिए तैयार हो गए थे कि वे यह देखें कि क्या यह बिल्कुल अपरिहार्य है क्योंकि यदि 5000 करोड़ रु० बच सकते है। तो सरकार इससे अन्य सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए काफी कुछ कर सकती है। लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है जहां हमारे पास पूंजीगत आधार को मजबूत करने के लिए बजट में से धन देने के अतिरिक्त कोई अन्य तरीका नहीं है।

श्री नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के बारे में सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय निर्णय यह है कि जोखिम पूर्ण परिसम्पत्तियों में 8 प्रतिशत पूंजी की पर्याप्तता होनी चाहिए। इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। कोई भी यह नहीं कह सकता है कि पूंजी की पर्याप्तता की आवश्यकता नहीं है। कुछेक राय यह भी व्यक्त की गई हैं कि चूंकि केन्द्र सरकार गारंटी दे रही है इसलिए पूंजी की पर्याप्तता की आवश्यकता नहीं है। जब हम एक अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में कार्य कर रहे हैं तो यह आवश्यक है कि बैंकों को सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाए, अन्य देश के बैंक भी हमारे बैंकों को मान्यता प्रदान करें। अन्यथा, यदि हम एक एल० सी० खोलने जा रहे हैं तो अन्य देशों में कोई भी उसे मान्यता प्रदान करेगा। इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि निर्यात में वृद्धि हमारा लक्ष्य है। जब हम निर्यात और आयात के संदर्भ में विचार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को भारतीय बैंको की कोई भी वचनबद्धता, कोई भी प्रस्ताव अथवा कोई भी गारंटी स्वीकार्य होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक अथवा किसी तरफ से भी कोई शर्त नहीं है। दुर्भाग्यवश, कुछ मित्र, बिना किसी आधार के ऐसी बातों के लिए विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच विचित्र संबंध ढूंढते रहते हैं।

भारतीय बैंकों को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग उद्योग में भारतीय बैंको की विश्वसनीयता के लिए हमारी मूल स्थिति यह होनी चाहिए। यह हमारे हित में है न कि किसी और के हित में कि हम आठ प्रतिशत पूंजी की पर्याप्तता और आठ प्रतिशत जोखिम पूर्ण परिसम्पत्तियों का मानदंड प्राप्त करें। नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के बाद सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है और प्रावधान बनाने के लिए तथा अन्य लेखा प्रक्रिया के लिए भी नए प्रावधान और मानदंड बनाए जा रहे हैं।

इसलिए, अब संदिग्ध ऋणों के लिए भी पर्याप्त प्रावधान बनाए गए हैं। पूंजी की जोखिमपूर्ण परिसम्पत्तियों के 8 प्रतिशत नियत हो जाने के बाद पूंजीगत पर्याप्तता को प्राप्त करने के लिए 31.3.1996 की तिथि दी गई है ताकि 8 प्रतिशत के इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन वाले बैंक, जिनकी शाखाएं देश से बाहर हैं, उनको भी 31-3-1994 तक पूंजीगत पर्याप्तता को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए वह समय समाप्त हो चुका है। 1996 तक देश के अन्दर कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी इस आठ प्रतिशत की पूंजीगत पर्याप्तता को प्राप्त करना चाहिए। इस समय आज की तारीख राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी पूर्णतः अपर्याप्त है। हम इसमें कैसे वृद्धि करने जा रहे हैं?

[श्री पी० सी० चाक्को]

जो भी इस संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहता है, वे कृपया अपने सुझाव दें। समिति में यह नहीं होता है। सभा में मैंने यह उम्मीद की थी लेकिन वह सुझाव भी कार्य नहीं कर रहा है। विरोध करने के लिए किसी चीज का विरोध करना, समस्या को हल करने में मदद नहीं करेगा। कोई भी सुझाव नहीं दे रहा है। हम इस 8 प्रतिशत पूंजी की पर्याप्तता के मानदंड को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमें राष्ट्रीयकृत बैंकों को शेयर बाजार द्वारा अथवा खुले बाज़ार द्वारा पूंजी उगाहने के लिए जनता के पास जाने की अनुमति देनी चाहिए।

कुछ बैंक अच्छी स्थिति में हैं। कुछ बैंकों के हालात ठीक नहीं हैं। इन 22 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से, कुछ बैंक अच्छी स्थिति में नहीं हैं। कम से कम ऐसे बैंकों को जनता के पास जाना चाहिए। आज शेयर बाज़ार में काफी धनराशि लगी हुई है। यदि बैंको का पब्लिक इशू जारी करने और अपनी धनराशि बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी जाए तो वे अच्छे परिणाम सामने ला सकते हैं। यहां अनेक बैंक हैं जो कि लाभकारी ढंग से कार्य कर रहे हैं। कम से कम वे अपनी पूंजी शेयर बाज़ार से एकत्रित कर सकते हैं। मुख्यतः, इसलिए इस विधेयक को इस सभा के सामने प्रस्तुत किया गया है।

मेरे विचार से, यह संशोधन ऐसा है जिसे सभी दलों को समर्थन देना चाहिए क्योंकि यह सरकार द्वारा बनाई गई नीति से संबंधित नहीं हैं। यदि किसी बैंक की, विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंक की पूंजी शक्ति को बढ़ाया जाना है, तो हमें इन्हें जनता के पास जाने की अनुमति देनी चाहिये। इस प्रकार 49 प्रतिशत हिस्से को बेचा जा सकता है और 51 प्रतिशत सरकार के पास रहेगा। ऐसी स्थिति में जहां तक बैंकों के स्वामित्व का संबंध है, किसी किस्म का कोई खतरा नहीं रहेगा।

एक शंका यह भी व्यक्त की जा रही है कि प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण में कमी की जायेगी। आज भारत में चाहे निजी क्षेत्र के बैंक हों, राष्ट्रीयकृत बैंक हों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक हों ये सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

जिस समय संयुक्त संसदीय समिति द्वारा घोटाले की जांच की जा रही थी और जिस समय इस पर संसद में चर्चा की जा रही थी तो ऐसे उदाहरण सामने आये हैं कि इन मार्ग निर्देशों की अवहेलना की गई है। हमें यह देखकर हैरानी हुई है कि इस देश में बैंको ने बहुत से मार्ग निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कानून सक्षम नहीं है अथवा अधिनियम सक्षम नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकरण अथवा पर्यवेक्षीय तन्त्र ही असफल रहा है क्योंकि यह देखना उनका कार्य है कि वे जिन मार्ग निर्देशों को बैंकों के कार्यकरण के संबंध में जारी कर रहे हैं, उनको कार्यान्वित किया जा रहा है और उनकी अवहेलना नहीं की जा रही है।

अब हम यह कह रहे हैं कि 49 प्रतिशेत शेयर निजी हाथों में सौंपे जा रहे हैं। इसमें बैंक का नियंत्रण समाप्त हो जाएगा। यदि 100 प्रतिशत शेयर भी निजी क्षेत्र को सौंप दिये जाएं, तो भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में निजी क्षेत्र के बैंक अपने कार्यकरण में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निदेशों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। कोई भी शेयरधारक उस स्वामित्व का नाजायज फायदा

नहीं उठा सकता जोकि बैंकों के शेयर धारण करने पर उसे मिला होता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस तरह की कड़ी शर्तें और मार्ग निर्देश बनाए गए हैं और जब इन्हें लागू किया जाता है तो इस तरह की किसी शक्ति की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है।

प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के मामले में भी भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है। अतः जहां तक इन सभी बैंकों का संबंध है, स्वरोजगार कार्यक्रम, किसानों को ऋण दिया जाना, ग्रामीण दस्तकारों को ऋण दिया जाना, लघु उद्योगों के लिये ऋण दिया जाना, ग्रामीण क्षेत्र के लिये ऋण दिया जाना, ये सभी बातें, विशेषरूप से, मौजूदा मार्ग-निदेशों के अन्तर्गत उल्लिखित है, जोकि लागू हैं। अतः इस तरह आलोचना करने में तनिक भी सच्चाई नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण में कमी की जाएगी।

यदि बैंको का, जैसा वे चाहते हैं, उसी तरह से कार्य करने की अनुमति दी जाती है तो वे लाभ अर्जित कर सकते हैं। लेकिन देश में आज ऐसी स्थिति नहीं है। बैंकों को उस तरह से ऋण देने की अनुमति नहीं है जैसा कि वे चाहते हैं और जिन क्षेत्रों में वे ऋण देना चाहते हैं। उन्हें विशेषरूप से यह बता दिया जाना चाहिये कि 40 प्रतिशत ऋण प्राथमिक क्षेत्र के लिये दिया जाना चाहिये। अतः यदि कोई बैंक प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी मौजूदा बैंक के विरुद्ध कार्यवाही करने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

इस विधेयक में प्रस्तावित कुछेक प्रमुख संशोधनों का विधेयक का विशलेषण करने वाली स्थायी समिति ने स्वागत किया है। निःसंदेह कुछेक मतभेद भी थे। ऐसेा होना स्वाभाविक है। हम समझ सकते हैं कि स्थायी समिति, जिसमें सभी दलों के सदस्य शामिल होत हैं, सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये विधेयक में कुछेक संशोधन रखे जा सकते हैं। मैं इसे किसी निम्न दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, मैं इसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुल मिलाकर इस प्रस्तावित संशोधन पर एक समझौता हुआ था। उस समय शंका और जिज्ञासा का वातावरण बना हुआ था लेकिन अब जब इस विधेयक को स्वीकार किया जा रहा है तो वह सब गलत सिद्ध हो जाएगा।

मुझे याद है कि कांग्रेस दल का सदस्य होने के नाते हम सभी को 1970 और 1980 के संशोधनों को याद करके गर्व हो रहा था। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीयकरण से पीछे हट रहे हों लेकिन स्थिति में काफी बदलाव आ गया है। 1970 से और 1980 के बाद दो प्रमुख संशोधन हुए हैं और उसके बाद 1994 तक इन चौदह वर्षों में बहुत सी घटनाएं घटी हैं।

इस देश की अर्थव्यवस्था में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। हमें यह देखना है कि आज की अर्थव्यवस्था के लिये, आर्थिक विकास के लिये कौन सी बात अच्छी है।

यह एक ऐसा विधेयक है, जो वर्ष 1970 और 1980 में घोषित बैंको के राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को और आगे बढ़ाने वाला है। 1980 में पिछली बार राष्ट्रीयकरण की घोषणा करते हुए,

[श्री पी॰सी॰ चाक्को]

एक सीमा निर्धारित की गई थी। 1980 के बाद राष्ट्रीयकरण करने का सिलसिला बंद हो गया इसलिए बैंको के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य किसी हद तक 1970 और 1980 में पारित किये गये दो अधिनियमों से पूरा हो गया था।

आज इसका क्या मंतव्य है? हम निर्यात में उच्च विकास दर को आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए बैंकों के पास धन होना चाहिए। जब ऐसे निर्यात की उम्मीद हो तो बैंको को इस स्थिति में होना चाहिए कि वे एल॰सी॰ खोल सकें। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंको ने अपनी एक बैठक में यह निर्णय लिया है कि पूंजी संबंधी मानदंड अत्यावश्यक हैं। इसके लिए हमें भारतीय बैंको को उस स्तर पर लाना होगा। इसलिए यह संशोधन प्रस्तुत किया गया है।

बैंको के निदेशकों की संख्या के संबंध में यह प्रस्तावित किया गया था कि 15 निदेशक होने चाहिएं और इस पर समिति में चर्चा भी हुई थी। इसमें सदस्यों ने यह राय व्यक्त की थी कि बैंकों में सरकारी निदेशकों का स्पष्ट बहुमत होना चाहिए और विधेयक में इसका प्रावधान किया जाना चाहिए। विधेयक में यह बात स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गयी है फिर सात निदेशक सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित किए जायेंगे और केवल छः निदेशक गैर-सरकारी शेयरधारकों में से होंगे। इसलिए बोर्ड में 49 प्रतिशत शेयरधारकों के केवल 6 निदेशक होंगे और बहुमत सरकार के निदेशकों का होगा। इसे देखते हुए कोई भी पक्ष इसे स्वीकार करने के पश्चात् और गैर सरकारी शेयरधारक निर्देशक नहीं बना सकता।

दुर्भाग्यवश एक गलतफहमी यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि बैंक का शेयरधारक है वह इस बात का अनुचित लाभ उठा सकता है। वास्तविकता यह है कि कोई भी शेयरधारक बैंक से भले ही वह गैर सरकारी बैंक क्यों न हो, ऋण भी नहीं ले सकता। तब यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इस आशंका का क्या कारण है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी स्तर पर बैंक से जुड़ा हुआ है-अथवा कोई मुख्य शेयरधारक है वह बैंक से ऋण लेने के अयोग्य ठहराया जाता है। ऐसी स्थिति में जब इस बारे में मार्ग निर्देश है और जब निदेशकों की संख्या 13 होगी जिसमें से अधिकांश निदेशकों का बहुमत सरकार के पक्ष का होगा। तो यह 49 प्रतिशत अथवा जो भी नियतन है अथवा कुल सीमा हो, ऐसी आशंका नहीं होनी चाहिए। उस 49 प्रतिशत को भी बाद में निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृति दी जाएगी।

इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि निदेशक मण्डल में सभी श्रेणियों का प्रतिनिधित्व हो। लघु कृषकों, सम्पूर्ण कृषक समुदाय, लघु उद्यमियों तथा सनदी लेखपाल जैसे विभिन्न क्षेत्रो के विशेषज्ञों तथा बैंको के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, सभी को निदेशक मण्डल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। जब निदेशक मण्डल में 13 निदेशकों का बहुमत हो जहां कि सरकार का पूर्ण बहुमत हो, वहां सभी को संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

पूंजी के संबंध में भी कुछ संशोधन किए गए हैं। न्यूनतम सीमा 1500 रु॰ करोड़ थी और

अधिकतम सीमा 3000 करोड़ रु० थी। यह संशोधन प्रस्तुत करते समय इस तरह के उपायों और व्यवहारों का ध्यान रखा गया है। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जिसे सभा द्वारा सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। इसलिए राजनीतिक दृष्टि से कोई भी यह कह सकता है कि सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीयकरण तथा उन सभी चीज़ों से हट रहा है। हम राष्ट्रीयकरण के समय लिए गए निर्णयों तथा उद्देश्यों के प्रति बहुत सजग हैं तथा उनसे अच्छी अवगत हैं। इस देश के लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया है और अब भारतीय बैंकों का आधुनिकीकरण किया जाना है। मैं सामान्य रूप से कह रहा हूं कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में कुछ धन जमा करवाने के पश्चात् यदि कोई बैंक में अपनी शेष धनराशि के बारे में पता करने जाता है तो उसे आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। मैं किसी राजनीतिक दल पर और न ही अपने दल पर आरोप लगा रहा हूं।

बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों को अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। अभी भी वहां सांकेतिक हड़तालें हो रही हैं। वे आधारहीन कारणों से हड़ताल कर देते हैं। हाल ही में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल हुई थी। यदि एक दिन के लिए भी बैंक हड़ताल कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाती है? आजकल बैंको के कर्मचारी संघ (यूनियन) भी इसी तरह से कार्य कर रहे हैं। एक अनवरत हड़ताल की भी घोषणा की जा रही है। फिर दूसरे दिन सांकेतिक हड़ताल होने जा रही है। बैंको का संचालन करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को भी यह बात समझनी चाहिये कि इन निराधार आशंकाओं का परिणाम कर देना चाहिए और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत में बैंकिग उद्योग तथा प्रणाली में सुधार हो। इसके लिए यदि हम सहयोग नहीं देते तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह बहुत व्यापक विधेयक है और मैं इन संशोधनों का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री निर्मल कान्ति चटर्जी को बोलने के लिए कहूंगा।भाकपा (मा०) को केवल सात मिनट का समय आवंटित किया गया है। आपके दल की ओर से केवल एक सदस्य का नाम दिया गया है। कार्यमंत्रणा समिति ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की राय और सभा द्वारा किए जाने वाले अन्य बहुत से कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह समय नियत किया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मेरे लिए यह एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव है। जैसे ही मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, मुझे अपने दल को आबंटित समय का स्मरण कराया गया। वास्तव में, यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है जिसके के लिए कार्य मंत्रणा समिति ने केवल दो घंटे का सयम दिया है। मैं नहीं समझता कि उसकी यह समझ सही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री पी०सी०चाक्को का भाषण सुना है और हम वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति में भी साथ-साथ हैं। श्री चाक्को भी उस समिति के सदस्य हैं और मैं भी उस समिति का सदस्य हूं। श्री चेतन चौहान भी उस समिति के सदस्य हैं। हम में से कुछ सदस्यों ने श्री चेतन चौहान उसमें कोई पक्ष नहीं हैं और वास्तव में भाजपा भी उसमें कोई पक्ष नहीं है, एक विभति टिप्पण प्रस्तुत किया है। हमने उसमें इस बात का उल्लेख किया है कि विधेयक वापस लिया जाना

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

चाहिए और यदि विधेयक वापस नहीं लिया जाता है तो हम उसका पूर्णत्ः विरोध करेंगे। मुझे यह बात कहने दें।

हमें बैंको के राष्टीयकरण से पहले की स्थिति को याद करने की कोशिश करनी चाहिए। जमा पूंजी की स्थिति क्या थी एक ओर, ऐसे बैंक थे, जिनको बड़े-बड़े व्यापारी घराने नियंत्रित करते थें टाटा का बैंक था, जिसे सैन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया कहते हैं और बिरला वालो का अपना बैंक था जिसे यूनाइटेड बैंक ऑफ इन्डिया कहते हैं। शहरो में वित्तीय संस्थाये निजी क्षेत्र में थी और उन दिनों उन पर बड़े-बड़े उद्योग पतियों का नियंत्रण था। यह उस दौर का एक पत्र था। देश में वित्तीय संस्थाये ऋण देती थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में सूदखोरों का बोलबोला था। वह ब्याज की ऊंची दरें ले रहे थे वे गरीबों की सम्पत्ति दबा रहे थे और वे उसको तबाह कर रहे थे उनके कारण ही भारतीय कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास में अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा था। इसी तरह शहरों में बड़े-बड़े व्यपारी घराने बैंकों को नियंत्रित कर रहे थे और गांवो में सूदखोर बैंकों को नियंत्रित करते थे। ऐसी स्थिति में हमें हस्तक्षेप कर बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। आप सब इससे सहमत होंगे। यह महसूस किया गया कि एक ही प्रयास से दोंनो शहरी वित्तीय संस्थानों पर बड़े-बड़े व्यापारी घरानों के प्रभाव की तथा गांवों में सूदखोरों के प्रभाव इस बैंकिंग राष्टीयकरण के द्वारा समाप्त किया जाए।

[अनुवाद]

आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, उससे आगे यह मान लिया गया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को कम-से-कम दो तरह की जिम्मेदारियां सौंपी गई थी। एक तो यह कि ग्रामीण-क्षेत्रों में साहूकारी-प्रथा को समाप्त करने के लिए बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करें। साधारण शब्दों में हमारा यह कहना है कि कृषि क्षेत्र तथा साहूकारों द्वारा प्रदर्शित सामंती-प्रथा शिंकजे से लोगों को घुटकारा दिलाना था, अतः बैंकों की शाखाओं का विस्तार करना पड़ा था।

इस बारे में हिदायतों अथवा दिशानिर्देशों का दूसरा चरण यह था कि ऋण देने को प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में रखा जायेगा, तथा यह प्राथमिकता समाज, अर्थव्यवस्था तथा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप तय की जायेगी। यह नियत किया गया था इस प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण राशि में से कम से कम चालीस प्रतिशत ऋण राशि उपलब्ध कराई जायेगी इस संबंध में अतिरिक्त अनुवृद्धि यह थी कि अत्यंत निर्धन लोगों को बहुत ही कम ब्याज दर पर ऋण देने की पेशकश की जाए। इस व्यवस्था को डी॰ आर॰ आई॰ अर्थात, विभेदी ब्याज दर कहा जाता है। ऋण राशि कम से कम एक प्रतिशत इन लोगों को दिया जाना चाहिए। ऐसा हो रहा है। वास्तव में इसका श्रेय आंशिक रूप से सरकार को तथा अधिकांशतः बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारियों को जाता है जिनके बारे उन्होंने यह कहा कि यह आए दिन हड़ताल पर जाते रहते है। उन्होने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे शहरी क्षेत्रों के सुख-चैन को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र में गए तथा उन्होने अपना स्थानान्तरण ग्रामीण क्षेत्रों में होने दिया वे वहां रहने लगे और इस प्रकार उन्होने सारे देश में अपनी शाखाओं का जाल

बिछाया। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। उनका स्वागत करने की बजाये। हम यह शिकायत कर रहे हैं कि आज वे हड़ताल क्यों कर रहे हैं, जबकि पहले वे ऐसा नहीं करते थे।

यह दोहरी नीति है जिसे कि यथासम्भव पूर्ण जोश के साथ अनुसरण किया जाना चाहिए। यदि उस नीति में कोई कमी पाई गई, तो बैंक कर्मचारी इसके लिए लड़ें। उसके पश्चात ही भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर में कुछ बदलाव आया। ऐसा चल रहा था कि बड़े औद्योगिक घराने इस भय से वे शहरी क्षेत्रों में साख ढांचे को पहले की तरह नियंत्रित नहीं पायेंगे उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र की उपेक्षा करके जनता से धन लेना शुरू कर दिया। उन्होने यह महसूस किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी सम्भवतः उनके बारे में काफी छानबीन करेंगे अतः उन्होने धनराशि एकत्रित करने के लिए सीधे जनता तक पहुंचने की बात सोची तथा उन्होने जनता को बैंकिग क्षेत्र से ऊंची ब्याज दरें देने की पेशकश करके धनराशि एकत्रित की। प्रारम्भिक स्थिति यही थी। ऐसा चल रहा था। उसके बाद 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दूसरे दौर तथा 1980 के दशक के मध्य भाग से आगे, विशेषकर 1980 के दशक में अनके बातें घटित हुईं, जिनकी वजह से बड़े औद्योगिक घरानों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि उन्हें इस बारे में अधिक भयभीत होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार संविधान में 'समाजवाद' के रूप में जिस शब्द को शामिल किया गया है, सम्भवतः वास्तव में उसका अर्थ 'समाजवाद' नहीं है। अतः सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा उनके साख संबंधी ढांचे पर नियंत्रण करने की बजाय, बड़े औद्योगिक घराने अनेक संदेहास्पद साधनों से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर अपना नियंत्रण थौपने की कोशिश कर रहे थे। इनका ऐसा ही एक संदेहास्पद साधन यह था कि ऋण प्राप्त करो तथा उसको वापिस मत लौटाओ। मुझे विश्वास है कि श्री चाक्को जी को भी यह विदित है इस नीति को एक अत्यंत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिसका नाम जॉन मेनोट्ट्ट किनूस था, जो कि बाद में लार्ड किन्स के नाम से जाना जाने लगा ने एक बार बड़े अदभूत तरीके से यह कहा था कि यदि आप किसी बैंक से उधार लेते हैं तथा यदि आप एक छोटे ऋणी है, तो बैंक आपको नियंत्रित करता है और यदि आप किसी बैंक से ऋण लेते हैं और आप बड़े पैमाने पर ऋण लेने वाले हैं, तो आप बैंक को नियंत्रण करते हैं। यह लार्ड किन्स की अत्यंत प्रसिद्ध कहावत है, इन्हे आधुनिक अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है।

महोदय, अनेक घटनाएं घट रही हैं। फेरा एवं एम० आर० टी० पी० अधिनियम पारित किये जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिस तरह से प्रगति कर रहे थे, प्रारम्भ में वे उससे आंशकित थे। श्री चाक्को जी इस बात से सहमत होंगे कि इस संबंध में जो व्यावहारिक रूप से प्रचलित है वही बात महत्वपूर्ण है। अपने अनुभव से उन्होनें यह पाया कि एम० आर० टी० पी० अधिनियम की ताकत के बावजूद, राष्ट्रीय आप में वृद्धि की तुलना में बड़े औद्योगिक घरानों को मनमाने ढंग से फलने-फूलने पर कोई रोक नहीं लग पाई तथा न ही यह अधिनियम विदेशियों को हमारे देश में स्थित विदेशी बैंको का शोषण करने से रोक पाया। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें संरक्षण की जरुरत है। बड़े भारतीय औद्योगिक घरानों को यह संरक्षण बैंककारी अधिनियम में संशोधन करके तथा उसमें ऐसे खंड शामिल करके किया गया है, जिनका यह कहना है कि बैंकिग गोपनीयता को इस ढंग से बनाये रखा जायेगा

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

कि जनता के सम्मुख किसी को चोर नहीं कहा जा सके। ऐसा यह महसूस करने के बाद था कि सामाजवाद कवेल कागजों में है, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम केवल कागजों में है, बड़े औद्योगिक घरानों के विकास को रोका नहीं जा सकता है। अतः उनकी स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए बैंकिंग अधिनियम में गोपनीयता के खण्ड़ों का प्रावधान किया गया था, हमें आज नामों का प्रचार करेगा। बताया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक दोषियों को कब बताएगा? यह एक साधारण सी बात है। वह तब नाम बताएगा जब वह लोग न्यायालय में जा चुके होंगे। यदि यह मामला न्यायालय में जाता है तो आप किसी भी हालत में प्रचार नहीं रोक सकते हैं। अतः आप पुनः पुरानी स्थिति में आ जाइए कि आप उस प्रस्ताव को स्वीकार करने जा रहे हैं आप अशोध्यऋण की वकालत कर रहे है कि ऐसे कारणों के ब्यौरे संसद और जनता को प्रस्तुत किए जाएगें हमने संयुक्त संसदीय समिति में क्या पता लगाया? हमने यह पता लगाया कि हम जिन्हें नियंत्रित करना चाहते थे? वास्तव में हम बैंकों को नियंत्रित कर रहे थे। इस पूरी बुराई का नेतृत्व उन लोगों ने किया जिन्हें यह समझा जाता है कि में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम से नियत्रित होते हैं, जिन्हें यह समझा जाता है कि वे 1947 की उसी उमंग जिसने स्वतंत्रता हासिल की थी, से नियंत्रित होते हैं। पूरी बुराई में विदेशी बैंकों की अग्रणी भूमिका रही है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने उन्हें सहायता दी और उन्हें इसके लिए उकसाया, उन पर पूरा नियंत्रण था, किसका नियंत्रण था? हम हर्षद मेहता के बारे में जानते हैं। हम शेयर बाजार में बहुत से अन्य लोगों के बारे में भी जानते हैं। हम केवल उन्हीं को नहीं जानते हैं। उनमें उद्योगपति भी शामिल थे। श्री चाक्को इस बात का औचित्य सिद्ध करेंगे। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी उद्योगपतियों के नाम सामने आ सकते हैं। 9-10 वर्षों से अर्थात 1984-85 से अब तक यह सब हो रहा था। वे लोग इतने ताकतवर हो गए। मेरे नेता ने मुझे ठीक से यह स्मरण दिलाया कि वे लोग कैसे परवाह नहीं करते हैं। बैंकों के बारे में एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्ष ऋणों को इस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि उन्हें चुकता करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नरों में से एक गवर्नर द्वारा की गई धोखा-धडियों के बारे में थी जिस पर संयुक्त संसदीय समिति ने आरोप लगाया था। उन्हें सब कुछ मालूम है और उन्होंने बताया है कि यह सब हो रहा है। यह उस सयम देश के अन्तर्गत अधिक पैसे की ताकत भी जब बैंक राष्ट्रीयकृत थे और सार्वजनिक क्षेत्र में थे। बात ठीक वैसी नहीं है जैसा कि वे कह रहे हैं। यह ताकत इतनी अधिक थी कि यह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध कौशल से बाहर चला गया। यह उन लोगों अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक वित्त मंत्रालय और सरकार के अन्य मंत्रियों के पास पहुंच गया जिनसे बैंकिंग क्षेत्र के प्रचालन का पर्यवेक्षण करना अपेक्षित था। चूंकि यह बात ज्ञात है इसीलिए संयुक्त संसदीय समिति की की गई कार्यवाही रिपोर्ट में विलम्ब हुआ जिसे 90 दिन के समय में करने का वायदा किया गया था जैसा वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है। यह पृष्ठभूमि है और यही परंपरा थी।

इस परंपरा के अन्तर्गत उन्होने इस सब से इन्कार कर दिया। मैंने वित्त विध्येयक पर अपने

भाषण के दौरान नेपाल पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ज्ञापन को उद्धृत किया है। मैंने रकम के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के ज्ञापन का उल्लेख किया । मेरे पास इस संबंध में दस्तावेज हैं। भारत में भी इसी तरह की बातें की जा रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष नेपाल को यह सब करने के लिए कह रहा है, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष रूस से यही सब अर्थात वित्तीय क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण समाप्त करने तथा उसका निजिकरण करने के लिए कहा रहा है। वह यह कह रहे है। कि हम अनावश्यक रूप से इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का संकेत देख रहे हैं। लेकिन ऐसी बात है। इस संदर्भ में, सभी बैंकों में गोपनीयता के खण्डों से संयुक्त न होते हुए, दो विधेयक पुरःस्थापित किए गए हैं। देखते हैं पहले ही क्या पारित कर लिया गया है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम पारित किया गया है। इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? वह कहते हैं कि यह पीछे नहीं जा रहा है। ठीक ही है इतिहास कभी पीछे नहीं लौटता है। एक कहावत है, जिसे वह भी जानते हैं। हम कहते हैं कि इतिहास अपने आप को नहीं दोहराता है। हम कहते हैं कि यह रोक लगाता है। वह पहले की स्थितियों में एकरूपता बनाए रखता है। लेकिन साथ ही स्थितियां इतनी बदल गई हैं कि यह नई ऊंचाई पर पहंच गया है।

इस नई चरम सीमा की अनुमति देने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियमन ने इस देश में बहुत अधिक पूंजी सहित निजी बैंकों की फिर से स्थापना होने की अनुमति दी और इसके लिए उद्योगपत्तियों को आमंत्रित किया गया जिनकी बैंकों के साथ सांठ-गांठ को बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ समाप्त कर दिए जाने की अपेक्षा थी। इस बात पर जिन लोगों ने सबसे पहले प्रसन्नता जताई थी वे हिन्दुजा जैसे लोग थे जिनके नामों को अभी तक बोफोर्स मामले ने स्पष्ट नहीं किया है। उस अधिनियम के माध्यम से निजी क्षेत्र में पहले की भांति एक बार फिर, बहुत अधिक संख्या में लोगों को बहुत अधिक पूंजी सहित, निजी बैंकिंग क्षेत्र और बेंकिंग कम्पनियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। फिर भी वे संतुष्ट नहीं हैं। यही नहीं, निजी क्षेत्र के बैंक केवल हिदुजा या हर्षद समूह द्वारा ही स्थापित किए जा सकते हैं और हम नहीं जानते हैं कि अन्य कितने लोग इस क्षेत्र में आ सकते हैं। सचमुच हमें मालूम नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष हो या बड़े व्यवसायिक घराने हों, इससे संतुष्ट नहीं हुए।

[अनुवाद]

अतः वे नये तर्क पेश कर रहे हैं। अतः उनका मानना है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अत्तित्व को चुनौती दी जानी चाहिये। वे संतुष्ट नहीं हैं। आपको एक बार खून मुंह लग गया तो आप एक बूंद से ही संतुष्ट नहीं होंगे। अतः, वे ओक्टोपस की भांति सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने शिकजें में ले रहे हैं। उनको कहना हे कि चिंता की क्या बात है, यह केवल 49 प्रतिशत ही है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, पूंजीगत पर्याप्तता का तर्क दिया जाा है। तर्क यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दर 8 प्रतिशत की है।

अब हम उपबंधों का परीक्षण और विश्लेषण करते हैं। हमने अपना विमत टिप्पण दिया है।

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

हमने यह भी सूचीबद्ध किया है कि यह पूंजीगत पर्याप्तता की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। उनका कहना है कि बैंकों को घाटा हो रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपूर) : कोई भी मंत्री रिपोर्टों को नहीं पढ़ रहा है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यहां तक कि हमारी समिति के सदस्यों में से भी एक सदस्य ने असहमति जाहिर की। यह कहा गया कि यह सब भुला दिया गया। इसके लिए क्या तर्क दिया गया था? वे स्वयं ही तर्क क्यों दे रहे हैं? बैंक नुकसान क्यों उठा रहे हैं? निस्संदेह, एक अति महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम अपनी शाखाओं का विस्तार कर रहे हैं तथा प्राथमिक क्षेत्र को उधार दे रहे हैं हालांकि पुनः यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र को 40 प्रतिशत उधार देने का जो लक्ष्य है, उसे आजकल प्राप्त नहीं किया जा रहा है। पहले इतना लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाता था लेकिन अब इसमें कमी [illegible] है। हालांकि बैंक राष्ट्रीयकृत हैं और वे सरकारी क्षेत्र में हैं फिर भी यह प्रतिशत कम हो रहा है। यही ऋण क्षेत्र में हो रहा है। नुकसान क्यों उठा रहे हैं? निस्संदेह इसकी एक वजह यह है कि जब तक आप बैंकों शाखाओं का विस्तार करना बन्द नहीं कर देते तब तक आप इस पर नियंत्रण नहीं कर सकते। दूसरा तर्क जो सरकार ने दिया है–जो काफी दिलचस्प तर्क है–यह है कि बैंकों के उधार देने और उधार लेने की दरों में इतना कम अन्तर है कि उससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता और इसीलिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि ऋण देने की दरों के मुकाबले जमा दर को कम किया जाना चाहिये। और ऋण देने की दर को यथा संभंव अधिक दर पर रहने दिया जाना चाहिये और लघु क्षेत्र जो निम्न ब्याज दर पर ऋण ले रहा था, को अब उस दर पर ऋण नहीं मिलेगा। अगर आप दो करोड़ रुपये से अधिक उधार लेते हैं तो इस पर ब्याज दर वही है जो कि एक निश्चित राशि से अधिक पर न्यूनतम उधार दर है।

श्री पी०सी० चाक्को : आपको सरकारी क्षेत्र के बैंकों की उत्पादकता को देखना चाहिये।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं निश्चित रूप से आपसे सहमत हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निजी क्षेत्र में उत्पादकता काला धन है। लेकिन उस पर आपको कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब उपना भाषण समाप्त कीजिये। आपके दल को 7 मिनट का समय दिया गया था। लेकिन आप पहले ही 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय मैं कुछेक मिनट ओर लूंगा।

दूसरा तर्क यह था कि सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने के लिए दबाव दे रही है और बैंक सरकार को बहुत ही कम ब्याज की दर अर्थात 6 $\frac{1}{2}$

प्रतिशत पर ऋण दे रहे हैं। आज वह स्थिति बदल चुकी है। सरकारी प्रतिभूति पत्र अब 13 प्रतिशत की ब्याज दर पर बेचे जाते हैं। अतः जब सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने से होने वाली हानि का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। केवल यही नहीं, दरें बढ़ाने से पहले सांविधिक नकदी अनुपात तथा नकदी आरक्षित अनुपात भी परिवर्तित कर दिये गये थे। उन्हें तेजी से कम किया जा रहा है और आपने उन्हें तेजी से कम करने का प्रस्ताव किया है ताकि बैंक इन क्षेत्रों में अपनी अधिकांश धनराशि निवेश करने के लिए बाध्य न हो।

अतः इन्हीं कारणों से बैंकों को हानि हो रही है। मैं एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण भी इनमें जोड़ना चाहता हूं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि अनेक लोग ऋण लेकर उसे वापिस नहीं करते और उसे अशोध्य ऋण घोषित कर दिया जाता है। जैसा कि कुछ दिन पहले बताया गया है, 1,500 करोड़ रुपये के ऋण को अशोध्य माना गया है और उसकी वापसी नहीं हो सकती। लगभग 20,000 करोड़ रुपये को अभी अशोध्य ऋण घोषित नहीं किया गया है और उसे उन ऋणों में भी नहीं माना जा रहा है जिनका भुगतान नहीं होता। यह वहां उस संपत्ति की भांति है जिस पर सौ प्रतिशत जोखिम होता है और जिसे वे वापिस लेने में समर्थ नहीं होंगे। अगर आप इस प्रकार हर वर्ष 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठायेंगे तो फिर लाभ कैसे अर्जित करेंगे। अतः उनके अपने वक्तव्यों के अनुसार बैंको को हानि हो रही है और इसके कारण स्पष्ट हैं। इन कारणों को दूर करने की बजाय उत्तर यह दिया जा रहा है कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाये जिसका इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। अशोध्य ऋणों की वजह निजीकरण नहीं है।

3.00 म०प०

वास्तव में, जिन लोगों को यह बैंक चलाने की अनुमति दी जायेंगी, ये वही लोग हैं, जो अशोध्य ऋणों के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक नकदी अनुपात और नकदी आरक्षित अनुपात पहले ही परिवर्तित हो चुके हैं। तर्कों और निष्कर्षों में किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। हमने लगातार उन्हें यही बताने का प्रयास किया है। उन्होने पूंजगत अनुपात के बारे में बिल्कुल ठीक बताया है। वित्त सम्बन्धी स्थायी समिति में हमने एक टिप्पणी की है कि "उन्हें इस वर्ष 5600 करोड़ रुपये मत दीजिये क्योंकि आप 6,000 करोड़ रुपये के घाटे में हैं।"

3.01 म०प०

(श्री तारा सिंह पीठासीन हुए)

अतः हमने कहा है कि आप 6,000 करोड़ रुपये का भुगतान टाल दीजिये। बजट में आपके सामने भुगतान संतुलन की स्थिति है। इस पर गौर नहीं किया गया। इस मामले में भी, अगर यह सच है, आप नुकसान उठा रहे हैं आपको अब तक लाभ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? परमाणु अप्रसार संधि के मुद्दे पर नहीं बल्कि प्रक्षेपास्त्रों के मामले में आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी वे पहले हमें यह

[श्री निर्मल कान्ति चटर्जी]

बताए कि सरकार का समर्थन होने के बावजूद भी सरकारी साख महत्वपूर्ण है और कोई अंतर्राष्ट्रीय बैंक यह नहीं कहेगा कि सरकारी समर्थन के बावजूद आठ प्रतिशत पूंजीगत पर्याप्तता आवश्यक है। अगर ऋण के किसी भाग पर कोई जोखिम नहीं है तो फिर कोई परेशानी नहीं है। आपको यह देना ही नहीं पड़ेगा। आपके ऋणों में अधिक जोखिम है, इसमें सौ प्रतिशत जोखिम है, उस आठ प्रतिशत की गणना के लिए सारी धनराशि लेनी पड़ेगी। अगर आप आठ प्रतिशत पूंजीगत पर्याप्तता के लिए भी अपनी पूंजी संबंधी जरूरतों को बढ़ा सकते हैं, तो यह बहुत कम होगा। इस विधेयक के उपबधों को देखिये। हमारा कहना है कि 8 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता आवश्यक नहीं है क्योंकि सरकारी बैंक है। दूसरी बात यह है कि यदि बैंकों को लाभ कमाना है तो 8 प्रतिशत की धन की आवश्यकता काफी नहीं है। तीसरी बात यह है कि आप कितना निवेश प्रदान कर रहे हैं। आरम्भ में 13 निदेशकों की व्यवस्था थी जिसमें छह निदेशक सरकारी क्षेत्र के तथा 6 निदेशक निजी क्षेत्र से और एक सन्नधि लेखाकार होगा। [illegible]पके सन्नधि लेखाकार हैं? उसके पश्चात् में संशोधन देखता हूं। स्थायी समिति ने सिफारिशें की थी कि सरकार से अथवा सरकारी क्षेत्र से आठ छह निजी क्षेत्र से तथा एक सन्नधि लेखाकार होना चाहिए इस प्रकार दूसरी तरफ सात होंगे। वे अल्पमत में हों। लेकिन यही तर्क है जिसे वे कहते हैं 9 प्रतिशत निजी क्षेत्र को तथा 20 प्रतिशत विदेशी क्षेत्र को दे दिया जाता है तो आप चिन्ता क्यों करते हैं? पुनः यह व्यवसाय नहीं है, बल्कि एक प्रथा है। मारुति उद्योग में यह 49 प्रतिशत कितने वर्ष पूर्व था? यह कब से 49 प्रतिशत नहीं रहा? गैट की भांति ही यह हमारा आरम्भिक प्रयास है गैट के तहत भी आरम्भिक कदम उठाए जा रहे हैं। फेरा में क्या परिवर्तन हुए हैं? चाक्कों जी इसका जवाब दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी रुकावटों को दूर किया जा रहा है। आपको इस देश के अल्प संख्यकों के मत मिले थे। आप यहां अल्पसंख्यक थे। आप बहुमत में कैसे आ गये? **(व्यवधान)** *

सभापति महोदय : ये बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : इसमे दो उपबंध हैं। उन पर टिप्पणी करने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

उसमें एक उपबंध यह है कि 49 प्रतिशत में से किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को एक प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। पूर्व बैंकिंग विनियमन अधिनियम में वह एक प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत हो चुका है। हमने कहा है कि टाटा एण्ड सन्स का 49 कंपनियों पर नियंत्रण है। उनमें से प्रत्येक को एक प्रतिशत भाग मिलता है। केवल टाटा लोग ही 49 प्रतिशत पर नियंत्रण रखते हैं। हमने अपने संशोधन में सुझाव दिया है कि कंपनियोां के किसी भी समूह को एक प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसे स्वीकार नहीं किया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि विदेशियों को केवल 20 प्रतिशत की अनुमति दी गई है।

श्री पी०सी० चाक्को (त्रिचूर) : वह आपका सुझाव है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : पहले आपने 24 प्रतिशत सोचा था। कोई भी यह नहीं जानता था कि यह सारा ही 49 प्रतिशत है।अब संशोधन 20 प्रतिशत के लिए है। वह सहमत नहीं हुए। जैसा कि हमारे नेता कह रहे थे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह संसद हो या निदेशक बोर्ड, बहुमत में होने के निश्चित तरीके हैं। निधियों पर 20 प्रतिशत नियंत्रण के साथ, 20 प्रतिशत पर दो निदेशक होने के कारण क्या आप यह नहीं सोचते कि यदि विदेशी लोग सरकार पर हुक्म चला सकते हैं। तो शेष 29 को 49 मानकर चार निदेशकों पर इन दोनों निदेशकों द्वारा हुक्म नहीं चलाया जायेगा? **(व्यवधान)** इसलिए हमारा यह कहना है कि (1) दिए गये तर्क हानि तथा पूंजी की पर्याप्तता सम्बन्धी· तर्कों को न्यायोचित नहीं ठहराते। स्पष्ट तर्कों के आधार पर ही यह दोषपूर्ण है। (2) पूंजी की पर्याप्तता सम्बन्धी तर्क असंगत हैं। इससे सार्वजनिक क्षेत्र तथा नियंत्रण कमज़ोर बनेगा तथा एक बार फिर औद्योगिक पूंजी, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक का ऋण प्रदान करने वाली समस्याओं से विलय हो जायेगा।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। वे सार्वजनिक क्षेत्र को समाप्त कर रहे हैं। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं।

जैसा कि कहा गया है, इस शताब्दी के अन्त में अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी में एक परिवर्तन आया है। **(व्यवधान)** औद्योगिक पूंजी तथा धन पूंजी का विलय हुआ है। इस शताब्दी के अन्त में एक अत्यंत प्रसिद्ध व्यक्ति ने, जिन्होंने इस की क्रांति का नेतृत्व किया था, यह टिप्पणी की है कि यह साम्राज्यवाद का प्रतीक है। आधुनिक साम्राज्यवाद की विशेषता यह है कि इसमें औद्योगिक पूंजी तथा वित्तीय पूंजी का विलय हुआ है। विदेशियों तथा निजी व्यक्तियों की सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में इतनी अधिक मात्रा में भागेदारी की अनुमति दे कर हम अनेक स्वतंत्र निजी बैंकों में इसी प्रकार की रुग्णता देख रहे हैं। यहां उन्होंने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों की कार्यकुशलता का प्रश्न उठाया है। मेरे पास इसका एक उत्तर है। आज बैंक कर्मचारी अपनी आंखों के सामने बड़े लोगों तथा उच्च सरकारी लोगों के कारनामों तथा उनके विशिष्ट पक्ष के लोगों के सम्बन्धों को देख रहे हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोग स्वयं ही कर्मचारियों को कुशलतापूर्ण ढंग से बेहतर सेवायें प्रदान के लिए प्रेरित नहीं करते। आज कार्यकुशलता की क्या गारंटी है। एक समय हमने आपको कर्मचारियों की प्रबंधन में भागेदारी की अनुमति देने के लिए कहा था ताकि वे आपके सामने ऐसे तथ्य ला सकें जिनकी आपको जानकारी नहीं है, वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यकुशलता लायेंगे।

श्री पी०सी० चाक्को : विधेयक में इसका प्रावधान है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : नहीं ! वह कर्मचारियों की भागेदारी के सम्बन्ध में नहीं है। हमने यह भी कहा है कि प्रत्येक शाखा में स्थानीय निर्वाचित लोगों ? जमाकर्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए ताकि कार्यकुशलता की गुणवता पर नज़र रखी जा सके। हमने सुझाव दिए हैं। परन्तु उन्हें स्वीकार नहीं किया गया।

सभापति महोदय : आप पहले ही 40 मिनट ले चुके हैं। अब कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मैं अब अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इसलिए ज़रूरत के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर, देशभक्ति तथा देश की अखण्डता की खातिर तथा उन विदेशियों के समक्ष आत्म समर्पण से इनकार करने के लिए जो कि 20 प्रतिशत पूंजी के साथ 100 प्रतिशत पूंजी पर नियन्त्रण करना चाहते हैं, हम यह चाहते हैं कि या तो इस विधेयक को वापस ले लिया जाये अथवा इसका पूरी तरह विरोध किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मान्यवर, यह वित्त राष्ट्रीयकृत बैंकों का उदारीकरण कर के प्राइवेटाइजेशन की ओर एक कदम है, लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक प्राइवेटाइजेशन का प्रश्न है हमने नैशनलाइज्ड बैंकों की वर्किंग को देखा है और जो वर्किंग है उसका जो स्वरूप बनकर आया है, वह कुछ अच्छा स्वरूप नहीं है। जहां तक ऐफीशियेंसी का प्रश्न था, कार्यकुशलता, कार्यनिष्पादन राष्ट्रीयकृत बैंकों में अच्छा नहीं है और वह ठीक उसी प्रकार हो गया है जो सरकार के दफ्तरों में होता है, वहां भी सुविधाशुल्क के बिना काम चलता नहीं। बैंकों की कार्यप्रणाली इस बात की साक्षी है कि सरकारी संरक्षण में चलने वाली बैंक ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम नहीं कर पाई लेकिन मेरी आशंका यह है कि प्राईवेट बैंकों के माध्यम से, प्राईवेटाइजेशन के माध्यम से वे घपले और बढ़ेंगे, आज इस बात की चिन्ता करनी होगी। कार्यकुशलता को बढ़ाना होगा क्योंकि इस समय बैंकों की कार्यकुशलता बहुत गिर गई है।

मान्यवर, गरीबों के लिए बैंकों का जो सोशल रोल है, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि 40% की बात तो कही जाती है कि यह प्रापर्टी सैक्टर है, लेकिन प्रापर्टी सैक्टर में शासन के उन घोषित उद्देश्यों को पूरित नहीं किया जाता है। मुझे उत्तर प्रदेश का उदाहरण मालूम है। यहां महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में बताया गया था कि नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत अनेक लोगों को कर्जे दिए जाएंगे, लेकिन मैंने जब उत्तर प्रदेश के बैंक के अधिकारियों से पता किया कि पिछले साल और इस साल रिकार्ड क्या है, तो मुझे देखने को मिला कि पिछले साल का जो टार्गेट था वह 10 फीसदी भी पूरा नहीं हुआ है और इस वर्ष भी मुझे उम्मीद नहीं है कि वह पूरा हो पाएगा क्योंकि तकनीकी आधार पर नौजवानों को परेशान किया जाता है और उनको बेइमान बनाने की कोशिश की जाती है तथा उसे कहा जाता है कि बेइमानी के माध्यम से तू पैसा अर्जित कर और उस से जो पैसा

अर्जित होगा उसका क्या हस्र होगा आगे चलकर, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बैंकों का प्रायरिटी सैक्टर का जो आश्वासन दिया गया है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक प्रायरिटी सैक्टर की फंक्शनिंग का प्रश्न है, उसमें ट्रांसपेरैंसी रहे और ठीक प्रकार से इम्प्लीमैंटेशन ऐन्श्योर किया जाए, इसकी बहुत आवश्यकता है।

बैंकिंग लौस की बात मेरे मित्रों ने उठाई है। मैं भी कहना चाहता हूं कि सरकारी बैंकों का कार्यकरण अच्छा नहीं था। 1500 करोड़ रुपये तो बैड डैटस में चले गए, 2000 करोड़ रुपये खतरे में हैं। इसके अलावा कितना हजारों-करोड़ रुपया लिटिगेशन में फंसा हुआ है। सरकारी सम्पदा, धन की जैसे खुली लूट हो गई हो। राम नाम की लूट है, लूटी जाए सो लूट जो कहावत है, उसे ठीक तरह से चरितार्थ किया गया। यदि प्राईवेटाइजेशन के माध्यम से उस लूट को रोक सके तो मैं समझूंगा कि एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन यह लूट बड़े घरानों के बीच बढ़ न जाए, इस बात के लिए सचेत करना चाहता हूं क्योंकि अभी तक तो नॉन-ट्रांसपेरैंसी के कारण पर्दे के नीचे, टेबल के नीचे से डील चलती थी, अब कहीं वह डील खुलकर न चलनी शुरू हो जाए, इस बात की सावधानी बरतनी होगी। अभी तक तो बैंकों का सरकारीकरण था, इसलिए आप चैकिंग की पद्धति और अंकुश लगाने का विरोध करते थे। सरकार कहती थी कि बैंक हमारा, रिजर्व बैंक का गवर्नर हमारा, फाईनैंस मिनिस्टर हमारा, इसलिए किसी तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अब इसे सी० एंड ए०जी० के नियंत्रण में लाइए। यदि एक बार सी० एंड ए०जी० की अधिकारता में आ गया तो निश्चित रूप से बैंकों की फंक्शनिंग की ट्रांसपैरैंसी भी खुल जाएगी और उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। जब जवाबदेही बढ़ेगी तो कार्यकुशलता भी आएगी। इसलिए उनकी फंक्शनिंग को स्कूटीनाईज़ करने के लिए, इवैलुएशन करने के लिए, फाईनैंशल डिसिप्लिन मेनटेन किया है या नहीं, इस बात को ऐन्श्योर करने के लिए इसे सी० एंड ए०जी० के परव्यू में लाया जाए।

यहां पर अनेक वित्तीय समितियां हैं। किसी भी वित्तीय समिति को बैंकों के मामले में देखने का अधिकार नहीं है। सरकार ने कहा है कि यह तो पवित्र गाय है, इस पवित्र गाय को मत छुओ। पवित्र गाय के नाम पर जिस प्रकार से बैंकों में घोटाला किया गया, जिस प्रकार से राजनैतिक लोकप्रियता अर्जित करने के लिए बैंकों का इस्तेमाल किया गया, उसका दुष्परिणाम सरकारी बैंक हैं। एकाधिकार में चलने के बावजूद वे आज विनाश के कगार पर खड़े हुए हैं। इस बात की समस्या पैदा हो रही है कि बैंकिंग इंस्टीटीयूशन्स, जो अपने आप में औरों को फीड करते हैं, उनको चलाने के लिए भारत सरकार को जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से टैक्स के माध्यम से वसूल हुए धन से अनेक वर्षों से फाईनैंस करना पड़ा रहा है, चाहे इस वर्ष 56 सौ करोड़ का प्रावधान रहा हो, चाहे पिछले वर्ष 57 सौ करोड़ रुपये का रहा हो। एक ओर आप कलकारखानों को बेच रहे हैं ताकि घाटे को पूरा करें और दूसरी ओर वे बैंक जो फाईनैंस करते हैं, उन बैंकों को चलाने के लिए, उनका खर्चा पूरा करने के लिए, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए हमें बजट से पैसा देना पड़ रहा है। इसलिए जहां तक बैंकों की वर्तमान स्थिति है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आप परीक्षण करना चाहते हैं तो करिए, परीक्षण करने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस परीक्षण के साथ जो 20 प्रतिशत विदेशी निवेशकों को

[श्री भगवान शंकर रावत]

हिस्सा देने की बात है, उसमें मुझे आशंका पैदा होती है कि हम बैंकों का उदारीकरण कर रहे हैं, निजीकरण करने की प्रक्रिया में बढ़ रहे हैं या राष्ट्रीयकृत बैंकों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे अन्तर्राष्ट्रीयकरण से खतरा नज़र आता है क्योंकि मुझे मेनिया फोबिया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे दिखता है कि जिस प्रकार से उद्योगों को नष्ट करने के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ना चाहती हैं और तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, कहीं अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से बुराइयां न आ जायें और खुल कर खेलने का शक्तियों को मौका न मिल जाये तो प्रभावी रूप से हमारी सारी नीतियों पर हावी हो जायें। 20 परसैंट का शेयर है और लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से और अंकगणित के माध्यम से वह बाकियों के ऊपर हावी नहीं हो सकता, लेकिन इस हिन्दुस्तान में सब कुछ होता रहा। इसलिये इस देश में कहीं कोई गड़बड़ी न हो जाये, मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि विदेशी बैंकों के निवेश का जहां तक हिस्सा है, विदेशियों का उस पर अंकुश लगाया जाये। सरकार को चाहिये कि वह इस प्रावधान पर पुनर्विचार करें।

पहले देश में उदारीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्राइवेट सैक्टर के लोगों को जोड़ कर इस परीक्षण को सफल करिये। इसको कौकटेल मत करिये। अगर सीधा-सीधा रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर कई बिन्दुओं का मिश्रण कर दिया तो निश्चित रूप से और ठीक प्रकार से परीक्षण भी नहीं हो पायेगा।

मैं तो-तीन बातें कहना चाहता हूं। जब इंडस्ट्रीज का लिबरलाइजेशन होगा तब काम चलेगा। इसलिये श्रमिकों की प्रबन्धन में भागीदारी हर स्टेज पर होनी चाहिये। भारतीय मजदूर संघ मजदूरों का राष्ट्रवादी संगठन है। वह निरन्तर इस बात की मांग करता रहा है। इसलिये श्रमिकों का और कर्मचारियों का पार्टिसिपेशन होना चाहिये। मजदूरों के साथ वहां भी छलावा हुआ, जब पब्लिक अंडरटेकिंग्स के शेयरों का डिसइनवैस्टमेंट किया गया। उसमें भी मजदूरों की भागीदारी नहीं की गई जबकि मूल रूप से यह योजना थी कि उसमें मजदूरों की भागीदारी की जायेगी। वहां भी नहीं दी गई और यहां भी देने की व्यवस्था और लक्ष्य नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मजदूरों का पार्टिसिपेशन होगा तो उनकी बहुत सी आशंकायें दूर हो जायेंगी। आज मजदूर और बैंक के कर्मचारी चिंतित है। उनको इस बात की चिन्ता है कि उनका शोषण शुरू न हो जाये। शोषण से मुक्ति दिलाने के लिये और राहत देने के लिये उनके हितों का आप संरक्षण करें। उनका पार्टिसिपेशन का अधिकार प्रबन्ध तंत्र और प्रबन्धन व्यवस्था में होना चाहिये।

रूरल डैवलपमैंट बैंक का आगे चल कर क्या स्वरूप बनेगा? प्राइवेटाइज्ड बैंकों का जो बदला स्वरूप होगा, कहीं वे ग्रामीणों बैंकों का तिरस्कृत बालक की तरह उपेक्षित तो नहीं करेंगे। ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में नई जान डाली और पिरोई जा रही है। इसलिये ग्रामीण बैंकों के ढ़ांचे को पुष्ट किया जाना चाहिये। मेरी निश्चित रूप से यह मान्यता है कि

ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को जो सुप्रीम कोर्ट का एवार्ड मिल चुका है, उसके हिसाब से एट पार ट्रीट किया जाना चाहिये। उनको वे सुविधायें दी जायें जो दूसरों को मिलती हैं। भारत सरकार ग्रामीण बैंकों को मजबूत करे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक प्रकार से पोषित किया जा सके। हम निर्यात नीति में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के निर्यात को बल देने की बात करते हैं। ऐसे में ग्रामीण विकास बैंकों का रोल और भी अग्रणी और महत्वपूर्ण हो जाता है।

लैंडिंग रेशियो और डिपाजिट रेशियो में परिवर्तन नहीं आना चाहिये। ऐसा न हो कि प्राइवेटाज्ड बैंक लाभ अर्जित करने की दृष्टि से, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना भूल जायें या फिर मुनाफाखोर की दृष्टि से काम करें। इसलिये डिपाजिस्ट रेट कम करें और लैडिंग रेट ज्यादा कर दें। वे कहीं महंगाई का नया दौर अर्थव्यवस्था में लाकर खड़ा न कर दें, इसलिये इस बिन्दु से भी शासन को देखना चाहिये। नॉम्स बना कर उनका कड़ाई से पालन कराना चाहिये जिससे आम जनता का शोषण न हो। बैंक स्पर्द्धा को बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिये। नैशनलाइज्ड बैंकों में स्पर्द्धा का युग प्रारम्भ करना चाहिये। परिवर्तित परिस्थिति के माध्यम से निश्चित रूप से बैंकों में एफिशैंसी बढ़ेगी। ऐसा मेरा विश्वास है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस एफीसिऐंसी को बढ़ाने के लिए बैंक की कार्यप्रणाली में स्पर्धा जरूर बढ़ाई जाय, इस पर भी बल दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रति स्थापित किए गये इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। आज हमारी अर्थ व्यवस्था में बैंक एक अति महत्वपूर्ण तथा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यह संशोधन नरसिंहम समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। यह विधेयक भारतीय बैंकों को और अधिक सक्षम तथा बैंकों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए लाया गया है।

वर्तमान में हमारे बैंकों का वित्तीय आधार कदापि संतोषजनक नहीं है। हमें भारतीय बैंकों को और अधिक सक्षम बनाना है तथा इन्हें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुरुप ढालना है। बैंकिंग कामकाज आज काफी बढ़ गया है तथा इसका महत्व भी बढ़ गया है। इसलिए इसे अन्तर्राष्ट्रीय परम्पराओं के अनुरूप होना चाहिए सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 31-3-1996 तक उनके पूंजीगत आधार में 8 प्रतिशत जोखिम समायोजन परिसम्पत्तियां होनी चाहिये। वे बैंक जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण प्रदान करते हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार करते हैं; उन्हें यह लक्ष्य 31-3-1994 तक प्राप्त करना होगा। यह अवधि पहले ही निकल चुकी है। यह स्वागत योग्य कदम है। इससे निश्चित तौर पर हमारे बैंकों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इसके साथ हमारे बैंकों का आर्थिक आधार और सुदृढ़ होगा तथा हमारे बैंक और अधिक प्रभावशाली ढंग से सेवायें प्रदान कर सकते हैं। इससे हम अपने बैंकों की वित्तीय दशा में सुधार ला सकते हैं। केन्द्र सरकार इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी में योगदान दे रही है। पिछले वर्ष बजट

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

में इस प्रयोजनार्थ 5700 करोड़ रुपये नियत किए गये थे। वर्ष 1985-86 से 1992-93 तक इस प्रयोजन के लिए 4000 करोड़ रुपये का राशि का नियतन किया गया था। आप समझते हैं कि सरकार को अन्य गंभीर समस्याओं की ओर भी ध्यान देना है तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के क्षेत्रों के लिए भी पैसे जुटाने हैं। वित्तीय संकट के कारण सरकार पहले की तरह इसके लिए धन प्रदान नहीं कर सकती। इसलिए सरकार के समक्ष अन्य कोई रास्ता नहीं है। अगर हम बैंकों के लिए पूंजीगत तथा वित्तीय आधार चाहते हैं तो इसलिए एकमात्र यही रास्ता है कि हम पब्लिक इशू जारी करें या पूंजी बाज़ार का सहारा लें। सरकार इस प्रकार धन प्रदान नहीं कर सकती। पहले ही हमारे सामने ऐसे अनेक मुद्दे हैं, ऐसी अनेक समस्यायें हैं, जिन्हें अभी सुलझाना है। इसलिए सरकार के सामने एक मात्र रास्ता यही बच जाता है कि बैंकों को पूंजी बाज़ार में आने की अनुमति दी जाये। इस प्रकार बाहर से जुटाई इस पूंजी का उपयोग करके बैंक अपना ऋण प्रदान करने की सुविधा का विस्तार कर सकते हैं। उद्देश्य यही है कि बैंक पूंजी बाज़ार से धन जुटा सकें। जिसका उपयोग वे ऋण देने के लिए कर सकते हैं। अन्ततः इससे देश के लोगों को लाभ होगा। यह अच्छी बात है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजीगत आधार को और अधिक व्यापक बनाया जा रहा है।

मेरा सरकार से निवेदन है कि ऐसा करने में हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। पब्लिक इश्यू जारी करते हुए हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए तथा हमें अधिक सतर्क रहना होगा। इस सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि शेयर का वास्तविक मूल्य उचित आधार पर आंका जाये तथा तदानुसार प्रीमियम निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, एस० बी० आई० शेयरों के मामले में जो हाल ही में आबंटित किए गये हैं, अगर मुझे ठीक से याद है, मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार शेयर का वास्तविक मूल्य 500 रुपए से अधिक था; परन्तु इसका प्रीमियम 90 रुपए निर्धारित किया गया। जब शेयर का वास्तविक मूल्य 500 रुपये था तो इसे 90 रुपए के प्रीमियम पर क्यों दिया गया? शेयर के अंकित मूल्य तथा इसके वास्तविक मूल्य का आपस में समुचित सम्बन्ध होना चाहिए। इस समुचित सम्बंध के बिना हम इसे भली भांति कार्यान्वित नहीं कर सकते। इसकी काफी आलोचना हुई है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि शेयर के जारी मूल्य और वास्तविक मूल्य में समुचित तालमेल होना चाहिए। इस स्टेट बैंक के शेयर इशू के बारे में दूसरी बात यह है कि आबंटन के तरीके के सम्बन्ध में काफी शिकायतें आई हैं। मुझे बताया गया है कि कुछ लोग इस मुद्दे को ले कर अदालत में भी गये हैं तथा मुझे नहीं पता कि यह आबंटन किस प्रकार किया गया इसके बारे में गंभीर शिकायतें आई हैं। वास्तव में कुछ असंतुष्ट लोग इस मामले को अदालत में ले गये हैं तथा वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए अन्य कानूनी उपाय भी कर रहे हैं।

मेरा यह कहना है कि शेयरों के आबंटन में और अधिक खुलापन आना चाहिए। आबंटन के लिए मानदण्ड निर्धारित किए जाने चाहिए। क्योंकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी बाज़ार में आने

की अनुमति दी गई है, इसलिए लोगों के विश्वास को प्राप्त करने के लिए इसके लिए मानदंड निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जनता में विश्वास होना चाहिए; तथा लोगों में विश्वास पैदा किए बगैर हम पूंजी बाज़ार में नहीं जा सकते हैं। चूंकि अन्य सभी राष्ट्रीयकृत बैंक पूंजी बाज़ार में जाने वाले हैं, इसलिए मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, इनका उल्लघंन नहीं होना चाहिए और शेयर आबंटन में अधिक खुलापन होना चाहिए। अन्यथा बहुत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। हमें इस प्रकार की समस्याओं से बचना चाहिए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

विधेयक में निदेशकों के नामांकन और चुनाव का प्रावधान है। इस संबंध में मैं दो या तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं। पहला मुद्दा यह है कि इस विधेयक की धारा (6) में निदेशकों के चुनाव तथा नामांकन के लिए अपेक्षित विशेष जानकारी के बारे में है। विशेष ज्ञान के अंतर्गत 'आयात और निर्यात' को शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि आज यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। 'निर्यात' अत्यंत विशिष्ट क्षेत्र है और हम अपने निर्यात को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मेरे विचार से इस समय हमें आयात और निर्यात क्षेत्र को अधिक महत्व देना चाहिए। यह विशिष्ट क्षेत्र अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विषय को विशेष ज्ञान के अंतर्गत लाना चाहिए। आयात और निर्यात में बैंक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहें हैं, इसलिए मेरा माननीय मंत्री से कहना है कि निदेशकों को यह विशेष ज्ञान का होना ठीक रहेगा। इससे हमारी बैंकिंग प्रणाली की सहायता तो होगी ही साथ ही निर्यात भी बढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।

मेरा दूसरा प्रश्न प्रकिया के बारे में है। निदेशकों के चुनाव संबंधी प्रक्रिया के बारे में कुछ कहा गया है। धारा (3ख) में कहा गया है कि यदि चुना गया निदेशक विधेयक में विनिर्दिष्ट विशेष ज्ञान की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो उसे हटा दिया जाएगा। यह अत्यंत विचित्र खंड है। हम ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की इजाज़त ही क्यों दें जिन्हें इस विषय में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त नहीं है। मेरे विचार से नियमों में निर्धारित विशिष्ट ज्ञान आधार पर निदेशक मंडल पद हेतु चुनाव लड़ने के लिए कतिपय योग्यतायें निर्धारित करना उचित होगा। इससे हम इस प्रकार की समस्या से बच सकेंगे। एक बार जब परिणाम घोषित हो जाता है और यदि कोई व्यक्ति अयोग्य ठहराया जाता है तो यह उसके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। विधेयक में इस कमी को दूर करना चाहिए ताकि चुनाव सुचारू रूप से कराये जा सकें।

हमारी अर्थव्यवस्था में बैंकों को महत्वूपर्ण भूमिका निभानी है। उन्हें अनेक सामाजिक दायत्वि निभाने होते हैं। बैंकों को सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करनी होती है इसलिए उनके निदेशकों की कुछ सामाजिक बचनबद्धताएं होनी चाहिए। निदेशक मंडल में व्यक्तियों का नामांकन करते समय सरकार को सावधानी से काम लेना चाहिए। मेरे विचार से इस कार्य के लिए सामाजिक कार्य कर रहे, और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने वाले व्यक्तियों पर ही किया जाना चाहिए।

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

जहां तक बैंकों में भ्रष्टाचार का संबंध है, उस बारे में मेरा यह कहना है कि गरीब और जिन्हें ज़रूरतमंदों को ऋण नहीं मिल रहे हैं। एक आम आदमी के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करना एक अत्यंत कठिन कार्य है क्योंकि ऋण प्राप्त करने से पहले उसे अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं। दूसरी ओर यदि एक व्यक्ति अमीर है, प्रभावशाली है तो वह किसी भी बैंक से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है। यदि आप मांगे गये ऋण का कुल प्रतिशत बैंक के अधिकारी को दे दें, तो आपको तत्काल ऋण मिल जाएगा। मेरी मंत्री महोदय से यह अपील है कि दिए गए ऋण की उचित जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्धन व्यक्तियों और जिन्हें ऋण की आवश्यकता है, उन्हें ऋण मिले।

मेरे माननीय सहयोगी श्री पी०सी० चाक्को ने बैंक कर्मचारियों द्वारा अक्सर हड़ताल किए जाने की बात का भी उल्लेख किया है। मेरे विचार से सभी व्यक्तियों को इस तरह की गतिविधि की निंदा करनी चाहिए। यदि हमारी बैंकिंग प्रणाली ठप्प पड़ जाती है, तो अंततः इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। बैंकिंग क्षेत्र में ट्रेड यूनियन गतिविधियां बढ़ रही हैं। बैंक के कर्मचारियों द्वारा बार-बार हड़ताल करने से हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। कर्मचारियों की समस्याओं को तो सुलझाना ही चाहिए, लेकिन बार-बार हड़ताल होने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। इन हड़तालों से हमारे देश में आर्थिक स्थिरता या समृद्धि नहीं आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बैंकिंग क्षेत्र वाणिज्यिक क्षेत्र है लेकिन साथ ही हम बैंकों की सामाजिक जिम्मेदारी को भी नहीं भूलाया जा सकता। उन्हें ग्रामीण जनता की अधिक से अधिक सहायता करनी चाहिए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : धन्यवाद, सभापति महोदय।

महोदय, मेरे विचार से सत्ता पक्ष के मेरे मित्र इस बात से इंकार नहीं करेंगे। कि जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस समय यह एक प्रगतिशील कदम था। आज बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है। वे इस बात को नहीं मानते कि यह प्रगतिशील कदम नहीं है। यदि एक प्रगतिशील कदम था तो दूसरा गैर प्रगतिशील ही होगा। इन दोनों कदमों को प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। महोदय, तथ्य यह है कि वित्तीय संस्थानों पर हम राष्ट्रीय और सरकारी नियंत्रण को कम कर रहे हैं जबकि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त है। इस संबंध में सभी की एक राय है। आज चाहे वित्तीय संस्थान हों या आधारभूत सुविधाओं की बात हो, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण अंग समझे जाने वाली सभी संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण कम हो रहा है। हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। हम दबावों को जानते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि सरकार विदेशी पूंजी, विदेशी एकाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के दबाव के आगे घुटने टेक रही है। मैं उनमें से नहीं हूं जो एकाधिकार में विश्वास रखते हैं। एकाधिकार की अपनी बुराइयां हैं लेकिन साथ ही मेरे विचार से बैंकिंग, क्षेत्र, बैंकिंग संस्थानों पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए आज हम न केवल निजी

पूंजी को बढ़ावा दे रहे हैं बल्कि 49% तक विदेशी पूंजी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे बैंकों का नियंत्रण निजी हाथों में चला जाएगा इसजिए सरकार को सदैव ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पन्द्रह में से आठ निदेशक सरकारी हों। मैं जानता हूं कि सरकार उनका नामांकन करेगी, श्रमिकों प्रतिनिधियों को भी सरकार ही नामांकित करेगी। हम जानते हैं कि निदेशक किस प्रकार कार्य करते हैं। महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन पक्षपात और धन के दुरुपयोग के बीच में काफी अन्तर है। पर्दे के पीछे कुछ सांठ-गांठ चलती रहती है इसलिए यदि हम मानते हैं कि निदेशक मंडल के आधे सदस्य निजी क्षेत्र से होंगे और इससे बैंकों पर एक प्रकार से निजी हितों का नियंत्रण हो जायेगा, तो यह गलत नहीं है। उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा।

महोदय, इस मुद्दे पर मैं एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि सरकार ने निदेशक मंडल में लंबे समय से अनेक स्थान खाली रखे हुए हैं। कुछ पदों पर बैंकिंग विभाग या बहुत से बहुत वित्त मंत्रालय के अधिकारियों एक वर्ग अर्थात सचिवों को नियुक्त किया जाता है। सरकार के विचारार्थ मेरा यह सुझाव है कि निदेश मंडल के सदस्यों के चयन में उन्हें चयन क्षेत्र व्यापक बनाया जाना चाहिए। सभी आर्थिक मंत्रालयों से व्यक्ति लेने चाहिएं ताकि व्यापक अनुभव प्राप्त हो सके, अधिक व्यक्तियों को अवसर मिल सके और एक ही व्यक्ति को एक बैंक से अधिक बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त करना पड़े। इस सुझाव से मेरा पर्याय सावधान करने का है। क्योंकि सरकारी निदेशकों की अधिक संख्या होने से निजी हितों द्वारा यह अड़ंगा डालना कठिन होगा।

महोदय, मुख्यतः पूंजीगत आधार की बिनाह पर विधेयक को औचित्यपूर्ण ठहराया गया है। यह कहा गया है कि कुल पूंजी जोखिम परिसंपत्तियों का कम से कम 8% होनी चाहिए। मैं बैंकर नहीं हूं अथवा मुझे बैंकिंग प्रणाली का इतना ज्ञान नहीं है कि यह 8% कैसे बना। मैं नहीं जातना कि यह ईश्वरीय आदेश है अथवा विश्व मुद्रा कोष का आदेश हैं अथवा क्या यह वित्तीय आवश्यकता है? इसको ऐसा मानते हुए मेरा सरकार का अगला तर्क यह है कि इन सरकारी बैंकों में से प्रत्येक के पास कम से कम 1500 करोड़ रुपये की पूंजी होनी चाहिए।

यह इससे भी अधिक हो सकती है लेकिन कम से कम 1500 करोड़ रुपये अवश्य होना चाहिए। लेकिन सरकार ने हमें यह नहीं बताया है कि यह कम से कम 1500 करोड़ रुपये क्यों होनी चाहिए? मुझे यह संदेह है कि यह राशि पूंजी की कृत्रिम कमी मैदा करने के लिए बताई गई है और इसी कारण निजी पूंजी को उचित ठहराया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि कृपया इस चीज़ को स्पष्ट करें।

स्थायी समिति के अनेक सदस्यों ने अनेक सुझाव दिए थे। सरकार ने उन सुझावों को स्वीकार नहीं किया है। उन्हें हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने सहयोगी ने इस सभा में काफी विस्तार से स्पष्ट किया था। पार्टी के रूप में हम उन सुझावों का समर्थन करते हैं और सरकार से उन पांचों सुझावों को मद्देनज़र रखते हुए इस विधेयक पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हैं; अगर

[श्री रमेश चेन्नितला]

उन्हें समय चाहिये तो वे इस विधेयक को वापिस ले सकते हैं और इस सभा में एक संशोधित विधेयक के साथ वापिस आ सकते हैं।

बैंकिंग प्रणाली की खास बाते हैं जिन्हें अगर समुचित रूप से अपनाया जाये तो उनसे बैंकों को शायद अधिक लाभ होगा और इस प्रकार बैंकों में उनके अनुरूप व्यापक पूंजीगत आधार तैयार होगा। मैं नहीं जातना कि सरकार ने देश की मौजूदा बैंकिंग प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने पर अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया है। ये मेरी समझ से बाहर है कि सारे देश में प्रत्येक बैंक क्यों कार्य करे? सारे देश में काम करने वाले एक या दो बैंक क्यों नहीं हो सकते तथा प्रत्येक बैंक की एक राज्य या कुछ राज्यों तक निश्चित परिधि हो जिसमें उसके मुख्यालय हों ताकि देश के हरेक क्षेत्र के लोगों के हितों की सुरक्षा हो सके। आजकल, हममें से कुछ सदस्य जो उक्त सुविधाओं से वंचित राज्यों से आते हैं, यह महसूस करते हैं कि बैंकिंग प्रणाली को दुर्लभ विकास संसाधनों को हमारे क्षेत्र से महानगरों अथवा अधिक विकसित राज्यों की ओर प्रवाहित करने के लिए एक चैनल के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। अब, इससे देश में निराशा और असंतोष की भावना उत्पन्न हो रही है। अतः, मेरा सुझाव है कि अगर सरकार सारे देश में एक बैंक तथा दस विभिन्न क्षेत्रीय बैंक, जिनमें से प्रत्येक का स्थानीय और निश्चित कार्यक्षेत्र हो, को चलाकार राष्ट्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली का पुनर्गठन करती है तो शायद इससे वे जिस तरह आजकल कार्य कर रहे हैं, उससे बेहतर ढंग से कार्य करने में समर्थ हो सकें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बैंकों को हर वर्ष बहुत अधिक वित्तीय घाटा हो रहा है; उनमें से कुछ बैंक, बैंकों के खर्च पर ही अनावश्यक मुकदमेबाजी में संलिप्त हैं। आखिरकार अगर आप कोई मुकदमेबाजी शुरू करना चाहते है। तो आपको पैसा तो गंवाना ही पड़ेगा। लेकिन बैंक बैंकिंग परिसम्पत्ति को ये बचाने के लिए न्यायालय से बाहर समझौता नहीं करते मुकदमेबाजी जारी रखते हैं। मैंने माननीय मंत्री का ध्यान ऐसे एक दो मामलों की ओर आकर्षित किया है। यहां तक विदेशो में भी 1,00,000 डालरों की वसूली के लिए हमने मुकदमेबाजी में एक मिलियन डालर खर्च कर दिये। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गैर-जिम्मेदाराना ढंग से चलाया जाता है। मेरे विचार में अगर इस पर गौर किया जाये तो इस बढ़ते हुए नुकसान को रोका जा सकता है और इस प्रकार बैंकिंग प्रणाली के लिए यह एक उपलब्धि साबित हो सकती है।

अशोध्य ऋण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये दूसरे दिन के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं कि रिवर्ज बैंक ने अब दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं और उस तिथि से वे अब बड़े ऋण प्राप्तकर्ताओं पर निगरानी रखेंगे। मैं नहीं जातना कि भारतीय रिजर्व बैंक जानकारी एकत्र क्यों नहीं कर सकता और भारतीय रिजर्व बैंक अथवा सरकार उन ऋण प्राप्तकर्ताओं से जिनके साथ सभी प्रकार की समझौता वार्ता असफल हो चुकी है, और जिनके सम्बन्ध में सरकार ने न्यायाधिकरण के पास जाने का निर्णय किया है। की सूची प्रकाशित क्यों नहीं कर सकती। कम से कम ऐसी सूची को सार्वजनिक किया जाना चाहिये। मेरे विचार में बड़े ऋण प्राप्तकर्ताओं के लिए सामाजिक नियंत्रण जैसी

और कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आपका पड़ोसी आपकी दशा जानता है तो शायद आप शर्मिन्दगी महसूस करें और ऋण लौटा दें। मैं फ्रांस की एक पहले की बात बताता हूं जहां आयकर की देय राशि का एकत्र करने के लिए आयकरदाताओं तथा उनकी देय राशि को देश की प्रत्येक नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता था और ऐसा किये जाने का तत्काल प्रभाव होता था। मेरा विचार है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों के सहयोग से उन सभी ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची जिन पर 10 लाख रुपये से अधिक का ऋण है, हर वर्ष प्रकाशित करें। इस प्रकाशन का ऋण वसूली पर बहुत अधिक प्रभाव होगा।

महोदय, एक और पहलू जिस पर हमारे सहयोगी ने यहां प्रकाश डाला, वह ग्रामीण बैंकिंग के बारे में है। मुझे इस बात की आशंका है जैसी स्थिति चल रही है इसमें ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की अनेक शाखायें जिन्हें नुकसान में चलते हुए बताया जाता है, एक एक करके बन्द होती जा रही हैं।

दूसरे, क्षेत्रीय सेवा का मार्ग छोड़ दिया गया है। देश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां कोई बैंकिंग सुविधा नहीं होगी। माननीय सदस्य श्री चाक्को ने बताया कि लगभग 12000 लोगों के लिए एक बैंक है। लेकिन उसमें बहुत विभिन्नतायें हैं। सभापति महोदय, वह आंकड़े एक कठोर वास्तविकता को छिपाते हैं। इस देश में ऐसे राज्य हैं जहां यह आंकड़ा 12,000 का नहीं बल्कि 30,000 का है। इस देश में बहुत से ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां स्थिति इससे भी कहीं अधिक बदतर है। अतः मेरा सुझाव है कि सारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की ऋण संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए, कृषि को सूदखोरों के चुंगल से बचाने के लिए हमारे पास एक सुनिचित प्रणाली का होना बहुत आवश्यक है।

एक बार मैंने माननीय मंत्री को सुझाव दिया था कि प्रत्येक बैंक को व्यवसायिक सिद्धान्त के आधार पर कार्य करने दिया जाये ताकि हानि का कोई औचित्य ही न रहे और एक बैंक को देश मे सामाजिक सिद्धान्त के आधार पर काम करने दीजिये और उस बैंक के नुकसान की भरपाई पूरी तरह से या तो सरकार द्वारा हो या फिर जैसा कि सरकार चाहे अन्य बैंकों के लाभ से हो। उस बैंक का नाम राष्ट्रीय सामाजिक विकास बैंक रखा जाये और इसका लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली के सामाजिक उद्देश्य और सामाजिक कार्य को पूरा करना हो। मैं फिर सभी बैंकों को उनके सामाजिक दायित्वों से मुक्त कर दूंगा। वे मुक्त होकर चाहे जितना लाभ कमा सकते हैं और निश्चित रूप से उस लाभ को 50 प्रतिशत वापिस सरकार के खजाने में आयेगा।

महोदय हमें बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के बारे में बहुत कुछ कहना है। यहां मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के अपने सहयोगी से अहसमत हूं। मेरे विचार में बैंकों में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है। मेरे विचार से प्रत्येक बैंक में जो वाद्यावरण है, उससे प्रत्येक बैंक बैंक कहलवाने लायक नहीं है, इसकी स्थिति एक

[श्री रमेश चेन्नित्तला]

मछली बाजर जैसी बन गई है। वहां इतना अधिक शोर, इतनी अधिक भीड़, इतना अधिक आना-जाना लगा रहता है क्योंकि वहां आसपास बहुत अधिक लोग होते हैं। एक विदेशी बैंक जिसके दौरे पर मैं गया था, और यहां तक कि एक छोटे से बैंक की तुलना में यहां जिस कार्य को करने में पांच व्यक्ति लगे हुए हैं, उसे एक व्यक्ति ही कर सकता है। हमारे बैंकों में जिस तरह का वातावरण है, उसका मुझे वास्तव में दुःख है। अतः, स्पष्ट तौर पर बैंकिंग कर्मचारियों को और अधिक रियायतों, और अधिक विशेषाधिकारों तथा और अधिक फायदों की मांग मेरी समझ में नहीं आती। वास्तव में मेरा सुझाव है कि अगर बैंक व्यवसायिक सिद्धान्त के आधार पर काम करते हैं तो उनके बोनस को केवल लाभ से जोड़ा जाना चाहिये और उनके वेतनमान इस प्रकार से निर्धारित हों, उनकी आय किसी प्रकार से कम न हो। अर्थात् बोनस का सम्बन्ध लाभ से हैं अगर बैंक लाभ कमाता है तो कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। अगर बैंक लाभा नहीं कमाता तो कर्मचारियों को बोनस नहीं मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं तो यहां तक सुझाव दूंगा कि प्रत्येक बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को उस बैंक में, जिस में वह नियोजित है, तरजीह जानी चाहिये ताकि वह उस की आय को बढ़ाने की भावना रखे। मेरा सुझाव यह भी है कि उसे सरकारी बैंकिंग क्षेत्र से किसी प्रकार की मांग दी जाएं क्योंकि मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय विकास के लिए बैंकिंग प्रणाली से आय का सृजन न कर पाने के कारणों में से एक यह है कि बैंकों के कर्मचारी उत्पादक और सृजनशील नहीं है और वे उतना अच्छा कार्य करने में समर्थ नहीं है जितना कि उन्हें करना चाहिये।

महोदय एक अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक बैंक का हर वर्ष सांविधिक लेखा परीक्षा होनी चाहिये। सभा में हमने इस मसले पर चर्चा की थी। हमें बताया गया था कि हर वर्ष एक-चौथाई शाखाओं की लेखा परीक्षा की जाती है। मुझे यह भी बताया गया था कि यह आवश्यक नहीं है कि अन्य शाखाओं की लेखा परीक्षा अगले वर्ष की जाएगी। यह हो सकता है कि चार वर्ष के अन्तराल में आप सभी शाखाओं की लेखा परीक्षा न कर पायें। वास्तव में, हमें अधिकांश बैंकों के अंतिम विवरण मिल रहे हैं और घोटाले जैसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक यह भी था कि हमने बड़े-बड़े बैंकों के वार्षिक प्रतिवेदनों की समुचित ढंग से लेखा परीक्षा नहीं करवाई और उनके लेखाओं का मिलान नहीं करवाया। लेखा-परीक्षा मात्र उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही थी। लेखा-परीक्षा वास्तविक स्थिति पर आधारित नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि इस बैंकिग प्रणाली का, जिसका निजीकरण, व्यावसायिकरण होने जा रहा है, प्रति वर्ष प्रत्येक शाखा की वार्षिक व्यवसायिक सांविधिक लेखा परीक्षा क्यों नहीं हो सकती।

जैसा कि मैंने बिल्कुल आरम्भ में ही कहा था, मैं सार्वजनिक बैंकिंग प्रणाली को स्वीकार कर सकता हूं, मैं निजी बैंकिंग प्रणाली को स्वीकार कर सकता हूं, मैं समझता था कि कम से कम इस क्षेत्र में आप निजी विदेशी पूंजी के प्रवेश को अनुमति नहीं देंगे।

[अनुवाद]

विदेशी बैंक भारत में काम करते हैं। वे अदला बदली के सिद्धान्त पर काम करते हैं। यदि वे हमारे देश में काम करते हैं तो हम उनके देश में शाखाएं स्थापित कर काम करते हैं। इस तरह से होना चाहिये। लेकिन उन्हें हमारी बैंकिंग प्रणाली में खरीद करने की अनुमति क्यों दी जाती है। अतः हम बैंकिंग के लिये दो समान्तर प्रणालियां अपना सकते हैं और यदि सरकार चाहे तो तीन भी अपना सकते हैं एक तो पूर्णतया निजी क्षेत्र में, एक मिली जुली और तीसरी सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हो सकती है। इन तीनों में खुली प्रतियोगिता होनी चाहिये। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि हमने जो विकास किया है, उसके मूल दर्शन के अनुरूप राष्ट्रीय सहमति के रूप में बैंकिंग सेक्टर को सरकारी क्षेत्र के नियंत्रण में कर दिया जाना चाहिये जोकि पूर्णतया सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हो। इसमें कोई ओर बात नहीं होनी चाहिये। मैं प्रतियोगिता से सहमत हूं। मैं तीन तरह की प्रतियोगिता की कल्पना कर रहा हूं –एक प्रतियोगिता तो सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के बीच होनी चाहिये–जोकि शतप्रतिशत सरकारी नियंत्रण में हो। दूसरी प्रतियोगता मिले-जुले नियंत्रण वाले बैंकों के बीच होनी चाहिये जिसमें अधिकांश शेयर सरकार के हों और तीसरी पूर्णतया निजी बैंकों के बीच प्रतियोगिता होनी चाहिये। मैं इसकी अनुमति दे सकता हूं और तथापि मैं यह चाहूंगा कि समूचे बैंकिंग सेक्टर में सरकार का और राज्य का अधिपत्य होना चाहिये क्योंकि यह हमारे विकास की कुंजी है। और मैं एक बार फिर यह निवेदन करता हूं कि चाहे किसी भी उद्देश्य से सरकार यह निर्णय ले रही है, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस जात पर विचार करें कि हमें विदेशियों को अपनी बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

चूंकि सरकार ने स्थायी समिति के प्रतिवेदन के साथ संलग्न टिप्पणी में की गई सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, अतः इन्हीं शब्दों के साथ मेरे पास वर्तमान अवस्था में विधेयक का विरोध करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति जी, सरकार की ओर से जो बैंक अधिनियम में संशोधन का विधेयक आया है, उस पर संसद की वित्तीय स्थायी समिति में बातें हुई थीं। विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर हमने विचार किया था और उसमें हमारी सहमति नहीं हो सकी थी। मैं चाहूंगा कि संसद इस पर विचार करे, आप भी विचार करें कि हमारी जो स्थायी समितियां बनी हैं क्या उसकी कुछ मजबूरियां हैं कि हम एकमत से भी तय करें तब भी हम कह दें किसी अधिकारी की राय पर कि यहां पर हम अपनी एकमत राय को छोड़ देते हैं।

सभापति जी, जो प्रतिवेदन का कुछ हिस्सा प्रकाशित हुआ है, मैं उसके दो वाक्यों को पढ़ना चाहता हूं।

[श्री भोगेन्द्र झा]

[अनुवाद]

"अतः यह सुझाव दिया गया था कि जनता को शेयर की पेशकश करने से पूर्व बैंक के समूचे आरक्षित को प्रदत्त पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये। बैंकिंग विभाग के अधिकारियों ने समिति को सूचित किया था कि आरक्षित कोष को इस तरह से प्रदत्त पूंजी में बदले जाने से संबंधित बैंक की लक्षित प्रति शेयर आय कम हो जाएगी और इस बैंक को जनता से इक्विटी उगाहने की संभावनाएं बाधित हो जाएंगी।"

4.00 म०प०

"इसके साथ-साथ बैंक के पास उपलब्ध आरक्षित कोष की राशि पर भी शेयर के अंकित मूल्य पर लाभांश का निर्धारण करते समय विचार किया जाएगा। कुछ विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि विधेयक के वर्तमान प्रावधानों में इस संबंध में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया जाना चाहिये।" चूंकि एक अधिकारी ने सुझाव दिया था, पूरी की पूरी समिति इससे खिन्न हो गयी।

पुनः मैं एक और वाक्य उद्धृत करना चाहूंगा :

"समिति ने शेयरों के हस्तांतरण के संबंध में संशोधन पर भी विचार किया। सदस्यों का यह विचार था कि शेयरों के मुक्त हस्तांतरण पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए ताकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों पर किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह के नियंत्रण हित को अर्जित करने को रोका जा सके। मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा यह भी संकेत किया गया था कि ऐसा केवल स्टाक विनिमय अधिनियम और कंपनी अधिनियम में संशोधन के द्वारा किया जा सकता है। समिति ने इस संबंध में विधेयक में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया।"

4.01 म०प०

(श्री पी०सी० चाक्को पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

यदि हमारी स्थाई समितियां इस मजबूरी में काम करें, बाद में उसे संसद कबूल करे या न करे, सरकार कबूल करे या न करे, मगर स्थाई समिति का ही एक अधिकारी अगर ऐसी बातें कहे, भले ही उस अधिकारी की समझ में गलत या सही जो भी आये, लेकिन उसके बाद पूरी समिति अपनी एकमत राय को वहीं स्थगित कर दे, यह बहुत भयंकर स्थिति है। मैं समझता हूं कि हमारी नई प्रणाली के लिये, स्थाई समितियों की प्रणाली के लिये, बचपन में ही उनकी भ्रूण हत्या का ऐसा प्रयास नहीं होना चाहिये। पूरे सदन के विचार के लिये यह एक गम्भीर विषय है जो पूरी स्थिति को ध्यान में रखने के बाद हमारे सामने आया है।

सभापति जी, यह इतिहास की एक विडम्बना है कि हमारे शासक दल के लोग, जो बैंक राष्ट्रीयकरण के बच्चे हैं, उसी से उत्पन्न हुए बच्चे हैं, जब 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारे देश में हुआ था, उस समय इस सदन में और सदन के बाहर और अखिल भारतीय बैंक एम्पलाईज एसोसियेशन ने सड़कों पर कूच करके, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी उस वक्त के हमारे वित्त मंत्री जो सौभाग्य से आज भी जीवित हैं, मोरारजी भाई ने कहा था कि जब तक मैं वित्त मंत्री हूं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इसके साथ यह भी हुआ कि उस समय के शासक दल ने प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दल से निष्कासित कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रधान मंत्री को कांग्रेस दल से निष्कासित कर दिया और उसमें यह एक प्रमुख मुद्दा था। उसी के साथ राजा-महाराजाओं के प्रीवि-पर्स का खात्मा हुआ। आज हमारे जो मित्र इस तरफ बैठे हुए हैं, राष्ट्रीयकरण के बाद, इसीलिये मैंने कहा कि वे राष्ट्रीयकरण के बच्चे हैं, उसकी संतान हैं, औलाद हैं। आज की कांग्रेस आई० इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। यह एक विडम्बना है कि आज उसी पर वे चोट कर रहे हैं, राष्ट्रीयकरण की विफलता पर ही चोट कर रहे हैं।

मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री जी आज सदन की ओर देश को इस बात से अवगत करायें क्योंकि मेरे मुंह से कहने से बेहतर होगा कि यह बात सरकार के वित्त मंत्री के मुंह कहलाई जाये। जिस समय 14 बैंकों का देश में राष्ट्रीयकरण हुआ था, कुल 3600 करोड़ रुपये की पूंजी उनके पास थी लेकिन आज उनकी पूंजी हजारों गुना ज्यादा बढ़ गयी–क्या यह विफलता का सबूत है। जितनी शाखायें देश में उनकी पहले थीं, आज उनकी संख्या 100 गुना से भी कहीं अधिक बढ़ गयी हैं। जहां पहले गौव के लाखों लोग जानते भी नहीं थे कि बैंक क्या चीज है, उनको बैंकों से रिश्ता क्या है, गरीब का, अमीर का, आज हर जगह तो नहीं लेकिन हजारों स्थानों पर बैंकों की शाखायें खुल गयी हैं। क्या ये सारे तथ्य सरकार की अप्रगति के सूचक हैं। मैं चाहूंगा कि सदन को और देश को वित्त मंत्री जी यह भी सूचित करें कि 1969 के बाद आज बैंकों के पास कितनी पूंजी हो गयी है, कितने लोगों तक हमारे बैंक आज पहुंचे गये हैं, कम से कम पिछले 25 वर्षों का खाता वे देश के सामने रख दें।

सभापति महोदय, जो चीज कही जा रही है, उसको मैं समझा नहीं हूं कि 7% हमारी सफलताएं हुई हैं। पहले जहां हमारी बैंकों के लोग नहीं जाते थे, वहां राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी गए हैं देहातों में, जंगलों में। उसके साथ त्रुटियां भी हुई हैं और त्रुटियों की ओर मैंने कई बार सदन का ध्यान खींचा है। उनमें से एक उदाहरण मेरे अपने जिले मधुबनी का है। मधुबनी के खतौली के एक गांव में 19 लोगों को कर्ज देने के कागज पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। वे पढ़े-लिखे नहीं थे, इसलिए अंगूठे के निशान लगवा लिए गए। उन्हें कर्ज नहीं मिला, लेकिन उनके निशान लगवा लिए। अब जब मैं आ रहा था, तो वे 19 आदमी मुझसे मिले, उनको एक नोटिस आया है कि इसकी जांच हो रही है कि तुम्हें कर्जा मिला या नहीं। इसलिए तुम पटना आओ। अब सभापति जी, गांव से पटना तो आने-जाने में कम से कम डेढ़ दो सौ रुपए तो खर्च हो ही जाएंगे। उन गरीब लोगों पर इतना पैसा कहां है कि वे इतना खर्च करके पटना जाएं। एक तो उन्हें कर्ज नहीं मिला

[श्री भोगेन्द्र झा]

ऊपर से ये दण्ड और भुगतें। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार के साथ-साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि बैंकों में इनाम देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए, एक प्रणाली विकसित की जाए जो इनाम और पुरस्कार के साथ-साथ दंड देने का भी काम करे। बैंकों की सफलता और विफलता के आधार पर पुरस्कार और दंड देने का काम करे। इस प्रकार की कोई प्रणाली विकसित की जाए जिसके अन्तर्गत सत्कार का आदर हो और अच्छा परिणाम हो और दुष्कृत्य करे उसे सजा मिले। ऐसा करने से ईमानदार व नेक अधिकारी तथा कर्मचारियों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा तथा जो निकम्मे होंगे और घपले करेंगे, उन्हें दण्ड मिलेगा। तब ये बैंक सफल होंगे।

सभापति महोदय, जिस पृष्ठभूमि में हम इस बैंक विधेयक को ला रहे हैं उसके अन्तर्गत 8 प्रतिशत जमा पूंजी का जो खतरा है, हम कर्जा देते हैं, वह अपने पास में रखने का सुझाव है, वह एक मजबूरी है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसे गलत नहीं समझता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि वह जरूरी है। मैं भी समझता हूं कि वह जरूरी है। चूंकि उनकी देने की क्षमता होनी चाहिए और जब हम संसार के बाजार में जाते हैं तो उसमें इतनी क्षमता हो, जितना कर्जा दे, वह डूब जाए तो उसमें रिस्क है। उसका हमारे पास 8% तो जमा रहेगा जिसको उगाहने में सरलता होगी। इसमें कोई गलती नहीं है। यह सही है और यह होना चाहिए।

इसके लिए विदेश में पूंजी ली जाए, यह सुझाव किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था ने नहीं दिया, हमारे सामने जो सुझाव हैं, उसमें भी यह नहीं है कि विदेश से लिया जाए, यह भी नहीं है कि किसी बड़े पूंजीपति के हवाले करें, यह सुझाव किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से भी नहीं है कि राष्ट्रीयकरण मत करो। इसलिए इनका जो झुकाव हो रहा है विश्व बैंक या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ओर उसके पीछे बैठी हुई जो अमरीका की सरकार है, जो उसकी ताकत है, उसके दबाव में आकर मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त का रास्ता अपना लिया है। इन्होंने राजा से अधिक राजभक्त होने का दावा किया है या राजभक्त होने का प्रयास किया है। उसी प्रयास से ये हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके हवाले कर रहे हैं जिनके नाम पर प्रसन्नता की दीवारें खड़ा की जा रही हैं।

मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय को या उस नीति के जो समर्थक हैं, बगल में हमारे मित्र, जो दायें तरफ बैठे हैं, जो विरोधी पक्ष की भूमिका भुलाकर, पता नहीं किस भाषा में आज बोल रहे हैं कि सारे भारत में अगर किसी निजी क्षेत्र का, सारे भारत में एक भी उद्योगपति हो, एक भी थोक व्यापारी हो, जो सिर्फ अपने पैसे से थोक व्यापार करता हो, जो सिर्फ अपने पैसे से उद्योग चलाता हो, एक का भी नाम दे दें कि बगैर पब्लिक पैसा, बगैर जनता का पैसा बैंक के जरिये लिये हुए, उसने अपना थोक व्यापार का उद्योग चलाया हो या चला रहा हो, तो कम से कम एक आदमी के लिए तो हमें खुशी होगी। पैसे की कमी नहीं है। वह कालाधन रखे हुए हैं। बैंक का पैसा लेकर कारखाना चलाते हैं।

बैंक का दिवाला पीट देते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस मौके पर कम से कम इस सदन से आग्रह करें कि इस विधेयक को पारित करने से पहले मंत्री जी सदन के सामने यह रखें कि एक लाख रुपए अधि कर्जा उठाने वाले पिछले कम से कम 4-5 वर्षों में कितने व्यापारी देश हैं जिनके कर्जे को आपने मंसूख किया है? आपने माफ कर दिया, बुरा कर्जा समझा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज उनमें से बहुत से लोग हैं जो करोड़पति, अरबपति हैं। उन्होंने एक नाम से दिवाला निकाल दिया, दूसरे नाम से बैंकों का मालिक बनने के प्रयास में हैं और उनके दबाव पर आप बैंकों को राष्ट्रीयकरण की दिशा में ले जा रहे हैं। यह गजब की बात है कि उनके प्रभाव में देश के अखबार भी हैं, देश का प्रचार माध्यम है, इसलिए समां बांधा जा रहा है। सारा भारत विफल हो गया और बड़े-बड़े चोर सफल हो जाएंगे। सरकार चोरों के हाथ में कुंजी देने जा रही है कि वे ठीक से रखवाली करेंगे, बाकी संभाल नहीं कर सकता, भारत की सरकार नहीं कर सकती। यह भयंकर बात है और कल्पनाएं से परे है। . . . **(व्यवधान)** . . . ऐसी स्थिति में यह विडंबना है कि सरकार जो प्रचार करवा रही है, घर में आग लग गई घर के चिराग से। जिनके हाथ में देश की रखवाली है, संयोग से उनके हाथ में सत्ता है और वही राष्ट्रीयकृत बैंकों के खिलाफ हैं, राष्ट्रीयकृत उद्योगों के खिलाफ हैं। जिनके हाथ में भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, जो जनतंत्र को खरीदते हैं, नेताओं को खरीदते हैं, उनके हाथ में ये आजादी देने जा रहे हैं।

मेरा कथन है कि सरकरा को यह नैतिक अधिकार नहीं है। आपने चुनाव में यह मुद्दा नहीं रखा था कि राष्ट्रीय सम्पदा को विदेशी पूंजी के हवाल कर देंगे। अभी चुनाव में दो साल बाकी हैं। मेरा आग्रह है कि सभी पक्ष के माननीय सदस्यों को इसपर विचार करना चाहिए। हमारे देश की अपनी भी कोई सम्पदा है। आप कहते हैं कि ये पैसा लगाएंगे, वे लगाएंगे। उन्होंने इतनी सम्पत्ति कहां से इकट्ठा की। बिना सूदखोरी, रिश्वतखोरी किए कोई अरबों का मालिक कैसे बन जाएगा। हम कहते हैं कि वे पैसा लगाएंगे और यह विशाल देश असहाय हो गया है। बहुत ही भयंकर रास्ते पर सरकार आर्थिक नैतिकता को देश के सामने पेश कर रही है। तब क्या स्थिति होगी। यह बात आ सकती है कि यह सरकार घाटे में चल रही है, इसलिए तानाशाही आ जाए। क्या जरूरत है चुनाव की प्रक्रिया की, क्या जरूरत है खर्च करने की?

मैं आग्रह करूंगा, किसी देश-विदेश के मालिक ने कहा दिया या अमरीका ने कह दिया, केवल उसपर न झुककर जरा भविष्य का भी ख्याल करे। हमने जो अपनी विमति की टिप्पणी दी है और उसके जरिए जो सुझाव दिया है, उसका इलाज करने की हालत में सरकरा अपने को महसूस नहीं कर रही है। सरकारी दल इसको महसूस नही कर रहा है। एक परसैंट से अधिक हिस्सा कोई भी देशी या विदेशी नहीं ले सकता है। कई लोगों ने ऐसी सैकड़ों कम्पनियां अनेकों नाम से रखी हुई हैं। उनका अलग-अलग निबन्धन है। वे देश और विदेश में है। राजकीय क्षेत्र में बहुत जगहों में मार पड़ती है। उसका कोई माई-बाप नहीं होता है। निजी क्षेत्र वाले नीचे से पैसा देकर अपना काम चला रहे हैं। कोयला खदानों से अच्छा कोयला निजी पूंजीपतियों को मिल जाता है। वह उसी रेल से जाता

[श्री भोगेन्द्र झा]

है जिस रेल के इंजन के लिये खराब कोयला जाता है जिससे इंजन खराब हो रहा है। इसमें कड़ाई बरतने की जरूरत है लेकिन यह सरकार सुधारने की बजाय, बिगाड़ने का काम कर रही है। वह मरीजों को मारने का काम कर रही है। वह मर्ज का इलाज करने की नहीं सोच रही है। यह खतरनाक रास्ता है। ऐसे डाक्टर और चिकित्सक से काम नहीं चलेगा।

सरकार ने जो 51 और 49 परसैंट का मामला रखा है, यह ढ़कोसले का मामला है। 51 में उसका हिस्सा होगा लेकिन 49 में आपका हिस्सा नहीं होगा। जिस तरह की सरकार की व्यवस्था है और जिस तरह का नियंत्रण आप वित्त के ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, निजी पूंजीपतियों को बढ़ा रहे हैं ... **(व्यवधान)** ... ऐसे मौके पर देश के सामने एक भयंकर समस्या है।

आपने कमजोर वर्गों, हरिजनों और आदिवासियों को कम सूद पर पैसा देने की व्यवस्था की हुई है। जब आप बैंकों को खुले मुकाबले में रख देंगे तो क्या इस व्यवस्था को बनाये रखेंगे? अगर रखेंगे तो उस हद तक उसके बदले में मुनाफा कम होगा।

आपने जो रास्ता अपनाया है, उससे थोक व्यापारी, चोर बाजारी बैंक का पैसा लेकर एक साल में पांच गुना सूद काम लेंगे। कोई व्यक्ति स्वनियोजन के लिये पैसा लेता है और उसको लौटा नहीं पाता है तो थोक व्यापारी और सट्टेबाज उनको खुलेआम लूटेंगे। एक तरह से सरकार इन थोक व्यापारियों को बढ़ावा देने का काम कर रही है।

नौकरी की हवा तूफान बन चुकी है। अधिकतर लोग नौकर बनने के लिय जहर खाने को तैयार हो जाते हैं, किसी की खुशामद करने को तैयार हो जाते हैं और रिश्वत देने को तैयार हो जाते हैं। अगर आप उनको आसान किश्तों पर आसानी से ऋण उपलब्ध करा दें तो वे उनसे काम-धंधा शुरू कर सकते हैं और नोकरी पाने की लालसा भी कम हो सकती है। बैंकों से ऋण लेने के लिये बैंक अधिकारियों को पैसा खिलाना पड़ता है। यह रिश्वत बहुत बड़े पैमाने पर चलती है। इसमें कड़ाई बरतने की जरूरत है।

राज्यों को कर्जा देने के आपने कुछ नियम बनाये हुए हैं। जमा और कर्ज के बीच में आप तालमेल बिठायें। जमा के अनुपात में कर्ज दें। हम चाहते थे कि आप इस विधेयक के माध्यम से इसको करते लेकिन आपने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा प्रावधान आप कर दें ताकि जिस इलाके के लोग राशि जमा करें, वह राशि उस इलाके के उत्पादन कार्यों में ही लग सके। फिर चोरबाजारी में देने से इलाका नहीं बढ़ेगा, नौकरी बढ़ेगी, मगर उत्पादन के कार्यों में आप दें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बहुत बहस के बाद इसी सदन में अधिनियम पारित हुआ था, उन कामों को करने के लिए उसका काम भी बड़ा संतोषजनक नहीं है मगर उनका दिवाला पिट चुका है। शायद ही कोई ग्रामीण क्षेत्र की बैंक शाखा है, जिनमें अपने कर्मचारियों को मुजाहिरा देने लायक भी वसूली हो रही है। मैं अभी सभी कारणों में नहीं जाऊंगा लेकिन उन बैंकों को मजबूत करना है। 250 करोड़ से ज्यादा रुपया उनका

मुसाहिरे का बाकी है, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया, ट्रिब्यूनल ने निर्णय दिया लेकिन हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि हम देने लायक नहीं हैं। मेरा आपसे यह आग्रह होगा, कर्मचारियों से मेरी अपील होगी कि वह भी मान ले, कुल पैसा आप उनको दे दें, उसको आप फिक्स डिपाजिट में रख दीजिए, वह बैंकों में रख लीजिए, पूंजी उनकी रहे और जरूरत पर आप उनको दीजिए या कास्ट प्रोफिट पर दीजिए। मगर न देकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आप उल्लंघन करेंगे और ट्रिब्यूनल के फैसले का उल्लंघन करेंगे तो यह भयंकर बात रहेगी और सरकार की बातों पर विश्वसनीयता खत्म हो जायेगी।

मेरी अन्तिम बात है। हड़तालों की निन्दा की गई है। मैंने कहा कि बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन और उनकी हड़तालों की बच्ची यह सरकार है, कम से कम यह सरकारी दल है। बैंक कर्मचारी अभी अपने भत्ते के लिए नहीं, सुविधा के लिए नहीं बल्कि जिस तरह देशी और खासकर विदेशी करोड़पतियों के हाथों में देने जा रहे हैं, उसके खिलाफ़ इन्होंने 8 अप्रैल को हड़ताल की थी और 11 मई को वह हड़ताल करने जा रहे हैं। यह कोई सुविधा बढ़ाने की हड़ताल नहीं है, जैसा हमारे इधर के मित्रों ने कहा है। अगर आप चाहते हैं कि विदेशी अरबपतियों के हाथ में हमारी गरदन न जाय तो वह हड़ताल 11 मई को होने जा रही है। वह देशभक्ति की हड़ताल है, आप जो विदेशी धन्नासेठों के हाथों में भारत के हितों का सपमर्ण करने जा रहे हैं, उंस नीति के खिलाफ यह हड़ताल है। मैं समझता हूं कि यह सदन निन्दा नहीं, अभिनन्दन ऐसी हड़ताल का करेगा जो यह सदन एक देशभक्ति का काम करेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हम पहले भी 23 मिनट अधिक समय ले चुके हैं और इस चर्चा में बोलने के लिये अभी तीन सदस्य और रह गये हैं। अतः मैं इस चर्चा में भाग लेने वाले शेष सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी बात को यथासंभव संक्षेप में कहें। हमें 5.30 म० प० पर आधे घंटे की चर्चा करनी है और इससे पूर्व हमें इस विधेयक को पारित कर लेना है।

श्री राँजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बैंकिंग कंपनी (अवयवों का अधिग्रहण और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1993 पर आल इण्डिया अपना द्रविड़ मुनेत्र कच्छगम की ओर से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। यह विधेयक राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल को शेयरों के पब्लिक इश्यु के द्वारा अपनी प्राधिकृत पूंजी उगाहने का अधिकार देता हूं। यह विधेयक सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का प्राधिकृत पूंजी को 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 150 करोड़ पूर्णतया प्रदत्त शेयरों में विभाजित करने का अधिकार देना है। केन्द्र सरकार द्वारा रखे गये शेयरों को छोड़कर, राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरों को हस्तान्तरणीय बनाया जा रहा है।

महादेय, इस माननीय सदन को गर्व के साथ उन दिनों को याद करना चाहिये कि किस प्रकार सामाजिक पूर्व तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के

[श्री राजागोपाल नायडू रामासामी]

संविधान के लक्ष्य की पूर्ति के लिये बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक इस सदन में रखा था। उस समय बैंकों में जो शोषणकारी वातावरण प्रचलित था, धीरे-धीरे सेवा करने की प्रवृत्ति में बदल गया। लेकिन आज सरकार एक खतरनाक मोड़ लेना चाहती है और बैंकों को उस स्थिति में ले जाना चाहती है जो कि 1991 से पूर्व विद्यमान थी। विधेयक में केन्द्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण को कम करके 51 प्रतिशत नियंत्रण की सीम तक लाया जा रहा है। बैंक अब समाजवाद का आधार नहीं रह जायेंगे। यह सब बाहर एजेंसियों के दबाव में आकर किया जा रहा है। सरकारी बैंकों को निजी बैंकों के बदलने की इस तत्काल आवश्यकता के बारे में वित्ती मंत्री को इस देश के गरीबों और दलितों को उत्तर देना चाहिये।

महोदय, सामाजिक गणराज्य की रचना करने और कायम करने के संवैधानिक उद्देश्य को सरकार इस विधेयक के माध्यम से त्यागने जा रही है।

हमारे देश के नियोजित विकास के लिये निर्धनों और दलितों के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की स्थिति हमेशा से ही नाजुक रही है। जैसे ही सरकार बैंकों को शेयरों के पब्लिक इश्यु के माध्यम से पूंजी उगाहने के लिये प्राधिकृत करेगी, तो कई स्वार्थी लोग उधार देने वाली इन संस्थाओं पर अपना नियंत्रण रखना आरम्भ कर देंगे। और देश के कानूनों के अन्तर्गत सरकार का बैंकिंग संस्थाओं पर पूर्णतया नियंत्रण रखने का दावा स्वतः ही मंद पड़ जायेगा।

महोदय, यह बड़े दुख की बात है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी बैंक उन लक्ष्यों को पूरा करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं जिसके लिये श्रीमती गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकिंग क्षेत्र भ्रष्टाचार का आखाड़ा बन कर रह गया है। गरीब और ग्रामीण जनता, जिन्हें अपने विकास के लिये वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, बैंकों के गलियारों तक भी नहीं जा सकती। विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को बैंकों में प्रवेश तक नहीं कर पाते। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की विधवाओं और गरीब महिलाओं को अपने आभूषण गिरवी रखने पर भी कर्ज नहीं मिलता। बैंकिंग सेक्टर के लिये ये लोग वास्तव में अस्पर्शणीय है। जहां रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने की कोई संभावना ही नजर नहीं आती, उन मामलों में रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिये बड़ी-बड़ी योजनाओं को बैंक के अधिकारी वरीयता आधार पर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपने निहित स्वार्थ सिद्ध करने होते हैं। आज भी, यदि आप बैंकों के अधिकारियों के आवासों पर छापा मारें तो आप देखेंगे कि लगभग सभी मामलों में अधिकारियों के पास जो संपत्तियां हैं, वे उनकी अर्जित आय की तुलना में कहीं अधिक हैं। बैंक अधिकारियों की व्यक्तिगत समृद्धि देश के विकास की कीमत पर है। गरीब और दलितों के विकास की कीमत पर हैं यदि इन कमजोरियों का पता लगाये बिना सरकार इस तरह से कानून बनाती है तो इनसे बैंकिंग सेक्टर में प्रचलित भ्रष्टाचार में वृद्धि होगी।

वर्तमान समय में सरकार का एक राजस्व आसूचना विभाग है, जिसके द्वारा राजस्व संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने वालों को सजा दी जाती है। लेकिन सरकार के पास बैंकिंग सेक्टर में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये इस तरह का कोई आसूचना विभाग नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि सरकार को इसी तरह की एक सतर्कता संस्था स्थापित करनी चाहिये।

शहर जिला स्तर पर भाग लेने वाले निकाय गठित किए जाने चाहिए जिनके प्रति राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं उत्तरदायी हों। इन बैंकां की कार्यप्रणाली के मामले में वैधानिक पारदर्शित होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति तथा संस्थान इत्यादि को दिए गए ऋण मानदंडों के अनुसार न्यासंगत होने चाहिए। यही इन निकायों का मुख्य कार्य होना चाहिए।

मैंने मंत्री जी से बैंकिंग सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत लाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है। जनता का धन और जमा राशि इन बैंकिंग संस्थानों द्वारा वैध मानदंडों के विरुद्ध ऋण देने के उद्देश्य से इस्तेमाल की जा रही है और न्यायसंगत मानदंडों के विरुद्ध ऋण देना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अधिनिर्णय का मामला माना जाना चाहिए। इस पर जल्द ही विचार करना चाहिए। अन्यथा कर्जदारों तथा अन्य जनता की शिकायतों को शीघ्र दूर करने के लिए बैंकिंग न्याधिकरण गठित किए जायें।

महोदय, इस समय नानार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों जैसे पृथक वैधानिक ऋण संस्थान हैं लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में इतनी अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की हो। उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जानी चाहिए। उनके कार्यों का विस्तार करने की आवश्यकता के बरि में विशेष रूप से विचार करना चाहिए।

महोदय, इस विधेयक ने पंडित नेहरू द्वारा स्थापित और श्रीमती गांधी द्वारा अनुसरित समाजवाद की संकल्पना को आघात पहुंचाया है। कांग्रेस दल के वर्तमान पीढ़ी के नेता अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपनी पार्टी के नियमों और सिद्धांतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

इस विधेयक के साथ एक युग समाप्त हो रहा है। देश में गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए सूर्य अस्त होने जा रहा है। राष्ट्र की आर्थिक स्वतंत्रता केवल देश में ही है और निश्चय ही इन नियमों के विरुद्ध लोगों द्वारा विद्रोह करने पर है जो दिन दूर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो कांग्रेस पार्टी प्रगतिशील हो गई है ऐसा कह कर कल्पनाथ राय जी जैसे लोग हम लोगों को छोड़ कर कांग्रेस में चले गये थे। अब जब कांग्रेस पार्टी बैंकों का निजीकरण और विदेशीकरण कर रही है तो नैतिकता के नाम पर उन्हें कांग्रेस छोड़ कर इधर आ जाना चाहिये मैं यह निवेदन उनसे करना चाहता हूं, क्योंकि यह जो विधेयक है यह बैंकों के निजीकरण और बैंकों के विदेशीकरण का है और इसके कारण और उद्देश्य में पहले ही लिखा गया है,

[श्री मोहन सिंह]

[अनुवाद]

"सभी बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि 31 मार्च, 1996 तक उनका कुल पूंजी कम से कम उनकी 8 प्रतिशत जोखिमपूर्ण सम्पत्ति के बराबर हो। जिन बैंकों का प्रचालन विदेशों में है वे बैंक इस मानदंड को 31 मार्च, 1994 तक प्राप्त कर सकते हैं।"

"राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद और केन्द्रीय सरकार को पूर्व मंजूरी से शेयर जारी करके अपनी प्रदत्त पूंजी बढ़ा सकते हैं बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार हर समय बैंकों की प्रदत्त पूंजी में से कम से कम 51 प्रतिशत राशि अपने पास रखें प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की अधिकृत पूंजी को प्रति 10 रु० के 150 करोड़ रायल्टी प्रदत शेयरों में विभाजित करना चाहिए।"

[हिन्दी]

सभापति महोदय, मैं इन दोनों चीजों को साफ तौर पर मानता हूं कि हमारे देश के बैंकों को विदेशी बैंकों के मुकाबले अपनी शाखाएं खोलने या अपने क्रियाकलापों को चलाने की जो छूट दी जा रही है उसमें हमको सफलता नहीं मिलने वाली है। उसके दो आधार हैं—विदेशों में विदेशी बैंकों की जो कर्ज देने की पद्धति है उसमें सूद की दर बहुत सीमित है और उसके ठीक तीन गुना सूद की दर हमारे देश के बैंकों द्वारा ली जाती है। नतीजा यह होगा कि भारत के बाजार में कब्जा करने के लिये विदेशी बैंक भारत में आएंगे, वे यहां की पूंजी पर कब्जा करेंगे और यहां की कमाई को अपने देश में ले जाएंगे। उनके देशों में भारतीय बैंक टिकने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके जो कर्ज की पद्धति है वह इनके मुकाबले महंगी है वहां इनका संचालन ठीक से नहीं हो पाएगा। निजी क्षेत्र को देने से, शेयर बाजार में देने से बैंकों के ऊपर इस देश के बड़े औद्योगिक घरानों के नीतिगत अधिकार होने के पूरे खतरे मौजूद रहेंगे।

जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस समय बार-बार इस संसद में और बाहर कांग्रेस पार्टी ने और उस जमाने के प्रधान मंत्री ने कहा कि बैंकों का एक सामाजिक उद्देश्य है और उस सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति निजी क्षेत्र के बैंक नहीं कर रहे हैं। उनका मकसद केवल व्यापारिक ढंग से देश के बड़े लोगों की मदद करना और पूंजी इकट्ठा करना है इसलिये सरकार के ही हाथों में बैंकों का नियंत्रण हो जिससे इस समाज के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, बेरोजगार और साधारण लोग हैं, जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनकी मदद सरकार बैंकों के जरिए कर सके। इस मकसद से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन आज क्या स्थिति हो रही है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रीयकरण के बाद हमारे देश के बैंकों की हालत खराब हुई, राष्ट्रीयकरण के बाद भी हमारी हालत इतनी अच्छी रही कि जितनी कुल पूंजी राष्ट्रीयकरण के समय थी आज की तारीख में हिन्दुस्तान के बैंक उतना ही घाटा उठा रहे हैं। 3600 करोड़ की पूंजी और आज 3500 करोड़ से अधिक का घाटा हम दे रहे हैं। हमने अपनी पूंजी

को, राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी को इतने दिनों के कार्यकलाप के बाद इतना बढ़ाया है। इसलिये इस देश की सामाजिक, आर्थिक तरक्की में गरीबों की इमदाद से इस देश के जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनकी जो मदद, कोशिश थी उसको नजरंदाज करके केवल उनकी जो कमियां हैं उसकी तरफ भारत की सरकार देखने की कोशिश कर रही है, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

महोदय, सरकार ने फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले जो बैंक हैं उनकी 10 हजार शाखाओं को बंद करने का फैसला सरकार करने जा रही है। उस जमाने में ग्रामीण क्षेत्रों में निजी लैंडर्स थे जो गांव आदमी को लूटते थे। पुराने जमाने में चवन्नी सूद दर के अंदर निजी बैंकर उनको पैसा देते थे, पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीब आदमी सूद को ही पूरा करने में बंधुआ मजदूर की शक्ल में गांव में उनका गुलाम बन कर रहता था। बंधुआ मजदूर प्रथा जो परंपरा से चली आ रही थी, सूद चुकाने में ही गरीब आदमी का जीवन और कई पीढ़ियां निकल जाती थीं, इस प्रथा को खत्म करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों में घाटे की वजह से राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 10200 ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है। इस बात की मैं निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं को बंद करने के बजाए इनकी कार्य पद्धति और तौर-तरीकों में सुधार किया जाए, जिसकी काफी गुंजाइश है, इस पर सरकार को बल देना चाहिए।

सभापति महोदय, हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर में 10 लाख लोग काम करते हैं और सबसे अधिक पढ़े-लिखे लोगों को इस सेक्टर में रोजगार मिलता है। इस सेक्टर के कर्मचारियों ने मई में 3 दिन का और जून में 2 दिन का हड़ताल का नोटिस दिया है। अभी सत्ता पक्ष के हमारे साथी भाषण कर रहे थे और कह रहे थे कि बैंकों में हड़ताल पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और इस कदम की बहुत निंदा कर रहे थे, लेकिन इस हड़ताल के पीछे के मकसद को भी सरकार को देखना चाहिए। आज पहली बार हिंदुस्तान के बैंकिंग सेक्टर के कर्मचारी और अधिकारी अपने महंगाई भत्ते को बढ़वाने के लिए हड़ताल पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं कि विदेशी बैंकों के आने से इस देश का बैंकिंग सेक्टर बरबाद हो जाएगा। बैंक स्कैम हमारे यहां पहले ही हो चुका है और 12-15 हजार करोड़ की लूट हो चुकी है। विदेशी बैंकों के आने के बाद यह आए दिन की पद्धति हमारे यहां हो जाएगी। मुंबई के स्टाक एक्सचेंज की कुल पूंजी से अमरीका के एक बैंक की पूंजी दुगनी है और वह संपूर्ण स्टाक एकसचेंज को खरीदने की क्षमता रखता है। जब विदेशी बैंकों को खुलेतौर पर यहां आने की छूट दी जाएगी तो उसके दुष्परिणाम होंगे और इसी बात को लेकर बैंक कर्मचारी पहली बार इस बात को कह रहे हैं कि आटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन से बैंकों की रोजगार देने की क्षमता धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी। इस देश के संपूर्ण आर्थिक ढांचे के सवाल को नए सिरे से हाई-लाईट करने के लिए पहली बार बैंक कर्मचारी इन बातों को लेकर सड़क पर आए हैं, इन बातों पर भारत सरकार को निंदा करने के बजाए गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए।

इसलिए सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि बैंकों का विदेशीकरण और

[श्री मोहन सिंह]

निजीकरण करने के बजाए इनमें कैसे सुधार किया जाए, भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, बैंक कर्मचारी और अधिकारी उपभोक्ता को आए दिन परेशान करते हैं, बेरोजगार नौजवान और गरीब आदमी को किस तरह से लूटते और परेशान करते हैं, इन बुराइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, इन बातों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सूद की दर को कम करके इस देश के औद्योगिक विकास में बैंकों की साझीदारी को कैसे अधिक से अधिक बढ़ाया जा सकता है, इस बात पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसके बजाए सरकार इस तरह के संशोधनों के जरिए संपूर्ण बैंकिंग सिस्टम को समाप्त करने पर तुली हुई है।

इसलिए इस संशोधन विधेयक की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इसका पुरजोर विरोध करने की अपनी पार्टी की इच्छा प्रकट करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : सभापति महोदय, बैंकिंग कंपनी अमेंडमेंट बिल पर विचार प्रकट करते समय सबसे पहले इस समय जो हमारे राष्ट्र के सामने रीजनल रूरल बैंक की समस्या विकराल रूप धारण किए खड़ी है, इसकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में बहुत अच्छी तरह से इस बात को सदन के सामने रखा कि नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। मात्र यहीं तक नहीं, इस समस्या के समाधान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उच्चाधिकारियों की समय-समय पर रीजनल रूरल बैंक की असोसिएशन के साथ बैठकें हुईं तथा निर्णय हुआ कि नेशनल रूरल बैंक को शेप दी जाए। फाइनांस मिनिस्ट्री की तरफ से जो अधिकारी भेजे गए, उन्होंने भी यही निर्णय किया।

यहीं तक नहीं बल्कि इस सदन के सभी दलों के सदस्यों के द्वारा एक ब्यौरा दिया गया कि एकमात्र समाधान यही है कि नेशनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया जाए। आज स्थिति यह है कि पूरे देश के अंदर दस हजार के करीब इस प्रकार की हमारी बैंकों की छोटी-छोटी शाखाएं फैली हुई हैं जिसके बारे में हमारे मित्र श्री मोहन सिंह जी ने कहा कि राज्य सभा में जो बात कही गई है वह वास्तव में चिंता का विषय है। यह देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान होने के नाते इन बैंकों की ब्रान्चेज की वजह से किसान उनके साथ जुड़ा हुआ है। इनको समाप्त करके कृषि उत्पादन आने वाले समय में कृषि के लिए बहुत बड़ा हानिकारक सिद्ध होगा। आज इन बैंकों के माध्यम से रोज एक करोड़ रुपए का घाटा देश को भोगना पड़ रहा है। वित्त मंत्री जी इसका निर्णय लेने में क्यों हिचकिच रहे हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने इस विषय पर ध्यान दिलाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से एक बात और कही गई है कि 50 बैंकों का हम रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद एक सही तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। हमारा यह कहना है कि किसी न किसी दशा में इस कदम को बढ़ाया जाए अन्यथा बैंकों की आए दिन स्ट्राईक हो रही है और दूसरे लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज बैंकिंग सिस्टम के अंदर प्रश्नचिह्न हमारे सामने बनकर आ रहे हैं, वह वास्तव में चिता का विषय है। जिस दिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और उसके पीछे जो सोच थी उन लक्ष्यों को पूरा

करने के लिए हमने निर्णय लिए थे मैं यह नहीं कहूंगा कि राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कोई सफलता नहीं मिली-बल्कि प्रारंभ में निश्चित रूप से उसका अच्छी तरह से कार्य प्रणाली के माध्यम से कृषि के क्षेत्र के अंदर और औद्योगिकरण क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले। लेकिन, जैसे समय बीतता गया तो भ्रष्टाचार ने इस बैंकिंग सिस्टम को अपनी पकड़ में ले लिया कि कोई कृषि क्षत्र में या उद्योग के लिए किसी प्रकार का लोन लेना चाहे तो बैंक के फील्ड आफिसर या बड़े-बड़े अधिकारी, जब तक उनकी परसंटेज निश्चित नहीं होती तो उनको लोन लेने की व्यवस्था में रुकावट पैदा होती है यानि जब तक उसका भुगतान नहीं होता। कल मैंने अपने क्षेत्र रामपुर में घूम रहा था। वहां के किसानों ने इस बात की जानकारी दी कि हम जो अपना गेहूं एफ० सी० आई० को दे रहे हैं और बैंकों से जो चैक मिल रहे हैं तो जब तक उन चैकों के साथ रुपया नहीं लगाते तो भुगतान नहीं होता है। हमारी बैंकिंग व्यवस्था के अंदर इतनी बड़ी रुकावट आ जाएगी तो इसकी कल्पना करने से रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन आज हम प्राइवेटाईजेशन की ओर जा रहे हैं तो इसका मूल कारण हमारी ब्यूरोक्रेसी और वित्त मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम उस पर नियंत्रण नहीं कर सके। आज रामपुर के अंदर एक स्टेट बैंक आफ पटियाला है। पिछले तीन वर्षों से डिस्ट्रीक्ट इंडस्ट्र सेंटर की ओर से जो उसको केस रेफर किए जा रहे हैं और वहां का जो लीड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वहां के अधिकारी ने व्यक्तिगत रूप से मुझसे कहा कि हम लोन वितरित नहीं करेंगे। उसके बाद लीड बैंक का जो मुख्य अधिकारी था तो उसने आर० बी० आई० को पत्र लिखा कि इस पर्टिकुलर क्षेत्र को दूसरे बैंकों के साथ जोड़ दिया जाए। परिणामस्वरूप आर० बी० आई० से निर्देश हुए कि किसी बैंक को अन्य बैंकों के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। इस तरह की बैंकिंग व्यवस्था की झलक हमें देखने को मिलती है। कितने बुरे तरीके से हम टूट चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं कि इस निजीकरण के बाद हमारे जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इनकी हालत और बिगड़ती चली जाएगी। बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक शब्द है 'नैक्सस'। विश्व बैंक प्रणाली के अंदर पांच परसेंट से दस परसेंट तक नैक्सस होना चाहिए। न्यु बैंक ऑफ इंडिया के अंदर 60 परसेंट नैक्सस था। लेकिन आज पंजाब नेशनल बैंक, न्यु बैंक ऑफ इंडिया को लेने के बाद परेशान है। और इस देश के अंदर वह स्थिति आने वाली है कि इस प्रकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों को बंद होना पड़ेगा और इसके लाखों कर्मचारी और अधिकारी सड़कों पर घूमेंगे और इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। इसिलये मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि बैंकिंग सिस्टम की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर आवश्यक ध्यान दें।

सभापति महोदय, लोन प्रणाली के बारे में मुख्य बिन्दुओं पर कह चुका हूं फिर भी आज 30 हजार करोड़ रुपया बैंक डैट बट्टे खाते में पड़ा हुआ है। वित्त मंत्री की ओर से 10 ट्राब्युनलों की स्थापना की बात कही गयी थी लेकिन आज तक सिर्फ एक ही ट्राइब्यूनल की स्थापना हो पायी है। यदि यह मामला लिगर आन होता चला गया तो दूरगामी परिणाम फ्राड के रूप में हमारे सामने आयेगा।

सभापति महोदय, आज बैंकों के अंदर यह हालत है कि कोई भी व्यक्ति बैंक के अंदर चला जाये तो वह चैक कैश नहीं करा सकता है क्योंकि कर्मचारी और अधिकारी 11 बजे तक इस स्थिति

[श्री मोहन सिंह]

में नहीं होते कि इस काम को पूरा किया जा सके। पासबुक में एंटरी कराने के लिये बैंकों के महीनों चक्कर काटने पड़ेंगे। इन सब बुराइयों पर रोक लगाने की अनिवार्यता है रीकोंसिलिएशन ऑफ बैलेंसिंग मेरी जानकारी में है कि बैंकिंग सिस्टम के कारण यह कार्य पिछले 10 वर्षों से अवरुद्ध है और इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसी के कारण बड़े-बड़े घोटाले हुये हैं। समयबद्ध कार्यक्रम के आधार पर इन चीजों पर निर्णय होना चाहिये अन्यथा इस प्रकार से तो राष्ट्रीयकृत बैंकों पर ताले पड़ जायेंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वह यह है कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं? मात्र प्राफिट देखने के लिये और बड़े-बड़े फारेन बैंक्स इस देश में प्राफिट के लिये आयेंगे। उन में जन सेवा की भावना नहीं होगी। कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रान्ति बनकर आयी है, उस पर रोक लग जायेगी और रिजर्व बैंक ग्रामीण अंचलों में बैंक की नई शाखायें खोलने की अनुमति प्रदान नहीं करती और ये प्राइवेट बैंक उस दिशा में कोई कदम नहीं उठायेंगे, इससे कृषि के समग्र विकास में बाधा उत्पन्न होगी।

सभापति महोदय, अंत में माननीय मंत्री जी से दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आज सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, उसे हम लोग रोक नहीं पायेंगे और चूंकि आप बहुमत में है तथा कैसे हैं, यह उन लोगों की देन है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यदि वे लोग अपनी जगह सुदृढ़ होते तो आज इस प्रकार का बिल पारित नहीं कर सकते थे। इसलिये सरकार से कहूंगा कि वह इन बातों को सावधानी से ले ताकि आने वाले समय में प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मल्टी नेशनल्ज बैंक पर पूरी तरह से काबिज़ न हो जायें। कहीं ऐसा न हो कि हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का विशाल ढांचा ध्वस्त हो जाये? इसी के साथ मैंने जिन बिन्दुओं पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, इसी के क्रम में शेयर स्केम का मामला सी०बी०आई० द्वारा जांच किया जा रहा है। उस घोटाले में 8 हजार करोड़ की राशि और JPC ने 4400 करोड़ रुपये के घोटाले का तथ्यों सहित प्रमाण दिया है लेकिन सरकार आज तक चुप है और किसी अधिकारी के खिलाफ कार्य कार्यवाही नहीं की गयी है। इसका परिणाम यह होगा कि दोषी अधिकारी को पनिश नहीं किया जायेगा तो हम लोग कोई भी व्यवस्था लेकर चलें, वह सफल नहीं हो सकती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : महोदय, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) संशोधन विधेयक, 1993 सरकार की गलत दिशा में चल रही राजनीति तथा अनियोजित अर्थव्यवस्था का परिणाम है। इस विधेयक में इस देश के वित्तीय क्षेत्र को विदेशियों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खोलने की व्यवस्था है और मुझे आशंका है कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि हमार बैंकिंग उद्योग बाहर के लोगों के दिशा-निर्देशों पर चलेगा।

अनेक वक्ताओं द्वारा यह कहा गया है कि वित्त संबंधी स्थायी समिति में इस पर सर्वसम्मति थी अथवा लगभग सर्वसम्मति ही थी। स्थायी समिति का एक सदस्य होने के नाते मुझे आरम्भ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमने इसमें संशोधन किया है। हमने पहले विधेयक को वापस लेने की मांगी की थी। जब इस पर सहमति नहीं हुई तो हमारी दूसरी मांग यह थी कि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि हम सब, उन लोगों सहित जिन्होंने हमारा विरोध किया है, को वे दिन याद होंगे जब हमने सन् 1970 में इस सम्माननीय सभा में एक संशोधन विधेयक पारित किया था। जब पूरे न्यायपीठ ने पूरी सभा ने दलगत नीति से उठकर इस पर चर्चा की थी और नए दिनों की उम्मीद की थी और यह उम्मीद की थी कि 1970 के बाद बैंकिंग क्षेत्र उन लोगों के पंजे से छूट जाएगा जिन्होंने उद्योग, व्यापार और हमारी कम्पनियों के वित्त पर नियंत्रण कर रखा था। बहुत विवेकपूर्ण तरीके से हमने यह निर्णय लिया कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। जिससे कि बैंक समाज के उद्देश्य को पूरा कर सके, जिससे वे अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो सके, और हमारे देश के प्राथमिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब, अचानक, अन्तर्राष्ट्रीय निपटान आयोग की सिफारिश के आधार पर हम लाभ की बात करते हैं, हमें पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की बात करते हैं। मुझे यह संदेह है कि क्या पूंजी की पर्याप्तता ही हमारा उद्देश्य है। यदि हमारा वही उद्देश्य यही था तो क्या हम इसे किसी दूसरे तरीके से प्राप्त नहीं कर सकते थे? क्या हम इसे निजी हाथों में दिए बिना तथा बैंक के शेयरों को विदेशियों को बेचे बिना प्राप्त नहीं कर सकते थे? जी हां, हम ऐसा कर सकते थे। हम कर्मचारियों के पास जा सकते थे, हम वित्तीय संस्थाओं के पास जा सकते थे। लेकिन आप गैर-सरकारी व्यक्तियों के पास ही क्यों जा रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति जी, यह संसद है या शयनागार है? एक माननीय मंत्री गंभीर मुद्रा में सो रहे हैं। आप इस तरह की स्थिति को संसद के भीतर रोकिए।

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिए।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : वे उत्सुक नहीं हैं। उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था की कोई चिन्ता नहीं है। जो वे कर हरे हैं, उनहें करने दीजिए क्योंकि यह कोई मानदंड नहीं है।

सभापति महोदय : वित्त मंत्री आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। कृपया अपना वक्तव्य जारी रखिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : इसे कहते हैं सब समस्याओं के प्रति निश्चित हो जाना।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती : विधेयक का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण करना। इस उद्देश्य से विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

एक अन्य चर्चा में, जब भारतीय स्टेट बैंक विधेयक प्रस्तुत किया गया था, मैंने एक मुद्दा

[प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती]

उठाया था कि क्या यह सही है कि पूंजी पर्याप्तता का मानदंड हमारे देश के बैंकों पर लागू होना चाहिए जहां कि पूरा जोखिम देश की सरकार का होता है। लोगों को सरकार में विश्वास है। जब बैंकों को केन्द्र सरकार का सहारा होता है तो निश्चय ही बैंकिंग व्यापार को इस पूंजी पर्याप्तता मानदंड की अनुपस्थिति में हानि नहीं उठानी पड़ती है। अमरीका, इंग्लैंड तथा जापान के बैंकों पर जो बात लागू होती है वह इस देश के बैंकों पर लागू नहीं होती। अब अचानक सरकार ने यह निर्णय किया है कि इन बैंकों को चलाने के पीछे लाभ ही मुख्य उद्देश्य होगा। क्यों? क्या यह बैंक घाटे में चल रहे हैं? आरम्भ में ही मैंने कहा था कि हम अनियोजित अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

कुछ बैंकों को घाटा उठाने के लिए मजबूर किया गया। इसका एक उदाहरण ऋण मेलों का आयोजन बड़े लोगों को ऋण दिया जाना भी इसका एक उदाहरण है। अब, आप कहते हैं कि आपने कृषकों को दिए गए ऋण को माफ क्यों कर दिया? लेकिन आप बड़े लोगों द्वारा लिए गए ऋण के बारे में खामोश क्यों हैं? इन चुकी राशि तथा अग्रिम ऋण की राशि बहत अधिक है। आप यह भी नहीं चाहते कि लोगों के नाम सामने आएं।

[अनुवाद]

महोदय, मुझे इस बात का खेद है कि जब पाकिस्तान उन लोगों के नाम प्रकाशित कर सकता है तो आप गोपनीयता का बहाना क्यों बना रहे हैं, उन लोगों के नाम सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे और उन लोगों के मन में आते हैं जो बैंकों में कार्यरत हैं और बहुत ही साफ-सुथरे ढंग से लोगों की सेवा करते हैं। नरसिम्हम समिति के बारे में कई पूर्वाग्रहों के बावजूद मैं यह कहना पसंद करूंगा कि उसने यह बात स्वीकार की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखाओं के विस्तार, किसानों को ऋण देने और स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण देने इत्यादि के बारे में बहुत कुछ किया है।

क्या आप उन दिनों को भूल गए हैं जब हारवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण ने इस बात का उल्लेख किया था कि किसान ग्रामीण ऋणों के लिए पूरी तरह से साहूकारों पर निर्भर हैं? क्या आप उन दिनों को भूल गये हैं जब अन्य समितियों ने यह उल्लेख किया था कि बिचोलियों का उद्योग, व्यापार और वित्त हर चीज पर नियंत्रण है? क्या आप उन बातों को भूल गए हैं? क्या आप उसी स्थिति में लौटना चाहते हैं? आप लोगों के मन में यह प्रश्न है। बैंकों में कार्यरत लोगों के मन में यह प्रश्न है, हो सकता है कि आप व्यापक बहुमत, संख्यात्मक बहुमत से इस विधेयक को पारित करवा सकते हैं लेकिन आप आम जनता की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप उन लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जो बैंकों में कार्य कर रहे हैं और जिनसे बैंकों को मुनाफे में चलाना अपेक्षित है। आपको उन पर निर्भर रहना है लेकिन आप उनके विरोध पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मुझे आशा है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी। हम इस विधेयक का विरोध करते हैं। इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए, सरकार को जनता के पास जाना चाहिए और इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए। 1970 में एक दिन सभी बेंचें भरी हुई थी। लेकिन इस समय यह बेंचें खाली हैं और हम खाली बेंचों के सामने अपने देश के वित्तीय क्षेत्र के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। बहुत से सदस्यों की अपनी राय है। अतः हमें इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए। कृपया रुकिए, राष्ट्रीय मत जानिए, मजदूरों की राय जानिए। इस विधेयक को कुछ समय के लिए वापस लीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, सबसे पहले समय देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बैंकिंग कम्पनीज संशोधन विधेयक इस समय सदन में विचार के लिये प्रस्तुत है जिसके जरिये बैंककारी कम्पनीज अधिनियम, 1970 और अधिनियम, 1980 में आप संशोधन करने जा रहे हैं जिसका मैं विरोध करता हूं।

सबसे पहली बात यह है कि सत्ता पक्ष के लोगों को मैं बताना चाहता हूं और शायद इन्हें वह दिन याद होगा जब इसी सदन में काफी संघर्ष के बाद बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित विधेयक पास हुआ था और उस विधेयक के पास होने के बाद, आपको भी इसकी जानकारी होगी कि हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में जिस अजेय बहुत से जीतकर आयी थीं, लोगों ने समझा कि वे गरीबों की मसीहा हैं इसीलिये देश के गरीबों ने अजेय बहुमत से उन्हें इस सदन में भेजा था, आज वही सत्ता पक्ष एक नई आर्थिक नीति लाकर, इस विधेयक को सदन में लाया है। और इसलिए यह कहता है कि हम इस देश को आर्थिक मायने में मजबूत करने जा रहे हैं। आज जिन गरीबों को इन बैंकों के माध्यम से जो सहायता मिली थी उनको वापस लेने जा रहे हैं यह कहते हुए कि निजी और विदेशीकरण को हम ताकत देने जा रहे हैं, हम यह जानना चाहते हैं कि निजी और विदेशी कम्पनी को इस विधेयक से शक्ति देने जा रहे हैं और इस शक्ति को देकर आप क्या कीजिएगा। आपकी यह नीयत है कि जो बैंक राष्ट्रीयकृत हुए हैं उनको धीरे-धीरे समाप्त करें।

सबसे पहली बात यह है कि इसी बजट भाषण में हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने यह बतलाया था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक हैं उनमें जो वसूली नहीं हो रही है इसके कारण वहां के लिए ऋण बन्द कर दिया है, तो मैं उसी वक्त कहना चाहता था कि आखिरकार जो ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों को भेजा गया था, खासकर उन गरीबों को उन किसानों को, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लेकिन वहां जो ऋण दिए गए या वहां जो सामान दिए गए उनके बारे में कभी भी सरकार की तरफ से जांच नहीं हुई कि आखिर यह वसूली क्यों नहीं हो रही है।

महाजन से लेकर अगर हम आर्थिक मजबूती करेंगे, तो कोई ऐसा आदमी नहीं है, जो उस महाजन को पैसा नहीं दे। बैंक से हमने पैसा लिया। बैंक ने जो सामान दिया, बार-बार मैं इस बात को इस सदन में पेश करता रहा कि वह सामान जितना भी दिया गया वह घटिया किस्म का दिया गया।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

चाहे वह लाउडस्पीकर हो या कोई और समान हो, सबका सब नकली मिला, तो वह कर्जा कैसे वापस मिलेगा? अब आप यह कह रहे हैं कि हम कर्ज नहीं देंगे। अब आपकी नीयत साफ है कि गरीबों की तरफ से आपका दिमाग अलग हो रहा है। आप बड़े-बड़े व्यापारियों, विदेशियों और पूंजीपतियों के साथ जुड़ने जा रहे हैं और इंदिरा जी तथा नेहरू जी की आत्मा को आप तकलीफ देने जा रहे हैं। इस प्रकार से आप जो भी कहें, आप देशभक्ति का काम नहीं करने जा रहे हैं।

महोदय, मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आप बैंकों का निजीकरण करके आप विदेशियों को इन बैंकों को देने जा रहे हैं। जब विदेशी बैंक आधिपत्य जमा लेंगे, तो राष्ट्रीयकृत बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी हैं या जितने भी लोग हैं, वे सब के सब कहां जाएंगे, इस बात को भी आपको सोचना होगा। आज वे अपनी मांगों के लिए हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वे आने वाले खतरे से आपको बचाने के लिए आपको आगाह कर रहे हैं, आपका ध्यान खींच रहे हैं कि आने वाले दिन देश के लिए बहुत खतरनाक होंगे। उसी के ऊपर हम हमला कर रहे हैं। उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बिल को पास न करें।

सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि इस पर और भी विचार-विमर्श कराएं और उसके बाद इसको पास करें। विदेशी और निजीकरण का एक और अर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि ये बड़े-बड़े और थोक व्यापारियों के हाथ में चले जाएं तो आपको उससे पैसा मिलेगा, चाहे आपको बहुमत मिले या नहीं। लेकिन आप उस पैसे से बहुमत कर लेंगे, आपको बहुमत मिल जाएगा। हमारे ऐसे-ऐसे आदमियों को आप खरीद लेंगे। आपका पैसा काम करेगा, तो क्या लोकतंत्र का यही मतलब है? अगर सदन में आप यह कानून बना दें कि कोई आदमी किसी भी क्षेत्र में जीतकर आए, अगर वह अपनी पार्टी बदल ले, तो चाहे वे एकतिहाई बहुमत में अलग होने वाले लोग हों, उन्हें अपनी पार्टी बदलने के साथ ही अपने पद से रिजाइन देना चाहिए। यह कर दीजिए। फिर हम देखेंगे कि आप कैसे बहुमत में आते हैं? बहुमत में रहकर इस तरह से देश चलाना उचित नहीं समझते। आप कहते हैं जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से किसानों की हालत में सुधार हुआ है। हमें यह कहने में जरा भी शंका नहीं है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से किसानों ने ज्यादा लाभ उठाया है। यदि आप उसे हटा देंगे तो फिर से किसानों का उत्पादन खत्म कर देंगे। आप ऐसा न करें। यदि ऐसा करेंगे तो भविष्य में लोग आपको माफ नहीं करेंगे।

यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और देश में बैंकिंग प्रणाली के बेहतर कार्यकरण के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

महोदय, हम सबको मालूम है कि नरसिम्हन समिति का गठन आय निर्धारण करने और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में अधिक जोखिम वाली परिसम्पतियों के संबंध में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध करवाने के लिए किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और साथ ही सुझाव दिया कि सभी बैंकों को 31-3-96 तक की अत्यधिक जोखिम वाली उनकी परिसंपत्तियों के संबंध में अपनी पूंजी कम से कम आठ प्रतिशत के बराबर सुनिश्चित करनी होगी। इस विधेयक को सभा में लाने के कारणों में से एक कारण यह भी है।

बहुत से माननीय सदस्यों को आशंका है थी और उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि इस विधेयक से सरकार द्वारा 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण जिन उद्देश्यों से किया था वह विफल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का स्वरूप और कार्यकरण बरकरार रहेंगे और इस देश के सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था वह जारी रहेगा, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की सुविधा जारी रहेगी, ग्रामीण क्षेत्र को ऋण सुविधा जारी रहेगी लेकिन इन सब बातों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता है।

महोदय, हम सबको मालूम है कि 1985-86 से 1993-94 तक सरकार ने लगभग 9700 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है और इस वर्ष के बजट में भी इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी के लिए 5600 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। सरकार के संसाधन भी बहुत सीमित हैं। अतः सरकार के लिए यह संभव नहीं कि वह राष्ट्रीयकृत बैंकों की इन सभी विकास सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए अब अपेक्षित धन राशि उपलब्ध करा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकरा ने बैंकों पूंजी बाजार में जाने की अनुमति देने का निर्णय किया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे पास पर्याप्त सुरक्षा है।

इस विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि केन्द्र सरकार का हमेशा इन बैंकों की प्रदत्त पूंजी पर नियंत्रण 51 प्रतिशत से कम नहीं होगा। ऐसा भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक की प्राधिकृत पूंजी को दस रुपए का प्रति शेयर के 150 करोड़ के पूर्णतः प्रदत्त शेयरों में विभाजित कर दिया जाएगा। केन्द्र सरकार के अलावा किसी भी शेयरधारक को बैंक के सभी शेयरधारकों के मताधिकार के एक प्रतिशत से अधिक शेयर रखने के संबंध में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसे स्थाई समिति को भेजा गया था। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई थी और समिति के सदस्यों में एक मामले के अलावा सभी मामलों में सर्वसम्मति थी।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्होंने असहमति टिप्पण दिया है।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : केवल एक मामले में। मैं इस बात पर आऊंगा। बहुत से माननीय सदस्यों ने इन बैंकों के पूंजी निर्गम में 20 प्रतिशत के लगभग विदेश निवेश की आलोचना की है। हम सब को मालूम है कि केवल सरकारी क्षेत्र के इन बैंकों में ही नहीं बल्कि विनिर्माण

[श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति]

गतिविधियों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों में भी हमने विदेशी निवेश की अनुमति दी है। 49 प्रतिशत में से हम केवल 20 प्रतिशत की अनुमति दे रहे हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की यह अधिकतम सीमा है।

बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की आशंका है कि वे अलग-अलग नामों से पंजीकृत होंगे और देश में पूरी बैंकिंग व्यवस्था के प्रशासन पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। यह सही नहीं है। इन विदेशी निवेशकों को अपने आपको भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत करवाना होगा और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियमन के मौजूदा निर्देशों के अन्तर्गत करवाना होगा। इन बैंकों के प्रशासन पर नियंत्रण बनाने के लिए अलग-अलग नामों से निवेश करना इतना आसान नहीं है।

अनेक माननीय सदस्यों ने बैंकों के निदेशकों के बारे में चर्चा की है, स्थाई समिति की रिपोर्ट के अनुसार छह गैर सरकार और नौ सरकारी निदेशक हैं। इस तरह से सरकार का इन बैंकों पर पूरा नियंत्रण होगा। कुछ माननीय सदस्यों को आशंका है कि कुछ निदेशक बैंक के प्रशासन को अपने हाथ में ले लेंगे। यह बात सही नहीं है क्योंकि 15 निदेशकों में से 9 निदेशक सरकारी पक्ष के हैं। अतः वे इन बैंकों पर कारगर नियंत्रण रख सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य ने जिस बात पर व्यवधान किया उसके संबंध में, कहूंगा कि उसकी सर्वसम्मति से सिफारिश नहीं की गई है। मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन ये पांच सिफारिशें स्वीकार की गई हैं।

कुछ माननीय सदस्यों के निजी क्षेत्र द्वारा ऋण देने के बारे में संदेह प्रकट किया है। मैं एक बार पुनः आपको आश्वासन देता हूं कि ये बातें और अधिक जोर-शोर से जारी रहेंगी।

श्री बसुदेव आचार्य : निजीकरण के बाद भी।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : आचार्य जी हम इस बात को देखेंगे। आप चिन्तित क्यों हैं?

महोदय, वरिष्ठ सदस्य श्री चटर्जी सहित माननीय सदस्यों ने अनेक मुद्दे उठाए थे। लेकिन इन सभी मुद्दों पर स्थाई समिति जिसके वे भी सदस्य थे, ने विचार किया था। समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है और सरकार ने उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है।

मेरे सहयोगी और युवा साथी श्री रमेश चेन्नित्तला ने संदेह व्यक्त किया है कि शेयर का सामान्य मूल्य आरक्षित मूल्य से कम होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। महोदय यह बात सही नहीं है। शेयर का मूल्य सेबी के मार्ग निर्देशों के साथ-साथ मर्चेन्ट बैंकर्स के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।

श्री मोहन सिंह ने बताया है कि बहुत-सी ग्रामीण शाखाओं को बंद किया जाना वाला है।

यह बात सही नहीं है। रिजर्व बैंक ने घाटे में चल रही लगभग 10,000 शाखाओं का पता लगाया है और उसने केवल 100 शाखाओं को बंद करने का सुझाव दिया है लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कांग्रेस सरकार कहती है कि चूंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हमारी स्वर्गीय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। हम इसके गरीबों के, जरूरतमंदों के तथा पात्र लोगों के प्रति वचनबद्ध हैं। इस विधेयक के बावजूद हमारे राष्ट्रीयकृत का कार्य जारी रहेगा अर्थात् बैंकों का सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण की सुविधा जारी रहेगी और ग्रामीण क्षेत्र को सभी लाभ मिलेंगे। राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो भी उद्देश्य हैं वे और ज्यादा जोर-शोर से जारी रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि बैंक बेहतर काम करें, इसके लिए वे इस विधेयक का समर्थन करें।

[मत विभाजन संख्या 14]

पक्ष में

समय : 05 : 26 म०प०

अकबर पाशा, श्री बी०

अन्बारासु, श्री आर०

अयूब खां, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

अहिरवार, श्री आनन्द

इस्लाम, श्री नुरुल

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुडाडिन्नी, श्री बी० के०

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पबन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, डा० के० वी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्रीमती संतोष

*चौहान, श्री चेतन पी० एस०

जाखड़, श्री बलराम

टाईटलर, श्री जगदीश

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्काबालू, श्री के० वी०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, श्री पी० सी०

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

थुंगन, श्री पी० के०

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री संतोष मोहन

नायक, श्री सुभाष चन्द

न्यामगौड, श्रीसिद्दप्पा भीमप्पा

पंवार, श्री हरपाल

पटनायक, श्री शरत

पदमा, डा० (श्रीमती)

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पवार, डा० बसंत

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फारूक, श्री एम० ओ० एच०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटा सिंह, श्री

ब्रह्मो चौधरी, श्री सत्येन्द्रनाथ

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंहराव

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपासिन्धु

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माथुर, श्री शिवचरण

मीणा, श्री भेरूलाल

मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

राजेश्वरी, श्रीमती बासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राय, श्री कल्पनाथ (घोसी)

राय, श्री रामनिहोर

रावत, श्री प्रभु लाल

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री जी० गंगा

रेड्डी, श्री वाई० एस०

रोशनलाल, श्री

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कुमारी विमला

विलियम, मेजर जनरल आर० जी० (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

साय, श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिंगला, श्री संतराम

सिलवेरा, डा० सी०

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह देव, श्री के० पी०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुरेश, श्री कोडीकुन्नील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

पक्ष में : 113

विपक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जॉन

अंसारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

*उम्ब्रे, श्री लाईता

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

*कुली, श्री बालिन

खां, श्री सुखेन्दु

गोपालन, श्रीमती सुशीला

घंगोर, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

झा, श्री भोगेन्द्र

*ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पासवान, श्री छेदी

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बर्मन, श्री उद्धव

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मधुकर, श्री कमला मिश्र

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

महतो, श्री बीर सिंह

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुरुगु, श्री रूपचन्द

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

लालजान वाशा, श्री एस० एम०

शिवरामन, श्री एस० (ओट्टापलम)

*साही, श्रीमती कृष्णा

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री हरि किशोर

स्वामी, श्री सुरेशानन्द

विपक्ष में : 43

[अनुवाद]

सभापति महोदय : **शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा–

---

*गलती से विपक्ष में मतदान किया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में : श्रीमती कृष्णा साही, सर्वश्री पी० वी० रंगय्या नायडु, सलमान खुर्शीद, लाईता उम्ब्रे, जगबीर सिंह, श्रीमती बिभू कुमारी देवी, सर्व श्री प्रबीन डेको, गुरुदास कामत, महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर, एम० कृष्ण स्वामी, बालिन कुली, पी० पी० कालियापेरूमल।

विपक्ष में : सर्व श्री धर्मभिक्षम, संतोष कुमार गंगवार, चेतन पी० एस० चौहान, जगत बीर सिंह द्रोण, नरेश कुमार बालियान, जी० एल कनोजिया, बृजभूषण शरण सिंह, राजवीर सिंह, दाऊ दयाल जोशी, राम टहल चौधरी, कबीन्द्र पुरकायस्थ, दत्तात्रेय बंडारू, डी० डी० खनोरिया, श्याम बिहारी मिश्र, लाल कमल, पंकज चौधरी।

पक्ष में : 113

विपक्ष में : 43

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर, खंडवार, विचार करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4 : धारा 3 का संशोधन

सभापति महोदय : खंड 4 में सरकार का संशोधन का प्रस्ताव है। श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति किया गया संशोधन

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"परन्तु कोई व्यक्ति या भारत के बाहर निवासी कंपनी या ऐसी किसी विधि के अधीन, जो भारत में प्रवृत्त नहीं है निगमि कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा, जो भारत के बाहर निवासी हो या नहीं किसी भी समय तत्स्थानी नए बैंक के अंशों (शेयरों) को धारण करेगी या अन्तरण द्वार अथवा अन्यथा अर्जित करेगी जिससे कि ऐसा विनिधान कुल मिलाकर उस प्रतिशतता से अधिक न हो जाए जो समादत पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचनां द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है।"

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6–धारा 9 का संशोधन

सभापति महोदय : खंड 6 में सरकार का संशोधन का प्रस्ताव श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति।

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 4, पंक्ति 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये–

"परन्तु यह कि कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "तत्स्थानी नया बैंक" अभिव्यक्ति के अंतर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 के अर्थान्तर्गत तत्स्थानी नया बैंक होगा।" (4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये–

"(गग) दो से अनधिक निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन समय-समय पर अधिसूचित लोक वित्तीय संस्था और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित अन्य संस्थाओं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समादत शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न रखती हों, में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।" (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 33,–

"चार्टर्ड अकाउंटेंट हो" के स्थान पर 'कम से कम पंद्रह वर्ष तक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हो" प्रतिस्थापित किया जाये।" (6)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक बोर्ड इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप मे उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस समय तक के लिए सहयोजित कर सकेगा जब तक कि कोई निदेशक तत्स्थानी नए बैंक द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में अंक (शेयर) धारकों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के अंश (शेयर) धारकों द्वारा निदेशक के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।" (7)

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 से 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 12–धारा 3 का संशोधन

सभापति महोदय : खंड 12 में सरकार का संशोधन का प्रस्ताव है।

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 8, पंक्ति 16 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"परंतु कोई व्यक्ति या भारत के बाहर निवासी कंपनी या ऐसी किसी

विधि के अधीन, जो भारत में प्रवृत नहीं है निगमित कोई कंपनी या ऐसी कंपनी की कोई शाखा, जो भारत के बाहर निवासी हो या नहीं किसी भी समय तत्स्थानीय नए बैंक के अंशों (शेयरों) को धारण करेगी या अंतरण द्वारा अथवा अन्यथा अर्जित करेगी जिससे कि ऐसा विधान कुल मिलाकर उस प्रतिशतता से अधिक न हो जाए जो समादत्त पूंजी के बीस प्रतिशत से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम है।" (8)

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14–धारा 9 का संशोधन

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 8, पंक्ति 20 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"परंतु यह कि कोई ऐसा निदेशक किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक का निदेशक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "तत्स्थानी नया बैंक" अभिव्यक्ति के अंतर्गत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 के अर्थान्तर्गत तत्स्थानी नया बैंक होगा।" (01)

पृष्ठ 9, पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये—

"(गग) दो से अनधिक निदेशक, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 3 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट या धारा 4क की उपधारा (2) के अधीन समय-समय पर अधिसूचित लोकवित्तीय संस्था और किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित अन्य संस्थाएं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारित या नियंत्रित समादत्त शेयर पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम न रखती हों, में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे।"(10)

पृष्ठ 9, पृष्ठ 31–

"चार्टर्ड अकाउंटेंट हो" के स्थान पर "कम से कम पन्द्रह वर्ष तक चार्टर्ड आकउंटेंट रहा हो" प्रतिस्थापित किया जाये।(11)

[अनुवाद]

पृष्ठ 10, पंक्ति 30 से 32 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

"और इस प्रकार हटाए जाने पर, निदेशक बोर्ड इस प्रकर हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में उपधारा (3क) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस समय तक के लिए सहयोजित कर सकेगा जब तक कि कोई निदेशक तत्स्थानी नए बैंक द्वारा अपनी वार्षिक साधारण बैठक में अंश (शेयर) धारकों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तत्स्थानी नए बैंक के अंश (शेयर) धारकों द्वारा निदेशक के रूप से सम्यक रूप से निर्वाचित किया गया समझा जायेगा।"

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा व्यवस्था प्रश्न है कार्य-सूची में ····

सभापति महोदय : श्री आचार्य जी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आधे घण्टे की चर्चा की जानी है। आधे घण्टे की चर्चा सायंकाल 5.30 बजे शुरू की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इस समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सभा विधेयक परित करने की प्रक्रिया में है। अतः हम इन्तज़ार कर सकते हैं। कुछ भी व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, आधे घण्टे की चर्चा गैर-सरकारी सदस्यों के लिए है।

श्री बसुदेव आचार्य : कृपया पहले सभा की भावना समझिए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महोदय ...

सभापति महोदय : हमेशा की तरह, आप बोलने लग गये हैं। अब और सदस्यों के बोलने की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे अपना विनिर्णय देने दीजिए। कृपया आप बैठ जाइए। मामला सभा के ध्यान में लाया गया है। चूंकि सभा विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया में संलग्न है, इसलिये हम अवश्य उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। परन्तु अभी मैं समझता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज ने जो कुछ कहा, वह ठीक है। यह गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित समय है और मुझे सभा की भावना को महत्व देना होगा।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : कृपया आप कार्य-सूची देखिए। उसमें ऐसा लिखा है और मैं उसको उद्धृत करता हूं :

> "5.30 म०प० पर अथवा सभा के कार्य की पूववर्ती मदों को निपटा लिये जाने के पश्चात् इसमें, जो भी पहले हो, लिया जाएगा।"

जब तक विधेयक पारित नहीं होता तब तक इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इसका क्या मतलब है? **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं श्री बूटा सिंह का अभारी हूं कि उन्होंने एक अत्यंत सूक्ष्म अन्तर की ओर संकेत किया है। लेकिन इसके बावजूद, चूंकि कार्य-सूची में पहले से ही इसका उल्लेख किया गया है, मैं सभा की भावना को समझना चाहता हूं क्योंकि सभा विधेयक पारित करने की प्रक्रिया में है।

कई माननीय सदस्यगण : जी, हां।

सभापति महोदय : चूंकि यह सभा की भावना है हमें विधेयक पर चर्चा जारी रखनी चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : सभा की भावना का निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है।

सभापति महोदय : मैं जानता हूं। हम लगातार बाधाएं डालकर गैर-सरकारी सदस्यों के लिए आबंटित समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः सभा की भावना के अनुसार हम विधेयक को पारित करने का काम जारी रख रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : आपने सभा की भावना को महत्व नहीं दिया है। आप मतदान करवाइए।

सभापति महोदय : कृपया आप इस बात को समझिए कि हमें सभा की भावना को महत्व दिया है। सभा की भावना का निर्णय मतदान द्वारा नहीं किया जाता है।

श्री बसुदेव आचार्य : इस पर मतैक्य नहीं है। हमें यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं है।

सभापति महोदय : आचार्य जी, आप सभा की आम सहमति को समझने की कोशिश कीजिए। चूंकि सभा की भावना विधेयक का पारित करने का कार्य जारी रखना है, अतः इस कार्य को जारी रखें।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 14, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 15 से 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 15 से 17 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1–संक्षिप्त नाम और लागू होना।

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6–

'1993' के स्थान पर "1994"

प्रतिस्थापित किया जाये। (1)

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चवालीसवें" **के स्थान पर** "पैंतालीसवें"

प्रतिस्थापित किया जाये।(1)

(श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : आचार्य, जी क्या आप बोलना चाहेंगे ?"

श्री बसुदेव आचार्य : क्यों नहीं, श्रीमान जी ?

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, में संक्षेप में बोलने की कोशिश करूंगा।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, ऐसी स्थिति में आप कृपया सभी तीन शब्दों को पारिभाषित कीजिए कि संक्षेप का क्या अर्थ है, अति संक्षेप का क्या अर्थ है और अत्यंत संक्षप से क्या तात्पर्य है।

श्री बसुदेव आचार्य : सभापति महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक और जन-विरोधी विधेयक है जिसे सरकार आज पारित करना चाहती है। हम इस विधेयक को आपत्तिजनक एवं जन विरोधी इसलिए कह रहे हैं कि . . . **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह सब कुछ पहले ही कहा जा चुका है। आप केवल उन्हीं मुद्दों पर बोलिए जिनका पहले उल्लेख नहीं किया गया है। इस समय आम चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे खेद है कि आप आम चर्चा की ओर बढ़ रहे हैं। अब आम चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं आम चर्चा की ओर नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ विशिष्ट मुद्दों पर बोलना है।

महोदय, मैंने विधेयक को आपत्तिजनक एवं जन विरोधी इसलिए कहा है क्योंकि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। बैंकों का राष्टीयकरण क्यों किया गया था? वह इसलिए क्योंकि निजी प्रबंधन के अन्तर्गत बैंकों के उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की हजारों शाखाएं खोली गयीं। राष्ट्रीयकरण से पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में शायद ही कोई शाखा थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। **(व्यवधान)** उस समय उन्होंने इसका समर्थन किया था। अब आप इसका उल्लेख कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य, इस समय आप कुछ स्पष्टीकरण मांग सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोलेंगे। कृया आप संक्षेप में प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। मैं उन्हीं मुद्दों पर आ रहा हूं।

आज यह विधेयक पारित कर सरकार बैंकों का अराष्ट्रीयकरण करने का प्रयास कर रही है। सभा में अनेक बार हमने यह आशंका व्यक्त की थी। सरकार का तब क्या उत्तर था? उस समय उन्होंने यह कहा था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का अराष्ट्रीयकरण अथवा निजीकरण नहीं होगा। यदि यह निजीकरण नहीं है तो निजीकरण क्या है?

हमारे द्वारा उठाए गए इस मुद्दे अथवा इस संबंध में व्यक्त की गई आशंका कि सरकार का

कोई नियंत्रण नहीं रहेगा अथवा कम नियंत्रण होगा, उन्होंने इस संबंध में अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे। मेरे मित्र श्री जेना और मेरे विचार एक समान हैं।

सभापति महोदय : श्री आचार्य कृपया सीधे मंत्री महोदय को ही प्रश्न पूछिए। वह उत्तर देंगे। अब कोई भाषण नहीं दिया जाएगा। कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : जो उनकी नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी ने 1969 में किया था वे उसे समाप्त कर रहे हैं। इस समय भी मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे यह विधान लाकर जो कार्य कर रहे हैं उस पर पुनः विचार करें। यह उनका अपना निर्णय नहीं है। ऐसा किया जा रहा है ...

सभापति महोदय : श्री आचार्य आप गैर-सरकारी सदस्यों के लिए नियत समय भी ले रहे हैं। कृपया बात को समझिए। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री बसुदेव आचार्य : आप हमारी बात नहीं सुन रहे थे। हम इस चर्चा को 5.30 बजे गैर-सरकारी सदस्यों के कारण स्थगित करना चाहते थे। आप हमारे विचारों से सहमत नहीं थे **(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न हैं मेरा आधे घंटे का प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सभापति महोदय : हम इसके बाद तत्काल इसे लेंगे।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री आचार्य, कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कैसे बैठ सकता हूं। मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। मैं बैठ नहीं सकता हूं। आप मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : मैं आपको समय दूंगा। कृपया आप बैठ जाइए।

श्री आचार्य, आप इस सभा के अत्यंत वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया पीठासीन अधिकारी को ऐसा अरुचिकर निर्णय लेने के लिए मजबूर न करें। विधेयक के इस चरण पर आपसे भाषण देने की उम्मीद नहीं की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : जी हां, आप भाषण ही दे रहे हैं। कृपया विधेयक के समर्थन या विरोध में प्रश्न या स्पष्टीकरण पूछें। आप संक्षेप में अपनी बात रखिए और भाषण मत दीजिए। आपसे केवल यही आशा की जाती है।

श्री बसुदेव आचार्य : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।

[श्री बसुदेव आचार्य]

हम विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते हैं। हम इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? मैं यह कह रहा था ...

सभापति महोदय : कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य : बहस के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा कि इस विधान के अधिनियम के बाद ही सरकार का बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। ऐसा कैसे होगा? सरकार का राष्ट्रीयकृत बैंकों पर पूरा नियंत्रण कैसे रहेगा?

सभापति महोदय : जी हां, अगल प्रश्न क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें उत्तर देना चाहिए। बैंकों का निजीकरण या अराष्ट्रीयकरण करने से इन बैंकों से निर्धन किसानों या कारीगरों को कैसे ऋण प्राप्त होगा। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में क्या स्थिति है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशानुसार 40% से घटाकर 10% कर दिया गया है। अब वे गैट समझौते को लागू कर रहे हैं और जनता इस कदम का समर्थन नहीं करेगी। संपूर्ण बैंकिंग उद्योग 11 मई को बिल्कुल ठप्प हो जाएगा क्योंकि उस दिन वे इस और काले विधेयक के विरुद्ध हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए इस समय मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर पुनः विचार करें और इस निंदात्मक तथा काले विधेयक को वापिस लें।

सभापति महोदय : अब श्री जार्ज फर्नान्डीज अपना प्रश्न पूछेंगे। मंत्री महोदय साथ ही दोनों का उत्तर दे देंगे।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : सभापति जी, हम इस विधेयक के विरोध में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। यह विधेयक जब हमारी स्टैण्डिंग कमेटी में आया था तो उस वक्त सरकार के अधिकारियों ने हम लोगों की समिति के सामने बयान देने का काम किया था। इस बिल को लेकर पहले जो गलतफहमियां देश में फैलाने की बात हुई थी कि इसमें निजीकरण का कोई रास्ता नहीं है, चूंकि 51 प्रतिशत इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जो पूंजी है वह सरकार के हाथ में रहेगी, मात्र 49 प्रतिशत बाहर ही जाएगी। यह एक तर्क देश के सामने रखने का काम हुआ था कि निजीकरण का जो डर हम जैसे लोग बता रहे हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है और दूसरा यह भी बताया गया कि विदेशी लोगों के हाथों में हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जाने का कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो दवाई हम लोगों के सामने आई थी, उसमें ये दोनों बातें हमारे मन के डर की बात या मन की पीड़ा के तौर पर बता रहे थे, वह नहीं थी, बल्कि हमारी सोच इसमें दुरुस्त थी। इसके लिए संबंधित अधिकारियों से और विशेषकर देश के वित्त सचिव से दवाई तो मिल गई। चूंकि उन्होंने एक यह बात कही कि 49 प्रतिशत शेयर निजी लोगों के हाथों में जाएंगे, शेयर बाजार में वह रजिस्टर हो जाएंगे तो एक बार वह लिस्ट होने के बाद 49 प्रतिशत को कोई भी खरीद सकता है। न केवल देश का कोई एक व्यक्ति या

संस्था, बल्कि कोई विदेशी व्यक्ति या संस्था भी खरीद सकती है, यह सरकार ने खुद अपने बयान में समिति के सामने बताया है।

दूसरा यह भी बताया कि जब यह पूछा गया चूंकि वित्त सचिव यह कहने को बहुत आतुर थे कि 51 प्रतिशत पूंजी हमारे हाथों में रहेगी, तो मान लिया विदेशियों ने भी आकर शेयर खरीद लिये तब भी चूंकि 51 प्रतिशत मेजौरिटी हमारे हाथों में रहेगी, इसलिए ऐसा खतरा नहीं है विदेशियों के हाथों में जाने का। लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि क्या आज जो 51 प्रतिशत का कानून बनाने के लिए आप सामने आए हैं तो कल 51 का 91 नहीं हो सकता, 100 नहीं हो सकता? तब उनका जवाब था कि सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं आज इस सदन को और देश को कहना चाहता हूं और देश को कहना इसलिए जरूरी है कि 1969 का वह दिन मुझे याद है, मैं इस सदन का सदस्य था जब चौथी लोक सभा थी। बंगलौर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थीं। इस सम्मेलन को जाते वक्त जहाज में उनके मन में आए हुए वह विचार थे। उन्हीं के कथन के अनुसार कुछ इधर-उधर के विचार थे। मैं इस पर कोई लंबी बात नहीं कहूंगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : फर्नान्डीज जी, आपकी अनुपस्थिति में ये सभी मुद्दे पहले ही उठाए जा चुके हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं संबद्ध नियम का उल्लेख करता हूं। नियम 94 में कहा गया है :

> "इस प्रस्ताव पर कि विधेयक या विधेयक संशोधित रूप में, यथास्थिति पारित किया जाये, चर्चा विधेयक के समर्थन में या उसे अस्वीकार करने के लिए दिए गए प्रतर्कों तक सीमित होगी। भाषण करते समय सदस्य विधेयक के ब्यौरे का उससे अधिक उल्लेख नहीं करेगा जितना कि उसके प्रतर्कों के प्रयोजन के लिए, जो कि सामान्य रूप के होंगे, आवश्यक हो।"

अतः इस चरण पर प्रश्न पूछना उचित नहीं है।

सभापति महोदय : यह संदर्भ के बारे में सुसंगत है। कभी-कभी पीठासीन अधिकारी को अपने स्वविवेक के निर्णय लेना होता है?

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : अतः आपने इस नियम को स्थगित कर दिया है। ठीक है, नियम में कहा गया है कि प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है। विधेयक के समर्थन या विरोध में विचार व्यक्त करने चाहिए। विधेयक का विस्तृत उल्लेख आवश्यक नहीं है जब तक कि यह आम चर्चा के समर्थन में न हो।

इस प्रकार आम टिप्पणियां संगत हैं और अन्यथा नहीं। मैं इसी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सभापति जी, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम और उस वक्त का फैसला इसलिये नहीं ले रहा हूं कि हम यहां पर उस पर कोई बहस करें लेकिन मुझे याद है कि उस विधेयक को जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने ए० आई० सी० सी० में रखा, उसके बाद जब वह विधेयक सदन में आये तो उस समय राष्ट्रीयकरण का विरोध करने वाली जमात की शक्लें आज हमारे सामने खड़ी हो रही हैं। ... **(व्यवधान)** ... हां, दोनों तरफ की, आज उनकी शक्लें हमारी आंखों के सामने खड़ी हो रही हैं।

हमारा श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस सरकार से हमेशा झगड़ा रहा है लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में, हम समर्थन में बोलने और प्रचार करने वाले लोगों में हैं। आज हम देख रहे हैं कि उस समय जिन लोगों ने उसका विरोध किया था, उनकी बात को, उनकी बाजू को, आज सरकारी पार्टी ने अपने हाथों में ले लिया। तब भी पंडित जवाहर लाल नेहरू का नाम और उनका समाजवाद से जुड़ा संबंध, इंदिरा गांधी का नाम और उसका समाजवादी विचारों से जुड़ा संबंध कहने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है। स्वतंत्र पार्टी, हिन्दुस्तान के राजे-महाराजे और सारे दकियानूसी लोग, जिन्होंने उस समय न केवल इस सदन में विरोध किया, न केवल बाहर इसके खिलाफ जिहाद पुकारा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर, इस विधेयक के रखने के बाद, पास होने के बाद, उसका रोकने का हर संभव प्रयास किया था, आज उनके उत्तराधिकारी ये बन गये हैं मुझे यही बात बतानी है। आज स्वतंत्र पार्टी के उत्तराधिकारी, दकियानूसी लोगों के उत्तराधिकारी इस देश की वें तमाम ताकतें बन गयी हैं जिन्होंने हर प्रकार की प्रगति का कदम-कदम पर विरोध किया था। उनके उत्तराधिकारी बनकर ये लोग आज यहां बैठे हुये हैं, मुझे यही गुस्सा है और इसी संदर्भ में मैंने आज श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सदन के सामने लिया।

मैं यहां कोई भाषण नहीं देना चाहता, केवल एक और बात इसी संदर्भ में कहूंगा। जब आप 51 प्रतिशत शेयर सरकार के हाथों में रखकर, 49 प्रतिशत पब्लिक में ले जाने का काम कर रहे हैं, आखिरी कदम उठाने से पहले यह आपका एक कदम है, इसके बाद का कदम, सरकार द्वारा बैंकों का न केवल निजीकरण बल्कि विदेशी लोगों के हाथों में हमारे देश की पूंजी को देने का काम होना है ...

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप चर्चा के समय अनुपस्थित थे। इनमें से अधिकांश मुद्दे उठाए जा चुके हैं। आप सही मुद्दे उठा रहे हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन ये मुद्दे उठाए जा चुके हैं और उनका उत्तर दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिये आखिरी बात मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुझे इन दोनों चीज़ों से परेशानी है। कल के टाइम्स ऑफ इंडिया और कल के ही हिन्दुस्तान टाइम्स अखबारों में पूरे

पन्ने का एक विज्ञापन निकला है जो कि जनरल इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन ऑफ अमेरिका की फाइनैन्शयल सर्विस द्वारा निकाला गया है। और यह कहता है कि वह इतना ताकतवर है कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए की पूंजी है उस जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के पास और वह हिन्दुस्तान में आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, उसके लिए, लोहे से लेकर रेफ्रिजरेटर और मोटरगाड़ी तक, जो कुछ भी खरीदना है, उसके लिए जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी, विश्व का छठे नंबर का अमरीकी कार्पोरेशन, कर्ज देने के लिए तैयार है। दिये से लेकर कपड़े तक चाहे कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ हो, सबके लिए वह कर्ज देने के लिए तैयार है। **(व्यवधान)**

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : वह सरकार को भी खरीद सकता है। **(व्यवधान)**

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो सभापति जी, विदेशी बैंक हिन्दुस्तान में आएंगे और हमारे बैंक विदेशियों के हाथों में जाएंगे, तो इस प्रकर से आप गुलामी का काम इस हद तक करने वाले हो जिसके लिए इस देश को मुझे आगाह करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकारी दल की पूरी निन्दा करते हुए, आज इन्होंने अपनी नई जिम्मेदारी स्वतंत्र पार्टी की अपने ऊपर उठाई है, इसकी निन्दा करते हुए, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : दो या तीन मुद्दे उठाए गए हैं जिनका आपने उल्लेख नहीं किया है और अब आप संक्षेप में उनका उत्तर दे दीजिए।

श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए लगभग सभी मुद्दों का उत्तर दे दिया है। मैं इस माननीय सभा को और इस सभा के माननीय सदस्यों को एक बार फिर यह आश्वासन देना चाहता हूं कि इन बैंकों का स्वरूप और कार्य वैसे ही रहेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

6.00 म०प०

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

[मत-विभाजन संख्या 15]

अकबर पाशा, श्री बी०

अन्बारासु आर०, श्री

अयूब खां, श्री

अरुणाचलम, श्री एम०

अहिरवार, श्री आनन्द

इस्लाम, श्री नुरुल

उम्ब्रे, श्री लाईता

कामत, श्री गुरुदास

कालियापेरूमल, श्री पी० पी०

कुरियन, को० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुडाडिन्नी, श्री बी० के०

गोमांगो, श्री गिरिधर

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मरगथम

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वरभाई खोडाभाई

चेन्नित्तला, श्री रमेश

चौधरी, डा० के० वी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्रीमती संतोष

जाखड़, श्री बलराम

ठाकुर, श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेनिस, श्री एन०

डेका, श्री प्रबीन

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्काबालू, श्री के० वी०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फ्रिडा

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

दलबीर सिंह, श्री

दादाहूर, श्री गुरुचरण सिंह

दास, श्री अनादि चरण

देव, श्री संतोष मोहन

नायक, श्री सुभाष चन्द्र

न्यामगोड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पदमा, डा० (श्रीमती)

पवार, डा० वसन्त

पांजा, श्री अजित

पाटील, श्री अन्वरी बसवराज

पाटील, श्री उत्तमराव देवराव

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पायलट, श्री राजेश

पालाचोला, श्री वी० आर० नायडू

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फारूख, श्री एम० ओ० एच०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भूरिया, श्री दलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपासिन्धु

मरबनिआंग, श्री पीटर जी

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माथुर, श्री शिवचरण

मीणा, श्री भेरूलाल

मुजाहिद, श्री बी० एम०

मुनियप्पा, श्री के० एच

मुरलीधरन, श्री के०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

यादव, श्री सूर्यनारायण

राजेश्वरी, श्रीमती वासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

रामबाबू, श्री ए० जी० एस०

राय, श्री कल्पनाथ

राय, श्री रामनिहोर

राव राम सिंह, कर्नल

रावत, श्री प्रभु लाल

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री जी० मंगा

रेड्डी, श्री मगुन्टा सुब्बारामा

रेड्डी, श्री वाई० एस०

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, कुमारी विमला

विलियम्स, मेजर जनरल आर० जी० (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय)

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

साय, श्री ए० प्रताप

सावन्त, श्री सुधीर

सिंगला, श्री संत राम

सिलवेरा, डा० सी०

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंहदेव, श्री के० पी०

सुखराम, श्री

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुन्दरराज, श्री एन०

सुरेश, श्री कोड्डीकुन्नील

सोढ़ी, श्री मानकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

पक्ष में : 123

विपक्ष में

अंजलोज, श्री थाइल जॉन

अंसारी, डा० मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

खां, श्री सुखेन्दु

गोपालन, श्रीमती सुशीला

थंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चौधरी, श्रीमती संतोष

जेना, श्री श्रीकान्त

झा, श्री भोगेन्द्र

पासवान, श्री छेदी

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बर्मन, श्री उद्धव

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

महतो, श्री बीर सिंह

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुरमु, श्री रूपचंद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

लालजान बाशा, श्री एस० एम०

शिवरामन, श्री एस०

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री हरि किशोर

विपक्ष में : 33

सभापति महोदय : शुद्धि* के अध्यधीन, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 123

विपक्ष में : 33

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(व्यवधान)

6.04 म०प०

(इस समय श्री बासुदेव आचार्य और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

सभापति महोदय : अब सभा आधे घंटे की चर्चा आरम्भ करेगी। श्री संतोष कुमार गंगवार बोलेंगे।

6.05 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : सभापति महोदय, संबंध प्रश्न महत्वपूर्ण था। तारांकित प्रश्न संख्या 107 जो माननीय लोढा साहब का था, उस पर काफी देर तक चर्चा हुई लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि संबंधित मंत्रालय केवल योजनाओं के लिये ही बना था। इस मंत्रालय के ऊपर यह

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया;

पक्ष में– सर्व श्री आर० एल० भाटिया, जंगबीर सिंह, श्रीमती विभू कुमारी देवी, सर्वश्री ए० आर० अन्तुले, शरत पटनायक, रोशन लाल तथा के० टी० तुलसिऐया वान्डायार

विपक्ष में– सर्वश्री धर्म भिक्षम तथा शशि प्रकाश।

जिम्मेदारी थी कि 20 करोड़ से ऊपर की योजनाओं को कैसे जल्दी पूरा किया जाये? इस मंत्रालय ने उस हिसाब से काम नहीं किया।

सभापति महोदय, यदि आप उस दिन की चर्चा देखें तो आपको निश्चित रूप से यह लगेगा कि इस मंत्रालय का कोई उपयोग नहीं था। ऐसा महसूस होता है कि इस मंत्रालय ने केवल डाकिये का काम किया। मंत्री जी ने स्वयं 2-3 बार यह कहा कि :

[अनुवाद]

"मैं आपको लक्षित से अधिक से अधिक लागत व अधिक समय के बारे में जानकारी दे सकता हूं। परियोजनावार जानकारी भी एकत्र, कर मैं उसको माननीय सदस्य को दे दूंगा।"

[हिन्दी]

मंत्री ने कहा कि इस संबंधित मंत्रालय से इस बात की जानकारी लेकर बतायेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि हम इस मंत्रालय के ऊपर ही आधारित हैं, हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं। मंत्री ने इसके ऊपर चिन्ता भी व्यक्त नहीं की और यह जानकारी सही नहीं दी कि मंत्रालय इन योजनाओं के बारे में क्या विचार रखता है? 20-12-93 को एक अतारांकित प्रश्न जो राज्य सभा में था, उसके उत्तर में यह बताया था कि 109 प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं जिन पर 50 परसैंट से ज्यादा की लागत बढ़ गई है जिस की लागत मूल रूप में 31501.6 करोड़ रुपये की थी जो बढ़ कर 75598 करोड़ हो गई है। वे योजनायें बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर थीं जिसके कारण उन पर रखी गई राशि को बढ़ाया गया। 109 परियोजनायें 31 हजार करोड़ की थीं जो बाद में 75 हजार करोड़ रुपये की हो गईं। अकेली एक परियोजना फर्टिलाइजर की 80 करोड़ की थी जो कि बढ़ कर 782 करोड़ की हो गई। 788 परसैंट उसकी लागत बढ़ गई।

अगर आप देखें तो रेलवे की 93 परियोजनाओं में से 27 परियोजनायें का हिसाब-किताब 1848 करोड़ था, वह बढ़कर 6364 करोड़ हो गया। करीब ढ़ाई सौ परसैंट की वृद्धि हो गई। एटॉमिक एनर्जी जो कि बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, उसकी चार में से तीन परियोजनायें देरी से चल रही हैं। उसकी कीमत 213 परसैंट बढ़ गईं। वह 824 करोड़ से बढ़कर 5717 करोड़ रुपये हो गई। इस कारण बहुत नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ रहा है। इस पर हम कुछ सोच-विचार नहीं कर रहे हैं।

दूसरा अतारांकित प्रश्न संख्या 1843 का राज्य सभा में 31-3-93 को यह जवाब दिया गया कि 353 परियोजनाओं में से 174 की कॉस्ट-ओवर चल रही है, उसकी कॉस्ट 65 परसैंट बढ़ गई है। वह 52 हजार करोड़ से बढ़कर 87 हजार करोड़ हो गई।

तारांकित प्रश्न संख्या 107 जो कि लोक सभा में था, उसके अन्दर बताया गया कि 368 में से 177 परियोजनायें निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं। इनकी लागत 53930 करोड़ से बढ़कर

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

78363 करोड़ हो गई। रेलवे की 44, भूतल परिवहन की 21, कोल की 20 और एटॉमिक एनर्जी की 7 परियोजनायें निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

जो परियोजनायें देरी से चल रही हैं, उन पर हमने तीन सवाल किये थे। मंत्री जी से पूछा था कि विदेशों से जो पैसा कर्ज में मिला, उनमें से कितने का इस्तेमाल नहीं हुआ? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनायी। उसने एक महीने में अपनी रिपोर्ट दी। आज तीन महीने हो गये हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद उस पर क्या कार्यवाही हुई? मंत्री जी इन बातों का जवाब नहीं दे पाये।

उस दिन की अगर आप कार्यवाही देखें तो अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जो सवाल पूछा गया, उसका उत्तर नहीं मिला। मंत्री जी ने उन सवालों को आगे बढ़ाने का काम किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि :

[अनुवाद]

"अब संसद आपको ठीक प्रकार से निगरानी न करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगी।"

[हिन्दी]

इसका मोनेटरिंग यह मंत्रालय बिल्कुल नहीं कर पा रहा है और उसके कारण योजनाएं निरन्तर आगे बढ़ती जा रही हैं। योजना के कार्यान्वयन और मूल्यांकन से सम्बन्धित एक रिपोर्ट सरकार ने प्रसारित की है। उसमें अधिक समय और लागत लगने के जो मुख्य कारण बताये हैं, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं "अपर्याप्त छानबीन तथा परियोजनाएं तैयार करना, कार्यक्षेत्र में बार-बार परिवर्तन किया जाना, अपर्याप्त परियोजना तैयार करने के कारण ड्राइंग संशोधन की जाती है, जो प्रारम्भ से ही मूल रूप से तय नहीं है।" साथ में मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि परियोजनाओं को तैयार करते समय राजनैतिक रूप से जब फैसले किये जायेंगे तो ऐसा ही होगा। ऐसी कई परियोजनाएं हैं, जिनको राजनैतिक फैसलों के कारण चलाने का निर्णय लिया गया लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया और बीच में ही वह रुक गई।

मैं इस विषय को बहुत ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता हूं, कुछ माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में और बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ विषयों के ऊपर मंत्री जी अपनी बिल्कुल स्पष्ट राय दें। क्या मंत्रालय का काम केवल विभिन्न मंत्रालयों से एकत्रित करके उनकी जानकारी देना है? अगर ऐसा है तो इस मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं है, वही मंत्रालय अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए सक्षम है। इस काम में देरी के लिए जिम्मेदारी किसके ऊपर है? आज 100 गुना, 200 गुना रेट बढ़ गये हैं, कौन इसके लिए रैस्पोंसिबल है? यह योजनाएं जो अब तक पैंडिंग हैं, यह कब तक पूरी होंगी, इसके बारे में कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाया गया है? योजनाएं प्रारम्भ करते समय सारी बातों पर विचार नहीं किया जाता कि इस योजना का भविष्य क्या रहेगा, इसको हम कैसे पूरा करेंगे। हमारे यहां एक

रेलवे की लाइन को दोहराकरण करने की योजना चल रही है, उसपर एक करोड़ रुपया हर साल दे दिया जाता है और ऐसा लगता है कि मुरादाबाद बरेली लाइन दस साल में भी पूरी नहीं होगी। टिहरी परियोजना के बारे में सब लोग जानते हैं कि 500 करोड़ से बढ़कर 5000 करोड़ की परियोजना हो गई। कारण कोई भी रहे हों, इस देश के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार कौन है ?

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में इस सम्बन्ध में आपको विदेशों से कितना धन प्राप्त हुआ, जो आपने अब तक प्रयोग नहीं किया और जो बिना प्रयोग किया हुआ पड़ा हुआ है ? इस संदर्भ में आपने जो धन लिया, उस पर जो ब्याज बढ़ रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है ? मैं इसके अलावा और भी जानना चाहूंगा, आप इस बारे में भी जवाब दें कि प्रधान मंत्री ने जो एक ग्रुप बनाया था, जिसकी रिपोर्ट एक महीने में आनी थी, अगर उसकी रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट क्या है, सदन को बताया जाय ? उस रिपोर्ट के आधार पर तीन महीने में आपने क्या फैसले लिये ? अगर किसी प्राइवेट आदमी को आप यह काम दे देते, किसी योजना का तो वह निश्चित समय में इसको पूरा करता, बल्कि टाइम से पहले पूरा करता। इसके हिसाब से पूरा न करने के कारण कौन जिम्मेदार है ?

रेल दुर्घटना हो तो मंत्री रेल नहीं तोड़ता है, न एक्सीडेंट करता है पर मंत्री इस्तीफा देकर चलता जाता है लेकिन हमारे यहां जो देरी करता है, लोगों का कहना यह है कि वह अपना घर ज्यादा भरकर किसी दूसरे संस्थान में चला जाता है और प्रयास करता है कि उसको कैसे बन्द किया जाय, कैसे अपने पेट को भरा जाय।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि देश के साथ जो यह खिलवाड़ चल रहा है, हर वर्ष यह संख्या बढ़ती जाती है। कुल 350 में से 177 योजनाएं ऐसी चल रही हैं, जो समय के हिसाब से पूरी नहीं हो रही हैं। क्या मंत्री जी ऐसा आश्वासन दे सकते हैं कि यह सारी परियोजनाएं अगले एक साल में पूरा करवा देंगे ? अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी को सदन को बताकर सदन को विश्वास में लेने का कोई कार्य करेंगे ? इसके लिए जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ मंत्री जी क्या किसी समय सीमा के अन्दर कार्रवाई करेंगे ?

उस दिन यह सारी बातें सामने आई थीं और इन सब बातों के आधार पर मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि मैं पूरी जानकारी लेकर दूंगा। मेरा आग्रह यह है कि मंत्री जी एक निश्चित जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए इन सारी बातों का जवाब दें, ऐसा मैं चाहता हूं।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति जी, मैं प्लानिंग मिनिस्टर से जानना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने जो 109 प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं, इनके बारे में जो कमाई बनाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है और कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट क्या काम करने जा रही है ? यह बात सच है कि हमारे देश में जो प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं, इसके कारण बहुत ही गम्भीर हैं। जब हम लोग कोई प्रोजैक्ट बनाते हैं तो उसके लिए कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हम लोग नहीं रखते हैं, इसलिए हर साल इसमें कास्ट एस्केलेशन होता है और वह पूरा नहीं हो पाता है और प्रोजैक्ट समय पर पूरा होने में दिक्कत होती है, वह ठीक टाइम पर ठीक तरह से पूरा नहीं हो पाता है।

[कुमारी ममता बनर्जी]

हमारे प्रदेश में भी बहुत इम्पोर्टेंट रेलवे प्रोजैक्ट्स हैं, जैसे एकलाखी-बालुघाट, दिखा-तमलु और हावड़ा-आमटा, ये प्रोजैक्टस काफी लम्बे समय से पैंडिंग हैं। इस वर्ष एकलाखी-बालुघाट के लिए एक हजार रुपया वापिस हुआ था और जब यहां हल्ला हुआ तो मंत्री महोदय ने एक करोड़ रुपया दिया था। मुझे पता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में कोई प्लानिंग नहीं है। फाउन्डेशन-स्टोन-ले कर दिया जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं, जो प्रोजैक्ट्स शुरू किए हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पर सरकार का रुपया खर्च हुआ है और जो पूरे नहीं हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? हर वर्ष एक हजार रुपया, एक लाख रुपया या दस लाख रुपया दे देने से प्रोजैक्ट कम्पलीट नहीं होता है। जो प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं, उनके लिए कोई काम्प्रिहैंसिव प्लान ऑफ एक्शन बनेगा, जिससे जो प्रोजैक्ट्स पैंडिंग हैं. वे कम्पलीट हो सकें? आने वाले दिनों में कोई नया प्रोजैक्ट नहीं लेंगे, जब तक पुराने प्रोजेक्ट कम्पलीट नहीं होंगे। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, तो उसको पहले प्लान करना चाहिए। कोई फाउन्डेशन-स्टोन लगा देने से प्रोजैक्ट कम्पलीट नहीं होते हैं। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, इन सारे प्रोजैक्ट का निर्माण करने के लिए आप क्या एक्शन ले रहे हैं? बंगाल में बोक्रोशवर थमर्ल पावर प्रोजैक्ट है और हल्दिया-पैट्रोकैमिकल प्रोजेक्ट है, इनका प्रोसपैक्ट क्या है, भविष्य क्या है, इस बारे में श्री मंत्री महोदय से मैं जानना चाहती हूं?

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : सभापति महोदय, अभी संतोष जी ने सदन के सामने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वास्तव में यह प्रश्न बड़ा अहम है। परियोजनायें बन जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा भेज दी जाती हैं और स्वीकृति भी प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसके बाद पर्यावरण के नाम पर या कभी किसी और के नाम पर उनको स्वीकृति दिए जाने में काफी लम्बा समय लग जाता है और उनकी लागत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ जाती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, योजना के कार्यान्वयन में समय इतना लम्बा होने का कारण क्या है? हमारे राजस्थान में ताप विद्युत परियोजना है और दूसरी अन्य परियोजनायें हैं, जो केन्द्र के पास भेज दी हैं और केन्द्र ने सिद्धान्ततः उनको स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन उन्हें समय पर स्वीकृति नहीं प्रदान करने के कारण उनकी लागत जो पहले 200 करोड़ रुपए थी, अब उनकी लागत 500 करोड़ और दस हजार करोड़ तक पहुंच गई है। मैं आपके माध्यम से इतना ही पूछना चाहूंगा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और परियोजना की लागत में वृद्धि के लिए कौन जिम्मेदार है? परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृत करके कार्यान्वित क्यों नहीं किया जाता है? यदि सरकार इस दिशा में कदम उठाए, तो लम्बित पड़ी परियोजनाओं को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर पूरा किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदय ....

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान) *

श्री चेतन पी०एस० चौहान (अमरोहा): महोदय, मैं संक्षेप में बोलूंगा।

सभापति महोदय : चौहान जी, बात यह है कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी सूचना हमें नहीं दी गई है। कृपया समझने की कोशिश कीजिये। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : महोदय, पहली बार, हमारी ओर से–मंत्रालय की ओर से–माननीय अध्यक्ष से आधे घंटे की चर्चा करवाने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है तथा वह अनुरोध माननीय सदस्यों की ओर से नहीं किया गया है।

हालांकि उस दिन मैंने अपने वक्तव्य में सभी मुद्दों व उल्लेखों को लिया था, तथापि माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे विदेशी सहायता से प्राप्त परियोजनाओं अथवा विदेशी सहायता प्राप्त उन परियोजनाओं के बारे में पूछा था जिनके लिए पर्याप्त धनराशि नहीं दी गई है अथवा जो धनराशि उनके लिए निर्धारित की गई थी, उसका उपयोग नहीं किया गया है। उस दिन मैंने कहा था कि हम इस बात पर निगरानी नहीं रख रहे थे कि प्रत्येक परियोजना के लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई तथा अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया गया अथवा कितनी राशि वापिस ली गयी; यह सारी जानकारी मुझे वित्त मंत्रालय से एकत्र करनी थी और माननीय सदस्य को देनी थी।

मैंने जानकारी प्राप्त करने के लिए यथासंभव प्रयास किया, लेकिन यह उस निगरानी का भाग नहीं है जो हम कर रहे हैं। मैं कुछ मुद्दों को स्पष्ट करने हेतु आज आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष 1995 से पहले किसी प्रकार की केन्द्रीय स्तर की शीर्ष संस्था अथवा निगरानी एजेंसी अथवा मंत्रालय नहीं था। धनराशि पर निगरानी रखने का काम मंत्रालय अथवा विभाग उस जानकारी के आधार पर कर रहे थे, जो उन्हें परियोजना अधिकारी से मिल रही थी। लेकिन परियोजना स्तर से अर्थात् कार्यकारिणी एजेंसी से जानकारी एकत्र करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर शीर्ष संस्था अर्थात् मंत्रालय की स्थापना का विचार श्री राजीव गांधी का था। हालांकि जो मंत्रालय निगरानी का काम कर रहे थे वे वहां पहले से मौजूद थे तथापि यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय/शीर्ष स्तर पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ प्रधान मंत्री कार्यालय को जानकारी देने के लिए एक प्रमुख मंत्रालय की आवश्यकता है। तत्पश्चात्, यह कार्य योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सौंपा गया था।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री गिरिधर गोमांगो]

माननीय सदस्य ने शंका जाहिर की है कि मंत्रालय का गठन एक डाकघर का कार्य करने के लिए किया गया था। डाक घर के बगैर आप पत्र डिलीवर नहीं कर सकते। लेकिन, वास्तव में हम डाक घर का कार्य नहीं कर रहे हैं; हम शुरू कर रहे हैं ·· **(व्यवधान)**

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपने कहा है कि आप धनराशि देने वाली एजेंसी नहीं है; और धनराशि देने वाली एजेंसी संबंधित मंत्रालय है। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने कहा कि वह आपको सभा में वे बातें कहने की अनुमति नहीं देंगे; आपको जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और सभा को देनी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री गिरिधर गोमांगो : ठीक यही कार्य मैं कर रहा हूं। हम धनराशि देने वाली एजेंसी नहीं हैं। धनराशि देने वाली विदेशी एजेंसी अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग हैं। यह कार्य हम योजना आयोग की अनुमति से नहीं कर रहे हैं। हम धनराशि वाली एजेंसी नहीं हैं। अतः, मैंने जो कहा, उसका तात्पर्य यह है कि 367 परियोजनाओं में से लगभग सभी परियोजनाओं के लिए हमारे पास स्वीकृति रिपोर्ट और साथ ही मासिक रिपोर्ट भी है; तथा हम उसे संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ प्रधान मंत्री कार्यालय को भी भेजते हैं। हम यही कार्य कर रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि हम धनराशि क्यों नहीं दे रहे हैं तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि हम धनराशि देने वाली एजेंसी नहीं हैं। **(व्यवधान)** मुझे बहुत खेद है। मैं धनराशि नहीं दे सकता। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप केवल जानकारी एकत्र कर रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : जी हां। उस दिन जब माननीय अध्यक्ष ने मुझे बताया था कि मुझे जवाबदेह होना चाहिये तो मैंने कहा था कि मैं जानकारी एकत्र करूंगा। वार्षिक रिपोर्ट में प्रत्येक परियोजना के बारे में जानकारी पहले से ही दी गई है; वे भी सभा में पेश कर रहा हूं। अगर माननीय मंत्री वार्षिक रिपोर्ट पढ़ें तो उन्हें पता चलेगा कि रिपोर्ट में लगभग सभी परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

मैंने अध्यक्ष महोदय से कुछ और अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए थोड़ा सा समय और देने का अनुरोध किया था। उस समय प्रधान मंत्री महोदय ने एक समिति का गठन किया था जिसके सदस्य मंत्रीगण थे। मंत्रियों के इस समूह ने कुछ अति महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे और प्रधान मंत्री महोदय को एक रिपोर्ट पेश की गई थी। यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री महोदय के विचाराधीन है। अन्य बातों के अलावा रिपोर्ट में अधिक समय और अधिक लागत लगने के कारणों का भी उल्लेख है। इस रिपोर्ट में संबंधित मंत्रालयों के विचार के लिए अनेक उपाय भी सुझाये गये थे। वे परियोजनावार स्थिति-रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए मासिक के साथ-साथ तिमाही रिपोर्ट भी पेश करेंगे जो बहुत रुचिपूर्ण होगी।

अतः, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जो भी काम सौंपा गया था, उसे हमने पूरी योग्यता

से किया है। हम केवल डांकघर का कार्य नहीं कर रहे हैं। हम परियोजना अधिकारी और संबंधित मंत्रालय के बीच समन्वय एजेंसी हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री समूह की रिपोर्ट, इस समय माननीय सदस्यों को नहीं बताई जा सकती। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मेरे विचार में बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति महोदय, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसीडेंट भारत आए थे और उन्होंने कहा था कि 4 बिलियन डालर अनयूटीलाइज्ड मनी भारत में पड़ी हुई है, जिसका उपयोग नहीं हुआ है, इसके बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मंत्री जी, आपको उस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि 361 परियोजनायें हैं, जो परीवीक्षाधीन हैं। वार्षिक रिपोर्ट में अद्यतन जानकारी दी गई है। मंत्रालय इन परियोजनाओं की देख-रेख कर रहा है। मंत्री जी ने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अगर माननीय सदस्यों को और आगे जानकारी की आवश्यकता होगी तो उन्हें अपेक्षित जानकारी दी जाएगी।

(व्यवधान)

श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या आप हमें बता सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कितने व्यक्ति हैं और उनके विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की है?

सभापति महोदय : उन्होंने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी है।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, हम कार्यान्वयन अधिकारी नहीं हैं। कार्यान्वयन का कार्य संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है। हमारा काम है जानकारी प्राप्त करना, उसे संकलित करना और फिर उसे संबंधित मंत्रालय को यह देखने के लिए वापिस भेजना कि केन्द्र द्वारा अनुमोदित परियोजनायें समय से लागू की गई हैं। अधिक समय लगने और अधिक लागत के कारणों का उल्लेख किया जाता है।

कुमारी ममता बनर्जी : क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम है या नहीं?

श्री गिरिधर गोमांगो : केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सभी परियोजनाओं की निश्चित समय-सीमा है और उस समय-सीम का हमेशा ध्यान रखा जाता है।

[श्री गिरिधर गोमांगो]

मैं माननीय सदस्यों को कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हमारे पास 36 मेगा परियोजनायें हैं, 135 बड़ी परियोजनायें हैं और 196 मध्यम परियोजनायें हैं। कुल लगभग 367 परियोजनायें हैं, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी ने रेलवे परियोजनाओं से संबंधित जिन बातों का उल्लेख किया है, वे वार्षिक रिपोर्ट में दी गई हैं।

सभापति महोदय : अगर रेलवे परियोजनाओं से संबंधित ब्यौरे वहां नहीं हैं, तो कृपया आप वे ब्यौरे कुमारी ममता बनर्जी को भेज दें।

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारा मंत्रालय कार्यान्वयन एजेंसी नहीं है। हमारा कार्य केवल जानकारी एकत्र करना है। सदस्य शायद यह चाहते हैं कि हम परियोजना के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप करें। मेरा कार्य किसी विशेष परियोजना के कार्यान्वयन में केवल प्रगति को सुनिश्चित करने का है। मैं परियोजना के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष कुमार गंगवार : आपने तीन साल में कितने प्रोजेक्ट पूरे करवाए चूंकि आपके मंत्रालय का यह काम है।

श्री गिरिधर गोमांगो : एनुवल रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा।

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : केन्द्र सरकार को निर्देश देना चाहिये कि जो योजनाएं स्वीकृत हुई हैं वे समय में पूरी हों।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह काम उनका नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गिरिधर गोमांगो : महोदय, वह कुछ जानकारी चाहते हैं। वर्ष 1994 में 160 परियोजनायें पूरी होनी हैं। लेकिन वास्तव में अभी तक 25 परियोजनायें ही पूरी की गई हैं और 70 परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना है। यह जानकारी हमें मार्च, 1994 तक की प्राप्त हुई है। जहां तक उन परियोजनाओं का संबंध है जो पूरी नहीं हुई हैं, हम उनके बारे में भी चिंतित हैं, हमने उनसे पूछा है कि उन्होंने परियोजनाओं को पूरा क्यों नहीं किया हैं इसके अनेक कारण हैं। हमने मंत्रालयों/विभागों को उन परियोजनाओं की संख्या बता दी है जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आप अपना जवाब पूरा कीजिये। आपको उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री गिरिधर गोमांगो : हमारी जानकारी के अनुसार 70 परियोजनायें पूरी की जायेंगी। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि आप मुझे यह जानकारी देने के लिए क्यों जोर दे रहे हैं। इस पर प्रधान मंत्री महोदय विचार कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्राईम मिनिस्टर ने कमेटी का गठन किया है ... **(व्यवधान)** हमारा काम इम्पलीमेंट एजेंसी का नहीं है। यह न कहें कि इम्पलीमेंट एजेंसी है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : व्यवधान में कही गई बातें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(व्यवधान) *

श्री गिरिधर गोमांगो : हम परियोजना अधिकारी से ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम संबंधित मंत्रालयों/विभाग से कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की जानकारी एकत्र कर हरे हैं। हम किसी के कार्य में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। अगर आप मुझे भी संतोष मोहन देव जी के मंत्रालय में दखल देने के लिए कहेंगे, तो निश्चित रूप से वह मुझसे नाराज हो जायेंगे।

जहां तक अधिक समय लगने और अधिक लागत आने से संबंधित जानकारी का सम्बन्ध है, यह जानकारी देना हमारा काम नहीं है बल्कि यह जानकारी केन्द्रीय स्तर पर सभी परियोजना अधिकारी से एकत्र की जाती है।

कुमारी ममता बनर्जी को जो भी जानकारी चाहिये मैं एकत्र करके उन्हें दे दूंगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अब और स्पष्टीकरण नहीं।

कुमारी ममता बनर्जी : उन्होंने कुछ विशेष परियोजनाओं का उल्लेख किया है। उस सम्बन्ध में उन्हें मुझे जवाब भेजना चाहिये।

प्रो० रासा सिंह रावत : उन्होंने मेरे प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया है।

सभापति महोदय : अब और स्पष्टीकरण नहीं। सभा कल 11.00 म०पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.34 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 मई, 1994/20 वैशाख, 1916 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पी०एल०एस०-48/31/34/94 (एन०)

250

© 1994 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक दि इण्डियन प्रैस दिल्ली द्वारा मुद्रित।